सप्तम माला, खंड 51, अंक 21 बुधवार, 22 अगस्त, 1984/31 श्रावण, 1906 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(पन्द्रहवां सत्र)

7th Lok Sabha



(खंड 51 में अंक 21 से 25 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

सप्तम माला, खण्ड 51, पन्द्रहवां सत्र, 1984/1906 (शक)

अंक 21, बुधवार 22 अगस्त, 1984/31 श्रावण, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 417, 418 और 420 से 423	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	21-210
तारांकित प्रश्न संख्या : 415, 419 और 424 से 435	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4105 से 4107, 4109 से 4308, 4310 से 4343 और 4343-क	
विदेश मंत्रालय में पदोन्नति में गत्यवरोध के बारे में दिनांक 1-8-84 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1542 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	210—211
साम्प्रदायिक दंगों विषयक न्यायिक आयोगों की सिफारिशों के बारे में दिनांक 25-7-84 के अतारांकित प्रश्न संख्या 473 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	211
विशेषाधिकार का प्रश्न	211—222
आन्ध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा अपनी विशेषाधिकार समिति को विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	222—225
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	225—226
अध्ययन दौरों सम्बन्धी प्रतिवेदन	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	226
81वां प्रतिवेदन	
लेखा समिति	226
218वां, 222वां तथा 223वां प्रतिवेदन	

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य पूछा था।

विषय	पृष्ठ
प्राक्कलन समिति	226—227
88वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश	
संविधान (52वां संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित	227—251
श्री पी० वी० नरसिंह राव	227
श्री राम विलास पासवान	228
प्रो० मधु दण्डवते	229
श्री सुनील मैत्रा	232
श्री सुधीर गिरि	233
श्री हरिकेश बहादुर	234
प्रो० रूपचन्द पाल	234
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	236
श्री ए० के० राय	238
नियम 377 के अधीन मामले :	251—256
(एक) नेशनल रेयन कम्पनी, महाराष्ट्र में तालाबन्दी	251
श्री जगन्नाथ पाटिल	
(दो) बारक घाटी तथा ब्रह्मपुत्र-घाटी में आई बाढ़ों से हुई हानि का अनुमान लगाने के लिए एक केन्द्रीय दल वहां भेजने की आवश्यकता	252
श्री विष्णु प्रसाद	
(तीन) उन आयकर वकीलों को, जो चार्टर्ड एकाउन्टटेंट नहीं हैं, लेखा-परीक्षा करने की अनुमति न दिए जाने के सरकारी निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता	252
श्रीमती विद्या चेन्नुपति	
(चार) लोअर दामोदर जल-निकासी योजना को शीघ्र मन्जूरी देने की आवश्यकता	253
श्री हन्नान मोल्लाह	
(पांच) उत्तर बिहार को बिजली देने हेतु चुक्का परियोजना का शेष कार्य पूरा करने की आवश्यकता	253
श्रीमती माधुरी सिंह	

विषय	पृष्ठ
(छः) स्वरोजगार योजना को सतत आधार पर कार्यान्वित करने की आवश्यकता	254
श्री माधवराव सिंधिया	
(सात) कन्नौज (उत्तर प्रदेश) में इत्र तथा अगरबत्ती उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु कदम उठाना	255
श्री छोटे सिंह यादव	
(आठ) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए आरक्षित स्थानों का उनको आबंटन सुनिश्चित करने की आवश्यकता	255
श्री राम विलास पासवान	
(नौ) रेल डाक सेवा पत्र-विलगन सैक्शनों को पुनः चालू करने तथा डाक तार विभाग के विभागेतर कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की आवश्यकता	256
डा० ए० कलानिधि	
संविधान(47वां संशोधन) विधेयक	256—285
विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा	256
श्री राजेश कुमार सिंह	257
श्री मूलचन्द डागा	258
श्री बापू साहिब परुलेकर	258
श्री गिरिधर गोमांगो	259
श्री अमल दत्त	260
श्री गिरिधारी लाल व्यास	262
श्री मोहेन्द्रा नगनगोम	263
श्री हरिकेश बहादुर	264
प्रो० एन० जी० रंगा	264
श्री चित्त बसु	265
श्री बाजूबन मार० खारलुखी	267

विषय	पृष्ठ
संविधान (48वां संशोधन) विधेयक	285—321
विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती मोहसिना किदवई	285
श्री अमल दत्त	285
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	287
श्री राजेश कुमार सिंह	288
श्री मूलचन्द डागा	289
प्रो० अजित कुमार मेहता	290
श्री केयूर भूषण	292
श्री कृष्ण कुमार गोयल	293
श्री राम प्यारे पनिका	295
राव वीरेन्द्र सिंह	297
डा० वी० कुलननईवेलु	297
श्री राम नगीना मिश्र	299
श्री विजय कुमार यादव	301
प्रो० नारायण चन्द पराशर	303
श्री चित्त बसु	305
श्री पी० राजगोपाल नायडू	308
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	308
श्री गिरधारी लाल व्यास	310
श्री बृज मोहन महन्ती	312
श्री राम सिंह यादव	312
श्री डी० पी० यादव	314
श्री रामावतार शास्त्री	316
श्री सुन्दर सिंह	318
श्री सुधीर कुमार गिरि	318
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	319

लोक सभा

बुधवार, 22 अगस्त, 1984/31 श्रावण, 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोयला खानों में हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए आवश्यक सेवाएं बनाये रखना अधिनियम का प्रयोग

*417. श्री ए० के० राय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 जुलाई, 1984 से कोयला खानों में हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए आवश्यक सेवाएं बनाए रखने सम्बन्धी अधिनियम, 1981 का प्रयोग किया गया है, और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) उन अन्य उद्योगों के अवधि सहित नाम क्या हैं, जिनमें आवश्यक सेवाएं बनाए रखने सम्बन्धी अधिनियम का प्रयोग किया गया है और उनमें काम करने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रयोग करने से पूर्व केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय से, जो कोयला क्षेत्रों में औद्योगिक सम्बन्धों का कार्य देखता है, परामर्श किया गया था, यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

कोल इण्डिया लि० के अधीन किसी सेवा में हड़तालों को रोकने के लिए एक आदेश आवश्यक सेवाएं बनाए रखने सम्बन्धी अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 जुलाई, 1984 को जारी किया गया था। यह आदेश कोल इण्डिया लि० में हड़ताल के खतरे के सन्दर्भ में और इस्पात संयंत्रों, सीमेंट संयंत्रों, उर्वरक संयंत्रों और ताप बिजली केन्द्रों जैसे उद्योगों, जो पूरी तरह कोयला पर निर्भर है, को कोयला सप्लाई में किसी बाधा को रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया था। आदेश जारी करने में श्रम मन्त्रालय, जिनसे परामर्श किया गया था, ने सहमति दी।

2. केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के लिए केवल आपवादिक परिस्थितियों में अब तक आवश्यक सेवाएं बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम, 1981 के अधीन शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है :—

(1) विदेशियों के मसले पर आंदोलन से उत्पन्न स्थिति के सन्दर्भ में असम में डाक व तार, टेलीफोन, रेलवे आदि।

(2) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड।

(3) एशियाई खेलों, 1982 और गुटनिर्पेक्ष, सम्मेलन तथा राष्ट्रमण्डल देशों के शासनाध्यक्षों का सम्मेलन, 1983 के सन्दर्भ में दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सार्वजनिक सफाई-व्यवस्था, सफाई जल तथा विद्युत सप्लाई।

(4) एशियाई खेलों, 1982 और राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन 1983 के सन्दर्भ में आकाशवाणी और दूरदर्शन।

(5, भारतीय खाद्य निगम।

(6) दिल्ली में गुट-निर्पेक्ष सम्मेलन के सन्दर्भ में दिल्ली में होटल उद्योग।

(7) फरक्का बांध परियोजना, पश्चिम बंगाल।

(8) राष्ट्रमण्डल देशों के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन के सन्दर्भ में दिल्ली में आई० टी० डी० सी० का होटल उद्योग तथा परिवहन यूनिट और गोवा, दमन व दीव में होटल उद्योग।

(9) सैंट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन।

(10) मथुरा तेल शोधक कारखाना, उत्तर प्रदेश।

उपर्युक्त, आवश्यक सेवाओं में हड़तालों को रोकने के लिए आदेश छः महीने या इससे कम समय के लिए लागू रहे और केवल असम, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन भारतीय खाद्य निगम और सैंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन में आवश्यक सेवाओं के सम्बन्ध में आदेश कुल एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहने के लिए लागू किए गए थे।

श्री ए० के० राय : जब सामान्य श्रम कानून विफल हो जाते हैं तब आवश्यक सेवाएं बनाए रखने सम्बन्धी अधिनियम का उपबन्ध हड़तालों से निपटने के लिए किया जाता है। सामान्य श्रम कानूनों में भी धारा 24 और 27 के अन्तर्गत भी हड़ताल को रोकने तथा अवैध हड़तालों से सम्बन्धित लोगों को दण्ड देने के उपबन्ध दिए हुए हैं। किन्तु कर्मकार के विवाद अथवा शिकायतों को निर्णय देने हेतु न्यायाधिकरण अथवा न्यायालय के पास भेजने के लिए एक पूरक उपबन्ध भी किया हुआ है। किंतु आवश्यक सेवाएं बनाए रखने संबंधी अधिनियम केवल हड़ताल पर रोक लगाता है परंतु इसमें कर्मकारों की शिकायतों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। अतः प्रश्न यह उठता है : यदि कर्मकार श्रम कानूनों

का उल्लंघन करने वाले सिद्ध कर दिये जाते हैं, केवल तभी आप आवश्यक अधिनियम बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम प्रख्यापित करने के बारे में सोच सकते हैं। कर्मकार यदाकदा ही श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हैं और केवल प्रबन्धक ही सबसे अधिक उल्लंघन करने वाले होते हैं जैसाकि श्रम विभाग के आंकड़े बताते हैं। वे मध्यस्थता की उपेक्षा करते हैं, कभी भी श्रम विभाग के परामर्श को नहीं मानते और न्यायाधिकरण के पंच निर्णय को नहीं मानते हैं जिससे प्रबंन्धकों पर अभियोजन, अपराधिक अभियोजन चलाया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि कर्मकारों पर इस प्रकार के दण्डनीय तथा आतंकित करने वाले उपायों के प्रयोग करने का वास्तव में औचित्य है ?

दूसरी बात मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात से अवगत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की प्रबन्धक समिति ने पहले ही उद्योगों को शामिल करने के लिए 'आवश्यक सेवा' की परिभाषा को बहुत आगे बढ़ा करके इसके विस्तार करने के लिए सरकार की आलोचना की है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में आप का भी प्रतिनिधि है। यदि हां, तो उसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन किसी सेवा में हड़तालों को रोकने के लिए आवश्यक सेवाएं बनाये रखना अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग करने का प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1983 में कोयला विभाग द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड ने अनधिकृत हड़ताल करने तथा अनुपस्थित रहने पर कानून के अन्तर्गत ग्राह्य आठ दिनों की मंजूरी की कटौती का आदेश देकर के दंडनीय कार्यवाही की थी। यह कार्यवाही सभी कोयला खानों में की गयी जिसका प्रभाव बहुत अधिक कर्मकारों पर पड़ा। इसका कर्मकारों द्वारा विरोध किया गया और मार्च, 1984 में आसनसोल में हुए सम्मेलन में उन्होंने कोयला उद्योग की संयुक्त द्वि-पक्षीय समिति की बैठक बुलाने तथा 8 दिनों को मजूरी की कटौती के सम्बन्ध में आदेश की वापिसी सहित अपनी विभिन्न मांगों पर जोर देने के लिए 4-6-84 को हड़ताल करने का निर्णय किया।

कोयला विभाग के अनुसार यह आदेश अवैध अनधिकृत हड़ताल करने की प्रवृत्ति का दमन करने के लिए जारी किया गया था और कानून के उपबन्धों के अनुसार था। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा समझौता अधिकारियों का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया गया था और उन्होंने विधिवत कार्यवाही शुरू कर दी। कर्मकारों को चेतावनी दे दी गयी थी कि इन परिस्थितियों में उनके द्वारा की गयी हड़ताल अवैध होगी और इसके लिए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

हड़ताल की धमकी के सन्दर्भ में कोयला विभाग ने कोयला उद्योग में हड़तालों को रोकने के लिए आवश्यक सेवाएं बनाए रखने सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग करने के प्रश्न पर विचार किया है। उस समय यह निर्णय किया गया था कि आवश्यक सेवाएं बनाए रखने सम्बन्धी शक्तियों के प्रयोग इस तथ्य को देखते हुए न किया जाए कि समझौता कार्यवाही विचाराधीन है। अतः, कोई भी हड़ताल अवैध होगी। किसी भी तरह औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत 4 तथा 5 जून को हड़ताल हुई तथा 30 से 40 प्रतिशत कर्मकारों द्वारा दो दिनों के लिए काम बन्द किए जाने का समाचार मिला था। सिंगरेनी कोलियरीज लिमिटेड में हड़ताल का प्रभाव लगभग पूरा रहा था। उस कंपनी में केवल दो खुली खानों में काम हुआ।

इसी कारण से औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत श्रम मन्त्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करके कोयला उद्योग को सार्वजनिक उपयोग सम्बन्धी सेवा घोषित कर दिया गया है। इस अधिसूचना के आधार पर कोयला उद्योग में हड़तालें अवैध हो गयीं जिससे मजदूरी संदाय अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही ग्राह्य हो गयी। इसलिए कोल इंडिया के प्रबन्धकों ने वैध रूप से इस हड़ताल को अवैध समझा और सभी हड़ताली कर्मकारों की आठ दिनों की मजदूरी की कटौती को लागू करने के अनुदेश जारी किये। ये कारण कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा बताये गए हैं।

जहां तक अन्य मामलों का प्रश्न है अर्थात हड़ताल की पूरी मात्रा इत्यादि, हमें मूल प्रश्न की सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारा देश भी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सदस्य है, इसलिए इस मामले पर उनके द्वारा भी विचार किया जा रहा है।

श्री एन० के० राय : महोदय, मैं मन्त्री महोदय का समाधान करने में असफल रहा हूं। इसलिए मैं आपका समाधान करना चाहूंगा। यह एक गलत धारणा है कि कोयला खानों के कार्मिक बिना सोचे-समझे हड़ताल करते हैं। यह बात सही नहीं है। गत वर्ष उनके आंकड़ों के अनुसार, हड़ताल के कारण उत्पादन में साढ़े तीन लाख टन की क्षति हुई जबकि बिजली की कमी के कारण उत्पादन की क्षति 40 लाख टन की हुई। केवल यह ही नहीं। कोयला उद्योगों में कपड़ा उद्योग की अपेक्षा नष्ट हुए जन-दिवस भी कम हैं।

आज हमारी समस्या अनधिकृत हड़ताल की नहीं है परन्तु अनधिकृत बरखास्तगी तथा अनधिकृत मजूरी कटौती की है। महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि धनबाद के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ने भी मजूरी कटौती के विरुद्ध परामर्श दिया था और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रबन्धकों के आदेश को स्थगित कर दिया। आप देख सकते हैं कि प्रबन्धकों द्वारा किस सीमा तक अवैध कार्यवाही की गई है। दूसरी बात, जिसे मैं बताना चाहूंगा, यह है। क्या कोयला क्षेत्र को भी झगड़े में घसीटना आवश्यक है। क्या आप कोयला क्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलना चाहते हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में पहले से ही आग भड़क चुकी है। अब केवल कोयला क्षेत्र शेष बचा है।

महोदय, समाचार पत्रों के अनुसार, केवल कुछ समय पूर्व, 'सीटू' तथा 'आईटक' के नेता प्रधान मन्त्री को मिले और उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया ताकि संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाई जा सके तथा बातचीत हो सके—समझौता हो सके—और कोल इण्डिया में उत्पादन होने लगे। इसको देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस भावना से आवश्यक सेवाएं बनाए रखने संबंधी अधिनियम का प्रयोग करना चाहते हैं?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मन्त्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार कोल इण्डिया द्वारा इन आठ दिनों की मजदूरी की कटौती करने का विचार किया गया था, ऊर्जा मन्त्री महोदय ने बजट चर्चा के दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड के अध्यक्ष को यह निर्देश दिया था कि दोषी कर्मकारों को दण्ड देते समय कानून और न्याय का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा सभी कर्मकारों की मजूरी में एक-समान कटौती नहीं की गई है और कटौती स्थिति की गम्भीरता तथा कर्मकारों द्वारा किये गए अपराध पर निर्भर करती है। स्थिति बहुत कठिन हो गई थी और कोल इण्डिया ने ऊर्जा मन्त्रालय की सहायता मांगी और उसने सिफारिश की कि परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि उत्पादन में कमी आ सकती है। इस हड़ताल के द्वारा उर्वरक, बिजली आदि जैसे महत्वपूर्ण उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं। अतः, हमने इस

मामले पर बहुत ही गम्भीरता से विचार किया है और आखिरकार हमें यह कार्यवाही करने पर विवश होना पड़ा है। किसी का उत्पीड़न नहीं किया गया है। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा, इसमें कर्मकारों की असफलता नहीं है बल्कि इसका कारण कुछ और ही है। मैंने कहा है कि सिंगरैनी कोयला खानों में काम बिल्कुल ठप्प हो गया था। केवल दो खुली भट्ठियों ने काम करना शुरू किया। परिस्थितियों ने हमें यह कार्यवाही करने के लिए मजबूर कर दिया।

श्री ए० के० राय : हमारे नेताओं को प्रधानमन्त्री द्वारा दिया गया आश्वासन क्या है? उन्होंने आश्वासन दिया था कि बातचीत आरम्भ की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री समर मुखर्जी।

श्री समर मुखर्जी : स्थिति बहुत ही गम्भीर है। मैंने इस मामले को व्यक्तिगत रूप से प्रधानमन्त्री और ऊर्जा मन्त्री के सामने रखा। यह शिकायत गलत है कि यह एक अनधिकृत हड़ताल है। उन्होंने उचित नोटिस दिया था और उसके बाद उन्होंने 4 और 5 जून को हड़ताल कर दी थी। मजूरी सम्बन्धी समझौता नवम्बर में हुआ था और नवम्बर से इस समझौते को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। इसी कारण कर्मकारों में रोष है। अतः, उन्होंने मांग की है कि इस समझौते को कार्यान्वित किया जाए और इस समझौते का एक अंश यह भी था कि इस पर संयुक्त द्विपक्षीय समिति की बैठक में पुनर्विचार किया जाना था, किन्तु नवम्बर से लेकर जून-जुलाई तक इस समिति की बैठक नहीं बुलाई गई। जब कभी भी अध्यक्ष से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह इस समिति की बैठक नहीं बुलाएंगे।

महोदय, अध्यक्ष ने एकतरफा घोषणा कर दी कि आठ दिनों की मजूरी की कटौती की जाएगी। यदि किसी विशेष दिन कोई अनुपस्थिति होती है, तो उसके लिए उन्होंने एक तरफा तौर पर इस प्रकार का कठोर दण्ड घोषित किया है। विलम्ब भी दण्ड का कारण बनेगा। अतः, रोष इतना अधिक बढ़ गया कि कार्मिक संघों ने संयुक्त रूप से हड़ताल करने का निर्णय किया। महोदय, ऊर्जा मन्त्री ने हस्तक्षेप किया किन्तु हमें यह महसूस होता है कि वह अध्यक्ष के सामने पूरी तरह असहाय हैं। अतः, मैंने इस बारे में प्रधानमन्त्री का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने मुझे बताया कि वह इस ओर ध्यान देंगी किन्तु अभी तक संयुक्त समिति की बैठक नहीं बुलाई गई है। महोदय, रोष काफी हद तक दूर हो जाता यदि समिति की बैठक बुलाई जाती और आपस में विचार-विमर्श किया जाता किन्तु उसकी बजाय आप उनके न्यायसंगत आंदोलन और कोयला खानों के कार्मिकों की मांगों का दमन करने के लिए आवश्यक सेवाएं बनाए रखने सम्बन्धी अधिनियम लागू करने जा रहे हैं जिसका बुरा तथा विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हमने अध्यक्ष को हटाने की मांग की थी।

प्रधानमन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : महोदय, यह बात सच है कि श्री समर मुखर्जी और अन्य सदस्य इस मामले के सम्बन्ध में मुझे मिलने आए थे और मैं इसकी ओर ध्यान देने के लिए सहमत हो गई थी। हम सब सहमत हैं कि कोई दमनकारी पग नहीं उठाए जाने चाहिएं और कार्मिकों को किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु माननीय सदस्य यह समझने का प्रयास करेंगे कि वहां अनुशासन की भारी कमी है। वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयले का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यह आवश्यक था कि समूचे क्षेत्र में कुछ कड़ा रुख अपनाया जाए ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके और वास्तव में उत्पादन बढ़ा भी है।

जहां तक बैठक का सम्बन्ध है, मैंने वह सुझाव भेज दिया था। मुझे खेद है कि मैंने इस ओर आगे ध्यान नहीं दिया किन्तु हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कार्मिकों की बैठक बुलाई जाये। मुझे ज्ञात नहीं कि इस बीच कार्मिकों का रवैया क्या है? उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी हो अथवा कुछ ऐसा काम किया हो जिससे स्थिति बिगड़ गई हो।

श्री समर मुखर्जी : बहुत अधिक उत्पीड़न किया जा रहा है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इसके साथ ही यह बात भी सच है कि वहां स्थिति बिगड़ रही थी और उत्पादन कम होता जा रहा था। कानून और व्यवस्था की स्थिति नियन्त्रण में नहीं थी और उस पर नियन्त्रण करना था।

श्री समर मुखर्जी : ऐसा अध्यक्ष की कार्यवाही के कारण हुआ है न कि कार्मिकों के कारण। **(व्यवधान)**

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अध्यक्ष से पहले।

श्री जेवियर अराकल : मैं सदन को स्मरण कराना चाहूंगा कि आठवें वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि सरकारी क्षेत्र की विकास दर 0.84 प्रतिशत है। झा समिति ने भी हाल में दो मूल समस्याओं, जिनका सामना सरकारी क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है, अर्थात केन्द्रीकृत कार्यवाही तथा नौकरशाही कार्यकरण के बारे में प्रतिवेदित किया है। इस सन्दर्भ में हमें अपने आप से यह पूछना है कि क्या उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा इस मामले में सरकारी क्षेत्र की भूमिका आवश्यक सेवाएं बनाए रखने सम्बन्धी अधिनियम कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के मामले में किसी भी प्रकार से हमारी सहायता करेगा जैसा कि हमारी प्रिय प्रधानमन्त्री ने कहा है। अतः, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है और कुछ राज्य सरकारें इसे कार्यान्वित करने के लिए तैयार नहीं हैं जिसका परिणाम यह हुआ है कि सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक विकास की दर बहुत ही धीमी रही है?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : महोदय, केन्द्रीकृत कार्यवाही तथा नौकरशाही के कार्यकरण के बारे में माननीय सदस्य ने सदन को बताया है कि विभिन्न प्रतिवेदनों में इसका उल्लेख किया गया है। ये सभी बातें विचाराधीन हैं और वास्तव में ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है। महोदय, प्रधानमन्त्री ने यह कहा है कि अर्थव्यवस्था को दृढ़ बनाए रखने के लिए यह अत्यन्त ही आवश्यक क्षेत्र है। कोयले के उत्पादन को अवश्य ही बनाये रखा जाना चाहिए तथा बढ़ाया जाना चाहिए। इस बात को दृष्टि में रखते हुए और उस क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों के कारण ऊर्जा मन्त्री ने सुझाव दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक सेवाएं बनाए रखना अधिनियम लाभकारी होगा। अन्य मामला संयुक्त द्विपक्षीय समिति की बैठक को बुलाने के बारे में है। संयुक्त द्विपक्षीय समिति की बैठक को शीघ्र ही बुलाए जाने की सम्भावना है और कार्मिकों की मांगों पर इस बैठक में विचार किया जाएगा।

महोदय, एक-समान मजूरी की कटौती के बारे में मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। ऊर्जा मन्त्री ने कहा है कि न्याय अवश्य किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, महोदय, कार्मिक न्यायालय में चले गए हैं और उन्होंने रोकादेश प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार आठ दिनों की मजूरी की कटौती को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

"नालको" द्वारा विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

*418. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में 24 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न सं० 4809 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "नालको" द्वारा दामनजोड़ी के लिए उपलब्ध कराए गए 5 लाख रुपयों में से उड़ीसा सरकार द्वारा आदिवासी परिवारों के लिए अब तक कितने अन्तर्वर्ती (ट्रांजिट) मकानों का निर्माण किया गया है ;

(ख) क्या "नालको" के प्रबन्धकों ने 300 और परिवारों के पुनर्वास के लिए 21 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है और इन मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है ;और

(ग) यदि हां, तो यह निर्माण कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है और उसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है और अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) 4.78 लाख रु० 77 ट्रांजिट मकानों के निर्माण पर तथा शेष 22,000 रु० नलकूपों पर व्यय किए गए।

(ख) और (ग) दामनजोड़ी सैक्टर में विस्थापित होने वाले 581 परिवारों को प्रति परिवार 2500 रुपये की दर से 14.52 लाख रुपये की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा नालको प्रबन्धकों ने 1.85 लाख रुपये की लागत से 50 ट्रांजिट शैडों का निर्माण किया है तथा लगभग 4.15 लाख रुपये की लागत से 130 और ट्रांजिट शैडों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, अन्य एजेन्सियों ने भी स्थलों पर 100 ट्रांजिट शैडों का निर्माण किया है।

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय, मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश स्थित मलाजखंड कोपर परियोजना मे परियोजना के एक अग के रूप में उस परियोजना से विस्थापित लोगों के पुनर्वास की नीति अपनाई गई है और क्या उस नीति के अनुसार विस्थापित लोगों का पुनर्वास किया जा चुका है। मंत्रालय ने इस बात को सराहा था जबकि वैसी ही नीति दामन जोड़ी क्षेत्र क लिए नहीं अपनाई गई थी। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हू कि क्या मंत्रालय अब वहां मकानों के निर्माण के लिए प्रति मकान के हिसाब से 8,500 रुपए देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है क्योंकि अभी उस परियोजना के पूरा होने में समय लगेगा। इस अलूमीना परियोजना पर लगभग 2,000 करोड़ रुपए का खर्च आयेगा और इस विशाल राशि में से सरकार मकानों के निर्माण पर एक करोड़ रुपए से भी अधिक राशि आसानी खर्च कर सकती है।

श्री एन० के० पी० साल्वे : महोदय, यह प्रश्न दो भागों में विभाजित है। इसका पहला भाग लोगों के पुनर्वास के बारे में है। माननीय सदस्य ने कहा है कि जैसा कि हमने मलाजखड परियोजना के परिणाम-स्वरूप विस्थापित हुए लोगों जिसकी भूमि अर्जित की गई है का पुनर्वास किया है, वैसी ही व्यवस्था हमें दामनजोड़ी क्षेत्र से स्थापित हुए लोगों के बारे में भी करनी चाहिए। महोदय, इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि हमने पुनर्वास कार्यक्रम क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है और हम विस्थापित

हुए प्रत्येक परिवार में से एक स्वस्थ व्यक्ति को रोजगार देने जा रहे हैं। हमने 2,500 रुपए का अनुग्रह पूर्वक अनुदान भी दिया है। हम ट्रांजिट मकानों का भी निर्माण करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया था, प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे अन्य लाभ भी हम वहां पर दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हम वहां पर दुकानों का निर्माण भी करने जा रहे हैं और हम लोगों को उन दुकानों का आबंटन करेंगे, जिससे वे अपना निजी रोजगार शुरू कर सकें।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है कि प्रत्येक मकान के निर्माण पर 8,500 रुपए से कम लागत नहीं आयेगी और अनुग्रह अनुदान की राशि हमें 2500 रुपए से बढ़ाकर 8500 रुपए करनी चाहिए, यह एक विचारार्थ सुझाव है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि मैं उन कठिनाइयों से भलिभांति परिचित हूं जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामने और विशेष रूप से उन आदिवासीयों के सामने आती हैं जिनकी भूमि आधुनिक उद्योगों का निर्माण करने के लिए अर्जित कर ली जाती हैं और मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन भी देता हूं कि मैं उसके सुझाव पर गहराई से विचार करूंगा।

श्री गिरीधर गोमांगो : माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं, किन्तु अंगुल क्षेत्र में अर्जित भूमि के लिए लोगों को मुआवजे के रूप में 17000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान किया गया है जबकि दामनज़ोड़ी क्षेत्र में यह भुगतान केवल 3000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अंगुल क्षेत्र में इन लोगों को अन्य सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं जबकि दामनजोड़ी क्षेत्र में लोगों को वैसी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह विकासगत पहलूओं और दामनजोड़ी तथा अंगुल क्षेत्र में समान सुविधाएं देने के प्रयोजनार्थ अलुमिना और अल्युमीनियम उद्योग समूहों को समान स्तर पर नहीं मानेंगे ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : माननीय सदस्य का यह कहना बिलकुल ठीक है कि अंगुल क्षेत्र के ढंकोल जिले में और दामनजोड़ी क्षेत्र के कोरापुट जिले में औसत रूप से भूमि का जो मुआवजा दिया गया है, वह भिन्न-भिन्न है। किन्तु जैसा कि आप जानते है कि अर्जित भूमि के लिए मुआवजे का निर्धारण हमारे हाथों में नहीं है और हम उसने मुआवजे का भुगतान करते हैं जो कि स्थानीय कानूत द्वारा निर्धारित किया जाता है और सम ग्रामीण क्षेत्रों में उस प्रकार से निर्धारित मुआवजे का भुगतान कर रहे हैं।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है कि जो सुविधाएं हम दामनजोड़ी क्षेत्र में दे रहे हैं वे सुविधाएं अंगुल क्षेत्र में नहीं दी जा रहीं। यहां मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हम नहीं चाहेंगे कि दोनों क्षेत्रों में दी गई सुविधाओं में भिन्नता हो। यदि माननीय सदस्य मुझे यह बतायेंगे कि दोनों स्थानों पर दी गई सुविधाओं में क्या-क्या भिन्नता है तो मैं उसकी जांच कराऊंगा।

श्री रास बिहारी बहेरा : माननीय मंत्री के उत्तर से यह स्पष्ट हो गया है कि दोनों क्षेत्रों में दी गई सुविधाओं में भिन्नता है। इस दृष्टि से क्या सरकार इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी कि जिन लोगों की भूमि अर्जित की गई है उन्हें उचित आर्थिक लाभ दिए जायें। दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या "नालको" में कोई ऐसा विभाग अलग से स्थापित किया गया है जो इन उपायों को लागू करने और उनकी देखरेख करने का कार्य करेगा।

श्री एन० के० पी० साल्वे : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है मैं उसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है "नालको" में इसके लिए पर्याप्त प्रबन्ध व्यवस्था है जो यह सुनिश्चित करेगी कि ये आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम उचित रूप से लागू किए जायें।

श्री के० प्रधानी : महोदय मैं उसी कोरापुट जिले से आता हूं जहां "नालको" स्थापित की जा रही है। उस क्षेत्र से अधिकांशतः आदिवासी विस्थापित हुए हैं। उनका एकमात्र पेशा खेती करना है। हमारे राज्य में स्थित इंद्रावती और कोलाब जैसी परियोजनाओं के लिए हमारी राज्य सरकार विस्थापित लोगों को बिना इस बात पर विचार किए कि उनके पास अन्य भूमि है या नहीं, कम से कम 6 एकड़ भूमि दे रही है। क्या इसी आधार पर केन्द्रीय सरकार भी विस्थापित हुए लोगों को 6 एकड़ भूमि देने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ताकि, वे लोग अपनी आजीविका ठीक प्रकार से कमा सके।

श्री एन० के० पी० साल्वे : श्री गोमांगों के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैं पहले ही कह चूका हूं कि जिन लोगों की भूमि औद्योगिक समूहों को स्थापित करने के प्रयोजन के लिए अर्जित कर ली जाती है उन ग्रामीण लोगों को विशेष रूप से आदीवासी क्षेत्र के लोगों को जो कठिनाइयां आती है, मैं उनसे भली भांति परिचित हूं लेकिन अर्जित भूमि के बदले में वैकल्पिक भूमि देना हमारे हाथ में नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि हम मुआवजे की राशि में वृद्धि कर सकते हैं। इस सुझाव पर मैं गंभीरतापूर्वक विचार करूंगा।

खाड़ी के देशों में कार्य कर रहे भारतीय

*420. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** :

प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के देशों में निर्माण कार्यों में कमी हो जाने के कारण वहां कार्य कर रहे भारतीयों के मन में आशंका पैदा हो गई है ;

(ख) क्या उक्त भारतीयों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार का कुछ कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) तेल से प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी और मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के कारण खाड़ी के कुछ देशों में आर्थिक गतिविधि मंद पड़ गई है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में, जिनमें निर्माण-कार्य भी शामिल हैं, जनशक्ति की जरूरतें कुछ कम हो गई हैं। फिर भी खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों की बड़े पैमाने पर छटनी नहीं हुई है और न ही हमारे कामगारों को इस बात का तत्काल कोई खतरा है। हमारे कामगार वर्तमान संविदा पूरे होने तक वहां काम करते रहेंगे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय मैं कितने अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : केवल दो । किन्तु आप इसे अन्यथा न लें और एक और एक को 11 न बनावें ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : जो कुछ कहा गया है उसके बावजूद, यह स्पष्ट है कि खाड़ी के देशों में भारतीयों द्वारा रोजगार पाने के अवारों में कमी होती जा रही है । माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि भारतीय उन देशों में तब तक काम करते रहेंगे जब तक कि उनके वर्तमान सेवा करार पूरे नहीं हो जाते ।

आपको यह मालूम है कि सामान्यत: इन करारों के अनुसार भारतीय श्रमिकों को विदेशों में 2 या 3 साल के लिए काम मिलता हैं । इसका मतलब यह हुआ कि तीन वर्ष की अवधि में खाड़ी के देशों कार्यरत अनेक भारतीय कामगार बेरोजगार हो जायेंगे और उनमें से अधिकांश को भारत वापस लौटना पड़ेगा । मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह इस समस्या से अवगत है और यदि उन्हें इस बात की जानकारी है तो उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठायेगा कि जो भारतीय कामगार उन देशों में पहले से ही कार्यरत हैं, उनके सेवा-करारों का पुन: नवीकरण हो जाये ताकि उन्हें भारत वापस न आना पड़े ।

श्री राम निवास मिर्धा : मैंने अपने उत्तर में कहा है कि उन देशों में आर्थिक गतिविधि मंद पड़ गई है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि वहां काम कर रहे भारतीय कामगारों की बड़े पैमाने पर छंटनी की जायेगी । उनमें से अधिकतर वहां सेवा करने के लिए किसी न किसी करार के अंतर्गत हैं और ऐसा कोई कारण नही है कि उनके वर्तमान करार निर्धारित अवधि से पहले ही समाप्त कर दिये जायेंगे ।

जहां तक नई भर्ती का सम्बन्ध है, कुछ देश अब भी नई भर्ती कर रहे हैं उदाहरण के लिए कतार को लिया जा सकता है । यदि आप बाहर जाने हेतु अनुमति प्राप्त लोगों की संख्या को देखें तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि अनेक भारतीय कामगार अब भी विदेशों में जा रहे हैं । उदाहरण के लिए 1983 में लगभग 2.25 लाख भारतीय श्रमिक विदेशों को गये । 1984 के पहले छह महीनों में 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार हेतु विदेश जाने की अनुमति दी गई । इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि इस मामले में कोई चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई । भारतीय श्रमिक अब भी उन देशों में जा रहे हैं और अनेक भारतीय श्रमिक वहां पहले से ही कार्यरत हैं ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैंने अपने प्रश्न में पहली बात मुख्य रूप से यह पूछी थी कि जो हजारों भारतीय लोग उन देशों में पहले से ही कार्यरत है उनकी सेवा सम्बन्धी करारों का नवीकरण कराने के लिए उनका मंत्रालय क्या कर रहा है, जिन्हें सेवा के करारों के समाप्त होने पर मजबूरन भारत वापस लोटना पड़ेगा । मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि ऐसी खबर है कि सऊदी अरब में, जो खाड़ी के देशों का सबसे अमीर देश है, इस समय अर्धचिकित्सीय कर्मचारियों की बहुत अधिक आवश्यकता है और वास्तव में सऊदी अरब केवल भारत से ही अपनी इस आवश्यकता को अधिकांशत: पूरी किया करता था । उनके चयन दल भारत आकर भारतीय लोगों का चयन किया करते थे । लेकिन यह कहा जा रहा है कि उनके कुछ चयन दलों ने इस बार भारत की उपेक्षा की है और वे भारत के बजाय फिलिपीन तथा अन्य देशों को गए हैं । इसका कारण यह बताया जाता है कि उन्हें अपनी मनपसन्द की एजेंसी के माध्यम से चयन

करने की अनुमति नहीं दी गई। मुझे मालूम नहीं कि यह बात ठीक हैं या नहीं। लेकिन मुझे ऐसा बताया गया है। मेरे पास कुछ ऐसे पत्र भी आये हैं जिनमें यह लिखा है कि उन्हें अपनी मनपसन्द की एजेंसियों के माध्यम से चयन करने की अनुमति नहीं दी गई। मैं समझता हूं कि हमारे यहां संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम के अनुसार एजेंसियों का पंजीकरण करने और उनके कार्य की देखरेख करने की व्यवस्था है। यदि ऐसी व्यवस्था है, तो इन चयन दलों को ऐसी स्वतंत्रता क्यों नहीं दी गई कि वे अपनी मनपसन्द की एजेंसियों के माध्यम से चयन करा सकें और इसी एक कारण से हमारे लोग वहां नहीं जा पा रहे हैं और इस दृष्टि से यह चिन्ता पैदा हो गई है। क्या यह बात ठीक है ? यदि यह बात ठीक है तो क्या वह इस प्रश्न पर विचार करेंगे ? वह इस सम्बन्ध में क्या उपाय करेंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : हमारे यहां ऐसी व्यवस्था है कि भर्ती करने वाली एजेंसियों का पंजीकरण श्रम मंत्रालय के अधीन किया जाता है और श्रम मंत्रालय ही उन एजेंसियों के कार्य की देखरेख करता है तथा श्रम मंत्रालय ही इन एजेंसियों के कार्य और उनके कार्य करने के ढंग को नियंत्रित करता है। यह कहना ठीक नहीं है कि इन एजेंसियों की उपेक्षा की जा रही है। यदि पंजीकृत भर्ती करने वाली एजेंसियों के माध्यम से कर्मचारियों का चयन कराया जाता है तो इसमें हमें कोई आपत्ति है ही नहीं। जहां तक सऊदी अरब के चयन दलों से सम्बन्धित आपके प्रश्न का सम्बन्ध है, आपका कहना गलत है। वे करने अब भी यहां आती हैं। लीबिया जैसे अन्य देश भी ऐसा कर रहे हैं और इस मामले में भारत की उपेक्षा किये जाने का कोई सवाल नहीं है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या यह बात सच है कि सऊदी अरब से आये कुछ चयन दलों ने केवल इस कारण से भारत की उपेक्षा की है कि उन्हें अपनी मनपसन्द की एजेंसियों के माध्यम से चयन नहीं करने दिया गया ?

श्री राम निवास मिर्धा : हमारे यहां अनेक पंगीकृत एजेंसियां हैं और उनमें से वे जिसे चाहें चुन सकते हैं। जहां तक आपके इस विशिष्ट प्रश्न का सम्बन्ध है कि सऊदी अरब भारतीय लोगों की भर्ती अब नहीं कर रहा है। यह कथन सच नहीं है और वे अब भी भारत से लोगों की भर्ती कर रहे है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या उन्हें अपनी मनपसन्द की एजेन्सियों के माध्यम से चयन करने की स्वतन्त्रता है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इस मामले की जांच की जा सकती है। मुझे इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा प्राप्त नहीं है। लेकिन मैंने लगभग दो वर्ष पूर्व खाड़ी के देशों का दौरा किया था और आपको याद होगा उस समय कुछ भारतीयों के सम्बन्ध में कुछ समस्याएं थीं और उनके बारे में यहां सभा में भी काफी गर्मागर्मी हुई थी और उस प्रतिक्रिया के कारण विदेशियों ने यह उचित समझा था कि भारत से भर्ती करना बन्द कर दिया जाये और ऐसे देशों से भर्ती की जाये जहां पर उनकी उस प्रकार से आलोचना न हो। एक खाड़ी के देश ने मुझे स्पष्ट रूप से यह बताया गया था कि वे बच्चों का पालन-पोषण करने वाली आया के रूप में विशेष रूप से भारतीयों की भर्ती करना चाहते हैं लेकिन उस समय हुई कटु आलोचना को देखते हुए उन्हें मजबूरन अन्य देशों से भर्ती करनी पड़ी। कठिनाई यह है कि हमारे देश में बिना इस बात की जांच किए कि कोई शिकायत ठीक है या गलत है, कुछ लोग हल्ला-गुल्ला मचाते है अन्य देशों में भारतीयों की इस सामान्य प्रवृत्ति को नहीं समझा जाता है।

श्री एडुआर्डो फैलोरो : ऐसा अनुमान है कि विश्व के विभिन्न देशों में लगभग 10 लाख

भारतीय कार्यरत हैं जिनमें से अधिकांश खाड़ी के देशों में हैं और उनमें से कुछ ब्रिटेन, कनाडा आदि देशों में हैं। इन लोगों से भारत को प्रतिवर्ष लगभग 3000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन कामगारों में से अधिकतर निरक्षर हैं और वे उन्हें उन देशों में, जहां वे कार्यरत हैं, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या सरकार उन देशों में स्थित अपने दूतावासों में एक श्रम अटेची नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी? विशेष रूप से खाड़ी के देशों से कभी-कभी ऐसी शिकायत मिलती है कि जब वहां कार्यरत कामगार वहां स्थित भारतीय दूतावास में जाते हैं तो वहां के कर्मचारी उनकी व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। मुझे मालूम नहीं यह बात कहां तक ठीक है। परन्तु इस दृष्टि से क्या सरकार पाकिस्तान, बंगलादेश और फिलीपीन जैसे देशों की तरह उन देशों में भी स्थित अपने दूतावासों में श्रम मंत्रालय के परामर्श से श्रम अटेची की नियुक्ति करेगी जो इन लोगों की समस्याओं पर ध्यान देंगे और उनके साथ व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क रख सकेंगे।

श्री राम निवास मिर्धा : हमारे दूतावासों में ऐसी पर्याप्त व्यवस्था है जो ऐसी समस्याओं को देखती है जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। परन्तु उन कर्मचारियों का पद-नाम श्रम अटेची नहीं है लेकिन वे ठीक वही काम करते हैं जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं। जहां तक करार-भंग सम्बन्धी शिकायतों का सम्बन्ध है या ऐसी ही अन्य शिकायतों का सम्बन्ध है हमारे दूतावासों के सम्बन्धित कर्मचारी उन पर ध्यान देते हैं और मेरे विचार से वर्तमान व्यवस्था सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

श्री भीमसिंह : क्या मन्त्री महोदय को उसकी अरेबिया के बारे में यह जानकारी है जैसा कि कहा गया है, मेरे निर्वाचन-क्षेत्र झुंझुनू से करीब 75 हजार से 1 लाख तक आदमी वहां गए हुए हैं और करीब 30 लाख रुपया रोज हिन्दुस्तान को भेजते हैं, इजराइल में जिसके नाम पर पासपोर्ट में सिंह लगा होता है उसको वहां वीजा नहीं देते हैं, इस कारण से कि वहां सिखों ने गड़बड़ किया। वहां चौधरी भी सिंह के नाम से जाता है, राजपूत, गूजर, अहीर भी सिंह के नाम से जाते हैं। वह कहते हैं कि दाढ़ी का सिंह हो या बगैर दाढ़ी का सिंह, हम तो सबको ही ** मानते हैं। मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि आप सऊदी अरेबिया से यह खुलासा करें कि सारे दाढ़ी और बगैर दाढ़ी वाले सिंह एक से नहीं हैं और यह हमारे साथ विकटेमाइजेशन नहीं होना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, सिख भी भारत के उतने ही अभिन्न अंग हैं जितने अन्य हैं। उनके साथ भी समान व्यवहार होना चाहिए। सऊदी अरेबिया जाने का हक सरदारों को भी उतना ही है जितना जाटों को या गूजरों को।

अध्यक्ष महोदय : भले आदमी सारे ही भले होते हैं, बेईमान तो हर जगह हो सकता है।

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उसके बारे में जानकारी की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : सब बराबर हैं। इसका स्पष्टीकरण किया जा सकता है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : इसमें जो ** शब्द कहा गया है, उसको निकाल दिया जाये।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : वह तो हमेशा ही अनपार्लियामैंटरी है, निकाल दिया जायेगा।

श्री के० मायातेवर : खाड़ी के देशों में नियोजित भारतीयों, जब वे अल्प अवकाश पर यहां आये, से सुना है कि उन देशों में भारतीयों को निःसहाय, बेरोजगार और बेचारे लोग समझा जाता है। उन्हें किसी भी वेतन पर नियोजित किया जा सकता है। मुझे यह विशेष रूप से बताया गया है कि कुवेत में भारत के कर्मचारियों और थाईलैंड, जापान, फिलीपीन तथा अन्य देशों के कर्मचारियों के बीच भेद-बरता जाता है। हमारे देश के कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य देशों के कर्मचारियों के वेतन में बहुत भाव अधिक नर्सों को कुवेत में प्रति मास 10,000/- रुपए वेतन दिया जाता है जबति भारतीय नर्सों को केवल 6,000/- रुपए वेतन दिया जाता है। अतः मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय को इस भेदभाव का पता है जो भारतीय कर्मचारियों और अन्य देशों के कर्मचारियों के बीच किया जाता है और इसे दूर करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने क्या कार्यवाही की है कि भारतीय कर्मचारियों के साथ अन्य देशों के कर्मचारियों की तरह ही व्यवहार हो ?

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमान्, जहां तक जानते हैं, इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है·····(**व्यवधान**)

श्री के० मायातेवर : मैंने शिकायतें सुनी हैं और आपको भिजवा दी हैं, परन्तु आप सो रहे हैं·····(**व्यवधान**)·····कृपया इसकी जांच कीजिए।

श्री राम निवास मिर्धा : यह प्रश्न सभा में पहले भी उठाया गया था कि जहां तक वेतन का सम्बन्ध है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

श्री दौलत राम सारण : क्या यह सही है कि मलेशिया और फिलीपीन के लोगों को ज्यादा वेतन मिलता है और हिन्दुस्तान के लोगों को कम मिलता है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री माधवराव सिन्धिया।

श्री के० मायातेवर : यह वास्तविकता है·····(**व्यवधान**)।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जब आपने यह प्रश्न पहले सभा में उठाया था, उस समय तत्कालीन विदेश मन्त्री ने बताया था कि मंत्रालय ने दूतावास से पूछा था। उन्होंने कहा था कि जो कुछ आपने कहा है वह सच नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि हम उनसे दुबारा पूछें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

छः देशों द्वारा महाशक्तियों से परमाणु हथियार जमा न करने के बारे में अपील

*421. **श्री माधव राव सिंधिया** +

श्री मोहम्मद असरार अहमद :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने छः देशों की ओर से महाशक्तियों और परमाणु-हथियार रखने

वाले देशों से अपील की है कि वे परमाणु हथियार बनाना बन्द करें, परमाणु अस्त्रों के भण्डार कम करें और टकराव की स्थिति को रोकें ;

(ख) यदि हां, तो अन्य कौन से देशों ने इस अपील का समर्थन किया है ; और

(ग) इस अपील के सम्बन्ध में विभिन्न परमाणु शक्तियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कुछ समय पहले विश्व व्यवस्था के प्रणेता सांसद प्रधान मंत्री से मिलने आए थे और उन्होंने प्रधान मंत्री से नाभिकीय हथियारों की होड़ समाप्त करने के लिए समुचित पहल करने के लिए कहा था। सलाह मशविरे के बाद, अर्जेनटीना, मैक्सिको और तंजानिया के राष्ट्रपतियों तथा यूनान, भारत और स्वीडन के प्रधान मंत्रियों ने नाभिकीय हथियार रखने वाले राज्यों को एक संयुक्त सार्वजनिक वक्तव्य संबोधित किया था। इस वक्तव्य की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) और (ग) विश्व के कई अन्य नेताओं ने इस पहलकदमी का स्वागत किया है। नाभिकीय हथियार रखने वाले राज्यों में से सोवियत संघ ने एक सरकारी वक्तव्य में एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई है। प्रधान मंत्री को सम्बोधित अपने पत्र में राष्ट्रपति चेरनेन्को ने इस पहलकदमी को "उपयोगी और सामयिक" बताया है। अन्य नाभिकीय हथियार रखने वाले राज्यों ने या तो कोई टिप्पणी करने से परहेज किया है या उन्होंने कुछ सम्बद्ध वास्तविक मामलों पर अपनी स्थितियां दोहराई हैं। पश्चिमी शक्तियों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमरीका और यूनाईटेड किंगडम ने असल में यह कहा है कि नाभिकीय हथियारों में कमी करने के लिए बातचीत की जानी चाहिए और इस प्रकार की कटौतियां संतुलन, सत्यापनीयता तथा अक्षय सुरक्षा के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए।

विवरण

1. आज, मानवजाति का जीवन संकट में है। हथियारों के लिए बढ़ती हुई होड़, अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि और नाभिकीय हथियारों वाले राज्यों के बीच रचनात्मक वार्ता न होने से नाभिकीय युद्ध का खतरा बढ़ गया है। यदि ऐसे युद्ध में नाभिकीय हथियारों के मौजूदा भंडारों के कुछ अंश का भी इस्तेमाल किया गया तो सभी राष्ट्रों का अन्त और विनाश अवश्यम्भावी है।

2. राष्ट्रों के नेता और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के रूप में हम, नाभिकीय हथियारों के लिए होड़ को रोकने और उसे प्रत्यावर्तित करने की दिशा में रचनात्मक कार्य करने के वास्ते वचन-बद्ध है। जिन लोगों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें नाभिकीय हथियार रखने वाले राज्यों के नागरिकों की अपेक्षा नाभिकीय युद्ध से कम खतरा नहीं है। नाभिकीय हथियारों वाले राज्यों की मुख्य रूप से यह जिम्मेदारी है कि वे नाभिकीय हथियारों से होने वाले विध्वंस को रोकें, लेकिन यह समस्या इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे केवल उन्होंने राज्यों के दम पर ही नहीं छोड़ा जा सकता।

3. हम विश्व के अलग-अलग हिस्सों से आए हैं और हमारा धर्म, संस्कृति और राजनीतिक प्रणालियां पृथक-पृथक हैं। लेकिन, हम सब का यह दृढ़ विचार है कि किसी भी हालत में एक और विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। इस सबसे अधिक महत्वपूर्ण मसले के बारे में हमने शांति के लिए मिल जुल कर प्रयास करने का संकल्प किया है।

4. केवल हथियारों के संग्रह को नियंत्रित करने के लिए हुए समझौते स्पष्ट तथा अपर्याप्त हैं। चेतावनी समय के घटने के साथ ही नाभिकीय हथियारों से होने वाले विध्वंस की संभावना बढ़ जाती है और हथियार अधिक द्रुतगामी, सजीव और घातक हो जाते हैं। इस विश्वव्यापी आत्महत्या की ओर लगी दौड़ को अवश्य ही रोका और प्रतिवर्तित किया जाना चाहिए। आवश्यक पहले के तौर पर हम संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ तथा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन से यह आग्रह करेंगे कि वे नाभिकीय हथियारों के सभी प्रकार के परीक्षणों, उत्पादन और तैनाती तथा उनकी वितरण प्रणालियों को रोक दें और उसके तत्काल बाद नाभिकीय शक्तियों में कमी कर दें। हम इस बात के कायल हैं कि इस प्रकार की किसी ऐसी व्यवस्था का ब्यौरा तैयार किया जा सकता है, जिसमें सभी के हितों और चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा और जिसमें जांच पड़ताल करने के उपायों की काफी गुंजाइश होगी। इस पहले कदम के बाद, हथियारों में कमी करने का एक निरन्तर कार्यक्रम चलाया जाय, जिससे सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण हो सके और संयुक्त राष्ट्र पद्धति को मजबूत बनाने के उपाय किए जाएं तथा हथियारों की होड़ से ठोस संसाधनों के अत्यावश्यक अन्तरण कर उनका प्रयोग सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए किया जाए। हमारा अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होना चाहिए कि राष्ट्रों के बीच युद्ध के खतरे को पहले कम किया जाए और फिर उसे समाप्त कर दिया जाए।

5. नाभिकीय हथियार रखने वाले राज्यों के बीच समझौता कराने के लिए हम अपनी क्षमता के अनुसार सभी संभव प्रयास करेंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम उपाय सुझाने के लिए हम एक-दूसरे से सम्पर्क बनाए रखेंगे। हम नाभिकीय हथियार रखने वाले राज्यों के नेताओं तथा विश्व के अन्य नेताओं के साथ विचार-विमर्श करते रहेंगे और संयुक्त राष्ट्र माध्यमों के द्वारा बातचीत करते रहेंगे।

6. व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ-साथ तनाव शैथिलय और पारस्परिक सूझबूझ तथा शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्वतन्त्र जीवन यापन के लिए प्रत्येक राज्य के अधिकार तथा अपनी-अपनी आकांक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को संगठित करने के प्रत्येक राष्ट्र के लोगों के अधिकार का हम सम्मान करते हैं। एक ही पक्ष के लिए सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जा सकता। यही कारण है कि नाभिकीय हथियारों के लिए होड़ को रोकने के प्रश्न को इतना महत्व देते हैं, ताकि नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर फिर से बातचीत की जा सके।

7. सभी लोगों का साझा सुरक्षा में और नाभिकीय युद्ध को रोकने में ही बड़ा हित है, जिसमें मानवजाति के जीवन को ही खतरा पैदा हो गया है। विश्व भर के नागरिकों ने भविष्य के बारे में पहले कभी भी इतनी चिन्ता व्यक्त नहीं की। शान्ति और निरस्त्रीकरण के बारे में यह सार्वजनिक विचार-विमर्श अवश्य ही जारी रहना चाहिए और इसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। सुविज्ञ जनता के समर्थन और प्रोत्साहन से नाभिकीय हथियारों की होड़ को प्रतिवर्तित करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को बड़ा बल मिलेगा।

8. वर्तमान भेदभावों से ऊपर उठकर नाभिकीय युद्ध की छाया से विश्व को मुक्त कराने की मानव क्षमता में हमारा विश्वास है। मानव जाति की शक्ति और प्रवीणता का अवश्य ही उपयोग किया जाना चाहिए-विनाशकारी हथियारों के पूर्ण निर्माण के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि संसार के संसाधनों का उपयोग किया जा सके और ताकि सभी लोग एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति में सुरक्षित और

प्रतिष्ठित जीवन यापन कर सकें जो युद्ध मुक्त तथा शान्ति और न्याय पर आधारित होगी।

9. आज, विश्व युद्ध और शान्ति के बीच अटका हुआ है, हमें आशा है कि हमारे संयुक्त प्रयास किसी निष्कर्ष को प्रभावित करने में सहायक होंगे।

श्री माधव राव सिंधिया : विश्व मे 50,000 से भी अधिक आयुद्ध हैं जिनकी विस्फोटक शक्ति 20 अरब टन टी० एन० टी० की शक्ति के बराबर है और यह शक्ति हिरोशिमा में फैंके गए बम की 15 लाख गुणा है। अतः छः राष्ट्रों की अपील बहुत ही अधिक सामयिक है और प्रधान मन्त्री बधाई की पात्र हैं। हम शान्ति की नीति अपनाना चाहते हैं जो कि विकास के लिए तथा निर्धनता दूर करने के लिए अत्यधिक जरूरी है। यह अपील जी० पी० डी० और एन० पी० टी० सम्बन्धी हमारी नीति का युक्तियुक्त विस्तार मात्र ही है। तथापि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान के अमरीकी मित्रों की भी यह धारणा है कि पाकिस्तान के पास नाभिकीय बम है, हमें शीघ्र अपने हित में कटु वास्तविकताओं का सामना करना पड़ सकता है। वास्तव में देश में यह भावना फैल गई है कि यह समय है जब हमें इस विषय पर पुनर्विचार करना चाहिए और कुछ कड़े निर्णय करने चाहिए। मैं माननीय प्रधानमन्त्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा पुनर्विलोकन किया जा रहा है या करने का विचार है और यदि हां, तो पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत बड़े नाभिकीय खतरे का सामना करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री राम निवास मिर्धा : प्रश्न तो छः देशों द्वारा महाशक्तियों से नाभिकीय हथियार जमा न करने के बारे में अपील के सम्बन्ध में है, परन्तु माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या सरकार अपनी नीति पर पुनर्विचार करने जा रही है। जहां तक नाभिकीय ऊर्जा का सम्बन्ध है, हमारी सदा यह नीति रही है कि हम नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग केवल शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए करना चाहते हैं और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं।

श्री माधव राव सिंधिया : यदि आप चाहते हैं तो मैं अपना प्रश्न दोहरा देता हूं। छः राष्ट्रों की यह अपील हमें एक परस्पर विरोधी स्थिति में फंसा सकती है। अतः इसको ध्यान में रखते हुए, सरकार की नीति क्या होगी जहां तक पाकिस्तान से खतरे का सम्बन्ध है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके बावजूद सरकार की नीति यही है कि हम परमाणु ऊर्जा का प्रयोग शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए ही करेंगे।

श्री माधव राव सिंधिया : क्या नाभिकीय हथियारों सम्बन्धी नीति पर पुनर्विचार किया जाएगा ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : पाकिस्तान के पास बम है, इसका इतना अधिक अन्तर नहीं पड़ता है। चीन के पास बम है ; अन्य देशों के पास बम हैं और न केवल पाकिस्तान का परन्तु इन में से किसी देश का बम नाश कर सकता है। हमें इसका पता नहीं है कि उसकी सही शक्ति क्या है या वह कितना बड़ा है। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, प्रश्न उस बड़े भण्डार का है जो समूचे विश्व को नष्ट कर सकता है। अतः प्रश्न बहुत ही अधिक व्यापक है। पाकिस्तान के बम के बारे में चिंता करने की बजाए हमें उस व्यापक प्रश्न पर पूरा ध्यान देना चाहिए। भारत और अन्य देशों ने अपील में कहा है कि सर्वप्रथम नाभिकीय हथियारों के उपयोग और विकास पर रोक लगाई जानी चाहिए और तत्पश्चात्

उनमें कमी की जाए। हम जनमत तैयार करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। यह ठीक है कि सरकारों की प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं है। तथापि उन्हीं देशों के कई लोग राजनीतिक और दलीय व्यवस्था से ऊपर उठकर और एक दूसरे के साथ किसी प्रकार के अन्य आपसी भेदों को भुलाकर यूरोप और अमरीका में शान्ति आन्दोलन में शामिल हो रहे हैं। इस अपील का मुख्य प्रयोजन यह है कि यदि सरकारें स्वयं अपने विचार अभिव्यक्त न भी करें, हमें जनमत तैयार करना चाहिये जिससे उनकी सरकारों पर दबाव पड़ सके।

श्री माधव राव सिंधिया : प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि अमरीकी प्रेजीडेंट ने माइक्रोफोन पर ध्वनि परीक्षण के दौरान सोवियत संघ को बम से नष्ट करने के बारे में आदेश दिए जाने के बारे में जो कुछ कहा, चाहे वह मजाक के तौर पर ही क्यों न कहा हो, उससे कुछ विचारधारा का पता चलता है जो उनके मस्तिष्क में है, और वह चिंताजनक है। हाल ही में प्रेजीडेंट रीगन की सहज ही गोली चलाने की प्रवृत्तियों के बारे में अमरीकी सीनेट और कांग्रेस में चिंता व्यक्त की गई है। विश्व के नैतिक दबाव के बावजूद देशी विधान मण्डल के दबाव का कम से कम एक महाशक्ति पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। अतः मैं माननीय प्रधान मन्त्री से जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त क्या छः राष्ट्रों के बीच उन लोगों, जो अमरीकी कांग्रेस के मामले पर सहमत हैं, के साथ प्रयत्नों को समन्वित करने के लिए कोई विचार-विमर्श हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या संयुक्त राज्य अमरीका में नाभिकीय हथियारों का विरोध करने वाले तबकों के साथ सहयोग के माध्यम से जनमत तैयार करने के लिए कोई पहल की जायेगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं पहले ही कह चुकी हूं कि हम इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। विश्व व्यवस्था के प्रणेता सांसद संगठन किसी सरकार से सम्बद्ध नहीं है। यह तो एक स्वैच्छिक संगठन है। इसके प्रतिनिधियों का एक दल हमारे पास आया और उन्होंने अन्य सरकारों और राज्यों के अध्यक्षों को भी लिखा। हमने यह अपील उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप ही जारी की है। आपने अवश्य देखा होगा कि अनेक अन्य लोगों ने हमारा समर्थन किया है। उनमें पोप जाहन पाल, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव, बिल्ली ब्रैंड जैसे विभिन्न विपक्षी नेता, इटली के साम्यवादी दल का महासचिव, श्री बर्लिंगद, जिनका मुझे लिखे जाने के शीघ्र पश्चात देहांत हो गया, राष्ट्रमण्डल का महासचिव, लन्दन का बिशप, ग्रीन पीस इन्टरनेशनल आफ यू० के०, यू० के० के अधिवक्ता—यह एक संगठन है, जिसे लायर्ज फार न्युक्लीयर डिसआर्मामेंट कहा जाता है— नेशनल पीस कौंसिल आफ यू० के०, न्युक्लीयर वैपन्स फ्रीज क्लीयरिंग हाउस, यू० के०, आस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, आयरलैंड, लक्षमबर्ग और पश्चिमी जर्मनी की ग्रीन पार्टियां, अमरीका का महापौर, एण्ड्रू यंग, नीदरलैंड का भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, जूप वाइल, विश्व चर्च सम्मेलन का महासचिव, फिल्लिय ए० पोर्टर, प्रो० हार्वर्ड एच हिएट और हार्वर्ड स्कूल आफ पब्लिक हैल्थ का अध्यक्ष शामिल हैं।

हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इस अपील पर अन्य देशों के संसद सदस्य भी हस्ताक्षर करें। मैं नहीं जानती हूं कि हमारी संसद के कितने सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं जानती हूं कि एक विपक्षी नेता ने एक ग्रुप बनाया है। मुझे बताया गया है कि इस ग्रुप में सभी दलों के प्रतिनिधि हैं। मुझे आशा है कि हमारी संसद के सदस्य, विधान सभाओं तथा अन्य प्रतिनिधि निकायों के सदस्य भी इस अपील पर हस्ताक्षर करेंगे। हम विश्व के अन्य भागों में भी ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई नेगोशिएशन्ज हुई हैं या नहीं; अगर हुई हैं, तो उनमें क्या प्रोग्रेस हुई है और क्या हथियारों में कोई कमी की गई है या नहीं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमारा सम्पर्क इन सब नेताओं और दूसरी संस्थाओं के साथ बराबर है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई विशेष नेगोशिएशन्ज तो नहीं हैं। मुझे पता नहीं कि माननीय सदस्य किन नेगोशिएशन्ज की बात कर रहे हैं—जो हमारी हो रही हैं, या न्युक्लीयर पावर्ज के बीच हो रही है, या नान न्युक्लीयर पावर्ज के बीच हो रही हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : जवाब में बताया गया हैं कि यू० एस० ए० और यू० के० ने नेगोशिएशन्ज की बात कही है। उनमें क्या प्रोग्रेस हुई है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : उत्तर में केवल यही कहा गया है कि किन-किन देशों की इस अपील पर क्या प्रतिक्रिया है। कई लोगों ने समर्थन दिया है और कई लोगों ने नहीं दिया है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : यू० एस० ए० और यू० के० ने क्या कहा है ?

श्री राम निवास मिर्धा : इस बारे में बता दिया गया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : श्रीमान, आज विश्व में जो कुछ हो रहा है तथा विशेषकर जैसाकि अपील में कहा गया है कि विश्व आज युद्ध और शान्ति के बीच अटका हुआ है, इस सन्दर्भ में यह अपील महत्वपूर्ण है और प्रधान मंत्री ने ठीक कहा है कि जहां नेता असफल हो जायें वहां लोगों को आगे आना चाहिए।

श्रीमान, ऐसे भी नेता हैं जो नाभिकीय युद्ध के लिए बुरी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं और लोगों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मैं माननीय प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि(i)सरकार भारत के लोगों, इस देश के लोगों को इस खतरे से कैसे अवगत कराने जा रही हैं ? भारत के लोगों को अवगत कराने के लिए किस प्रकार का प्रचार और किस प्रकार की कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ? (ii) सोवियत संघ ने अपील का स्वागत किया है और सहयोग देने के लिए सहमत हो गया है परन्तु संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य पश्चिमी देशों विशेषकर ब्रिटेन ने इसके समर्थन में कुछ नहीं कहा है। यदि ऐसा है, तो क्या भारत सरकार दो महाशक्तियों को बराबरी का दर्जा प्रदान करने तथा समूचे मामले में भ्रांति उत्पन्न करने की अपनी नीति का त्याग करेगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : महोदय, हम एक शक्ति को दूसरी शक्ति के बराबर नहीं मानते हैं। हम तो नाभिकीय हथियारों में जहां कहीं भी वे हैं, कमी करना चाहते हैं। विदेश नीति के बारे में हमारे गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों के अनुसार होते हैं अर्थात हम अन्य लोगों के विचारों को ध्यान में न रखकर प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर निर्णय करते हैं। इस मामले में हम मित्रता या शत्रुता को बीच में नहीं लाते हैं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम किसी देश की मित्रता से इन्कार करते हैं, जिसने हमारी सहायता की हो, और यह स्वाभाविक ही है कि हम उसे सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। देशों को उन अर्थों में, जिसमें माननीय सदस्य की मंशा है, बराबर का दर्जा देने का कोई प्रश्न नहीं है। परन्तु हमारी उत्कट इच्छा यह है कि नाभिकीय शक्ति वाले राज्यों के लोग मिलकर इस समस्या का हल ढूंढें।

जहां तक प्रचार के बारे में आपके अन्य प्रश्न का सम्बन्ध है, हमने विभिन्न स्थानों पर भाषणों, बच्चों की प्रतियोगिताओं की व्यवस्था की है.....

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह प्रचार दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से किया जाना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह एक अच्छा सुझाव है और इसका अनुसरण किया जा सकता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमान, मेरी जानकारी के अनुसार नि:शस्त्रीकरण के सम्बन्ध में भारत के रवैये के बारे में विश्व मंचों में भ्रांति है। यहां दो धारणाएं हैं। एक तो यह कि क्या भारत सरकार नाभिकीय हथियारों के निर्माण पर रोक लगाने के पक्ष में है या रोक के साथ-साथ नि:शस्त्रीकरण अर्थात जबरन कमी करने के पक्ष में है। यद्यपि ये दोनों धारणाएं परस्पर व्यापी हैं, तथापि सरकार को कोई न कोई तो रुख अपनाना ही पड़ेगा। दूसरी धारणा यह है कि क्या सरकार दक्षिणी एशिया को नाभिकीय हथियारों से मुक्त क्षेत्र बनाने के पक्ष में हैं या इसके विरुद्ध है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : नि:शस्त्रीकरण और नाभिकीय हथियारों पर रोक लगाने के बारे में हमारा जो रुख है उसमें कोई परस्पर विरोध नहीं है। हम निश:स्त्रीकरण के लिए प्रयत्नशील हैं। तथापि इसका खतरा इतना तेजी से बढ़ रहा है कि हम महसूस करते हैं कि सर्वप्रथम हमें इनके निर्माण को रोकना है। जब तक जमाव को रोका नहीं जायेगा, तब तक नि:शस्त्रीकरण कैसे सम्भव होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 422-श्री दौलत राम सारण।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्होंने अभी पूरा उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने नाभिकीय हथियारों से मुक्त क्षेत्र के बारे में उत्तर नहीं दिया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : नाभिकीय हथियारों से मुक्त क्षेत्र का अर्थ क्या है? बम की इतनी शक्ति है कि चाहे उसे कहीं से भी छोड़ा जाये, इससे बहुत अधिक विनाश हो जाता है। नाभिकीय हथियारों से मुक्त क्षेत्र से क्या लाभ होगा? राष्ट्रीय या क्षेत्रीय प्रतिबन्ध से बम के प्रभाव से नहीं बचा जा सकता।

नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ साइंस, टेक्नालाजी एण्ड डेवलपमेंट में अनियमितताएं

*422. **श्री दौलतराम सारण**+

श्री जगपाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ साइंस, टेक्नालाजी एण्ड डेवलपमेंट (राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास संस्थान) में कथित अनियमितताओं और कुप्रबन्ध की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए सरकार कोई उपचारात्मक कार्रवाई करेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) चूंकि प्रश्न अस्पष्ट है और किसी विशेष आरोप की ओर इंगित नहीं करता है, अतः उत्तर देना कठिन है । तथापि, दैनिक हिन्दी समाचार-पत्र जनसत्ता, दिनांक 17 और 19 जुलाई, 1984 में लगाए गए कुछ आरोप सरकार की जानकारी में आए हैं ।

(ख) आरोपों की जांच की जा रही है और जहां आवश्यक होगा, सुधारात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री दौलत राम सारण : क्या इस अखबार में निकलने से पहले सरकार के ध्यान में इस संस्थान में हो रही किसी प्रकार की अनियमितता या अव्यवस्था की जानकारी नहीं थी ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमन्, यह जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं इनका काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है और जो भी अखबार में आया है वह कुछ एक दो चीजों के बारे में है। उसके अन्दर कुछ बहुत बड़ी गल्तियां हुई हों या कुछ बहुत गड़बड़ हो—ऐसी बात नहीं है । मेरा कहना यह है कि इस इंस्टीट्यूशन के अन्दर हमें कोई बड़ी गड़बड़, या कोई ऐसी गड़बड़ जिसका कोई बुरा असर पड़ता हो, नजर नहीं आई है । कोई छोटी-मोटी इरेंग्युलैरिटीज यहां वहां कहीं हो तो बात अलग है ।

श्री दौलम राम सारण : क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इन्टर्नल आडिट में या आडिटर जनरल की आडिट में इस संस्थान के सम्बन्ध में कोई अनियमिततायें दर्शाई गई हैं या नहीं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मेरे ध्यान में इसके सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं आया है ।

नेपाल के विदेश मंत्री के साथ हुई वार्ता

*423. **श्री के० प्रधानी**+

श्री चिरंजी लाल शर्मा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के विदेश मंत्री ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान सुस्ता क्षेत्र के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले और किन-किन मुद्दों पर दोनों देशों में मतभेद रहा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी हां। यह विचार-विमर्श अनिवार्यतः नेपालियों की इस शिकायत से संबद्ध था कि स्थानीय प्रशासन की सुस्ता क्षेत्र में कुछ पेड़ों को गिराने की योजना है जो नेपालियों के अनुसार यथास्थिति बनाए रखने के समझौते का उल्लंघन है । नेपाल के विदेश मंत्री को यह बताया गया कि जब तक दोनों पक्ष नियंत्रण रेखा का सम्मान करते हैं और यथास्थिति बनी रहती है तब तक पेड़ों को गिराने और वनरोपण से सम्बद्ध योजनाएं सामान्य कार्रवाइयां हैं जिनसे यथास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता ।

श्री के० प्रधानी : क्या नेपाल सरकार ने सुस्ता क्षेत्र के प्रश्न पर पहले कभी बातचीत की थी ? नेपाल सरकार ने अपने दावे के पक्ष में क्या कारण या आधार दिए हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : सुस्ता के बारे में समस्या पर नेपाल सरकार के साथ कई अवसरों पर विचार-विमर्श हुआ है। इसका लम्बा इतिहास है। इस समस्या को हल करने के लिए उनके साथ हमारा सम्पर्क है।

जहां तक वर्तमान शिकायत का सम्बन्ध है, जो उस क्षेत्र में वनारोपण के बारे में की गई है, हमने उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि पहले वाली स्थिति को बनाए रखने का जो पहले करार हुआ था उसका पालन किया जायेगा। हमने उन्हें बता दिया है कि उस क्षेत्र में जो कुछ किया जा रहा है वह पहले वाली स्थिति बनाये रखने के करार के अनुरूप नहीं है।

श्री के० प्रधानी : कुल कितने क्षेत्र के लिए दावा किया गया है ?

श्री राम निवास मिर्धा : नदी अपना मार्ग समय समय पर बदलती रही है। हम उनके साथ उन सिद्धांतों का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं जिनके आधार पर सीमांकन किया जा सकता है। नदी के मार्ग में हुए समय समय में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अन्तर्ग्रस्त क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : भारत और नेपाल के बीच करार कब हुआ था ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह करार 1976 में किया गया था। सुस्ता का निर्देश सूझबूझ ज्ञापन में है। यह निर्णय किया गया था कि उस क्षेत्र में पहले वाली स्थिति को बनाया रखा जायेगा और इस समस्या को हल करने के लिए आगे कार्यवाही की जायेगी। यह करार था जो उस समय किया गया था·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए कैप्टिव विद्युत एकक

*415. **श्री नित्यानन्द मिश्र :**

श्री के० ओबुल रेड्डी :

क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार का विचार राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए 60 मेगावाट एक्स टू के दो कैप्टिव (निजी उपयोग के लिए) विद्युत एककों की सप्लाई के लिए पोलैण्ड के साथ किया गया ठेका रद्द करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इससे राउरकेला इस्पात संयंत्र में उत्पादन की हानि होगी और क्या परियोजना अधिकारियों का यह विचार है कि उक्त एकक को चालू करने का काम और आगे स्थगित नहीं किया जा सकता क्योंकि संयंत्र को बिजली की भारी कमी से बचाने के लिए कैप्टिव विद्युत एकक ही एकमात्र समाधान है ; और

(घ) राउरकेला इस्पात संयंत्र में कैप्टिव (निजी उपयोग के) विद्युत एकक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) राउरकेला इस्पात कारखाने का 2.60 एम० वी० का अपना दूसरा विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन है, प्रथम इकाई के दिसम्बर, 1985 में और दूसरी इकाई के उसके 6 महीने बाद चालू होने की सम्भावना है।

सिरोही, राजस्थान में टेलीविजन बनाने का कारखाना लगाना

*419. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) 'रिको' ने राजस्थान के सिरोही ज़िले में टेलीविजन कारखाना लगाने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता कितनी होगी और इसमें सम्भवत: कब तक उत्पादन शुरू हो जाएगा ; और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन उपकरण

*424. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार भारत में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन उपकरणों का निर्माण करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका निर्माण विदेशी सहयोग से किया जाएगा अथवा देश में उपलब्ध संसाधनों से किया जाएगा ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई उपयुक्त प्रौद्योगिकी की खोज की गयी है यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस क्षेत्र में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) विदेशी सहयोग के माध्यम से इलेक्ट्रोनिकी टेलीफोनों का विनिर्माण करने का प्रस्ताव है ।

(ग) तथा (घ) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोनों का विनिर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी की खरीद के कार्य में समन्वय-स्थापित करने के लिए जून, 1983 में एक कार्यदल गठित किया था । कार्यदल ने क्षेत्रीय परीक्षण करने तथा तकनीकी विषय के करारों को अन्तिम रूप देने के लिए विभिन्न कम्पनियों में से छांट कर एक छोटी सूची बनाई है जिसमें 6 सुस्थापित विदेशी विनिर्माताओं के टेलीफोनों को चुना गया है । डाकतार विभाग का क्षेत्रीय परीक्षण के लिए इनमें से प्रत्येक 6 कम्पनियों से 200-200 टेलीफोन प्राप्त करने का विचार है । साथ ही इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोनों के लिए दो प्रौद्योगिकियों के चयन हेतु, जिन राज्य स्तरीय इलेक्ट्रॉनिकी निगमों के पास टेलीफोनों के विनिर्माण के लिए आशय-पत्र है उनके तथा चुनी गई उपर्युक्त 6 विदेशी विनिर्माताओं के बीच विदेशी-सहयोग विषय करने से सम्बन्धित समझौता वार्ता में प्रगति की जाएगी ।

कोलार सोना क्षेत्र में नए खनिज

*425. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ और भारतीय भूगर्भ शास्त्रियों के एक दल ने कोलार सोना भंडारों के संरचनात्मक (जनेटिक) स्वरूप का अध्ययन किया था, उस क्षेत्र में पहली बार दो नए खनिजों की उपस्थिति की सूचना दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) जी, हां । सोवियत तथा भारतीय भूवैज्ञानिक दल ने कोलार स्वर्ण निक्षेपों की संरचनात्मक विशेषताओं का अध्ययन के बाद, वहां पहली बार राधाकृष्णोवाइट तथा कोलराइट नामक दो नए खनिजों की सूचना दी है । इन खनिजों की पहचान इलेक्ट्रोन खोज से की गई तथा इसमें निम्नलिखित घटक हैं :—

खनिज	घटक
राधाकृष्णोवाइट	पी० बी० टी० ई० सी० एल०2
कोलाराइट	पी० बी०3 टी० ई०9 सी० एल०4 एस०2

ये खनिज मात्र हल्की धारियों के रूप में हैं और तत्काल इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है ।

राजस्थान में टंगस्टन के भण्डार

*426 **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में किए गए अन्वेषण कार्यों से पता चला है कि राज्य के हड़ौती क्षेत्र सहित वहां पर टंगस्टन के बड़े भण्डार हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने रक्षा मंत्रालय द्वारा पहल किए जाने पर उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक नई टंगस्टन विकास कम्पनी का गठन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में टंगस्टन के क्षेत्रों के बारे में किए गए अध्ययन और उसके खनन सम्बन्धी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) टंगस्टन के लिए भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई खोजों के फलस्वरूप राजस्थान के नागौर और सिरोही जिलों में टंगस्टन के निम्नलिखित भंडारों का अनुमान है :—

स्थान	अनुमानित भण्डार
नागौर जिला	
डेगना	6,095.92 टन अयस्क जिसमें 0.035 प्रतिशत टंगस्टेट है।
सिरोही जिला	
बाल्दा	1 74,734.00 टन अयस्क जिसमें 0.17 प्रतिशत टंगस्टेट है।
दवा-का-बेड़ा	13,065.00 टन अयस्क जिसमें 0.4 प्रतिशत टंगस्टेट है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में हाड़ौते क्षेत्र में टंगस्टन के लिए कोई खोज नहीं की है।

(ख) राजस्थान सरकार ने राज्य में टंगस्टन विकास के लिए राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की अनुषंगी इकाई के रूप में राजस्थान टंगस्टन विकास निगम स्थापित किया है। केन्द्र सरकार ने इस निगम को टंगस्टन के शोधन के लिए पाइलट प्लांट सुविधाओं के निर्माण हेतु धन दिया है।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1978 से 1982 के दौरान बाल्दा और देव-का-बेड़ा में खोज कार्य किया है। खनिज गवेषण निगम ने 1982 में बाल्दा में खोजी खनन कार्य शुरू किया है तथा यह कार्य दो शीयर जोनों में पूरा किया है अन्य शीयर जोनों में कार्य चल रहा है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान के पाली, जालौर, टोंक, झुंझुनू, सीकर और भीलवाड़ा जिलों में टंगस्टन की खोज के लिए समेकित क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया जा रहा है।

ब्रिटेन में भारतीय साप्ताहिक पत्रिका "सन्देश" पर हमला

*427. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री राम बिलास पासवान :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जुलाई, 1984 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि ब्रिटेन में आतंकवादियों ने भारतीय साप्ताहिक पत्रिका 'संदेश' के कार्यालय की दुमंजिली इमारत को आग लगा दी जिससे वह नष्ट हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) 24 जुलाई, 1984 को प्रातः एक भवन में आग लगा दी गई जिसमें पंजाबी भाषा की साप्ताहिक पत्रिका 'संदेश इन्टर नेशनल' का कार्यालय है । श्री अजीत सत भाम्ब्रा, ब्रिटिश नागरिक, इस साप्ताहिक के मालिक भी हैं और संपादक भी । इस पत्रिका के संपादक मण्डल का एक सदस्य श्री करतार सिंह तार, जो इस भवन में सो रहा था, 60 प्रतिशत जल गया । 1/2 अगस्त की रात को उनका देहान्त हो गया । श्री तार एक भारतीय राष्ट्रिक थे और तीन वर्ष के कार्य-परमिट पर वे यूनाइटेड किंगडम गए हुए थे ।

2. श्री भाम्ब्रा ब्रिटेन की पुलिस के साथ संपर्क बनाए हुए हैं । अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है । श्री तार की मृत्यु के तुरंत बाद लन्दन स्थित हमारे हाई कमीशन ने इस मामले को 3 अगस्त को एक वाचिक टिप्पणी के माध्यम से ब्रिटेन के विदेश कार्यालय के साथ उठाया जिसमें, अन्य बातों के अलावा, कहा गया कि "हाई कमीशन बढ़ते हुए तनाव और हिंसा के वातावरण में, जिसे स्पष्टतः पर्याप्त रूप से रोका नहीं गया, एक भारतीय नागरिक की दुखद मृत्यु से बहुत चिन्तित है । अतः हाई कमीशन ब्रिटिश प्राधिकारियों से अनुरोध करता है कि वे इस मामले की कारगर और शीघ्र जांच-पड़ताल करें और उसके बाद कठोर तथा निवारक सजा दें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो सके ।"

सरकारी सम्पत्ति और अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ

*428. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को कुछ आर्थिक लाभ अथवा पदोन्नति देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जो अपने जीवन को जोखिम में डाल कर सरकारी भवनों, कार्यालयों के कागजातों, सरकारी धन और अति विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) ऐसे व्यक्तियों को बिना बारी के पदोन्नति तथा अग्रिम वेतन वृद्धियां दिए जाने के कतिपय प्रस्ताव राजस्व विभाग तथा मन्त्रालय से प्राप्त हुए हैं । इन पर विचार किया जा रहा है ।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए कक्ष की स्थापना

*429. **प्रो० नारायणचन्द पाराशर** : क्या गृह मन्त्री विदेशों के संस्थानों से मिली वित्तीय सहायता के बारे में 25 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8784 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए गृह मन्त्रालय में एक लघु कक्ष की स्थापना कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कक्ष की रचना क्या है और यह किस तारीख को स्थापित किया गया था और इसके कार्यकरण का स्वरूप और कार्य क्षेत्र क्या है और अब तक इसने क्या कार्य किया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रबोधन कक्ष जिसने 11 मई, 1984 से कार्य करना आरम्भ किया है में एक सहायक निदेशक, एक लेखाकार और एक ग्रेड "घ" आशुलिपिक है । यह चयन के आधार पर संगठनों की विवरणियों की जांच कर रहा है ।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर राज्यों का नियन्त्रण

*430. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को जब राज्यों में नियुक्त किया जाता है, तो वे राज्यों के नियन्त्रणाधीन होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे किस हद तक राज्यों के नियन्त्रण में रहते हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों के अधीन कार्य कर रहे अखिल भारतीय सेवा के सदस्य तैनातियों, स्थानांतरणों, पदोन्नतियों, आचरण और अनुशासन जैसे सेवा के मामलों के बारे में मुख्यतः सम्बन्धित राज्य सरकारों के नियन्त्रणाधीन रहते हैं । तथापि चूंकि इनके नियुक्ति प्राधिकारी राष्ट्रपति होते है इसलिए अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य पर सेवा से पदच्युति, बर्खास्तगी और अनिवार्य सेवानिवृत्ति की भारी शासित केवल केन्द्रीय सर कार के आदे से ही अधिरोपित की जा सकती है । अखिल भारतीय (अनुशासन तथा अपील) नियमावली, 1969 में यह भी प्रावधान है कि अखिल भारतीय सेवा का कोई सदस्य राज्य सरकार द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकता है/राष्ट्रपति को ज्ञापन दे सकता है ।

हंगरी और पोलेंड का दौरा करने वाले कलाकारों का चयन

*431. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई और अगस्त, 1984 के महीनों में अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भाग लेने के लिए हंगरी और पोलेंड जाने वाले कलाकारों के दल पर सरकार द्वारा कितनी धनराशी खर्च किए जाने की सम्भावना है;

(ख) इस दल के लिए कलाकारों के चयन का मानदण्ड क्या है ;

(ग) क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि कलाकारों के चयन में की गई कथित अनियमितताओं के कारण कलाकारों में रोष व्याप्त है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कलाकारों के चयन में इस प्रकार की धांधली न होने पाये, क्या कदम उठाने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) नई दिल्ली स्थित गंधर्व महाविद्यालय को जोल्तन कोडाली इंस्टीट्यूट, बुडापेस्ट से युवा कलाकारों के अन्तर्राष्ट्रीय संगीत-समारोह में भाग लेने के लिए एक निमंत्रण प्राप्त हुआ था। उनसे प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् 20 कलाकारों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय किराया देने पर सहमत हुई। अनुमानतः यह राशी 3.20 लाख रु० के आस-पास होगी। इस समारोह में गंधर्व महाविद्यालय की संगीत मण्डली के भाग लेने के लिए बुडापेस्ट स्थित हमारे राजदूतावास ने भी सिफारिश की थी।

2. निमंत्रण के आधार पर ही इस समारोह में भाग लिया गया। इस ग्रुप को दी गई सहायता के कारण कलाकारों के बीच किसी प्रकार की नाराजगी की सरकार को जानकारी नहीं है।

समुद्री जीवों के सम्बन्ध में अध्ययन कार्यक्रम तथा अनुसंधान परियोजनाएं

*432. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोआ ने समुद्री जीवों के सम्बन्ध में अध्ययन कार्यक्रम तथा अनुसंधान परियोजनाएं प्रारम्भ की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां, श्रीमान।

(ख) समुद्रीय जीवों को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत रखा जा सकता है :—

(1) प्लवक (प्लैन्क्टन)—तैरने वाले पेड़-पौधों का जीवन

(2) जीव-प्लवक (जू-प्लैन्क्टन)—बहने वाले जीव-जन्तुओं का जीवन

(3) तरणक (नेक्टन)—तैरने वाले विशाल जीव-जन्तुओं का जीवन, जैसे कि मछली, डाल्फिन, व्हेल आदि।

(4) नितल जीव समूह (बेन्थॉस)—सजीव जीव-जन्तु जो समुद्र की तली में पाये जाते हैं।

(5) समुद्री शैवाल

ऊपर उल्लिखित जीवों की प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत अनेक परियोजनाएं है और समुद्री जीवों पर यथेष्ट मात्रा में कार्य चल रहा है।

नदियों के जल प्रदूषण के निर्धारण करने का नया तरीका

*433. **श्री एन० डेनिस : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने नदियों के जल प्रदूषण का निर्धारण करने के लिए कोई अनुसंधान किया है ;

(ख) क्या हमारे वैज्ञानिकों द्वारा नदियों के जल प्रदूषण का निर्धारण करने के कुछ नए तरीके खोज निकाले हैं या कुछ विदेशी विशेषज्ञों से भी सहायता ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो खोजे गए तरीकों से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) सूचित किए गए कुछ उत्कृष्ट तरीके हैं :

(1) कार्बनिक तथा अकार्बनिक अभिकर्मकों सहित 17 धनायनों तथा तृतीयक एमीन्स का सालिड स्टेट केपिलैरी स्पाट टेस्ट ;

(2) पेय जल में फ्लुओराइड की अल्प समाहार का आकलन ;

(3) नदी जल में पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुश्रवण के लिए जैव-संकेतक; तथा

(4) कुल जैव ऑक्सीजन मांग; प्रकाश बेधन की गहराई (डी० एल० पी०) तथा धारा का वेग।

विदेशी विशेषज्ञों से सहायता नहीं ली गई है।

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की धीमी गति

*434. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री मनोहर लाल सैनी :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत केवल दो वर्षों की अवधि में 11वें स्थान से गिरकर 19वें स्थान पर आ गया है ;

(ख) क्या सोमालिया, रुआंडा और बरुन्डी जैसे देशों ने गत दो वर्षों में अपनी स्थिति सुधार ली है, और जिन देशों को "आर्थिक दृष्टि से कम आय" वाले देशों की श्रेणी में रखा जाता था, उन देशों ने

भी वर्ष 1960 और 1982 के बीच, भारत की तुलना में, प्रति-व्यक्ति आय में अधिक तेजी से वृद्धि की है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) देश की विकास दर में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट, 1984 के अनुसार 1980 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अवरोही क्रम से तैयार 125 देशों की सूची में भारत का स्थान नीचे से 19 वां है। 1982 में 126 देशों में (अतिरिक्त देश ओमान होने से) भारत का स्थान 11वां था।

(ख) इसी रिपोर्ट के अनुसार सोमालिया, रुआंडा एवं बरुन्डी ने अपनी स्थिति सुधारी है और उन्हें 1982 में भारत से ऊपर रखा गया है। तथापि इसमें कोई तथ्य नहीं है कि आर्थिक दृष्टि से कम आय वाले सभी देशों ने 1960 से 1982 के बीच प्रति व्यक्ति आय में भारत की तुलना में तेजी से वृद्धि की है।

(ग) विश्व बैंक रिपोर्ट में कोई कारण नहीं दर्शाये गए हैं।

(घ) भारत से उत्तरोतर पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ वृद्धि प्राप्त करना है। सन्तुलन आर्थिक विकास हेतु श्रम साध्य तकनीकों एवं क्षेत्रीय योजना के प्रोत्साहन के माध्यम से रोजगार के विस्तार और अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार को ध्यान में रखते हुए स्रोतों के कुशल उपयोग के लिए व्यापक योजनाएं तैयार की गई हैं। वर्तमान योजनाओं में गरीबी कम करने के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है।

उत्तर-दक्षिण वार्ता में यूरोप की भूमिका पर लिस्बन में हुआ सम्मेलन

***435. श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1984 के आसपास लिस्बन में उत्तर-दक्षिण वार्ता में यूरोप की भूमिका के बारे में एक तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें विश्व बैंक के बाइस प्रेसीडेंट ने आई० डी० ए० के अंशदाताओं को यह चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने भारत को वाणिज्यिक ऋण मांगने तथा अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कड़ी कठिनाई से अर्जित अपनी आरक्षित जमा राशि का उपयोग करने को बाध्य किया तो उसके गम्भीर परिणाम होंगे ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के मुख्य विषय क्या हैं तथा उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) यूरोप परिषद की संसदीय सभा ने 9 से 11 अप्रैल 1984 तक लिस्बन में "उत्तर-दक्षिण : यूरोप की भूमिका" पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में भाषण देते हुए विश्व बैंक के उपाध्यक्ष (विदेश सम्बन्ध) श्री मूनीर पी० वेन्बैंक ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा "भारत में, जिसकी खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता

सहायता प्राप्त विकास कार्यक्रमों की एक महान सफलता है, और चीन में, जहां हमें आर्थिक सुधार और उदारीकरण का ऐतिहासिक अवसर मिला है, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था की भूमिका अत्यंत सीमित होती जा रही है। हाल ही में हमें यह कहा गया है कि इन दोनों देशों को खुले बाजार में धन प्राप्त करने और कठिनाई से अर्जित की हुई अपनी आरक्षित निधि का कुछ हिस्सा खर्च करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। इस बात की पूरी संभावना है कि आज की यह कार्रवाई उन्हें कल का ब्राजील और अर्जनटीना बना देगी।"

(ख) इस सम्मेलन का उद्देश्य यह परिभाषित करना था कि उत्तर-दक्षिण वार्ता को अनुप्राणित करने और वर्तमान गत्यावरोध को दूर करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति जागृत करने के लिए यूरोप क्या कर सकता है।

इस सम्मेलन ने एक घोषणा स्वीकार की जिसमें उत्तर-दक्षिण वार्ता की नए सिरे से शुरुआत करने और सार्वभौम वार्ता में वर्तमान गत्यावरोध को दूर करने के लिए सामूहिक यूरोपीय प्रयास का अनुरोध किया गया था। इसने यूरोपीय देशों से अन्तर्राष्ट्रीय वित्त एवं मुद्रा प्रणाली में संशोधन पर एक विश्व सम्मेलन का समर्थन करने का अनुरोध किया और उत्तर और दक्षिण के उच्चस्तरीय विशेषज्ञों का एक कार्य-दल बनाए जाने का सुझाव दिया जो इस सिलसिले में प्रस्ताव तैयार करके इस सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इसमें यूरोपीय देशों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था-7 को अपना वार्षिक अंशदान 750 मिलियन अमरीकी डालर (जो 3 वर्षों में कुल 9 बिलियन अमरीकी डालर होगा) तक सीमित करने के अमरीकी निर्णय को उल्टने और किसी भी तरह अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था को कुल 12 बिलियन अमरीकी डालर की प्रतिपूर्ति करने के लिए सामूहिक प्रयास करने का वचन ले। इस घोषणा में जो अन्य विशिष्ट उपाय सुझाए गए हैं उनमें बहु-उद्देशीय अभिकरणों को यूरोपीय अंशदान में वृद्धि करना, सरकारी विकास सहायता के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 0.7 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करना, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के साधनों को बढ़ाना, संरक्षणवादी प्रवृत्तियों का रुख पलटना और पण्य एवं सांझे कोष के एकीकृत कार्यक्रम का त्वरित क्रियान्वयन शामिल है।

पोर्ट ब्लेयर में कार्यकारी अभियंता द्वारा मकान के निर्माण में सरकारी परिवहन और सामग्री का प्रयोग किए जाने के बारे में शिकायत

4105. **श्री हरीश कुमार गंगवार :**

श्री आर० एन० राकेश :

श्री निर्मल सिन्हा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायत/रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित विद्युत विभाग के एक कार्यकारी अभियन्ता द्वारा सरकारी परिवहन, श्रमिकों और सामग्री का प्रयोग करके पोर्ट ब्लेयर में माउंटबेटन टॉकीज के सामने अब एक पक्का मकान बनाया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस आशय की भी शिकायत/रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि उपरोक्त अधिकारी-

पक्का मकान/भवन बनाने के लिए सरकारी परिवहन, श्रमिक और सामग्री सप्लाई प्रयोग करता रहा है;

(ग) क्या वह भूमि, जिस पर दूसरे भवन का निर्माण, किया गया है, रिकार्ड के अनुसार सरकारी भूमि है ;

(घ) क्या उक्त कार्यकारी अभियंता वही अधिकारी है, जिसे 1978 के केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर सेवा से हटाने का कठोर दंड देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उसके विरुद्ध ताजा आरोपों/शिकायतों की जांच करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। इस सम्बन्ध में अण्डमान न निकोबार प्रशासन को जाली नामों से दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) अण्डमान व निकोबार प्रशासन से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही हैं और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी हां, श्रीमान।

(ङ) अण्डमान व निकोबार प्रशासन इन शिकायतों की जांच कर रहा है।

1984-85 के दौरान पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय आबंटन

4106. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य वार कितनी राशि आबंटित की गई ; और

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1984-85 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) वैज्ञानिक सेवाओं तथा अनुसंधान के लिए राज्य-वार स्वीकृत परिव्यय जिसमें 1984-85 के लिए पर्यावरणीय कार्यक्रम भी शामिल है संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) 1983-84 के दौरान, मध्यप्रदेश सरकार ने बहुत से कार्यक्रमों को आरम्भ किया। इनमें मन्डू, औस्चा तथा चन्देरी में ऐतिहासिक स्मारकों के इर्द गिर्द सुग्राही क्षेत्रों की योजना तथा संरक्षण, सिंगरौली के तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक कस्बों में पर्यावरणीय अध्ययन केन्द्र के प्रयोगात्मक शहरी वानिकी कार्यक्रम, पर्यावरणीय संघटन अध्ययन तथा माइक्रो-लेवल पर्यावरणीय योजनाएं आदि शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय संगठन के माध्यम से पर्यावरण में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण को भी बढ़ावा दिया। मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल प्रदूषण नियंत्रण की ओर, प्रदूषण

परिवीक्षायें में तथा सुधारात्मक कार्य में पहल करने में सक्रिय है। बजट सम्बन्धी उद्देश्यों के लिए, नयी स्वीकृत विश्व बैंक शहरी विकास परियोजना भी पर्यावरणीय समूह के कार्यकलापों के एक हिस्से के रूप में है।

1984-85 में, ऐतिहासिक स्मारकों के इर्दगिर्द भोजपुर भीमवेदका (रेसन जिले में) सांची जैसे सुग्राही क्षेत्रों की योजना तथा संरक्षण कार्य उठाने का प्रस्ताव रखा गया है। पर्यटक आकर्षण के दृष्टि कोण से सुधार के लिए विस्तृत योजनाएं बनाई जायेंगी तथा वास्तुकलात्मक नियंत्रण रखा जायेगा। सुनियोजित वनरोपण के माध्यम से जल निकायों के पर्यावरणीय गुणवत्ता के पुनरुत्पादन तथा सुधार के दो नई परियोजनाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश की पर्यावरणीय स्तर की रिपोर्ट पूर्ण तथा अद्यतन की जानी है। सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों के लिए पर्यावरण पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। एक पर्यावरण संस्था की स्थापना के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही की जाएगी। विश्व बैंक नगर विकास परियोजना जो इन्दौर, उज्जैन, देवास, रायपुर, दुर्ग तथा भिलाई के छः चयनित कस्बों में 1983-84 में प्रारम्भ की गई थी, जारी रखी जाएगी।

विवरण

वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान (पयर्वारण सहित)

(क) 1984-84 के लिए राज्य-वार स्वीकृत परिव्यय

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिव्यय (लाख रु० में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	143.00
2.	असम	41.00
3.	बिहार	10.00
4.	गुजरात	7.00
5.	हरियाणा	30.00
6.	हिमाचल प्रदेश	16.00
7,	जम्मू तथा काश्मीर	10.00
8.	कर्नाटक	100.00
9.	केरल	385.00

1	2	3
10.	मध्य प्रदेश	50.00
11.	महाराष्ट्र	50.00
12.	मणिपुर	23.00
13.	मेघालय	16.00
14.	नागालैंड	4.00
15.	उड़ीसा	50.00
16.	पंजाब	20.00
17.	राजस्थान	3.00
18.	सिक्किम	1.00
19.	तमिलनाडू	94.00
20.	त्रिपुरा	10.00
21.	उत्तर प्रदेश	295.00
22.	पश्चिम बंगाल	51.00
	कुल राज्य (क)	1409.00
(ख)	**संघ राज्य क्षेत्र**	
23.	अन्दमान तथा निकोबार	1.00
24.	अरुणाचल	1.00
25.	चण्डीगढ़	—
26.	दादरा तथा नागर हवेली	1.00
27.	दिल्ली	35.00
28.	गोवा दमन तथा द्वीप	5.00
29.	लक्षद्वीप	4.00
30.	मिजोरम	5.00
31.	पाण्डिचेरी	—
	कुल संघ राज्य क्षेत्र (ख)	52.50
	कुल जोड़ (क+ख)	1461.50

मिडिल अन्दमान में हरिमन्दिर टैम्पल कमेटी को भूमि आबंटन

4107. **श्री टी० एस० नेगी :**

श्री मतिलाल हसदा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान जिले के उपायुक्त ने "डेली टेलीग्राम्ज" (एक सरकारी प्रकाशन) में 27 अगस्त, 1982 को एक प्रेस नोट जारी करके यह घोषणा की थी कि हरिमन्दिर टेम्पल कमेटी, बिल्ली ग्राउण्ड (मिडिल अन्दमान) के नाम 1604 वर्ग मीटर भूमि के आबंटन के लिए जारी किए गए लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है क्योंकि उक्त लाइसेंस अवैध रूप से एक परामर्शदाता श्री एन० आर० मण्डल के कब्जे में था और उसने इस लाइसेंस को नहीं लौटाया था और कानूनी तौर पर गठित टेम्पल कमेटी को एक नया लाइसेंस जारी किया जा रहा है ;

(ख) क्या कानूनी तौर पर गठित टेम्पल कमेटी को एक नया लाइसेंस वास्तव में जारी कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) एक सरकारी प्रकाशन डेली टेली ग्राम के 27 अगस्त, 1983 के अंक में शीर्षक "हरिनगर मन्दिर समिति के लिए भूमि अगस्त 26" के अन्तर्गत निम्नलिखित समाचार प्रकाशित हुआ था। उप-आयुक्त, अण्डमान द्वारा जारी किए गए प्रैस नोट में कहा गया है कि "हरिनगर मन्दिर समिति" के पक्ष में रंगत तहसील में हरिनगर गांव (बिल्ली ग्राउण्ड) में 1604 वर्ग मीटर भूमि (क्र० सं० 231/1) के आबंटन के सम्बन्ध में उप-आयुक्त अण्डमान द्वारा जारी किया गया तारीख 13 अगस्त, 1981 का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। लाइसेंस रद्द इसलिए किया गया है क्योंकि लाइसेंस अवैध रूप से श्री नलिनी रंजन मण्डल (पार्षद) के पास बताया जाता है जिसे उसने लौटाया नहीं है।

> "प्रैस नोट में आगे कहा गया है कि एक नया लाइसेंस जारी किया जा रहा है, जिसमें श्री कालीपाड़ साहा की अध्यक्षता में गठित समिति को उक्त भूमि के कब्जे के संबंध में सभी अधिकार दिये गये हैं।"

(ख) और (ग) उप-आयुक्त द्वारा एक नया लाइसेंस जारी किया गया और मन्दिर समिति को भेजने के लिए सहायक आयुक्त, मायाबन्दर को अग्रेसित किया गया। नया लाइसेंस दिया नहीं गया क्योंकि हरिनगर मंदिर समिति के महासचिव श्री अमूल्य कुमार बैरागी ने सचिव (राजस्व) के समक्ष उप-आयुक्त, अण्डमान के आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर की और उप-आयुक्त, अण्डमान का आदेश अपील का निपटान होने तक स्थगित कर दिया गया। अपीली न्यायालय में पेश न होने के कारण अपील 21-3-83 को खारिज कर दी गई। अपीलकर्ता अमूल्य कुमार बैरागी ने अपील खारिज करने के आदेश के विरुद्ध सचिव (राजस्व) के समक्ष अपील बहाल करने और आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए पुन: एक याचिका दायर की। यह याचिका भी 4-8-84 को खारिज कर दी गई है और उप-आयुक्त, अण्डमान को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए आदेश भेजा गया है।

बॉग्लादेश से घुसपैठ

4109. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान बांग्लादेश से अनधिकृत आप्रवासियों की घुसपैठ की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या वर्ष 1974 के समझौते के अनुसार बांग्लादेश के ऐसे राष्ट्रिकों को जो भारत में प्रवेश करते हैं, विदेशी पंजीकरण कार्यालय में सूचना देने की आवश्यकता नहीं है ; और

(ग) यदि हां तो ऐसे बांग्लादेशियों की संख्या क्या है, जो वैध पासपोर्ट से भारत आए और यहीं रुक गए तथा ऐसे कितने लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) बंगलादेश के साथ भारतीय सीमा बहुत लम्बी और खुली होने के कारण भारत में बंगलादेश के राष्ट्रिकों की घुसपैठ को सीमा सुरक्षा बल की गश्त और सीमा बाह्य चौकियों की सतर्कता के बावजूद समाप्त नहीं किया जा सकता।

(ख) भारत सरकार और बंगलादेश की सरकार के बीच हुए यात्रा प्रबन्ध सम्बन्धी समझौते के अनुसार बंगलादेश राष्ट्रिकों के लिए विदेशी पंजीकरण कार्यालय में सूचना देने की आवश्यकता नहीं है यदि उनके ठहरने की अवधि छः महीने से अधिक न हो।

(ग) वर्ष 1982 और 1983 के दौरान वैध वीसा पर 405,051 बंगलादेशी भारत में आए। इसमें वायुयान द्वारा भारत आए बंगलादेशियों के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

जहां तक ऐसे बंगलादेशियों की संख्या का सम्बन्ध है जो बाद में ठहरे रहे और जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त की, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कलपक्कम स्थित परमाणु ऊर्जा परियोजना से इन्जीनियरों द्वारा पलायन

4110. **श्री लक्ष्मण मलिक** :

प्रो० अजित कुमार मेहता :

श्री बी० डी० सिंह :

श्री अर्जुन सिंह सेठी :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जुलाई, 1984 के "फाइनेन्शियल एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि देश में जिस प्रकार पैट्रोलियम उद्योग में प्रशिक्षित इंजीनियर और तकनीशियन अधिक पारिश्रमिक के लिए खाड़ी के देशों में जाते हैं, वही प्रवृत्ति अब परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी दिखाई पड़ रही है ; और क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ;

(ख) क्या कल्पक्कम स्थित मद्रास परमाणु ऊर्जा परियोजना में कार्यरत अनेक अनुभवी इन्जीनियर और निरीक्षक परियोजना को छोड़ कर खाड़ी के देशों में चले गए हैं ;

(ग) क्या वे वहां परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में नियुक्ति लेकर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करते हैं ;

(घ) गत एक वर्ष से ऐसे कितने लोग वहां चले गए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) जी, हां, कुछ प्रशिक्षित इंजीनियरों और तकनीशियनों ने कलपाक्कम स्थित मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना से त्यागपत्र दिए हैं। लेकिन इससे मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के कार्य-निष्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा है ।

(ग) सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं है कि त्यागपत्र देने के बाद वे कहां काम करत हैं ।

(घ) जुलाई, 1983 से अब तक 23 इन्जीनियरों और तकनीशियनों ने त्यागपत्र दिए हैं।

(ङ) सरकार ने सेवा की बेहतर परिस्थितियां उपलब्ध कराकर, प्रशिक्षित और अनुभवी कार्मिकों को जाने से रोकने के विभिन्न उपाय किए हैं।

भारत में शरण लिए हुए श्रीलंका के तमिल भाषी लोगों को वापस भेजना

4111. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के 10,000 से अधिक जिन तमिल भाषी लोगों ने पिछले वर्ष जुलाई में उस द्वीप में हुए दंगों के बाद तमिलनाडू में अस्थाई शरण ली थी 30 जून, 1984 को उनकी वीसा की अवधि समाप्त हो जाने के कारण उनके सामने अनिश्चित भविष्य की समस्या है ;

(ख) यदि हां, तो क्या श्रीलंका के ऐसे अनेक तमिल भाषी लोगों ने भारत सरकार से अनुमति मांगी थी ;

(ग) क्या इन लोगों की वीसा की अवधि बढ़ायी गयी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या उनकी श्रीलंका को वापसी सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) गत वर्ष जुलाई में श्रीलंका में होने वाले जातीय उपद्रवों के कारण भारत में अस्थायी शरण लेने वाले श्रीलंका के तमिलों की एक बड़ी संख्या ने अपने वीजा की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है, क्योंकि उनके अपने देश में परिस्थितियां अभी भी तनावपूर्ण और असुरक्षित हैं।

(ख) से (घ) तमिलनाडु सरकार को यह सलाह दी गई है कि वह उनके वीजा की अवधि इस वर्ष के अन्त तक बढ़ा दे।

प्रधान मन्त्री के साथ चौक दरबार साहिब एरिया सफरर्स एसोसिएशन, अमृतसर की बैठक

4112. **श्री अशफाक हुसैन : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौक दरबार साहिब सफरर्स एसोसिएशन, अमृतसर का एक प्रतिनिधि मण्डल 16 जुलाई, 1984 को प्रधान मन्त्री से मिला था ; और

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा मण्डल अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) याचिकादाताओं ने उनको हुई हानि की प्रतिपूर्ति की मांग की है और पुनर्वास के लिए अनुरोध किया है। याचिका को पंजाब सरकार को भेजा गया है। इस संबंध में राज्य प्राधिकारियों द्वारा बनाई गई योजना के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में पुलिस द्वारा न्यायालयों में अभियोग पत्र प्रस्तुत न किया जाना

4113. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों के विभिन्न न्यायालयों में भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत बनाए गए तथा लम्बित पड़े मामलों की वर्षवार (प्रथम सूचना रिपोर्ट मिलने के वर्ष से) कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इस प्रकार के कितने मामलों में पुलिस नई दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत छः महीनों के अन्दर अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं करा सकी ;

(ग) क्या उन मामलों को, जिनके विरुद्ध छः महीनों के भीतर अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं किए जा सके, खारिज कर दिया गया अथवा अभी भी तत्सम्बन्धी मुकदमें चल रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक न्यायालय में ऐसे कितने मामले लम्बित हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

सीमेंट उद्योगों द्वारा प्रदूषण

4114. **श्री चिन्तामणि जैना : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीमेंट उद्योग देश में प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रदूषण को रोकने के लिए सीमेंट एककों द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं अथवा उन्हें क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) प्रदूषण की गम्भीरता के बारे में विभिन्न उद्योगों की तुलना करना कठिन है।

(ख) (1) केन्द्रीय तथा राज्य जल प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों ने वायु प्रदूषण स्रोतों की सूची तैयार करने के लिए प्राथमिक कार्यवाही की है जिसमें उनके क्षेत्राधिकार में सीमेंट संयत्र भी शामिल हैं ;

(2) सीमेंट संयत्रों के लिए विविक्त उत्सर्जन सीमाएं तैयार की गई हैं जो निम्न प्रकार से हैं :—

क्षमता (मी० टन प्रतिदन)	सुरक्षित क्षेत्र	अन्य क्षेत्र
(क) 200 तथा कम	250 एम जी/एन एम^3	400 एम जी/एन एम^3
(ख) 200 से अधिक	150 एम जी/एन एम	250 एम जी/एन एम^3

(3) उद्योगों को सलाह दी गई है कि वे उत्सर्जन सीमाओं के अनुरूप नियंत्रण उपस्कर स्थापित करने की योजना बनाएं। एककों को चिमनी निगरानी तथा परिवेशीवायु गुणवत्ता निगरानी के लिए तंत्र रखने हेतु कहा गया है।

गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ

4115. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के संवेदनशील और सामरिक महत्व के कच्छ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पाकिस्तानियों ने घुसपैठ की है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) सीमा पर होने वाली संभावी घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) बड़े पैमाने पर पाकिस्तानियों की घुस पैठ के बारे में कोई घटना सरकार के ध्यान में आई है। गुजरात सरकार के अनुसार, वर्ष 1981 के दौरान गुजरात-पाक सीमा पर 37 घुसपैठियों को पकड़ा गया था और उन सभी को वापिस भेज दिया गया। वर्ष 1982 के दौरान 18 घुसपैठियों को पकड़ा गया, उनमें से 16 को वापिस भेज दिया गया और 2 के मामले विचारण के लिए लम्बित पड़े हैं। वर्ष 1983 के दौरान 26 घुसपैठियों

को पकड़ा गया ; उनमें से 16 को वापिस भेज दिया गया और 8 के मामले विचारण के लिए लम्बित पड़े हैं और 2 घुसपैठिए दोष सिद्ध होने के बाद सजा काट रहे हैं।

(घ) कच्छ क्षेत्र के सामरिक दृष्टि से महत्व के स्थानों पर सीमा सुरक्षा बल की 9 बाह्य-चौकियां स्थगित की गई हैं। सीमा पर जोरदार गश्त लगायी जा रही है और अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। सीमा के साथ-साथ सामरिक महत्व के स्थानों पर दो अतिरिक्त निगरानी टावरों की योजना बनायी गई है।

कलकत्ता क्षेत्र में हुगली के पानी में प्रदूषण की रोकथाम

4116. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में प्रवाह की दिशा में हुगली के पानी में प्रदूषण के आधिक्य की रोकथाम के लिए कोई दीर्घावधि योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां।

केन्द्रीय बोर्ड के सहयोग से, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा गंगा बेसिन के विस्तृत प्रदूषण सर्वेक्षण तथा अध्ययनों पर एक परियोजना प्रारम्भ की गई है। परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं :—

1. गंगा बेसिन के लिए प्रदूषण मानचित्र तैयार करना ;
2. मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों के प्रवाह से वर्तमान उपयोगों का अभि-निर्धारण करना।
3. विभिन्न फैलावों पर वर्तमान जल गुणवत्ता का मूल्यांकन करना ; तथा
4. वर्तमान बेसिन में जल प्रदूषण नियन्त्रण के लिए कार्य योजना तैयार करना।

सेमी-कण्डक्टर काम्पलेक्स लिमिटेड, चण्डीगढ़ द्वारा निर्मित संगठक

4117. **श्री बिगम्बर सिंह** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) सेमी-कण्डक्टर काम्पलेक्स, चंडीगढ़ में इस समय निर्मित होने वाले विभिन्न संघटकों के उत्पाद-मिश्रण का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन विभिन्न सर्किटकों का ब्यौरा क्या है जिनका निर्माण उपरोक्त एकक करेगी ; और

(ग) एस० सी० एल० द्वारा सर्किट डिजायन की खरीद के लिए राकवैल इन्टरनेशनल यू० एस० ए० के साथ हाल में किए गए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) सेमीकंडक्टर काम्प्लैक्स लि० (एस०सी०एल०) नेहालहो में पत्स डायलर बड़े पैमाने के एकीकृत सेमीकण्डक्टर परिपथों, इलेक्ट्रानिक टेलीफोनों के लिए अमेरिकन माइक्रो सिस्टम इनकार्पोरेटेड नामक इसके विदेशी सहयोगकर्ता की 2560 जी० किस्म क्वार्टज एनालांग दीवार घड़ियों के लिए 4.19 मीगाइर्ट्ज तथा 32 किलोहर्ट्ज बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों, 16 के गतिशील यादृच्छिक अभिगमन मेमोरी (ड्राम) तथा कुछ विशिष्ट/अर्ध-विशिष्ट बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों के विनिर्माण के साथ ही अपना उत्पादन आरम्भ कर दिया है। एस० सी० एल० एनालांग तथा अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों एवं दीवार घड़ियों के लिए टाइम कीपिंग माड्यूलों तथा उप-प्रणालियों का भी विनिर्माण कर रहा है।

(ख) एस० सी० एल० निम्नलिखित किस्म के एम० ओ० एस० बड़े पैमाने की एकीकृत युक्तियों का विनिर्माण करेगा :—

(i) आंकड़ा संसाधन अनुप्रयोगों के लिए 8-बिट सूक्ष्म संसाधित्र/बिट सूक्ष्म कम्प्यूटर तथा सर्वतोमुखी अन्तर्पृष्ठ अनुकूलक (वी० आई० ए०) रैम इनपुट/आऊट टाइपर (आर आई० ओ० टी०), पठन मात्र मेमोरी (आर० ओ० एम०) आदि जैसी उपान्त उपस्कर-युक्तियां।

(ii) दूरसंचार अनुप्रयोगों में इलेक्ट्रानिक स्विचन प्रणालियों के लिए पत्स डायलर, एकल चिप/चैनल कोडेक तथा विशिष्ट बड़े पैमाने की एकीकृत युक्तियां।

(iii) 64 के० गतिशील यादृच्छिक अभिगमन मेमोरी, 16 के० स्थैतिक यादृच्छिक अभिगमन मेमोरी, 16 के/256 के० E^2 प्रोम जैसी स्थैतिक, गतिशील तथा प्रोग्रामनयोग्य मेमोरी।

(iv) अंकीय इलेक्ट्रानिक स्विचों, क्वार्ट्ज एनालांग घड़ियों तथा दीवार -घड़ियों के लिए टाइम कीपिंग परिपथें।

(v) विभिन्न औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए विशिष्ट/ अर्ध-विशिष्ट परिपथें।

(ग) एस० सी० एल० और रांकवेल के बीच लाइसेंस एवं तकनीकी सहायता विषयक करार में निम्नलिखित बड़े पैमाने की एकीकृत युक्तियों के लिए तकनीकी जानकारी के अन्तरण का प्रावधान है;

(i) 8-बिट सूक्ष्म संसाधित्र किस्म आर० 6502

(ii) 8-बिट सूक्ष्म कम्प्यूटर किस्म आर० 6500/1

(iii) सर्वतोमुखी अन्तरापृष्ठ अनुकूलक किस्म आर० 6522

(iv) 128 के० आर० ए० एम० आई०/ओ० टाइमर किस्म आर० 6532

(v) 32 के० आर० ओ० एम० किस्म आर० 2332

करार में परिपथ डिजाइन, आवरण संरचना, वेफर संसाधन, युक्ति संयोजन, परीक्षण, गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता आश्वासन तथा अनुप्रयोग के सम्बन्ध में सभी तकनीकी दस्तावेजों का अन्तरण तथा रांकवेल द्वारा एस० सी० एल० के इन्जीनियरों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान है।

करार 8 वर्षों के लिए हैं और इसमें केवल लाइसेंसीकृत उत्पादों के विनिर्माण के लिए ही लाइसेंस देने की व्यवस्था है। इसमें करार की अवधि के दौरान उत्पाद की विशिष्टियों के डिजाइन तथा विनिर्माण में सुधार लाने के कार्य को दोनों मिलकर करने की व्यवस्था है। इस करार में रांकवेल द्वारा एस० सी० एल० के विकल्प पर उपान्त-उपस्कर अन्तरापृष्ठ अनुकूलक (पी० आई० ए०) किस्म आर० 6520 सी० आर० टी० नियन्त्रक किस्म आर० 6545, आर० ओ० एम०, आर० ए० एम० इनपुट/आउटपुट टाइमर आर० 6530 तथा आर० 6531 जैसे अतिरिक्त बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों के लिए एस० सी० एल० को लाइसेंस देने की व्यवस्था है।

हिन्दी कम्प्यूटरों का निर्माण

4118. **श्री एन० ई० होरो** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत में हिन्दी कम्प्यूटरों का निर्माण भी शुरू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ये कम्प्यूटर बाजार में बेचे जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो अंग्रेजी कम्प्यूटर की तुलना में हिन्दी कम्प्यूटर का मूल्य, उसकी क्षमता आदि का ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव : (क) और (ख) कम्प्यूटरीकृत-टाइपराइटर अथवा "शब्द-संसाधक", जो हिन्दी लिपि (देवनागरी लिपि) में इन्पुट-डेटा स्वीकार करते हैं और उसी लिपि में आउटपुट डेटा सूचित करते हैं, इस समय दिल्ली स्थित मैसर्स डी० सी० एम० डेटा प्रोडक्टूस द्वारा विनिर्मित किए जा रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) मैसर्स डी० सी० एम० डेटा प्रोडक्ट्स, दिल्ली द्वारा बाजार में जो शब्द-संसाधक प्रस्तुत किए गए हैं उनका क्षमतानुसार मूल्य 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच है। अंग्रेजी (रोमन लिपि) में आंकड़ों का इनपुट/आउट करने वाली ऐसी ही समतुल्य कम्प्यूटर-प्रणाली का मूल्य लगभग इतना ही होगा।

डी० सी० एम० कम्प्यूटरों की न्यूनतम संरचना में निम्नलिखित शामिल है ;

सी० पी० यू० प्रयोगकर्ता मेमोरी (स्मृति-तन्त्र) की 32 के० बाइट्स ; द्विभाषी कुंजी-पटल (हिन्दी तथा अंग्रेजी), नियन्त्रक सहित/फ्लापी ड्राइव, दृश्य प्रदर्श यूनिट और 80 सी० पी० एस० डॉट मैट्रिक्स मुद्रक ;

सबसे बड़ी संविरचना में निम्नलिखित है ;

सी० पी० यू० प्रयोगकर्ता मेमोरी (स्मृति तन्त्र) की 32 के बाइट्स ; द्विभाषी कुंजी-पटल (हिन्दी व अंग्रेजी), नियन्त्रक सहित 4 फ्लापों ड्राइव नियन्त्रक सहित 2 चुम्बकीय टेप ड्राइव्स और 200 सी० पी० एस० डॉट मैट्रिक्स मुद्रक ।

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

4119. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन के रूप में प्रति माह 500/-रुपए दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त 500/-रुपए प्रतिमाह की पेंशन पाने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों का ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जिन स्वतन्त्रता सेनानियों को स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत 500 पए प्रतिमाह की बढ़ी हुई दरों पर पेंशन स्वीकृत की गयी है, उनके सम्बन्ध में कोई अलग-अलग अभिख नहीं रखे जाते हैं ।

खान विभाग द्वारा एक कन्टेप स्मेल्टर की स्थापना

4120. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान विभाग का विचार हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके एक "कन्टेप स्मेल्टर" की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) खान विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान कापर लि० ने प० जर्मनी के मै० के० एच० डी० हमबोल्डट वेडाग की प्रद्रावण प्रौद्योगिकी के आधार पर खेतड़ी में एक "कन्टोप स्मैल्टर" की स्थापना करने हेतु एक साध्यता रिपोर्ट तैयार की है। "कन्टोप स्मैल्टर" तांबा रिवर्टो को बिक्री योग्य तांबे में बदलने की सुविधा के रूप में होगा । इस प्रस्ताव का पूंजीगत व्यय 16.32 करोड़ रु० बैठेगा । प्रस्ताव पर पूंजी लगाने का निर्णय अभी नहीं लिया गया है ।

मांडवी पैलेट्स, गोआ का बन्द होना

4121. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

श्री आर० एन० राकेश :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या मैसर्स मांडवी पैलेट्स बन्द होने की स्थिति में पहुंच गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इसमें कुल कितना सरकारी और निजी निवेश किया गया है और इसमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या इसके कर्मचारी संघ ने इसके उत्पादन में विविधता लाकर इस संयंत्र को बचाने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव दिए हैं ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) संयुक्त क्षेत्र में लगाया गया मंडोवी पैलेट्स लि० नामक कारखाना इस उद्देश्य से लगाया गया था कि इसके उत्पादन का शत-प्रतिशत निर्यात किया जाएगा। इस कारखाने ने धमन भट्टी में इस्तेमाल किए जाने वाले पैलेटों का उत्पादन वर्ष 1979 में करना शुरू कर दिया था। कारखाने को परिचालन में मुख्य रूप से तीन समस्याओं का सामना करना पड़ा। विदेशों में पैलेटों का मूल्य गिर जाना, फर्नेस आयल के मूल्य में वृद्धि और बिजली की समस्याएं। इन समस्याओं के कारण आर्थिक दृष्टि से कारखाने का परिचालन लाभप्रद न रहा और सरकार की अनुमति से अप्रैल, 1981 में कारखाना बन्द कर दिया गया।

(ग) मंडावी पैलेट्स लि० में सरकारी क्षेत्र की कुल 587.95 लाख रुपए की पूंजी और गैर-सरकारी क्षेत्र और जन-साधारण की 377.05 लाख रुपए की पूंजी लगी हुई है। मंडोवी पैलेट्स लि० में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या 361 है।

(घ) जी, हां।

(ङ) इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या इस कारखाने का पुन: चलाना लाभदायक रहेगा, इस्पात विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के एक परामर्शी संगठन—मेकन से एक अध्ययन करने के लिए कहा गया था। इस अध्ययन से पता चला है कि इस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पैलेटों का मूल्य कम होने के कारण आर्थिक दृष्टि से इस कारखाने को पुन: चलाना लाभप्रद नहीं होगा। इस बात का भी अध्ययन किया गया है कि क्या इस कारखाने में फर्नेस आयल के स्थान पर कोककर कोयले का इस्तेमाल करने से कारखाने को अर्थक्षम बनाया जा सकता है। इस अध्ययन से पता चला है कि यदि कारखाने में कोयले का शत प्रतिशत उपयोग भी किया जाए तो भी यह कारखाना धमन भट्टी ग्रेड के पैलेटों के वर्तमान मूल्यों को देखते हुए आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगा। तकनीकी कारणों से इस कारखाने को कच्चे लोहे अथवा स्पंज लोहे के कारखाने में तत्काल बदलना सम्भव नहीं है।

देश में जस्ता और सीसे का उत्पादन

4122. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जस्ते और सीसे का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कोई कदम उठाए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो 1982-83 और 1983-84 में जस्ते और सीसे का कितना उत्पादन हुआ ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी हां, देश में जस्ता-सीसा के मौजूदा स्मैल्टरों के विस्तार और आधुनिकीकरण द्वारा तथा नए प्रद्रावकों की स्थापना द्वारा ।

(ख) हिन्दुस्तान जिंक लि० (सरकारी क्षेत्र) तथा कोमिन्को बिनानी जिंक लि० (प्राइवेट क्षेत्र) देश में जस्ता धातु का उत्पादन करते हैं । प्राथमिक सीसा धातु के हिन्दुस्तान जिंक लि० द्वारा उत्पादन के अलावा, मै० इण्डियन लैड (प्रा०) लि० (एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी) भी संगठित निजी क्षेत्र में लैड स्क्रैप/आयातित सान्द्रों से माध्यमिक सीसा/सीसा अलाए का उत्पादन करती है। 1982-83 और 1983-84 में जस्ता उत्पादन क्रमशः 51,970 टन तथा 60,171 टन था । 1982-83 और 1983-84 में प्राथमिक सीसे का उत्पादन क्रमशः 14,801 टन और 15,419 टन था तथा माध्यमिक सीसा का उत्पादन 8094 टन और 6356 टन था।

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों और सहायकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में असमानताएं

4123. **श्री सी० चिन्ना स्वामी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्त केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों की वरिष्ठता परीक्षा के वर्ष की पहली जुलाई अथवा फिर परीक्षा वर्ष के बाद वाले वर्ष की पहली जुलाई से गिनी जाती है जबकि अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में उनकी वास्तविक नियुक्ति काफी समय बाद होती है ;

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्त होने वाले केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों के मामले में उनकी पदोन्नति के लिए उनकी वरिष्ठता की गणना उस प्रकार नहीं की जाती जिस प्रकार की अनुभाग अधिकारियों के मामले में की जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वेंकटसुब्बय्या) : (क) सीधी भर्ती के अनुभाग अधिकारियों की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 में पदोन्नति की पात्रता के प्रयोजन के लिए परीक्षा वाले वर्ष से अगले वर्ष की पहली जुलाई से "अनुमोदित सेवा" गिनी जाती है न कि वरिष्ठता ।

(ख) सीधी भर्ती सहायकों के मामले में अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति की पात्रता के प्रयोजन के लिए "अनुमोदित सेवा" सहायक ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से गिनी जाती हैं।

(ग) सीधी भर्ती के अनुभाग अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए जाते हैं तथा परीक्षा आयोजित किए जाने के लगभग दो वर्ष पश्चात् नियुक्त किए जाते हैं। इसके विपरीत सहायक, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सहायकों के लिए

ली जाने वाली विशिष्ट परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए जाते हैं तथा नियुक्तियां परीक्षा लिए जाने के लगभग एक वर्ष के भीतर कर दी जाती है। अतः दोनों मामलों का आधार एक समान नहीं है।

खाड़ी के देशों में एशियाई श्रमिकों द्वारा अपना धर्म बदल कर इस्लाम अपनाया जाना

4124. **श्री सूरज भान** : क्या **गृह मंत्री** खाड़ी के देशों में एशियाई श्रमिकों द्वारा अपना धर्म बदलकर इस्लाम अपनाया जाने के बारे में 4 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्नसंख्या 6302 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 6302 जिसका उत्तर 4-4-1984 को दिया गया था, में उल्लिखित समाचार सरकार के ध्यान में है। केन्द्रीय सरकार को, उन परिवारों की कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है जिनके खाड़ी देशों में कार्य कर रहे सदस्यों ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम अपना लिया है।

हाट रोल्ड कायल्स का भण्डार

4125. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ ट्यूब निर्माता और कोल्ड रोलिंग एकक जिनके पास वैध आयात लाइसेंस है हॉट रोल्ड कायल्स और कुछ अन्य मदों का भण्डार एकत्र करते हुए पाए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने कुछ ट्यूब निर्माताओं तथा कोल्ड रोलिंग एककों द्वारा आयातित मदों के बदले देश में बनी इस्पात मदों की सप्लाई से कमाए जा रहे लाभ को रोकने के लिए कोई उपाय किए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) ऐसे आयात को रोकने के लिए, जिससे बचा जा सकता है और कुछ देशीय मदों जिनमें गर्म बेलित क्वायत भी शामिल हैं) की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए दिसम्बर, 1982 में एक योजना लागू की गई थी, जिसके अन्तर्गत "सेल" ने वैध आयात लाइसेंसों को पापस करने पर देशीय सामग्री की सप्लाई करने का काम हाथ में लिया था। अब सेल देशीय सामग्री सप्लाई करने में असमर्थ होती है तो केवल उसी हालत में विशिष्ट अनुपलब्धि प्रमाण पत्र पर आयात की अनुमति दी जाती है। अभी हाल में गर्म बेलित क्वायलों के देशीय उत्पादन में गिरावट के कारण "सेल" अनुपलब्धि प्रमाण-पत्र जारी कर रही है ताकि इसका सीधे आयात किया जा सके।

सरकार को स्टाक की जमाखोरी की किसी विशिष्ट घटना की जानकारी नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को प्राप्त उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के विरुद्ध अभ्यावेदन

4126. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी आयोग की 1 अप्रैल, 1983 से 30 अप्रैल, 1984 के दौरान अनुसूचित जातियों के आरक्षण कोटे के अनुसार अधीनस्थ शिक्षा-राजपत्रित सेवा में 770-1600 रु० के वेतनमान में अध्यापकों की पदोन्नति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उनमें क्या-क्या शिकायतें की गई हैं ;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त भारत सरकार और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी आयोग, भारत सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) वर्ष 1983-84 के दौरान अनुसूचित जातियों से सम्बद्ध कितने अध्यापकों को उक्त वेतनमान में पदोन्नत किया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां श्रीमान ।

(ख) एक अध्यापक श्री कासबी दास कान्याल की पदोन्नति के बारे में चार शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) मामले को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया था जिन्होंने सूचित किया है कि श्री कासबी दास कान्याल उनके नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र नहीं हैं।

(घ) ये आंकड़े गृह मन्त्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं ।

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा के ग्रेड "क" आशुलिपिकों में खाली स्थानों को भरना

4127. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक विभाग को 1 जुलाई, 1983 से 30 जून, 1984 तक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा में ग्रेड "क" के आशुलिपिकों के कितने रिक्त स्थानों की सूचना दी गई थी ;

(ख) कार्मिक विभाग ने उन रिक्त स्थानों के लिए संवर्ग-वार कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया था ;

(ग) विभिन्न संवर्ग अधिकारियों ने उनके द्वारा सूचित किए गए रिक्त स्थानों के लिए कितने व्यक्तियों को स्वीकार/अस्वीकार किया है ; और

(घ) यदि किसी ने अस्वीकार किया है तो उसके क्या कारण हैं और इसके लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) तीस ।

(ख)	कोयला विभाग	2
	रक्षा मन्त्रालय	3
	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय	1
	गृह मन्त्रालय	8
	विधि कार्य विभाग	4
	खान विभाग	2
	योजना आयोग	2
	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	1
	पर्यटन एवं सिविल विमानन मन्त्रालय	2
	संघ लोक सेवा आयोग	5

(ग) तथा (घ) दो संवर्ग प्राधिकारियों ने प्रशासनिक आधार पर 8 नामांकनों को स्वीकार नहीं किया था । इस मामले के बारे में सम्बन्धित संवर्गों के साथ सम्पर्क किया गया है तथा उनसे अनुरोध किया गया है कि वे नामांकनों को स्वीकार करें ।

समुद्री वैज्ञानिकों का पूल बनाने के लिए कार्यक्रम

4128. **श्री के० मालन्ना** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विशाल समुद्री स्रोतों के दोहन के लिए एक स्वदेशी प्रौद्योगिक आधार तैयार करने हेतु समुद्र विकास विभाग ने समुद्री वैज्ञानिकों का पूल बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है ; और

(ख) यदि हां, तो जहां तक सम्बन्धित विषयों सहित अध्येतावृत्तियों और सहवृत्तियों के शुरू करने का प्रश्न है तो उस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां, श्रीमान ।

(ख) महासागर विकास विभाग ने विभिन्न केन्द्रों, विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय संगठनों, जो कि

समुद्र-सम्बन्धित कार्यों में लगे हैं, में अनेकों शिक्षावृत्तियां (फैलोशिप) और अनुसन्धान एसोसिएटशिप प्रारम्भ की हैं। समुद्रीय जीव-विज्ञान, समुद्रीय रसायन विज्ञान, समुद्रीय भूविज्ञान, समुद्रीय भूभौतिकी, समुद्रीय इन्स्ट्रूमेंटेशन आदि के क्षेत्र में लगभग 25 फैलो पहले ही कार्यरत हैं। प्रति वर्ष लगभग 125 व्यक्तियों को शिक्षावृत्तियां और अनुसन्धान सहयोग विषयक छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। फैलोशिप योजना के कतिपय विशिष्ट लाभ हैं क्योंकि इस प्रयोजन के लिए किसी मुख्य संस्थागत स्थापना की आवश्यकता नहीं है। विशिष्टीकरण के विद्यमान केन्द्रों को समुद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विशिष्ट शाखाओं में नई शिक्षावृत्तियां हाथ में लेने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का भूकम्प प्रवण क्षेत्र में होना

4129. **श्री नीरेन घोष** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारी भूकम्प प्रवण क्षेत्र में स्थित है ;

(ख) क्या यह चार भूकम्प प्रवण क्षेत्रों में से एक है ;

(ग) यदि हां, तो क्या नरौरा के संयंत्र से गंगा और सिंध को खतरा है ;

(घ) यदि हां, तो क्या गंगा के पानी में विकिरण के थोड़ी मात्रा में भी रिसने की कोई सम्भावना है जिससे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के गंगा घाटी क्षेत्र को खतरा उत्पन्न हो सकता है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या नरौरा स्थित संयंत्र को किसी अन्य स्थान पर बदला नहीं जाना चाहिए ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके कारणों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज पी०पाटिल) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना ऐसे क्षेत्र में स्थित नहीं है जहां भारी भूकम्प आने की सम्भावना हो।

(ग) से (ङ) जी, नहीं।

(च) नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना के डिजायन में ऐसे उपाय शामिल किए गए हैं कि चालू संयंत्र किसी भी सम्भावित भूकम्प के प्रभाव को सह सकता है।

पेरूमकोल्लन और थोलकोल्लम जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना

4130. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल केरल पेरूमकोल्लन समाज ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें पेरूम-

कोल्लन और थोलकोल्लम जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की मांग की गई है ; और

(क) यदि हां, तो ज्ञापन का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां, श्रीमान्।

(ख) ज्ञापन में यह अनुरोध किया गया था कि केरल में पेरूकोल्लम और थोलकोल्लम समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाए। अन्य ऐसे प्रस्तावों, सिफारिशों, सुझावों और अभ्यावेदनों के साथ इस प्रस्ताव पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए मामले में अपनाए गए संगत मानदण्डों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के सन्दर्भ में विधिवत रूप से विचार किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों की टिप्पणियों की अभी प्रतीक्षा है और उनको नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में आगे कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) को ध्यान में रखते हुए केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

गृह मन्त्रालय संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" आशुलिपिक

4131. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मन्त्रालय संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (650-1200 रु०) के कितने ग्रेड "क" में आशुलिपिक उपबन्ध हैं और क्या उन सभी को अतिरिक्त सचिव और उससे ऊपर अथवा समकक्ष अधिकारियों के साथ कार्य करने के लिए तैनात किया गया है ;

(ख) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" में इस समय कितने स्थान रिक्त हैं ;

(ग) क्या कार्मिक विभाग विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मनोनीत सभी व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में ग्रेड "क" आशुलिपिक के रूप में नियुक्त करना स्वीकार किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) इस समय गृह मंत्रालय के संवर्ग में के०स०आ०से० के ग्रेड—"क" के 27 (सत्ताईस) आशुलिपिक कार्य कर रहे हैं और इनमें से कुछ ग्रेड "क" आशुलिपिक संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारियों के साथ भी कार्य कर रहे हैं।

जोनिंग स्कीम के अन्तर्गत गृह मन्त्रालय में के० स० आ० से० संवर्ग के ग्रेड "क" में नियुक्ति के लिए ग्रेड "ख" आशुलिपिकों के नामांकन के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को ग्रेड "क" आशुलिपिकों की 7 (सात) रिक्तियां सूचित की गई थीं और गृह मन्त्रालय के संवर्ग में के०सं०आ०से० के ग्रेड "क" में नियुक्ति के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा नामांकित इन सभी 7 ग्रेड "ख" आशुलिपिकों को स्वीकार कर लिया गया है।

गरीब लोगों की पहचान सम्बन्धी कार्य-दल की रिपोर्ट

4132. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **योजना मंत्री** गरीबी की रेखा परिभाषित करने के लिए कार्यदल के बारे में 4 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6488 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीब लोगों की पहचान निर्धारित करने हेतु अगस्त, 1982 में नियुक्त कार्यदल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना में नए सिरे से शुरू किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा "गरीबी की रेखा के नीचे" रहने वाली जनता की संख्या निर्धारित करने का अब तक क्या विशिष्ट ढंग अपनाया जा रहा है ?

योजना और सिंचाई मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) गरीबों का पता लगाने हेतु समुचित रीतिविधान तैयार करने के लिए अगस्त, 1982 में एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की गई। दल की अन्तरिम रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का पता लगाने हेतु समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में केवल उन्हीं परिवारों को लक्ष्य दल में सम्मिलित किया जाता है, जिनकी वार्षिक आय 3500 रु० से अधिक न हो। परिवार सर्वेक्षण के आधार पर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता हेतु इनका पता लगाया जाता है, जोकि आमतौर पर ग्रामीण स्तर के सरकारी कर्मचारियों द्वारा स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सम्मिलित करके एवं उनके सहयोग से चलाए जाते हैं।

दिल्ली के चन्दन हुल्ला गांव में भूमि का अवैध नामांतरण

4133. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की चन्दन हुल्ला गांव सहित दिल्ली के गांवों में काफी बड़े भूखण्ड को प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम पर अवैध नामांतरण किए जाने का पता है ;

(ख) क्या इस प्रकार का नामांतरण अधिकांश भू-स्वामियों के भारत के बाहर रहने के कारण उनकी अनुपस्थिति में किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्रवाई करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि गांव चन्दन हुल्ला समेत दिल्ली के किसी भी गांव में किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति के नाम पर भूमि का कोई अवैध नामांतरण स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ख) जिस भूमि के स्वामी भारत के बाहर रह रहे हैं उस भूमि के नामांतरण की स्वीकृति उसके स्वामी द्वारा उसके किसी सम्बन्धी अथवा न्यासी के पक्ष में दिए गए सम्बन्धित भारतीय दूतावास से विधिवत रूप से सत्यापित शपथपत्र द्वारा विधिवत रूप से समर्थित सामान्य मुख्तारनामे के आधार पर और ऐसे प्राधिकार को भारत में पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत किए जाने के बाद दी जाती है। ऐसे भू-स्वामियों की पहचान भी सम्बन्धित भारतीय दूतावास द्वारा प्रमाणित की जाती है। अपेक्षित दस्तावेजों के अभाव के कारण कोई नामांतरण स्वीकृत नहीं किया जाता हैं। जहां तक गांव चन्दन हुल्ला का सम्बन्ध है वहां ऐसा कोई मामला नहीं है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली सशस्त्र पुलिस में मानवीय आधार पर सिपाहियों की नियुक्ति

4134. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सशस्त्र पुलिस में मानवीय आधार पर सिपाहियों की नियुक्ति के लिए 1 मार्च, 1980 से 31 जुलाई, 1983 के दौरान कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने आवेदनों पर विचार किया गया ;

(ख) गृह मन्त्रालय के 12 फरवरी, 1955 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/1/55—आर०पी० एस के अनुसार मानवीय आधार पर सिपाहियों की नियुक्ति में आयु सीमा में छूट के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) दिल्ली सशस्त्र पुलिस में आयु सीमा में छूट देकर मानवीय आधार पर सिपाहियों की नियुक्ति के कितने मामले लम्बित पड़े हैं और विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) दिल्ली सशस्त्र पुलिस में आयु सीमा में छूट देकर मानवीय आधार पर सिपाहियों की नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) 156

(ख) इस अवधि के दौरान मानवीय आधार पर की गई 106 नियुक्तियों में से, 32 मामलों में आयु सीमा में छूट दी गई है।

(ग) और (घ) इस प्रकार के दस मामले लम्बित पड़े हैं—5 मामले दिल्ली प्रशासन में, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए और शेष 5 मामले सत्यापन के लिए।

डिजिटल इलेक्ट्रानिक्स स्विचिंग सिस्टम के हेतु कल-पुर्जों के देश में उत्पादन सम्बन्धी कार्य दल की रिपोर्ट

4135. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **प्रधानमन्त्री** मल्टीपल प्रिंटड सर्किट बोर्ड कनेक्टरों आदि के निर्माण के बारे में 25 जुलाई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 551 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उसमें उल्लिखित कार्यदल की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो दल द्वारा मुख्य सिफारिश की गई हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार दल की रिपोर्ट सभा पटल पर रखेगी ; और

(घ) यदि रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो यह सरकार को कब तक प्रस्तुत कर दी जाएगी।

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) ई० 10-बी० अंकीय इलेक्ट्रानिक स्विचन प्रणालियों के लिए आवश्यक इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों पर गठित कार्यदल की अन्तिम रिपोर्ट अभी तक नहीं प्राप्त हुई है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकार को रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही इस विषय पर कोई निर्णय किया जा सकता है।

(घ) रिपोर्ट लगभग 8 सप्ताह में मिल जाने की सम्भावना है ।

गृह मन्त्रालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे अखिल भारतीय और अन्य केन्द्रीय सेवाओं (क श्रेणी) के अधिकारी

4136. **श्री केशव राव पारधी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों को उनकी प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि समाप्त होने पर उनके मूल संवर्गों सेवाओं में वापिस भेजने सम्बन्धी प्रधानमन्त्री के निर्देश अभी भी लागू हैं ;

(ख) गृह मन्त्रालय के विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे अखिल भारतीय और अन्य केन्द्रीय सेवाओं (क श्रेणी) के अधिकारियों की संख्या कितनी है ;

(ग) उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जो गृह मन्त्रालय में 8 वर्षों से भी अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं और ये अधिकारी किस सेवा से सम्बन्धित हैं ; और

(घ) प्रधानमन्त्री के निर्देशों का पालन करते हुए, उन्हें उनके मूल सेवाओं में वापिस भेजने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) गृह मन्त्रालय के विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर अखिल भारतीय और अन्य

केन्द्रीय सेवाओं (श्रेणी क) के 84 (चौरासी) अधिकारी हैं और उनमें से कोई भी 8 वर्षों से अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।

बांग्लादेश से चकमा जाति के लोगों की मिजोरम में घुसपैठ

4137. **डा० आर० रोथूआमा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस तथ्य की जानकारी है कि बांगलादेश में चटगांव के पहाड़ी क्षेत्रों के चकमा जाति की आबादी वाले क्षेत्र में साम्प्रदायिक दंगों के परिणामस्वरूप और बांगलादेश में चकमा विद्रोहियों और बांगलादेश राइफल्स के बीच झड़पों के कारण बांगलादेश के चकमा जाति के लोग बांग्लादेश सीमा पर मिजोरम में देयागिरी और अन्य गांवों में भारी संख्या में घुस आए हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1984 में बांगलादेश से मिजोरम में चकमा जाति के कुल कितने लोग आए ;

(ग) वर्ष 1984 में मिजोरम से चकमा जाति के कुल कितने लोगों को वापस भेजा गया; और

(घ) भविष्य में विदेशियों द्वारा इस प्रकार की घुसपैठ रोकने के लिए मिजोरम बांगलादेश सीमा की सुरक्षा के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 1984 में बांगलादेश से 4196 चकमा मिजोरम में आए हैं।

(ग) 1984 में 1010 चकमाओं को बांगलादेश वापस भेजा गया है।

(घ) सुरक्षा बलों ने, मिजोरम-बांगलादेश सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है।

गत तीन वर्षों के दौरान गरीबी की रेखा से ऊपर लाए गए परिवार

4138. **श्री डूगर लाल बैठा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान कितने परिवारों को गरीबी की रेखा के ऊपर लाया गया और उनका निर्धारित लक्ष्यों सहित वर्ष-वार और राज्य-वार पूरा ब्योरा क्या है ?

योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : इस सम्बन्ध में दिए गए अनुमान व्यक्तियों से सम्बन्धित है न कि परिवारों से। गरीबी की रेखा के नीचे व्यक्तियों के राज्य-वार अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए आवधिक उपभोग व्यय सर्वेक्षणों पर आधारित है। अन्ततम सर्वेक्षण जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, वर्ष 1977-78 का है। अगला सर्वेक्षण 1983 में किया गया था। इस सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध होने के पश्चात्, गरीबी की रेखा से नीचे व्यक्तियों के राज्य-वार अनुमान निकाले जायेंगे। 1977-78 के अनुमान छठी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में दर्शाए गए हैं। योजना आयोग ने गरीबी की रेखा पार करने वाले व्यक्तियों के कोई राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं।

टपरीवास और विमुक्त जातियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में गलती से शामिल करना

4139. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या गृह मंत्री विमुक्त जातियों/जनजातियों को गलती से अनुसूचित जातियों में शामिल करने के बारे में 2 मई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9508 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय यह मामला किस अवस्था में है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : श्री अजीत बाग द्वारा तारीख 2 मई, 1984 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 9508 के उत्तर में बताई गई स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मामले में अन्तिम निर्णय सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से पूरी टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद लिया जाएगा।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के वाहनों द्वारा सड़क करों की अदायगी

4140. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के वाहनों को सड़क करों से छूट मिली हुई है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अदायगी ठीक समय पर की गई ;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें चूक के क्या कारण थे ;

(घ) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय ने 1981 से 1984 के दौरान जुर्माने के रूप में एक लाख रुपए से अधिक की अदायगी की ;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की लापरवाही के लिए जिम्मेवारी निर्धारित की गई है ;

(च) यदि हां, तो जुर्माने के परिणाम-स्वरूप सरकार को हुई हानि की वसूली के लिए क्या कार्यवाई की गई ;

(छ) क्या इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई उपाय किए गए हैं ; और

(ज) यदि नहीं, तो क्या ऐसे उपाय मंत्रालय के विचाराधीन हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ज) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था में एक्स-इरोक्स मशीनें

4141. **श्री के० ए० राजन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने पूरे भारत में अपने सभी कार्यालयों में कितने एक्स इरोक्स कापीयर्स प्राप्त कर रखे हैं ;

(ख) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के कार्य में इन मशीनों की जरूरत है ;

(ग) इन मशीनों पर कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ;

(घ) क्या इन मशीनों के लिए कोई "आप्रेटर" हैं, यदि नहीं तो ये मशीनें कैसे चलाई जाती हैं ;

(ङ) क्या इन मशीनों की भू-विज्ञान सम्बन्धी कर्मचारियों से, उन्हें वार्षिक मानदेय का भुगतान कर चलवाया जाता है ;

(च) यदि हां, तो क्या कार्य-भार के आधार पर पूरे भारत में एक समान मानदेय का भुगतान करने सम्बन्धी कोई नियम विद्यमान हैं ; और

(छ) क्या इन मशीनों की जरूरत का मूल्यांकन होने तक इन्हें और आगे खरीदे जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के विचाराधीन है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान के उपकरण/मशीनरी

4142. **श्री बिजयकुमार यादव** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान के पास कितने पूंजीगत उपकरण हैं और उन पर कुल कितना निवेश किया गया है ;

(ख) उनमें से कितने उपकरण गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए थे और इन मशीनों की कुल लागत कितनी है ;

(ग) जिन उपकरणों/मशीनरी की क्षमता उपयोग 50 प्रतिशत से कम हैं उनका निपटान करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या द्विरावृत्ति और बरबादी को समाप्त करने के लिए खरीद का समनव्य और सरणीकरण करने हेतु कोई केन्द्रीय निगरानी सैल है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सरकारी सेवाओं में पदोन्नति वाले पदों अथवा ग्रेडों में आरक्षण

4143. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेवाओं में उन पदों अथवा ग्रेडों में, जिनके लिए सीधी भर्ती का प्रावधान नहीं है, पदोन्नति में आरक्षण किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में योजना का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं ;

विवरण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
उन ग्रेडों अथवा सेवाओं में पदोन्नति द्वारा भरे गये पदों में जिनमें सीधी भर्ती का अंश, यदि कोई हो, 66 2/3 प्रतिशत से अधिक नहीं बैठता।		
(क) समूह ख, ग तथा घ (श्रेणी II, III, IV) में सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से	15%	7½%
(ख) समूह ख (श्रेणी II) से समूह क (श्रेणी-I) की निम्नतम सीढ़ी तथा प्रवर्ग में और समूह ख, ग तथा घ (श्रेणी II, III, तथा IV) चयन द्वारा	15%	7½%
(ग) समूह क, ख, ग तथा घ (श्रेणी I, II, III, IV) में वरिष्ठता के आधार पर उपयुक्तता के अध्यधीन	15%	7½%

अमृतसर में कार सेवा में स्वयंसेवकों का भारी संख्या में आगमन

4144. **श्री कमल नाथ** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों को कार सेवा स्वयं सेवकों के भारी संख्या में आगमन के कारण अमृतसर में सामान्य जनजीवन बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि धार्मिक समस्या हल किए जाने के प्रयासों के साथ साथ कोई घटना न घटे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) इस सम्बन्ध में प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक उपाय किए गए हैं।

संघ लोक सेवा आयोग की विज्ञापन सूची में दर्ज पश्चिम बंगाल के समाचार-पत्र

4145. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल से प्रकाशित उन समाचार पत्रों के नाम और संख्या क्या है जो संघ लोक सेवा आयोग की विज्ञापन सूची में हैं ;

(ख) क्या उक्त सूची में उत्तर बंगाल के किसी समाचार पत्र को भी शामिल किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और वे किन-किन भाषाओं में प्रकाशित किये जाते हैं ; और

(घ) क्या उनमें हिन्दी या नेपाली भाषा के कोई समाचार पत्र हैं और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा रखी जा रही विज्ञापन-सूची (मीडियालिस्ट) में संघ लोक सेवा आयोग ने पश्चिम बंगाल से प्रकाशित निम्नलिखित समाचार पत्र शामिल कर रखे हैं :—

(1) अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता (अंग्रेजी)

(2) विश्वमित्र, कलकत्ता (हिन्दी)

(3) सन्मार्ग, कलकत्ता (हिन्दी)

(4) आजाद हिन्द, कलकत्ता (उर्दू)

(5) रोजाना हिन्दी, कलकत्ता (उर्दू)

(6) युगांतर, कलकत्ता (बंगाली)

(7) बासुमती, कलकत्ता (बंगाली)

(8) कालांतर, कलकत्ता (बंगाली)

(9) पैगाम, कलकत्ता (बंगाली)

(10) आजकल, कलकत्ता (बंगाली)

(11) उत्तर बंग संवाद, सिलीगुरी (बंगाली)

(ख) जी, हां।

(ग) उत्तर बंग संवाद—बंगाली।

(घ) जी, नहीं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक 1982 के बारे में बिहार से मांगा गया स्पष्टीकरण

4146. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **गृह मंत्री** दण्ड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 1982 को सहमति के बारे में 8 अगस्त, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 260 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार से क्या विशेष स्पष्टीकरण मांगे गये थे और क्या वे प्राप्त हो गए हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) बिहार सरकार से मांगे गये स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं : —

(I) चूंकि कानून और व्यवस्था के सन्दर्भ में मामलों का विचारण करने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को शक्तियां प्रदत्त करने का प्रस्ताव है इसलिए कानून और व्यवस्था की स्थिति और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों द्वारा विचारणीय बनाए जाने वाले अपराधों में सम्बन्ध होना चाहिए। भा० दं० सं० के अधीन विभिन्न अपराध जो 3 महीने तक कारावास, अथवा 500 रु० तक जुर्माने अथवा दोनों के लिए दण्डनीय हो, चाहे वे छोटे किस्म के हों, में ऐसे अपराध शामिल हो सकते हैं जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने से सम्बन्धित न हों और इसलिए इन अपराधों का कानून और व्यवस्था स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। इसी प्रकार पुलिस अधिनियम, 1961 और बिहार लाऊडस्पीकरों को प्रयोग और चलाना नियन्त्रण अधिनियम, 1955 के अधीन अपराध कानून और व्ययस्था से सम्बन्धित हो सकते हैं परन्तु राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित सभी अन्य विशेष कानून, कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित अपराधों की श्रेणी में नहीं लाए जा सकते। इन कारणों के विचारण को कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को क्या दिए जाने का प्रस्ताव है, का भी स्पष्टीकरण किया जाए।

(II) क्या उन मामलों के विचारण के सम्बन्ध में कोई समवर्ती क्षेत्राधिकार होना चाहिए जिनको राज्य सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को सौंपना चाहती है अथवा क्या राज्य सरकार भा० दं० सं० के अन्तर्गत उन मामलों को निर्धारित करना चाहेगी जो केवल कार्यकारी मजिस्ट्रेटों द्वारा विचारणीय होंगे जैसा पंजाब और असम में किया गया है। यदि हां, तो कार्यकारी मजिस्ट्रेटों द्वारा विचारण किए जाने वाले अपराधों को विनिर्दिष्ट किया जाए।

(III) 3 वर्ष तक की कैद अथवा 1000 रु० तक जुर्माना अथवा दोनों के लिए दण्डनीय सभी विशेष कानूनों के अन्तर्गत अपराधों के विचारण को राज्य सरकार कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को क्यों सौंपना चाहती हैं, इसके कारण।

2. राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है।

पिछड़े समुदायों की जनसंख्या

4147. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में पिछड़े समुदायों की कुल जनसंख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : दस वार्षिक जनगणनाओं में पिछड़े वर्गों के बारे में जनसंख्या सम्बन्धी कोई आंकड़े एकत्र नहीं किए गए थे। केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं।

श्रीमती अरुणा आसफअली के लिए सोवियत पुरस्कार

4148. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने श्रीमती अरुणा आसफअली को "आर्डर ऑफ फ्रैंडशिप" पुरस्कार से सम्मानित किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त "आर्डर" में कोई पुरस्कार राशि भी शामिल है ; और

(ग) क्या विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार के पुरस्कारों और पुरस्कार-राशि स्वीकार करने की अनुमति है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। श्रीमती अरुणा आसफ अली को "आर्डर आफ फ्रैंडशिप् अमंग नेशन्स" नामक एक सोवितत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

(ख) इसके साथ पुरस्कार के रूप में धन नहीं दिया जाता।

(ग) चूंकि इस पुरस्कार के साथ धन नहीं दिया जाता, इसलिए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत इस पुरस्कार को स्वीकार करने पर कोई रोक नहीं है।

ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका से जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों की घुसपैठ

4149. **श्री रशीद मसूद** :

श्री बी० डी० सिंह :

क्या **गृह मन्त्री** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्रिटेन कनाडा और अमेरिका से आए खालिस्तान की अस्थायी सरकार के प्रति निष्ठा रखने वाले उग्रवादियों के उन पाकिस्तानियों के साथ, जो कश्मीर मुक्ति मोर्चे के सदस्य है अपनी विध्वंसात्मक और राष्ट्रविरोधी गतिबिधियां चलाने के लिए जम्मू और काश्मीर में सुनियोजित घुसपैठ की जानकारी दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य में, उग्रवादियों की उनके निन्दनीय कार्यों को करने के लिए, घुसपैठ को रोकने के क्या उपाय किए हैं।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) ऐसे समाचार है कि विदेशों से कुछ आतंकवादी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। सभी सम्बन्धित प्राधिकारी उचित निगरानी रख रहे हैं।

सिख गुरुद्वारा अधिनियम के अन्तर्गत शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के कार्य और कर्तव्य

4150. **श्री जी० एस० निहाल सिंह वाला** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्ख गुरुद्वारा अधिनियम, के अन्तर्गत गठित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के कार्य और कर्तव्य क्या हैं ;

(ख) क्या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी अपने कर्तव्यों का निर्वाह अधिनियम के अनुसार करती रही है ;

(ग) यदि हां, तो पूजा स्थलों में हथियार जमा करने, बंकर बनाने और अपराधियों और उग्रवादियों को शरण देने के मामले इसकी स्थिति के कैसे अनुरूप हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस निकाय के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति जो सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में बोर्ड के नाम से उल्लिखित है, अधिनियम की धारा 85 और 86 (2) में विनिर्दिष्ट कुछ महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक गुरुद्वारों का प्रबन्ध सीधे करती है और अन्य अधिसूचित गुरुद्वारों के सम्बन्ध में अधिनियम के तहत नियुक्त प्रबन्धक समितियों को नियन्त्रित करने, निदेश देने और सामान्य अधीक्षण करने का प्राधिकारी भी है। बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य अधिनियम के अध्याय में निहित हैं।

(ख) से (घ) अधिनियम का उद्देश्य, इसके तहत आने वाले गुरुद्वारों को बेहतर प्रशासन प्रदान करना है। तथापि यह सच है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति ने उसके प्रबन्ध और नियंत्रणाधीन स्वर्ण मन्दिर और अन्य गुरुद्वारों का शस्त्र एकत्रित करने के लिए और कानून की दृष्टि में जिन व्यक्तियों की जरूरत थी उनको शरण देने के लिए दुरुपयोग होने दिया। अधिनियय में इस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कि इस प्रकार की स्थिति में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। तथापि, इन मामलों के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष श्री जी० एस० तोहरा के विरुद्ध अमृतसर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।

कम्प्यूटरों का आयात और निर्यात

4151. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कुल कितने कम्प्यूटरों का आयात किया गया और उन विदेशी कंपनियों के नाम क्या हैं जिनसे इनका आयात किया गया ;

(ख) प्रत्येक कम्प्यूटर की विदेशी मुद्रा में कीमत कितनी है ;

(ग) क्या पिछले तीन बर्षों के दौरान उपरोक्त में से कुछ कम्प्यूटरों का निर्यात सोवियत संघ को किया गया है ;

(घ) क्या सोवियत संघ को रुपयों के रूप में भुगतान की शर्त के अन्तर्गत यह नियत किया गया है, यदि हां, तो कुल कितने मूल्य का निर्यात किया गया ;

(ङ) क्या यह सच है कि सोवियत संघ विदेशी मुद्रा में अन्य देशों को इस प्रकार के कम्प्यूटरों का पुनर्निर्यात कर रहा है ; और

(च) यदि हां, तो दोनों तरह से भारत को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है, और इस प्रकार के नुकसान को रोकने के लिए क्या कार्रवाही की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम०एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) जिन कम्प्यूटरों का मूल्य 5 लाख रु० तथा उससे अधिक है उनके आयात के लिए वर्ष 1981, 1982 तथा 1983 के दौरान जितने कम्प्यूतरों की अनुमति दी गई उनकी कुल संख्या और उसमें अन्तर्ग्रस्त कुल विदेशी मुद्रा के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

	1981	1982	1983
कुल संख्या	22	51	10
विदेशी मुद्रा की कुल राशि जिसकी अनुमति दी गई (करोड़ रु० में)।	27.8	27.6	5.0

जहां तक विदेशी कम्पनियों के नाम, जिनसे इन कम्प्यूटरों का आयात किया गया था, तथा प्रत्येक कम्यूटर में विदेशी मुद्रा के रूप में लगने वाले मूल्य का प्रश्न है, सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित कम्प्यूटरों को सोवियत संघ को निर्यात करने के सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) से (च) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली के बिक्री कर विभाग द्वारा कैम्पा कोला को क्राउन कैप प्रतियोगिता के विरुद्ध कार्यवाही

4152. **श्री अब्दुल रशीद काबुली** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के उपायुयत ने कैम्पा कोला (प्योर ड्रिन्कस का उत्पादन) बिक्री कर

की क्राउन कैप प्रतियोगिता की कानूनी रूप से वैधता न होने के विरुद्ध कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि नहीं, तो पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, 1955 में इस प्रकार के "गेम्स आफ चांस" और लाटरी के विरुद्ध स्पष्ट उपबन्ध होने के बावजूद भी कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार प्रशासन के बिक्री कर उपायुक्त को दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में यथा प्रवृत्त मद्रास चिट फंड अधिनियम, 1961 के अधीन पंजीकरण के रूप में नियुक्त किया गया है। पंजीकरण चिटफण्ड को पारितोषिक प्रतियोगिता अधिनियम, 1955 के अधीन लाइसेंसिंग प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। चूंकि कैम्पा कोला (एक शुद्ध पेय उत्पाद) का क्राउन कैप कन्टेस्ट जैसा कि समाचार पत्र में दिया गया है, पारितोषिक प्रतियोगिता अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आता इसलिए इस मामले में लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं नहीं उठता।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी को मसूरी से स्थानान्तरित करना

4153. **श्री विष्णु प्रसाद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी को मसूरी से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) सरकार लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही है। किन्तु इसे किसी अन्य स्थान पर ले जाए जाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

बम्बई में हरित भूखण्डों और मैदानों को भवन-भुखण्डों में बदलना

4154. **श्री आर० आर० भोले** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बृहत्तर बम्बई में बहुत से हरित भूखण्डों तथा मैदानों को भवन भूखण्डों में बदला जा रहा है और क्या यह पर्यावरण को बनाए रखने अथवा उसमें सुधार करने के विरुद्ध नहीं है ; और

(ख) क्या भवन निर्माताओं को आसानी से और अधिक अनुदान दिया जा रहा था जिसके कारण पर्यावरण सम्बन्धी विकास के लिए खतरा बढ़ रहा है और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस को रोकेगी ?

पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, यह सही नहीं है कि वृहत्तर बम्बई में बहुत से हरित भूखण्ड तथा मैदान भवन-

भूखण्डों में बदले जा रहे हैं। महाराष्ट्र क्षेत्रीय तथा नगर योजना अधिनियम, 1966 के तहत प्रक्रिया के अनुसरण के बाद, सिर्फ एक मामले में ही सर्वेक्षण संख्या 318 (भाग) बान्द्रा की जमीन एक सहकारी आवास निर्माण समिति (कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी) को मनोरंजन-मैदान से आवासीय प्रयोजन के लिए नियुक्त की गई।

(ख) राज्य सरकार, बृहत्तर बम्बई में हरित स्थानों के परिरक्षण तथा पर्यावरण ह्रास के प्रश्न से सचेत है।

भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों के अनुशासनात्मक मामलों का संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाना

4155. **श्री के० लक्कप्पा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से सम्बन्धित वेतन और भत्तों की अदायगी सहित विभिन्न अनुशासनात्मक कार्यबाहियों के बारे में कुल कितने मामले 1983 और 1984 के दौरान सलाह समिति के लिए संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गए ;

(ख) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने इस बीच सभी मामलों पर अपनी राय भेज दी है।

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इन मामलों से कितने अधिकारी सम्बन्धित हैं और वे किस-किस राज्य संवर्ग के हैं ; और

(घ) संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को अक्षरश: और निष्ठापूर्वक शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) 1-1-83 से 14-8-84 की अवधि के दौरान, भारतीय प्रशासनिक सेवा से सम्बन्धित 22 अनुशासनिक मामले, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की सलाह के लिए उन्हें भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल संवर्ग को आबंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी से सम्बन्धित एक मामले में आयोग ने 1983 में अनुशासनिक कार्यवाहियों के रद्द किए जाने के फलस्वरूप वेतन तथा भत्तों का भुगतान किए जाने की राय दी थी।

(ख) भाग (क) में उल्लिखित 22 अनुशासनिक मामलों के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :—

	मामलों की संख्या
(i) जिनमें आयोग ने कोई दण्ड लगाए जाने की सलाह दी	8
(ii) वे मामले जो आयोग ने अतिरिक्त स्पष्टीकरण/सूचना/कागजात मंगाने के लिए लौटा दिए	5

(iii) सरकार द्वारा वापस लिए गए मामले	4
(iv) आयोग के पास लम्बित मामले	5
	22

(ग) इन मामलों का संवर्ग-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

आंध्र प्रदेश	2
बिहार	1
हरियाणा	1
कर्नाटक	3
मध्य प्रदेश	1
महाराष्ट्र	2
उड़ीसा	2
राजस्थान	1
सिक्किम	1
तमिलनाडु	7
उत्तर प्रदेश	1

(घ) संघ लोक सेवा आयोग से सलाह प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी मामले में निर्णय लेता है। किन्तु जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी का मत भिन्न हो तो वह मामले को आयोग के पुनर्विचार के लिए उन्हें भेजता है। यदि सक्षम प्राधिकारी आयोग की सलाह से अन्त तक भी सहमत नहीं होता है तो उस मामले को आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल कर लिया जाता है जो आयोग से असहमति के कारण स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित सदन के पटल पर रख दी जाती है। सरकार ने समय-समय पर पर अनुदेश जारी किए हैं जिनमें अनुशासनिक प्राधिकारियों आदि पर यह बल दिया गया है कि वे अनुशासनिक मामलो के शीघ्र निपटान का ध्यान रखें। विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई के सम्बन्ध में सूचना केन्द्रीकृत रूप में नहीं रखी जाती।

दिल्ली महानगर परिषद को हिन्दी के प्रयोग के बारे में अनुदेश

4156. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली महानगर परिषद में हिन्दी की उपेक्षा की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अनुदेश जारी किए हैं कि हिन्दी को पूरा सम्मान प्रदान किया जाए ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डच टेलीवीजन जर्नलिस्ट पर खर्च की गयी धनराशि

4157. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डच टेलीवीजन जर्नलिस्ट पर जो अप्रैल में प्रधान मन्त्री का साक्षात्कार लेने हेतु भारत आया था, एक लाख रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) विदेश के समाचार जगत के प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रित करने के विदेश मंत्रालय के नियमित कार्यक्रम के अधीन, नीदरलैंड के नोस टेलीविजन कारपोरेशन के एशियाई खंड के सम्पादक श्री ड्रिक ड्रैगेस्ट्रा मार्च, 1984 में 10 दिन की भारत यात्रा पर आए थे। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने प्रधानमन्त्री का इन्टरव्यू लिया और देश के विभिन्न भागों के बहुत से अधिकारियों से भी वे मिले।

उनकी यात्रा पर पैंतीस हजार एक सौ छत्तीस (35136) रुपये खर्च हुए।

(ख) श्री ड्रैगेस्ट्रा की यात्रा, डच लोगों को भारत के आधुनिक विकास और उपलब्धियों से अवगत कराने में उपयोगी सिद्ध हुई है।

नेपाली विदेश मन्त्री के साथ हुई वार्ता

4158. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** :

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी ;

(ख) आपसी-हितों के किन विषयों पर चर्चा हुई ;

(ग) क्या संयुक्त आयोग बनाये जाने की बात कही गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं और ऐसा कब तक किया जाएगा ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) जी हां। नेपाल के विदेश मन्त्री ने 12 से 14 जुलाई, 1984 तक नई दिल्ली की यात्रा की। भारत और नेपाल के विदेश

मंत्रियों के बीच वार्ता के दो दौर हुए जिनके दौरान कुछ ऐसी परियोजनाओं पर विचार-विमर्श हुआ जिनमें भारत नेपाल की सहायता कर रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कर्नाली तथा पंचेश्वर परियोजनाओं के बारे में सचिव स्तर की अद्यत बैठकों में संबद्ध मामलों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

अन्य जिन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ, उनमें दोहरे कराधान के परिहार सम्बन्धी प्रस्तावित करार, नेपाल में भारतीय बैंक को शाखाएं खोलने की अनुमति देना, सीमेंट सन्यन्त्र का एक संयुक्त उद्यम, रेल सम्पर्क आदि शामिल है। दोनों विदेश मंत्रियों ने भारत-नेपाल संयुक्त आयोग स्थापित करने की अपने पहले की सहमति की पुनः पुष्टि की। यद्यपि संयुक्त आयोग के विस्तृत विचारार्थ विषयों पर पहले ही विचार-विमर्श किया गया था और उन पर सहमति भी हो गई थी, फिर भी नेपाल के विदेश मंत्री पर इस बात के लिए जोर डाला गया कि प्रस्तावित संयुक्त आयोग को सफलतापूर्वक कार्य-संचालन का सुनिश्चय करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यापार, पारगमन, जल संसाधन आदि जैसे मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए सम्पन्न विभिन्न करारों और समझौतों के अन्तर्गत गठित विद्यमान भारत-नेपाल समितियों को प्रस्तावित संयुक्त आयोग की परिधि के अन्दर लाया जाय और इन्हें उक्त आयोग के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। अन्तिम प्रलेख पर परस्पर सुविधाजनक तारीख को हस्ताक्षर किए जाएंगे।

समुद्र तट पानी के पास द्वारिका का पाया जाना

4159. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के समुद्री पुरातत्व एकक ने द्वारिका में समुद्र तट के पास मन्दिरों के अवशेष खोजे हैं ;

(ख) क्या इस खोज से प्राचीन पोतों के ध्वंसावशेषों का भी पता चलता है ;

(ग) क्या इस क्षेत्र में खोज कार्य जारी रखने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली द्वारा धन-पोषित "भारतीय समुद्र में समुद्रीय पुरातत्वीय खोज" नामक एक परियोजना राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोआ की समुद्रीय पुरातत्व यूनिट द्वारा जून, 1981 से कार्यान्वित की जा रही है। इसमें पूर्वेक्षण करके प्राचीन पोत-अवशेषों को बाहर निकालने और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उन बन्दरगाहों और मन्दिरों, जो समुद्र में जलमग्न हो गये थे, की खोज और खुदाई का कार्य भी शामिल हैं।

समुद्रीय पुरातत्व यूनिट द्वारा प्राप्त किये गए परिणामों की पुष्टि के लिए और खोज करना जरूरी है।

विदेशों में कार्यरत भारतीयों की संख्या

4160. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने भारतीय (राज्य-वार) विदेशों में कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) उनमें से कितने भारतीयों को रोजगार मिल गया है और उनमें से कितने भारतीय व्यापार कर रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) विदेश में कार्य कर रहे भारतीय कामगारों की राज्य-वार संख्या के बारे में सरकार के पास निश्चित सूचना नहीं है। सरकार ने इसे आवश्यक नहीं समझा है कि राज्यवार पृथकता पर बल दिया आए। 1979 से जून, 1984 के बीच जिन भारतीय कार्मिकों को उत्प्रवासन अनुमति प्रदान की गई उनकी कुल संख्या नीचे दी गई है :

1979	171,000
1980	236,200
1981	276,000
1982	239,545
1983	224,995
1984	100,211 (30 जून तक)

भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा ई० 10 बी इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों का निर्माण

4161. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा फ्रांस की सी० आई० टी० अलकाटेल के सहयोग से ई० 10 बी० इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्स्चेंज बनाने के प्रस्ताव से देश में तकनीकी जानकारी के आयात की पुनरावृत्ति को रोकने सम्बन्धी प्रौद्योगिकी नीति का उल्लंघन नहीं होता क्योंकि भारतीय कल पुर्जे उद्योग बनाने की प्रौद्योधिकी पहले ही प्राप्त कर ली है ; और

(ख) देश में स्थापित क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

इलेक्टानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा फ्रांस के मैसर्स सी० आई० टी० अल्केटल के तकनीकी सहयोग से ई०-10 बी अंकीय इलेक्ट्रॉनिक स्विचन प्रणालियों/टेलीफोन केन्द्रों के प्रस्तावित

विनिर्माण में देश द्वारा पहली बार प्रौद्योगिकी का आयात किया जा रहा है, क्योंकि न तो घरेलू प्रौद्योगिकों और न ही विदेशी प्रौद्योगिकी के आधार पर आज ऐसे केन्द्रों का विनिर्माण हो रहा है। जहां तक इन अंकीय एक्सचेंजों में प्रयुक्त होने वाले संघटकों-पुर्जों के विनिर्माण का प्रश्न है, भारतीय टेलीफोन उद्योग को कुछ किस्म के संघटक पुर्जों के उत्पादन के लिए अपने ही यहां उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। किन्तु सरकार यह चाहती है कि विभिन्नप्रतिष्ठित संघटक-पुर्जा विनिर्माताओं द्वारा प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उन संघटक-पुर्जों के लिए प्रौद्योगिकी जानकारी के बारम्बार किए जाने वाले आयात से बचा जाए। इस उद्देश्य से, इलेक्ट्रानिकी विभाग न केवल स्वयं बल्कि इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों उद्योग संघ (एलिसना) के माध्यम से भारतीय टेलीफोन उद्योग तथा हमारे देश के इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों विनिर्माताओं के बीच आपस में मिलकर कार्य करने को बढ़ावा दे रहा है। इलेक्ट्रानिकी विभाग ई०-10 बी० एक्सचेंजों के लिए भारतीय टेलीफोन उद्योग के चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम की समीक्षा भी इस बात का सुनिश्चिय करने के लिए कर रहा है कि भारतीय टेलीफोन उद्योग के अलावा अन्य स्थानों में संघटक-पुर्जों के उत्पादन की क्षमता चाहे वह इस समय विद्यमान है अथवा जो प्राप्त की जा रही है, दोनों ही, का पूरा-पूरा उपयोग हो सके। भारतीय टेलीफोन उद्योग के ई०-10 बी० एक्सचेंजों के विनिर्माण कार्यक्रम के लिए जिस किस्म के सघटक-पुर्जों की आवश्यकता है, उनकी उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के लिए उद्यमकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले उपायों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए भी इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें और अधिक विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात भी शामिल है। ई०-10 बी० उत्पादन कार्यक्रम में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के संघटक-पुर्जों का घरेलू उत्पादन अधिकाधिक करने की विस्तृत कार्य योजना को अन्तिम रूप देते समय प्रौद्योगिकी नीति सम्बन्धी वक्तव्य पर समुचित ध्यान दिया जाएगा।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वेस्टर्न घाट स्थित राज्यों को धनराशि का आबंटन

4162. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेस्टर्न घाट क्षेत्र के समेकित विकास की योजना के अन्तर्गत वेस्टर्न घाट के विभिन्न राज्यों को पिछले पांच वर्षों के दौरान पुलों सड़कों पैदल-पार पुलों और अन्य कार्यों जैसी विभिन्न श्रेणियों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(ख) उक्त योजना का प्रमुख प्रयोजन क्या है ;

(ग) क्या उक्त योजनाओं के अंतर्गत ऐसे कार्यक्रम हैं जो तकरीबन राज्य की योजनाओं से मिलते-जुलते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) विभिन्न राज्यों को पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के लिए आवंटित की गई धनराशियां और राशियों के क्षेत्रक वार वितरण नीचे विवरण में दिए गए हैं :

1980-85+ में आवंटन

क्र० सं०	क्षेत्रक	राज्य				
		महाराष्ट्र	कर्नाटक	तमिलनाडु	केरल	गोवा
		(लाख रु०)				
1.	उद्यान कृषि और जल विभाजक प्रबंध सहित कृषि	973.39	334.07	311.63	512.69	80.87
2.	पशु पालन और डेरी विकास	48.84	39.10	32.61	219.03	12.57
3.	वन	533.17	297.87	68 .48	639.34	19.17
4.	लघु सिंचाई	406.19	258.58	—	—	72.98
5.	खादी ग्रामोद्योग और रेशम कीट पालन सहित उद्योग	87.97	262.35	—	—	—
6.	सड़कें और पुल	346.75	139.34	233.67	49.64	193.39
7.	पर्यटन	—	73.11	0.14	81.25	—
8.	पश्चिमी घाट एकक	9.32	10.98	1.53	4.23	—
9.	विविध	11.26	5.60	—	25.75	—
	कुल	2416.89	1421.00	1266.06	1531.93	378.98

+1980-84 के लिए परिशोधित आवंटन और 1984-85 के लिए अनुमोदित परिव्यय।

(ख) इस स्कीम का मुख्य प्रयोजन पश्चिमी घाट क्षेत्र की परिस्थितिकी का विनाश किए बिना इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में पहाड़ी संसाधनों के संरक्षण और उपयुक्त उपयोग पर बल दिया गया है। पारिस्थिति की संरक्षण और पुनः स्थापन के महत्व को ध्यान में रखते हुए लाभ-पूर्वाभिमुख और अन्य स्कीमों के बीच संतुलन का प्रयत्न किया गया है ;

(ग) जी, हां। कुछ स्कीमें हैं जो राज्य योजना स्कीमों जैसी ही हैं।

(घ) भूस्वामियों को राज सहायता सहित भू-संरक्षण जैसी स्कीमें, फल उद्यानों के मालिकों को राज सहायता सहित बागवानी विकास स्कीमें, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, दस्तकारों/कामगारों को प्रशिक्षण तथा औद्योगिक संगठन/कृषि सहकारिता और पौध रोपण जैसी ऐसी कुछ स्कीमें हैं जो या तो एक सी हैं अथवा समान हैं।

सीमा सुरक्षा बल अधिनियम में संशोधन

4163. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों द्वारा तस्करों अथवा जासूसों के प्रति नरमी बरतने अथवा उनके साथ सांठ-गांठ करने को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल अधिनियम में संशोधन करने का विचार है :

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सरकार यह जांच कर रही है कि क्या इस प्रयोजन के लिए सीमा सुरक्षा बल अधिनियम में कोई संशोधन करना आवश्यक है।

रंगीन टी० वी० के मूल्य की अधिकतम सीमा निर्धारित करना

4164. **श्री आनन्द सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने रंगीन टी० वी० सेटों के मूल्य की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसा करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा निर्धारित किया गया मूल्य गारंटी की अवधि के प्रभारों सहित है या होगा ; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एशियाई खेलों के दौरान रंगीन टी० वी० का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से बढ़ गया था ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) सरकार ने रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण की प्रगति की समीक्षा करने तथा उस पर निगरानी रखने के लिए सचिव, इलेक्ट्रांनिकी विभाग की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें सचिव (सूचना एवं प्रसारण), सचिव (वित्त), सचिव (औद्योगिक विकास), विकास आयुक्त, लघु उद्योग, आयात एवं निर्यात मुख्य नियंत्रक, प्रबंध निदेशक, इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेकनोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन, अध्यक्ष, भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ तथा अध्यक्ष, इलेक्ट्रानिकी संघटक-पुर्जा उद्योग संघ को शामिल किया गया है। सरकार ने रंगीन दूरदर्शन सेटों के मूल्यों की कोई अधिकतम सीमा नहीं निश्चित की है। किन्तु, 16 अगस्त 1984 को आयोजित समिति की बैठक में रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए ली जाने वाली अधिकतम कीमत के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया। इलेक्ट्रानिकी विभाग के कहने पर भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ ने यह पुष्टि की है कि उनके सदस्य 15 अक्तूबर. 1984 तक 51 से० मी० पर्दे के आकार वाले इलेक्ट्रानिक ट्यूनर सहित रंगीन दूरदर्शन सेट 7500 रु० के उपभोक्ता मूल्य पर तथा उसी आकार के मेकेनिकल ट्यूनर सहित सेट 7500 रु०

के उपभोक्ता मूल्य पर बाजार में प्रस्तुत करेंगे। इन मूल्यों में 12 महीनों की समाश्वासन सेवाएं भी शामिल होंगी।

(घ) एशियाड के दौरान संयोजित किए गए एवं बेचे गए रंगीन दूरदर्शन सेटों के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ये शिकायतें डीलरों के विरुद्ध थीं न कि रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माताओं के विरुद्ध थीं। अतः सम्बन्धित विनिर्माताओं को सलाह दी गई थी कि वचनबद्धता भंग करने के लिए डीलरों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाए। तथापि, आयात व्यापार नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए आयात लाइसेंस के एक अंश के रूप में प्रत्येक विनिर्माता ने शपथ दी थी कि वह अपने डीलरों से इस आशय की बचनद्धता लेगा कि अन्य उपभोक्ता को सरकार द्वारा निश्चित कीमतों पर रंगीन दूरदर्शन सेट मिलेंगे।

एक ही प्रकार की प्रौद्योगिकी का बार-बार आयात

4165. **श्री जार्ज जोसफ मुंडावल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या संगठित क्षेत्र में अनेक निर्माण कर्त्ता पहले ही कनेक्टर और रिले का निर्माण कर रहे हैं और उनका क्षमता-उपयोग बहुत कम है अर्थात् 30 प्रतिशत कनेकटर और रिले अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशिष्टताओं के साथ बनाए जाते हैं और उनमें से अनेक रक्षा और डाक-तार विभाग द्वारा मंजूरशुदा हैं ;

(ख) भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा कनेकटर और जिले के निर्माण के लिए तकनीकी जानकारी और सुविधाओं के लिए ऊंची लागत पर बार-बार एक ही प्रौद्योगिकी का आयात क्यों किया जाता है ; और

(ग) क्या एक ही प्रकार की प्रौद्योगिकी के बार-बार आयात के निर्णय से वर्तमान निर्माताओं उनके उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ता है और उन्हें फैक्टरी बन्द करने के लिए मजबूर करता है जिससे बेरोजगारी पैदा होगी ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हां। इस समय ऐसी तीन प्रमुख कम्पनियां हैं जिनके पास विभिन्न प्रकार के कनेक्टरों का विनिर्माण करने के लिए लाइसेंस हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कम्पनियों की लाइसेंसीकृत क्षमता तथा किया गया उत्पादन (उत्पादन का मूल्य कोष्ठकों में करोड़ रुपयों में दिया गया है) नीचे दिए अनुसार है :—

क्रम सं०	नाम	लाइसेंस क्षमता (दस लाख संख्या में)	उत्पादन (दस लाख संख्या में)		
			1981	1982	1983
1.	एमफेट्रॉनिक्स, पुणे	1·014	0·399 (2·47)	0·392 (2·64)	0·335 (2·03)
2.	हैदराबाद कनेक्ट्रॉनिक्स हैदराबाद	1·60	0·244 (0·72)	0·244 (0·82)	0·278 (1·21)
3.	ओ०/ई०/एन० कनेक्टर्स, कोचीन	0·50	शून्य	शून्य परीक्षण के तौर पर उत्पादन	

रिले के बारे निम्नलिखित दो कम्पनियों को रिलों का विनिर्माण करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कम्पनियों की लाइसेंसीकृत क्षमता तथा किया गया उत्पादन (उत्पादन का मूल्य कोष्ठकों में करोड़ रुपयों में दिया गया है) नीचे दिए अनुसार है :—

क्रम सं०	नाम	औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र की क्षमता (दस लाख संख्या में)	उत्पादन (दस लाख संख्या में) 1981	1982	1983
1.	ओ०/ई०/एन० कोचीन सील्ड रिले	0·3 (आ० लाइ०) 0·5 (आ० पत्र)	0·20 (1·20)	0·34 (1·89)	0·33 (1·75)
2.	इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च प्रा०, लिमिटेड, पालघाट	0·05 (आ० पत्र)	उपलब्ध नहीं (0·86)	(0·64)	(0·17)

उपर्युक्त उल्लिखित इकाइयों के अलावा, लघु उद्योग क्षेत्र में ऐसी कुछ इकाइयां हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पनी नेन्ट्स एक स्टेण्डर्डफिकेश आर्गेनाइजेशन ने प्रतिरक्षा उपस्करों में उपयोग के लिए उपयुक्त संयुक्त सभाओं मानकों के अनुसार कनेक्टरों का उत्पादन करने के लिए अनुमोदन प्रदान किए हैं। जहां तक रिलों का सम्बन्ध है, लघु उद्योग क्षेत्र में ऐसी कुछ इकाइयां हैं जो व्यावसायिक विशिष्टियों के अनुसार रिलों का उत्पादन कर रही हैं।

(ख) तथा (ग) भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड ने अंकीय इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों के विनिर्माण के लिए सी० आई० टी०—अल्केटिल, फ्रांस के साथ एक तकनीकी सहयोग करार किया है। इस सहयोग में नीचे दिए अनुसार विशेष संघटक-पुर्जों के विनिर्माण के लिए सहयोगकर्ता से प्रौद्योगिकी का अन्तरण करने की व्यवस्था भी है : कनेक्टरों, रिलों, हाइब्रिड परिपथों और मुद्रित परिपथ बोर्डों/एकीकृत विनिर्माण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में भारतीय टेलीफोन उद्योग के मंकनपुर, गोण्डा जिला स्थित इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के नए विनिर्माण संयन्त्र में कुछ कनेक्टरों व रिलों का विनिर्माण किया जाएगा।

चूंकि यह महसूस किया गया था कि गोण्डा सन्यन्त्र की इन संघटक-पुर्जों की भारी मांग को पूरा करने के लिए इन संघटक-पुर्जों के विनिर्माण के लिए विद्यमान प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिक पर्याप्त नहीं होगा और सी० आई० टी० के अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी एक्सचेंजों के विनिर्माण के लिए आवश्यक एकदम समान प्रकार के अनेक कनेक्टरों और रिलों का उपर्युक्त (क) और (ख) में उल्लिखित हमारे विशिष्ट संघटक-पुर्जा विनिर्माताओं द्वारा इस समय विनिर्माण नहीं किया जा रहा है, इसलिए सरकार गोण्डा संयंत्र में कनेक्टरों तथा रिलों के अन्तः संयंत्र विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का आयात किए जाने के भारतीय टेलीफोन के उपयोग प्रस्ताव पर सहमत हो गई थी। तथापि, सरकार द्वारा ऐसे

विद्यमान संघटक पुर्जों के विनिर्माताओं को सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज विनिर्माता परियोजनाओं के लिए आवश्यक सही किस्मों के कनेक्टरों तथा रिलों व अन्य संघटक-पुर्जों के निर्माण को बढ़ाने के लिए हर प्रकार से बढ़ावा दिया जाएगा।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना का कार्यान्वयन

4166. **श्री गदाधर साहा :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

श्री डूमर लाल बैठा :

क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को विशेष घटक योजना के अन्तर्गत योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यवार, संघ शासित क्षेत्र-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि दी गई है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार, संघ शासित क्षेत्रवार और वर्षवार अनुसूचित जातियों के कितने परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ग) विशेष घटक योजना के अधीन जरूरत पर आधारित कार्यक्रम और विभिन्न सामान्य क्षेत्रों के अन्तर्गत राज्यवार, संघ शासित क्षेत्र-वार और वर्ष-वार, व्यावसायिक वर्गों, कृषि श्रमिकों, लघु और सीमान्त किसानों, चमड़ा कारीगरों बुनकरों, मछुआरों आदि की श्रेणी में वास्तव में अनुसूचित जातियों के कितने परिवार लाभान्वित हुए ; और

(घ) उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान यदि कोई कठिनाइयां महसूस की गई हैं, तो वे क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण—1, 2 और 3 में दी गई हैं।

(घ) किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र ने विशेष घटक योजना के अन्तर्गत स्कीमों के कार्यान्वयन के दौरान कोई मुख्य कठिनाई सूचित नहीं की है।

छठी योजना आयोग में भारी जल संयन्त्रों में पूंजी-निवेश

4167. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान (वर्ष-वार) तालेचेर, कोटा, बड़ौदा और तूती तूतीकोरन भारी जल संयंत्रों में पूंजी निवेश तथा पूंजीगत लागत और अन्य खर्च के रूप में कितनी पूंजी लगाई गई ;

(ख) उक्त योजना अवधि के दौरान इन भारी जल संयंत्रों से शुद्ध लाभ क्या हुआ ; और

विवरण—1

1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता।

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1981-82	1982-83	1983-84	जोड़ (कालम 3-5)
1.	आंध्र प्रदेश	741.00	967.85	1132.60	2841.45
2.	असम	99.30	97.41	132.52	329.23
3.	बिहार	967.32	1104.59	1104.21	3176.12
4.	गुजरात	240.71	268.71	256.84	766.26
5.	हरियाणा	241.71	244.56	284.58	770.85
6.	हिमाचल	105.88	129.62	137.74	373.24
7.	कर्नाटक	650.70	802.13	723.76	2176.59
8.	केरल	262.25	277.97	273.97	814.19
9.	मध्य प्रदेश	747.47	760.24	775.30	2283.01
10.	महाराष्ट्र	643.77	608.81	922.14	2174.74

11. मणिपुर	2.11	2.39	2.29	6.79
12. उड़ीसा	528.53	480.21	544.54	1553.28
13. पंजाब	533.66	436.62	529.49	1499.77
14. राजस्थान	503.79	634.98	744.21	1882.98
15. सिक्किम	1.62	1.61	1.19	4.42
16. तमिलनाडु	864.34	985.32	1050.42	2900.08
17. त्रिपुरा	28.93	29.63	32.78	91.34
18. उत्तर प्रदेश	2821.66	2653.63	3042.80	8821.09
18. पश्चिम बंगाल	644.42	1093.31	1170.80	3208.53
20. जम्मू और कश्मीर	—	34.12	44.01	78.13
21. दिल्ली	58.08	67.42	76.83	202.33
22. चण्डीगढ़	2.38	2.28	2.87	7.53
23. पांडिचेरी	10.37	11.72	12.40	34.49
24. गोवा, दमन और दीव	—	1.87	1.71	3.58
जोड़	11000.00	12000.00	13000.00	36000.00

विवरण—2

वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों के लक्ष्य का विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित का नाम	1981-82, का लक्ष्य	1982-83 का लक्ष्य	1983-84 का लक्ष्य
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	138000	250000	284000
2.	असम	18317	24071	33612
3.	बिहार	89904	215513	273000
4.	गुजरात	55000	55000	55000
5.	हरियाणा	55396	62268	64123
6.	हिमाचल प्रदेश	21335	25000	31510
7.	जम्मू और कश्मीर	—*	7000	14500
8.	कर्नाटक	118030	160196	145796
9.	केरल	40850	40605	52000
10.	मध्य प्रदेश	172000	185000	196900
11.	महाराष्ट्र	115940	186634	110953
12.	मणिपुर	235	1277	1405
13.	उड़ीसा	80214	96576	99581
14.	पंजाब	90000	84914	96431
15.	राजस्थान	83400	102500	112000
16.	सिक्किम	340	900	1000
17.	तमिलनाडु	180000	160060	180000

1	2	3	4	5
18.	त्रिपुरा	5000	138944	5471
19.	उत्तर प्रदेश	450000	450000	450000
20.	पश्चिम बंगाल	163643	227200	278470
21.	चण्डीगढ़	—*	920	375
22.	दिल्ली	5959	10418	9000
23.	गोवा, दमन और दीव	—*	1724	2428
24.	पांडिचेरी	2000	2500	2500
	जोड़	1885563	2488217	2498155

*आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

विवरण-3

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1981-82*	1982-83@	1983-84@
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	105150	241875	273676
2.	असम	13474	22023	245226
3.	बिहार	151000	148514	172806
4.	गुजरात	66023	87522	82267
5.	हरियाणा	56774	47575	58958
6.	हिमाचल प्रदेश	25802	94737	31935
7.	जम्मू व कश्मीर	—	2349	4696
8.	कर्नाटक	86737	93937	140034

1	2	3	4	5
9.	केरल	33836	37804	55778
10.	मध्य प्रदेश	50181	110556	231537
11.	महाराष्ट्र	153881	192441	326305
12.	मणिपुर	235	415	948
13.	उड़ीसा	80265	101624	110793
14.	पंजाब	81956	84452	91608
15.	राजस्थान	93238	137023	125704
16.	सिक्किम	340	948	764
17.	तमिलनाडु	211000	156846	223655
18.	त्रिपुरा	5025	6042	10941
19.	उत्तर प्रदेश	360586	375238	514254
20.	पश्चिम बंगाल	141722	254765	212800
21.	चण्डीगढ़	—	923	862
22.	दिल्ली	6228	9473	7625
23.	गोवा दमन और दीव	—	803	2520
24.	पांडिचेरी	445	1675	1949
	जोड़	1753898	2209540	2707017

अस्थाई

टिप्पणी *—आंकड़े विशेष घटक योजना दस्तावेज 1984-85 के अन्तिम प्रारूप से लिए गए।

@—इस मन्त्रालय को सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा सूचित किए गए आंकड़े।

(ग) इन भारी जल संयंत्रों के कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) छठी योजना की अवधि (1980-85) में विभिन्न भारी पानी संयंत्रों पर वर्ष-वार हुआ खर्च नीचे बताया जा रहा है (आंकड़े लाख रुपयों में व्यक्त हैं) :—

				बजट अनुमान	
	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
I. पूंजीगत व्यय					
1. भारी पानी परियोजना (बड़ौदा)	165.42	—	—	—	—
2. भारी पानी परियोजना (तूतीकोरिन)	58.30	—	—	—	—
3. भारी पानी परियोजना (कोटा)	285.30	450.41	621.96	494.02	600.00
4. भारी पानी परियोजना (तलचर)	388.14	529.59	612.70	641.44	291.91
II. पचालन व्यय					
1. भारी पानी परियोजना (बड़ौदा)	319.28	610.37	461.80	686.47	900.00
2. भारी पानी परियोजना (तूतीकोरिन)	342.84	448.39	497.10	537.54	850.00
3. भारी पानी परियोजना (कोटा)	—	—	—	—	—
4. भारी पानी परियोजना (तलचर)	—	—	—	—	—

(ख) बड़ौदा और तूतीकोरिन के संयंत्रों में तैयार हुआ भारी पानी परमाणु बिजलीघरों में काम में लाया जा रहा है। कोटा और तलचर में भारी पानी संयंत्रों को चालू करने की कार्यवाही चल रही है। संयंत्रों को चालू करने और चलाने से जो जानकारी मिली है वह नए भारी पानी संयंत्रों के डिजायन बनाने और उन्हें चलाने के लिए बहुमूल्य है। थाल और मानुगुरु में संयंत्र क्रमशः तूतिकोरिन और कोटा के भारी पानी संयंत्रों से मिले अनुभव के आधार पर लगाए जा रहे हैं।

(ग) पहले लगाए गए संयंत्रों में सामने आई विभिन्न बाधाओं और कमियों को दूर करने के जो उपाय खोजे जा चुके हैं उन्हें मौजूदा और नए संयंत्रों के मामले में अपना लिया गया है।

दिल्ली विद्युत-प्रदाय संस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के आरक्षण की रक्षा के लिए दिल्ली नगर पालिका अधिनियम का संशोधन

4168. **श्री अनादिचरण दास** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के आरक्षण सम्बन्धी संवैधानिक अधिकार की रक्षा के उद्देश्य से दिल्ली नगर निगम में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में पदों के वर्गीकरण के बारे में दिनांक 16 जनवरी, 1984 के संकल्प संख्या 837 द्वारा दिल्ली नगर पालिका अधिनियम की धारा 90 (8) का संशोधन स्वीकृत किया है तथा यह मामला अब गृह मन्त्रालय के पास लम्बित है; और

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आरक्षण के संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए सरकार का नियमों के अनुसार अध्यादेश जारी करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) दिल्ली नगर निगम द्वारा अनुमोदित तारीख 16-1-84 का संकल्प संख्या 837 गृह मन्त्रालय को प्राप्त हुआ था और उसकी दिल्ली प्रशासन को उनके सुविचारित मत के लिए जिसका महानगर परिषद द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदन किया गया हो, को भेजा गया था। इस समय यह मामला दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है और उस पर उनके मत की गृह मन्त्रालय में प्रतीक्षा है।

(ख) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित किया गया है प्रशासन के मत के प्राप्त होने के बाद ही मन्त्रालय द्वारा कोई निर्णय लिया जा सकता है।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में भारी पानी की कमी

4169. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुत से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में या तो क्षमता (स्थापित) में कमी आ गई है अथवा भारी पानी की कमी के कारण वे निष्क्रिय हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन संयंत्रों/केन्द्रों का ब्यौरा तथा उनके नाम क्या हैं जो कि अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन कर रहे हैं ; और पूरे वर्ष (वर्ष 1982-83 और 1983-84) लगातार कार्य कर रहे हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 1982-83 और 1983-84 के वर्षों में नीचे लिखे परमाणु बिजलीघर लगातार काम करते रहे :—

(i) तारापुर बिजलीघर के दो यूनिट जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 210 मेगावट है।

(ii) राजस्थान परमाणु बिजलीघर का दूसरा यूनिट, जिसकी क्षमता 220 मेगावट है।

मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के पहले यूनिट को, जिसकी क्षमता 235 मेगावाट है, जुलाई, 1983 में ग्रिड से मिला दिया गया था और 27 जनवरी, 1984 को उसने वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन शुरू किया था।

'एकोर्न' और 'एप्पल' निर्मित कम्प्यूटरों का आयात

4170. **श्री मूल चन्द डागा : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या विगत समय में 'ओसबोर्न' द्वारा निर्मित कम्प्यूटरों का आयात किया गया था और अब उनके फालतू पुर्जे उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कम्प्यूटर, कब, किस देश से और किस मूल्य पर आयात किए गए थे तथा क्या उन पर सीमा-शुल्क का भुगतान किया गया था ;

(ग) क्या अब सरकार 'एकोर्न' और 'एप्पल' द्वारा निर्मित कम्प्यूटरों का आयात कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो कितने और किस देश से ये आयात किए जा रहे हैं ;

(ङ) क्या उन पर आयात-शुल्क दिया गया था तथा क्या इस सम्बन्ध में टेण्डर आमन्त्रित किए गए थे ; और

(च) क्या सरकार ने उनके लिए फालतू पुर्जों की सुगम सप्लाई सुनिश्चित की है तथा इन कम्प्यूटरों का क्या उपयोग किया जा रहा है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीव राव) : (क) जी, हां। विगत में ओसबोर्न द्वारा निर्मित कम्प्यूटरों का आयात किया गया था। किन्तु, इन कम्प्यूटर प्रणालियों के कल-पुर्जों की अनुपलब्धता से सम्बन्धित किसी भी समस्या की जानकारी सरकार को नहीं है।

(ख) वर्ष 1981-84 के बीच एक ऐसे कम्प्यूटर के आयात के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा अनुमति दी गई थी। यह कम्प्यूटर अमरीका का बना हुआ है। इस कम्प्यूटर का मूल्य 2200.00 अमरीकी डालर (लागत बीमा भाड़ा) है। चूंकि इस कम्प्यूटर का आयात एक शैक्षणिक संस्थान के लिए किया गया था, अतः इस पर कोई सीमा-शुल्क नहीं दिया गया है।

(ग) सरकार ने स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता पर एक प्रायोगिक परियोजना के लिए एक्रॉन

द्वारा निर्मित कम्प्यूटरों का आयात किया है। एप्पल कम्प्यूटरों के आयात के संबंध में सरकार की कोई योजना नहीं है।

(घ) स्कूल साक्षरता कार्यक्रम (क्लास) की प्रायोगिक परियोजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने ग्रेट ब्रिटेन के एक्रॉन से 170 सूक्ष्म कम्प्यूटरों का आयात किया और उसी पार्टी से 730 और कम्प्यूटर प्रणालियों के आयात की योजना बना रहा है।

(ङ) चूंकि ये वस्तुएं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए हैं, अतः परियोजना को सीमा-शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। प्रायोगिक परियोजना के लिए सूक्ष्म कम्प्यूटरों की व्यवस्था भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत की जा रही है। तदनुसार ग्रेट ब्रिटेन की सरकार इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक कम्प्यूटरों की आपूर्ति करने में सम्मत हो गई है और इसलिए इस उद्देश्य से कोई टेंडर नहीं आमंत्रित किए गए।

(च) कम्प्यूटर मेंटेनेंस कारपोरेशन तथा ग्रेट ब्रिटेन के एक्रॉन के बीच एक समझौते के माध्यम से सरकार ने इन कम्प्यूटर प्रणालियों के कल-पुर्जों की सुचारु रूप से आपूर्ति करने का सुनिश्चय कर लिया है। इन कम्प्यूटरों का प्रयोग शैक्षणिक प्रयोजनों तथा स्कूल के बच्चों में कम्प्यूटरों के सम्बन्ध में और अधिक जागरुकता पैदा करने के लिए किया जाएगा।

सरकारी कार्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

4171. **श्री लाला राम केन** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण किया गया है ;

(ख) क्या कुछ सरकारी विभागों में प्रशासनिक अधिकारियों ने उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के आधार पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अभी तक उचित आरक्षण प्रदान नहीं किया है ; तथा इस प्रकार आरक्षित पदों को सामान्य श्रेणी के पद घोषित करके भर दिया जाता है ; और

(ग) इस संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि किसी भी स्थिति में आरक्षित पदों को सामान्य श्रेणी के पद घोषित नहीं किया जाए ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) भारत सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में रिक्तियों के भरे जाने के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।

(ख) तथा (ग) सरकार के अधीन सभी प्रशासनिक कार्यालयों (उन कार्यालयों को छोड़कर जिन्हें इस प्रयोजन से विशिष्ट छूट दी गई है) से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षणों की व्यवस्था करें, किन्तु जहां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो पाते वहां आरक्षित रिक्तियां अनारक्षित कर दी जाए और इन्हें यदि आवश्यक हो, तो लोकहित में सामान्य प्रवर्गों के उम्मीदवारों में से भरा जाए। किन्तु इन

सभी मामलों में, समूह "ग" से समूह "ख", समूह "ख" के भीतर और समूह "ख" से समूह "क" की निम्नतम सीढ़ी तक चयन द्वारा पदोन्नति को छोड़कर, ऐसे आरक्षणों को तीन अनुवर्ती भर्ती वर्षों के लिए अग्रेनीत करना होता है।

बांग्लादेश से उत्प्रवासी

4172. **श्री ब्रज मोहन महन्ती** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान तथा जून, 1984 माह तक बांग्लादेश से कुलकितने उत्प्रवासियों ने भारत में प्रवेश किया ;

(ख) क्या सरकार को बांगलादेश से विभिन्न सीमावर्ती राज्यों में प्रवेश करने वाले ऐसे लोगों की संख्या की कोई जानकारी है ; और

(ग) क्या ऐसे प्रवेश को रोकने के लिए बांग्लादेश से कोई आश्वासन प्राप्त हुआ है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) वर्ष 1981 से 1983 तक के दौरान लघु अवधि और दीर्घावधि बीजा के आधार पर भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशियों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है :—

	राज्य				
वर्ष	असम	प० बंगाल	त्रिपुरा	मेघालय	जोड़
1981	683	193135	538	101	194457
1982	1455	196769	643	206	199073
1983	1393	203866	489	230	205978

वर्ष 1984 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

इन आंकड़ों में उन बांग्लादेशियों की संख्या भी शामिल नहीं है जो विमान द्वारा भारत आए थे।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

पंजाब में विदेशी राष्ट्रिकों का प्रवेश

4173. **श्री विलास मुक्तेमवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कानपुर से प्रकाशित दिनांक 26 जून, 1984 के जागरण में "दिल्ली से अमृतसर जाने वाला फ्रांसिसी कौन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार के अनुमान के अनुसार जब पंजाब में केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रवेश वर्जित था, तो उस अवधि के दौरान कितने विदेशी राष्ट्रिकों ने पंजाब में प्रवेश किया ;

(ग) क्या इसमें टैक्सी ड्राइवरों का एक गिरोह शामिल था और यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) इन विदेशी राष्ट्रिकों ने पंजाब में कैसे प्रवेश किया ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में रोजगार सेवा सम्बन्धी एक नियम बनाया जाना

4174. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में विशेषकर सेवा-निवृत्ति की आयु, पेंशन नियम आदि जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के सम्बन्ध में एक समान रोजगार सेवा नियम बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने तत्सम्बन्धी असंगतियों और कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष को दूर करने के लिए क्या उपाय किए हैं क्योंकि इन विषमताओं के कारण बार-बार अशान्ति और गड़बड़ी पैदा हो रही है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) सभी केन्द्रीय सिविल सरकारी कर्मचारी आचरण, अनुशासन तथा पेंशन के सम्बन्ध में और सेवानिवृत्ति की आयु, वेतन निर्धारण से सम्बन्धित नियमों आदि जैसी सामान्य सेवा शर्तों के मामलों में भी एक समान नियमों द्वारा शासित होते हैं, जब तक कि किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों के कारण भिन्न शर्तें निर्धारित करना आवश्यक न समझा गया हो अथवा ऐसा महसूस न किया गया हो कि किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों को शासित करने के लिए अलग नियम होने चाहिए। केवल भर्ती की पद्धति तथा पदोन्नति से सम्बन्धित नियमों आदि के बारे में एक सेवा से दूसरी सेवा अथवा एक पद से दूसरे पद के लिए अन्तर हो सकता है जो प्रत्येक सेवा अथवा पद की भिन्न आवश्यकता के कारण होता है और जिसके लिए स्थिति अनुसार अलग सेवा नियम अथवा भर्ती नियम निर्धारित किए जाते हैं। ऐसे मामलों में भी, पदोन्नति, स्थायी-करण, वरिष्ठता, विभागीय पदोन्नति समितियों आदि से सम्बन्धित क्रियाविधि निर्धारित करने वाले कार्यकारी अनुदेशों के माध्यम से पर्याप्त एकरूपता लाई जाती है।

जिला और सत्र न्यायाधीश दिल्ली के कार्यालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यावेदनों को निपटाने के लिए सम्पर्क अधिकारी

4175. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यावेदनों से सम्बन्धित मामलों को निपटाने के लिए जिला और सत्र न्यायाधीश, दिल्ली के कार्यालय में कोई अलग से सम्पर्क अधिकारी नहीं है जो कि गृह मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या 16/17/67-स्थापना (ग) दिनांक 10 अप्रैल, 1968 तथा प्रशासनिक सुधार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36022/5/76-स्थापना (अनुसूचित जाति/जनजाति) दिनांक 27 मई, 1976 के अनुसार अवश्य होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप उस कार्यालय के अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) प्रशासनिक उप-न्यायाधीश दिल्ली के लिए, उसके पद के कारण, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यावेदनों को निपटाने के लिए सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करना आवश्यक है।

बम्बई में नए ताप बिजली संयंत्र में प्रदूषण

4176. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार बम्बई में ट्रांबे में कुछ नए ताप बिजली संयंत्रों की अनुमति देने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसका कुछ सामाजिक वर्गों ने विरोध किया है क्योंकि इससे इस क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ जाएगा ; और

(ग) यदि हाँ तो इस क्षेत्र में कम से कम प्रदूषण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी हां। बम्बई के सामाजिक दलों तथा ऊर्जा आवश्यकताओं की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए ट्राम्बे में नए ताप बिजली संयंत्र का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है बशर्ते कि यह केवल गैर-प्रदूषक ईंधन पर आधारित होगा।

वर्ष 1983 के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को शामिल किया जाना

4177. **श्री हरिहर सोरन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जो वर्ष 1981-1982 और 1983 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारी ग्रेड के जोन में तो आते थे परन्तु उन्हें वर्ष 1983 के लिए 30 जून 1983 को जारी की गई अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल नहीं किया जा सका ;

(ख) क्या चयन सूची में शामिल करने के लिए जोन के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों का वरिष्ठता-क्रम अलग से तैयार किया गया है ;

(ग) क्या अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल करने के लिए विचारार्थ उम्मीदवारों की संख्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों की संख्या की डेढ़ गुना होती है ;

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में कोई नीति सम्बन्धी निर्णय किया है कि जो उम्मीदवार जोन में आ जाए उन्हें चयन सूची में शामिल करने के लिए कब तक प्रतीक्षा में रखा जा सकता है ; और

(ङ) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित इन वरिष्ठ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को वर्ष 1983 की अनुपूरक चयन सूची में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) बावन ।

(ख) चूंकि केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड एक विकेन्द्रीकृत ग्रेड है इसलिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जो अधिकारी उनके लिए निर्धारित विचार क्षेत्र में आ जाते हैं, उन्हें उस संवर्ग में उन जातियों/जनजातियों के अधिकारियों के लिए रिक्तियों के सम्बन्ध में उनकी स्थानीय वरिष्ठता के अनुसार प्रवर सूची में शामिल कर लिया जाता है । किसी संवर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की उपलब्धता में जितनी कसर रह जाती है उसकी पूर्ति के लिए उन्हें कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली अधिशेष सूची में से प्रवर सूची में शामिल कर दिया जाता है ।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक अलग विचार क्षेत्र निर्धारित किया जाता है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) रिक्तयों की अदला बदली के लिए एक पूरक प्रवर सूची जारी की जाती है । विद्यमान विचार क्षेत्र में आने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी अधिकारियों के मामलों पर उन्हें उपर्युक्त (ख) में निर्दिष्ट विधि के अनुसार वर्ष 1983 की पूरक प्रवर सूची में शामिल किए जाने पर विचार किया जाएगा ।

स्वतन्त्रता सेनानियों को तीर्थ यात्रा के लिए सुविधाएं

4178. श्री राम लाल राही : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने या केन्द्र सरकार के निदेश पर राज्य सरकारों ने स्वतन्त्रता सेनानियों की तीर्थयात्रा के लिए सुविधाएं देने की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो इस घोषणा के बाद कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को तीर्थ यात्रा की सुविधाएं दी गई हैं और इसके लिए किस प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं ;

(ग) तीर्थ यात्रा के लिए स्वतन्त्रता सेनानियों को रेलवे के निशुल्क पास जारी करने के कितने

मामले सरकार के विचाराधीन हैं और ये पास जारी करने में सरकार को क्या कठिनाई है ;

(घ) क्या रेलवे और बस दोनों के पास जारी करने या केवल रेलवे के पास जारी करने का निर्णय किया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार यह आश्वासन देगी की स्वतन्त्रता सेनानियों को तीर्थयात्रा के लिए रेलवे या बस के पास जारी किए जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ङ) लोक सभा में की गई घोषणा के आधार पर रेल मंत्रालय द्वारा अनुदेश जारी किए गए थे कि जो स्वतन्त्रता सेनानी स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना अथवा राज्य के राजस्व से पेंशन ले रहे हैं उनको और उनके पति/पत्नी अथवा पति/पत्नी की अनुपस्थिति में एक परिचारक के लिए उनके जीवन समय में एक बार छः महीने के लिए वैध प्रथम श्रेणी के सम्मानार्थक कार्ड पास दिए जाने चाहिए। फिर भी कुछ समय के लिए ये अनुदेश स्थगित रहे हैं क्योंकि पास जारी करने के लिए रूप रेखाओं में कुछ परिवर्तन विचाराधीन हैं। बस पास जारी करने के लिए कोई निर्णय नहीं किया गया है। विभिन्न क्षेत्रीय रेलवेज द्वारा स्वतन्त्रता सेनानियों को 112 कार्ड पास जारी किए गए थे। इस संख्या में केन्द्रीय रेलवे के भोपाल और नागपुर मंडलों द्वारा जारी किए गए कार्ड पास, यदि कोई हों, की संख्या शामिल नहीं है।

शोर से उत्पन्न प्रदूषण के सम्बन्ध में अध्ययन

4179. **श्रीमती माधुरी सिंह :**

प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरों में शोर से उत्पन्न प्रदूषण के स्तरों के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है जिसका स्नायु तन्त्र पर दबाव पड़ता है और जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ; और

(ख) शोर को सहनीय स्तर पर सीमित रखने के लिए सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) नगरों में शोर के बारे में कुछ प्रायोगिक सर्वेक्षण किए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं :

—राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा दिल्ली तथा बम्बई में शोर स्तर (1954);

—राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा शोर सर्वेक्षण (1967) ;

—राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा दिल्ली में शोर स्तरों के बारे में प्रायोगिक सर्वेक्षण;

—बम्बई में शोर प्रदूषण सर्वेक्षण, स्वच्छ पर्यावरण के लिए सोसायटी (1982);

—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मद्रास द्वारा प्रमुख शहरी केन्द्रों तथा उद्योगों में शोर स्तर मापना (1975)।

इन सर्वेक्षणों से पता चला है कि बम्बई तथा दिल्ली जैसे महानगरों में शोर स्तर अधिक है। 85 डी० बी० से अधिक के प्रवर्द्धित नगर शोर के कारण सुनने या तंत्रिका तन्त्र पर तनाव के प्रभाव के अनुमान लगाने के लिए अभी तक कोई अध्ययन नहीं लिया गया है।

(ख) हालांकि शोर का पूर्णरूप से उन्मूलन नहीं किया जा सकता है तथापि औद्योगिक शोर को कुछ सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है यदि मशीनरी को बनाते समय उसके अभिकल्प में उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए जाएं। मोटर-गाड़ी अधिनियम, म्युनिसपैलिटी अधिनियमों तथा अन्य राज्य अधिनियमों में प्रावधानों की व्यवस्था है जिन्हें नगर शोर स्तरों को कम करने के लिए राज्य प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले समयोपरि भत्तों में संशोधन करना

4180. **श्री नवीन रावणी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों को इस समय दिए जा रहे समयोपरि भत्ते की स्लैब वार दरें क्या हैं ;

(ख) ये दरें स्लैब-वार अंतिम बार कब निर्धारित की गई थीं ;

(ग) क्या सरकार को इनकी स्लैब-वार दरों के बारे में तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते की दरों में वृद्धि करने सम्बन्धी कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हाँ तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाई की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) कार्यालय कर्मचारियों को तथा उन कर्मचारियों को जिनके कार्य का स्वरूप तथा कार्य के निर्धारित घन्टे कार्यालय कर्मचारियों के समतुल्य हों, उनके मामले में समयोपरि भत्ते की निर्धारित विद्यमान दरें इस प्रकार हैं :—

परिलब्धियां	समयोपरि भत्ते की दरें प्रति घंटा पहले एक घंटे तक	उसके बाद
1	2	3
275 रुपये से कम	शून्य	0.95
275 से अधिक किन्तु 325 रु० से कम	शून्य	1.25
325 से अधिक किन्तु 375 रु० से कम	शून्य	1.55

1	2	3
375 से अधिक किन्तु 425 रु० से कम	शून्य	1.80
425 से अधिक किन्तु 475 रु० से कम	शून्य	2.05
475 से अधिक किन्तु 525 रु० से कम	शून्य	2.35
525 से अधिक किन्तु 575 रु० से कम	शून्य	2.60
575 से अधिक किन्तु 625 रु० से कम	शून्य	2.90
625 से अधिक किन्तु 675 रु० से कम	शून्य	3.20
675 तथा इससे अधिक	शून्य	3.45

ये स्लैब दरें 1 फरवरी, 1974 से निर्धारित की गई थीं।

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संयुक्त परामर्श तन्त्र के कर्मचारी पक्ष ने अन्य बातों के साथ-साथ यह मांग की थी कि कार्यालय कर्मचारियों तथा उनके समतुल्य कर्मचारियों को कार्य दिवसों के दौरान परिलब्धियों के अनुरूप प्रति घंटा दरों से 1/1-2 गुनी और रविवारों तथा छुट्टियों के दिनों में परिलब्धियों के अनुरूप प्रति घंटा दरों से दुगनी दरों पर समयोपरि भत्ता दिया जाना चाहिए। चूंकि मांग पर सहमति नहीं हो सकी इसलिए मामले को संयुक्त परामर्श तन्त्र योजना के अधीन विवाचन बोर्ड को भेज दिया था। विवाचन बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ परिलब्धियों के अनुरूप प्रतिघंटा दरों से 1/1-2 गुनी दर से समयोपरि भत्ता दिए जाने का निर्णय किया। सरकार ने विवाचन बोर्ड के निर्णय पर विचार किया था किन्तु इसके कारण होने वाले व्यापक वित्तीय प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया कि इस मामले को चतुर्थ वेतन आयोग को भेज दिया जाए। इस मामले को अब चतुर्थ वेतन आयोग को उनके विचारार्थ भेज दिया गया है।

सभी गुरुद्वारों को सरकार के नियंत्रण में लाने के लिए विधेयक

1481. **श्री बाईणा अनवारास** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी गुरुद्वारों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए एक कानून बनाने का है ताकि गुरुद्वारों का राजनैतिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग रोका जा सके ; और

(ख) यदि नहीं तो क्या सरकार एक सिख धार्मिक विन्यास अधिनियम बनाने पर विचार करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) सभी गुरुद्वारों को भारत सरकार के नियंत्रण में लाने का कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

पर्वतीय क्षेत्रों में वनों का वाणिज्यिक उपयोग रोकना

1482. **डा० प्रताप बाद्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुप्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ श्री सुन्दर लाल बहुगुणा ने माननीय प्रधान मन्त्री से देश में परिस्थिति की ओर भूमि तथा जल संसाधनों के संरक्षण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के वाणिज्यिक उपयोग को रोकने की अपील की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर दी जायेगी ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्राधिकारियों की भूमिगत नागाओं को चेतावनी

4183. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिगत नागाओं ने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्राधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि तेल की संभावनाओं का पता लगाने के लिए खोज कार्य शुरू न किया जाएं जिसको नागालैंड में उपलब्धता के सबूत मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वहां तेल की खोज का कार्य शुरू करने की स्थितियां बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) यह सच है कि भूमिगत नागाओं द्वारा लिखे गए कथित पत्र 15-3-1984 को चुमुकेदीसा गांव के कुछ प्रमुख लोगों को भेजे गए थे, जिनमें नागालैंड में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को तेल के खोज कार्य करने की अनुमति न देने की चेतावनी दी गई थी ।

(ख) नागालैंड की राज्य सरकार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को सभी सम्भव सहायता प्रदान कर रही है और ग्रामीणों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके साथ बैठकें आयोजित कर रही है ।

उपनगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का दिल्ली में आने को रोकने के लिए प्रोत्साहन

4184. **श्री छांगुर राम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उप-नगरीय इलाकों में रहने वाले लोगों के दिल्ली जहां पहले ही बहुत अधिक जनसंख्या है ; में बसने को निरुत्साहित करने की दृष्टि से परिवहन के लिए राज-सहायता, नवीनतम चिकित्सा सुविधाएं चुंगी हटाये जाने आदि जैसे प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने दिल्ली के पड़ौसी इलाकों से लोगों के आने पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) निर्माण तथा आवास मन्त्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली के इर्द-गिर्द के क्षेत्र के लिए योजना तैयार करने की सिफारिश पर 1962 में अनुमोदित दिल्ली मास्टर प्लान में पहली बार विचार किया गया। इस सिफारिश के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन० सी० आर०) के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त सलाहकार बोर्ड का गठन किया था जिसके निर्देशानुसार एन० सी० आर० प्लान तैयार की गई थी और इसके द्वारा 1973 में अनुमोदित की गई थी। एन० सी० आर० प्लान का मुख्य उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को दिल्ली के केन्द्र से दूर उत्तर प्रदेश हरियाणा और राजस्थान के 18 चुने हुए रिंग कस्बों में विकेन्द्रित करना है जिससे कि शहरीकरण की सम्पन्नता तथा बोझ का दायित्व इस क्षेत्र में बांटा जा सके और क्षेत्र के संतुलित विकास को बढ़ावा दिया जा सके। एन० सी० आर० प्लान में शहरी बस्तियों में विकास के फैलाव की परिकल्पना की गई थी ताकि इन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। योजना में क्षेत्र की भूमि के एकीकृत विकास की कल्पना की गई है, जिसमें पीने के पानी, बाढ़-नियन्त्रण, परिवहन, बिजली, आवास तथा सामाजिक सुविधाओं जैसी विभिन्न सुविधाएं भी हों।

हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारें तथा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली इस योजना के कार्यान्वयन से सम्बद्ध है। अब तक पांच रिंग कस्बों में अर्थात् हरियाणा में गुड़गांव और पानीपत, उत्तर प्रदेश में मेरठ और हापुड़ तथा राजस्थान में अलवर में एन० सी० आर० योजना के तहत स्कीमें शुरू की गई हैं। यह स्पष्ट होगा कि रिंग कस्बों को विकसित करने का आशय इन्हें स्वतः पूर्ण शहरी विकास केन्द्रों के रूप में विकसित करना है ताकि दिल्ली के मध्य से दूर चुनिंदा रिंग कस्बों में आर्थिक गतिविधियों के विकेन्द्रीयकरण को प्राप्त किया जा सके।

पासपोर्ट कार्यालयों में दिहाड़ी पर कार्य करने वाले लिपिकों को नियमित किया जाना

4185. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में दिहाड़ी पर कार्य करने वाले लिपिकों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से अब तक कितने लिपिकों को नियमित कर दिया गया है ;

(ग) क्या देश के पासपोर्ट कार्यालयों में दिहाड़ी पर कार्यरत वर्तमान लिपिकों को नियमित किए जाने के प्रश्न पर सरकार गौर कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें नियमित करने के आदेश सम्भवतः कब तक जारी हो जायेंगे ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) और (घ) दिहाड़ी पर काम कर रहे लिपिकों को नियमित किए जाने का मामला संबंधित विभाग को पहले ही भेजा जा चुका है।

विवरण

राज्य		दिहाड़ी पर काम करने वाले लिपिक
आंध्र प्रदेश	—	28
असम	—	2
बिहार	—	6
गुजरात	—	11
जम्मू एवं काश्मीर	—	4
केरल	—	52
कर्नाटक	—	15
महाराष्ट्र	—	71
मध्यप्रदेश	—	4
उड़ीसा	—	4
पंजाब	—	34
राजस्थान	—	22
तमिलनाडु	—	57
उत्तर प्रदेश	—	18
पश्चिमी बंगाल	—	4
		332

दिल्ली अण्डमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा हेतु नियुक्ति

4186. **श्री त्रिलोक चन्द :**

श्री जयपाल सिंह कश्यप :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्थायी और स्थानापन्न दोनों आधार पर दिल्ली अण्डमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा हेतु नियुक्ति के लिए चयन समिति (1979-80 पुनरीक्षा विभागीय पदोन्नति समिति) की सिफारिशों को स्वीकृत कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार स्थायी और स्थानापन्न अधिकार पर कर अधिकारियों की नियुक्ति करने का है ; और

(ग) कितने सहायक पुलिस आयुक्त तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं और कब से तथा उन्हें तदर्थ पदोन्नति की अनुमति देने और उन्हें नियमित रूप से स्वीकृत सूची में अब तक नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) स्थायी नियुक्ति के लिए अनुशासित अधिकारियों को नियुक्ति को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। 1979-80 के चयनों को पुनरीक्षण के बाद स्थानापन्न नियुक्ति के लिए अनुशासित कुछ अधिकारियों को 1979 के बाद की रिक्तियों के लिए किए गए चयनों के आधार पर स्थायी तौर पर सेवा में नियुक्ति कर दिया गया है। स्थानापन्न रिक्तियों के ध्रसंबं में स्थिति मालूम की जा रही है।

(ग) 25 सहायक पुलिस आयुक्त 12-7-78 से 4-11-82 तक विभिन्न तारीखों से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं। इन अधिकारियों को तदर्थ पदोन्नति दी गई थी क्योंकि स्थायी अथवा स्थानापन्न आधार पर इन पदों को भरने के लिए नियमित अधिकारी उपलब्ध नहीं थे।

अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशें

4187. **श्री भाउसाहिब थोरट** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के विशेष सन्दर्भ में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) इन सिफारिशों के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) "पुलिस" और समाज के कमजोर वर्गों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय पुलिस-आयोग की सिफारिशें, तृतीय रिपोर्ट के अध्याय-XXVI के पैरा 26.1 से 26.20 में निहित हैं। यह रिपोर्ट 30 मार्च, 1983 को सभा पटल पर रखी गयी थी।

(ख) इन सिफारिशों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को भेजा गया है।

पश्चिमी बंगाल की पर्वतीय निगरानी चौकियों पर नए भवनों का निर्माण

4188. **डा० गोलाम यजदानी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पश्चिम बंगाल में दिनाजपुर जिले में स्थित पर्वतीय निगरानी

चौकियों की मौजूदा स्थिति में सुधार करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निगरानी चौकियों के प्लाटों पर नए भवनों का निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जाएगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सी० आर० चादरों की कमी

4189. **श्री ईरा मोहन** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात फर्नीचर के निर्माण में लगे लगभग 2000 लघु यूनिटों से 14 से 24 मगेज की सी० आर० चादरों की भारी कमी के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं और इस कमी को दूर करने लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन०के० पी० साल्वे) : (क) कुछ उपभोक्ताओं और संस्थाओं ने ठण्डी बेलित चादरों की उपलब्धि पर्याप्त न होने के बारे में अभ्यावेदन दिए हैं।

(ख) अप्रैल-जून, 1984 की अवधि में ठंडी बेलित चादरों/वायलों का उत्पादन, आयात और बिक्री पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक हुई है लेकिन चूंकि "सेल" के पास ठंडी बेलित चादरों/वायलों का स्टाक कम हो गया है इसलिए इनकी देशीय उपलब्धि अपेक्षाकृत कम रही हैं। "सेल" ने इन मदों का और अधिक आयात करके देशीय सप्लाई में वृद्धि करने के लिए पहले ही कार्यवाही कर दी है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए व्यय सम्बन्धी राजसहायता

4190. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को केरल सरकार से नियोजित योजना के अन्तर्गत राजसहायता हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर व्यय को भी सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) कितनी धनराशि मांगी गई और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और सिंचाई मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं। योजना आयोग को केरल सरकार में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पदों का आरक्षण

4191. **श्री रघुनाथ सिंह वर्मा** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण के बारे में 21 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4728 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उप-प्रबन्धक (निकासी, परिवहन और नौवहन) के आरक्षित पदों के लिए रोजगार अधिसूचना संख्या 1/84 देने का मूलाधार क्या था ;

(ख) इन पदों को अब तक अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उपलब्ध उन उम्मीदवारों से न भरने के क्या कारण हैं, जिन्होंने इनके लिए आवेदन किया था ;

(ग) क्या उक्त पदों हेतु आरक्षित उम्मीदवारों की भर्ती करते समय प्रबन्धक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में देय शिथिलताएं और छूट प्रदान नहीं कर रहे हैं ; और

(घ) दिनांक 21 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4728 के भाग (घ) के दिए गए उत्तर के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा सरकार और प्रबन्धकों द्वारा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) यह पद खाली पड़ा था और इसे भरा जाना था ।

(ख) कोई भी उम्मीदवार उपयुक्त नहीं पाया गया था।

(ग) जी, नहीं। सरकारी निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के के उम्मीदवारों को उचित ढील दी जाती है।

(घ) उप-प्रबन्धक के पद पर भर्ती के बारे में अनुसूचित जाति उत्थान यूनियन, विशाखापत्तनम के अभ्यावेदन पर विचार किया गया था। यह पाया गया कि विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से इस पद के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार किया गया था और सरकारी निर्देशों के अनुसार उनको दी जाने वाली ढील और रियायतों पर उचित ध्यान दिया गया था । चूंकि कोई भी उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था अतः यह पद नहीं भरा जा सका। परियोजना प्राधिकारी इस पद को निर्धारित नियमों तथा प्रक्रिया के अनुसार भरेंगे ।

भारत बांग्लादेश सीमा पर चौकियां स्थापित करने का प्रस्ताव

4192. **श्री बाजूबन रियान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने बांग्लादेश से उग्रवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारत और बांग्लादेश सीमा पर प्रत्येक 5 कि० मी० दूरी पर बी० एस० एफ० चौकी बनाने का प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने ऐसी चौकियां गठित करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

यूनिवर्सिटी स्पेशल बस में महिलाओं से छेड़छाड़

4193. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 और 3 अगस्त, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" और इण्डियन एक्सप्रेस" में क्रमश: "ईव टीजिंग इन वर्सिटी स्पेशन बस" और 'दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रैली अगेस्ट ईव टीजिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या लड़कों द्वारा यूनिवर्सिटी की लड़कियों के साथ बस में छेड़छाड़ की गई थी और लड़कियों ने छेड़खानी के विरोध में विश्वविद्यालय क्षेत्र में जलूस निकाला था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) 31-7-1984 को दक्षिणी दिल्ली परिसर के कुछ छात्र, जो दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में उप-कुलपति के कार्यालय गए थे, मौरिस नगर से बसंत विहार के लिए दिल्ली परिवहन निगम विश्वविद्यालय विशेष बस में चढ़े। इस बस में कुछ छात्राएं भी यात्रा कर रही थीं और लड़कों ने बस में महिलाओं के साथ छेड़खानी की। छात्राओं ने विश्वविद्यालय विशेष बस में महिलाओं के साथ छेड़खानी करने के लिए प्राधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए 2-8-1984 को उप-कुलपति के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। दिल्ली के रोशनारा रोड थाने में एक लिखित शिकायत प्राप्त होने पर भा० दं० सं० की धारा 509/34 के तहत एक मामला दर्ज किया गया। इस मामले में 6 छात्र गिरफ्तार किए गए। बस के ड्राइवर और कन्डक्टर को भी निलम्बित किया गया है।

महिलाओं के साथ छेड़खानी को रोकने के लिए विश्वविद्यालय क्षेत्र में बसों में टुकड़ियां और सादे वस्त्रों में पुलिस कार्मिक तैनात किए गए हैं। महिला कालेजों और स्कूलों और महत्वपूर्ण बाजारों में, जहां महिलाएं अक्सर आती हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी को रोकने के लिए पुलिस कार्मिक ड्यूटी पर तैनात किए जाते हैं।

हाल ही में, मुख्य कार्यकारी पार्षद ने, स्थिति की समीक्षा करने के लिए दिल्ली प्रशासन, दिल्ली पुलिस, दिल्ली परिवहन निगम, के वरिष्ठ अधिकारियों, महिला कालेज के प्रिन्सिपलों और विश्वविद्यालय छात्र संघ के प्रतिनिधियों की बैठक बुलायी थी। इस बैठक में, विशेष रूप से विश्वविद्यालय विशेष बसों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर महिलाओं के साथ छेड़खानी रोकने के लिए उपायों को और अधिक गहन करने का निर्णय लिया गया।

बाघों की गणना

4194. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली बार बाघों की गणना किस वर्ष में की गई थी ;

(ख) बाघों की गणना कितने वर्षों में की जाती है ;

(ग) क्या पिछले सर्वेक्षण में बाघों की संख्या की गणना में तेंदुओं को शामिल कर लिया गया था ; और

(घ) यदि हां, विगत सर्वेक्षण के अनुसार देश में तेंदुओं सहित बाघों की संख्या कितनी है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) अन्तिम अखिल भारतीय बाघ गणना 1979 में की गई थी। दूसरी गणना कुछ माह पहले की गई थी। जिसके परिणाम राज्य सरकारों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों से एकत्र किए जा रहे हैं।

(ख) 1972, 1979 तथा 1984 में।

(ग) इस वर्ष की गई गणना में तेन्दुओं को भी गिना जा रहा है।

(घ) 1979 में की गई अन्तिम गणना में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बाघों की कुछ संख्या 3015 थी। 1984 में की गई गणना के परिणाम अभी कुछ राज्यों से प्रतीक्षित हैं।

मन्त्रालयों में हिन्दी अधिकारियों और उपनिदेशकों के रिक्त स्थानों को भरना

4195. **श्री अनवर अहमद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी सेवा के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में भरे जाने वाले हिन्दी अधिकारियों और उपनिदेशकों के रिक्त स्थानों की संख्या का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की कुल संख्या कितनी है और वे कब तक भर दिए जायेंगे, और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह "क" तथा "ख" पद) नियम, 1983 में किए गए प्रावधान के अनुसार सेवा में सम्मिलित हिन्दी अधिकारी (सहायक निदेशक), उपनिदेशक तथा निदेशक के पदों का आरम्भिक गठन पूरा करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसको शीघ्र अन्तिम रूप दे दिये जाने की सम्भावना है। सेवा नियमों के अनुसार आरम्भिक गठन के पश्चात् हिन्दी अधिकारी (सहायक निदेशक) के पदों में होने वाली 50 प्रतिशत रिक्तियां संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और शेष 50 प्रति-

शत रिक्तियां विभागीय अभ्यर्थियों में से पदोन्नति द्वारा भरी जाएगी। उपनिदेशकों के पदों में होने वाली सभी रिक्तियां विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान है। रिक्तियों की संख्या की जानकारी सेवा के आरम्भिक गठन के पश्चात् ही उपलब्ध हो पाएगी।

भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड के श्रमिकों की मजदूरी

4196. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रबन्धकों के साथ मजदूरी के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए बुलाई गई भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड के मजदूर संगठनों के क्या नाम हैं ;

(ख) इस प्रकार के संगठनों के चयन का मानदण्ड क्या है ;

(ग) क्या बी० आर० एल० की भिलाई यूनिट छत्तीसगढ़ बी० आर० पी० एल० कर्मचारी संघ को इस प्रकार की बातचीत के लिए आमन्त्रित नहीं किया गया ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड के निम्नलिखित तीन कारखाने हैं :—

1. भंडारीदाह उष्मसह संयंत्र

2. रांची रोड उष्मह संयंत्र

3. भिलाई उष्मसह संयंत्र

इसकी इण्डिया फायरब्रिक्स एण्ड इन्सुलेशन कम्पनी लिमिटेड नामक एक सहायक कम्पनी है। इस कम्पनी का कारखाना रांची के समीप रामगढ़ में है।

तीनों कारखानों तथा सहायक कम्पनी के जिन श्रमिक संघों को बातचीत के लिए बुलाया गया था उनके नाम इस प्रकार हैं :—

कारखाने का नाम	जिस श्रमिक संघ को बातचीत के लिए बुलाया गया था, उसका नाम
1. भिलाई रिफ्रेक्ट्रीज संयंत्र	रिफ्रेक्ट्रीज वर्कर्स यूनियन
2. रांची रोड रिफ्रेक्ट्रीज संयंत्र नांगस्टान की सिलिमेनाइट की खानें	(1) छोटानागपुर रिफ्रेक्ट्रीज कामगार यूनियन (2) सिलिमेनाइट श्रमिक कल्याण समिति (3) फायरब्रिक्स एण्ड इन्सुलेशन मजदूर पंचायत (4) सिलिमेनाइट माइन्स वर्कर्स एशोसिएशन

3. भंडारीदाह उष्मसह संयंत्र	(1) बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन (2) रिफ्रेक्ट्रीज एण्ड सिरेमिक वर्कर्स यूनियन
4. इण्डियन फायरब्रिक्स इन्सुलेशन कम्पनी लिमिटेड	(1) फायरब्रिक्स एण्ड सिरेमिक कामगार यूनियन (2) रिफ्रेक्ट्री मजदूर कांग्रेस (3) फायरब्रिक्स एण्ड इन्सुलेशन मजदूर पंचायत (4) फायरब्रिक्स, पोटरिज एण्ड इन्सुलेशन वर्कर्स यूनियन
5. भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड का बोकारो स्थित मुख्यालय	—इस्पात कामगार यूनियन

(ख) मजूरी के सम्बन्ध में बातचीत करने हेतु समिति का गठन करते समय कम्पनी की विभिन्न ईकाइयों में कार्य कर रहे सभी पंजीकृत श्रमिक संघों को शामिल किया गया था। भिलाई उष्मसह संयंत्र में केवल प्रतिनिधिक श्रमिक संघों को ही शामिल किया जाना है।

(ग) जी, हां।

(घ) भिलाई उष्मसह संयंत्र पर मध्य प्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम लागू होता है। इस अधिनियम के अनुसार प्रबन्धक सभी कामगारों से सम्बन्धित सामान्य किस्म के मामलों पर केवल प्रतिनिधिक श्रमिक संघों के साथ ही बातचीत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ बी० आर० पी० कर्मचारी संघ प्रतिनिधिक श्रमिक संघ नहीं है। इसलिए इसे मंजूरी के सम्बन्ध में बातचीत करने की समिति में शामिल नहीं किया गया था।

भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड के आदिवासी श्रमिकों की छटनी

4197. **श्री ए०के० राय** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड के भंडारीडाह यूनिट से कई आदिवासी लोगों के हटाए जाने के बारे में 10 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2791 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के चार श्रमिकों में से एक श्रमिक की पुनः बहाली के आदेश जारी किए गए थे ; और

(ख) क्या यह सच है कि उसके बाद भी उस गरीब आदिवासी-श्रमिक को पुनः बहाल नहीं किया गया है ; यदि हां, तो इसके बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) इस्पात विभाग के अनुरोध पर भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड के प्रबन्धकों ने उस आदिवासी कर्मचारी की सेवा में, जिसकी सेवाएं ड्यूटी से अनाधिकृत रूप से लम्बे समय तक गैर-हाजिर रहने के कारण समाप्त कर दी गई थीं, पुनः बहाल करने के प्रश्न पर विचार किया है। भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड ने सूचित किया है कि यह कर्मचारी दिनांक 30 अक्तूबर, 1983 को भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड के कुछ कर्मचारियों पर हुए हमले की घटना में शामिल था तथा पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया था। पुलिस

द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच से यह पता चला है कि यह मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323, 332, 307 तथा 379 के अन्तर्गत आता है। इन परिस्थितियों में भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड के प्रबन्धक इस कर्मचारी को पुनः बहाल करने की स्थिति में नहीं हैं।

सातवीं योजना अवधि के दौरान 5 प्रतिशत फालतू क्षमता पैदा करना

4198. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवहन क्षेत्र को सातवीं योजना अवधि के दौरान पांच प्रतिशत फालतू क्षमता पैदा करने का निर्देश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अर्थ व्यवस्था की बढ़ती हुई आवागमन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवहन क्षेत्र में रक्षित क्षमता के निर्माण हेतु से अधिक मांग क्षमता पैदा करने का निर्णय लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस निर्णय के अनुसार रेलवे अपनी सातवीं योजना सम्बन्धी प्रयोजनाओं को संशोधित कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो रेलवे ने अपनी योजना को कितना और किस हद तक संशोधित किया है ; और

(ङ) योजना आयोग द्वारा इसे कहां तक स्वीकार किया गया है ?

योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ङ) "सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 के नीति पत्र" में इस बात पर बल दिया गया है कि आर्थिक विकास में कोई बाधा न आने देने के लिए और आवागमन के स्वरूप में परिवर्तन तथा यातायात में वृद्धि की पूर्ति करने के लिए व्यवस्था में लचीलापन लाने के वास्ते परिवहन क्षेत्रक में मांग से थोड़ी सी अधिक क्षमता सृजित की जानी चाहिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना---1985-90 के लिए रेलवे से सम्बन्धित एक कार्यकारी दल गठित किया गया है जिसे अभी अपने प्रस्ताव तैयार करने हैं। इस कार्य को करने में, यह निस्सन्देह सुझाई गई नीति को ध्यान में रखेगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के कोर क्षेत्र में रेलवे को सम्मिलित करना

4199. **श्री प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने योजना आयोग से यह प्रस्ताव किया है कि तीव्र गति से हो रहे विस्तार अच्छी देख रेख तथा देश की अर्थ-व्यवस्था तथा रक्षा के लिए रेलवे व्यवस्था के कुशल संचालन तथा अधिक घनराशियों के नियतन को सुनिश्चित करने के विचार से रेलों को सातवीं पंचवर्षीय योजना के कोर क्षेत्र में सम्मिलित करने की विशेष आवश्यकता पर जोर देते हुए इसे अत्यधिक उच्च प्राथमिकता दी जाए ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में योजना आयोग तथा सरकार को भेजे गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव शीघ्र ही प्रस्तुत किया जायेगा ताकि दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना की भांति सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नियतन में उच्च प्राथमिकता दी जा सके ?

योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) रेल मंत्रालय से इस संबंध में कोई भी विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। रेलवे की सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है जो कि सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) की नीति में यातायात की आधारिक संरचना के विकास के लिए दिए गए मार्गदर्शी सुझावों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रस्ताव बनायेगा।

इस्पात संयंत्रों में कोकिंग कोयले का अभाव

4200. **श्री के० प्रधानी : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अन्तर्गत सभी पांच समेकित इस्पात संयंत्रों के पास कोकिंग कोयले का न्यूनतम भण्डार है जो कि एक सप्ताह से भी कम समय के लिए है ;

(ख) यदि हां, तो इस्पात संयंत्रों में विशेषकर राउरकेला में, जिसमें जुलाई के अन्तिम सप्ताह में केवल पांच दिन के लिए कोकिंग कोयले का भण्डार था, कोकिंग का भण्डार कम होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह कोयले खानों में कम उत्पादन के कारण हुआ है या इसके कोई अन्य कारण हैं ; और

(घ) इस्पात संयंत्रों के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के गर्त मुखों पर "वाशड़ मीडियम कोकिंग कोल" के उत्पादन सहित "प्राइम कोकिंग कोल" का भण्डार बनाने और इसे समय पर इस्पात संयंत्रों को लाने के लिए पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय तथा मंत्रालय के परामर्श से क्या दीर्घकालीन उपाय किए जा रहे हैं ताकि इस्पात संयंत्रों में उत्पादन बन्द न होने पाए।

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले छः सप्ताह में "सेल" के कारखानों में देशीय कोककर कोयले के स्टाक में कमी हुई है। 1 जुलाई, 1984 तथा 17 अगस्त, 1984 को देशीय तथा बढ़िया किस्म के कोककर कोयले के कारखाना-वार स्टाक, यह स्टाक पर कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, का ब्यौरा अगले पृष्ठ पर दिया गया है :—

(हजार टन)

कारखाना	1 जुलाई, 1984 को			17 अगस्त, 1984 को		
	देशीय कोयले का स्टाक	बढ़िया किस्म के कोयले का स्टाक	दिन	देशीय कोयले का स्टाक	बढ़िया किस्म के कोयले का स्टाक	दिन
भिलाई	104.7	52.5	9.9	70.3	20.2	3.8
दुर्गापुर	32.8	21.1	7.3	29.0	19.0	6.5
राउरकेला	84.4	38.2	13.2	28.0	8.6	3.0
बोकारो	66.8	9.4	7.9	36.7	10.0	2.0
इस्को	20.2	1.4	0.5	25.2	9.8	3.1
कुल :	308.9	122.6	6.4	189.2	67.6	3.5

"सेल" के सभी कारखानों (राउरकेला भी शामिल है) में कोयले के स्टाक में कमी हुई है। यह कमी मुख्यतः इसलिए हुई है क्योंकि दैनिक प्राप्ति दैनिक खपत से कम रही है। जुलाई, 1984 में "सेल" के कारखानों को देशीय स्रोतों से प्रतिदिन औसतन 27,972 टन कोयला प्राप्त हुआ जबकि कार्यक्रम के अनुसार प्रतिदिन 34,800 टन कोयला प्राप्त होना चाहिए था। जुलाई, 1984 में राउरकेला में कोयले की दैनिक औसतन खपत 6400 टन थी जबकि देशीय कोयले की दैनिक औसतन प्राप्ति 4300 टन थी। परिणामस्वरूप स्टाक में कमी हुई है।

(ग) "सेल" के कारखानों को कोककर कोयले की सप्लाई उनकी आवश्यकता से कम हुई क्योंकि भारी वर्षा के कारण खानों में पानी भर गया, परिणामस्वरूप कोल इण्डिया की कोयले की खानों तथा शोधनशालाओं द्वारा अपरिष्कृत और शोधित कोयले के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(घ) सरकार ने बढ़िया तथा मध्यम दर्जे के कोककर कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कई दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन उपाय किए हैं। इनमें नई शोधनशालाओं की स्थापना, उत्पादन को बढ़ाने के लिए खानों के परिचालन में सुधार और परिष्कृत क्वालिटी के कोयले की प्राप्ति के लिए कोयला साफ करने की आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाना, कोल हैंडलिंग तथा परिष्कृत संयंत्रों की संख्या में वृद्धि करना शामिल है। कोयला खानों को बिना किसी रुकावट के बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए बिजली सप्लाई करने वाले अभिकरणों के साथ सतत् सम्पर्क रखा जा रहा है।

"सेल" के कारखानों को कोककर कोयले की सप्लाई करने के बारे में कोल इण्डिया, रेलवे और सेल के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर कारखाना स्तर पर इन अभिकरणों

के साथ बैठकें की जाती हैं। इस्पात कारखानों को कोयले की सप्लाई पर सरकार द्वारा अन्त: विभागीय बैठकों तथा शीर्षस्थ स्तर तथा मन्त्रिमण्डल की औद्योगिक अवस्थापना सम्बन्धी उप-समिति द्वारा दिन-प्रतिदिन नजर रखी जाती है।

कोककर कोयले के आयात के लिए भी कदम उठाए गए हैं जिनसे बढ़िया किस्म के देशीय कोक-कर कायले की अनुमानित उपलब्धि तथा प्रक्षिप्त मांग के बीच अन्तर पूरा किया जा सकेगा।

बिहार में अभ्रक की खानों का बन्द होना

4201. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जिला-वार अभ्रक की कितनी खानें बन्द पड़ी हैं ;

(ख) उनके बन्द होने के क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कई खानें अवैज्ञानिक खनन और निवेश के अभाव के कारण बन्द हुई हैं ;

(घ) यदि हां, तो ऐसी खानों की संख्या कितनी है और इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) क्या सरकार ने देश में अभ्रक की खानों की स्थिति की कभी पूरी जांच की है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो क्या वह ऐसा करेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

राष्ट्रीय उद्यान हजारी बाग में उपलब्ध वन्य पशु

4202. **श्री ए० के० राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग में उपलब्ध वन्य जीवों का अद्यतन गणना के अनु-सार ब्यौरा क्या है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त राष्ट्रीय उद्यान को देखने के लिए वर्ष-वार कितने पर्यटक आए और इससे कितनी आय हुई ;

(ग) प्रत्येक वर्ष आए पर्यटकों में से कितने विदेशी पर्यटक थे ;

(घ) क्या वन जीवों और विदेशी पर्यटकों दोनों की संख्या में कमी आ रही है और राष्ट्रीय उद्यान के वन को अन्धाधुन्ध नष्ट किया जा रहा है ; और

(ङ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान के विनाश के कारणों का कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कदम उठाए गए हैं।

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही हैं तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में जनजातीय विकास सम्बन्धी कार्यकारी दलों का गठन

4203. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं, जिन्होंने अब तक जन-जातियों के रूढ़िजन्य विधि के प्रश्न पर विचार करने के लिए अध्ययन दल गठित किये हैं और उनकी संहिता क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : जनजातियों के रुढ़ि जन्य विधि और उनके संहिताकरण के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए कोई अलग अध्ययन ग्रुप गठित नहीं किया गया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार यह कार्य संलग्न विवरण में दिए गए विवरण के अनुसार भिन्न-भिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में विशिष्ट एजेन्सियों द्वारा किया जाता है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एजेंसी
1.	असम	विधि अनुसंधान संस्थान, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गोहाटी उच्च न्यायालय।
2.	बिहार	बिहार जनजाति कल्याण अनुसंधान संस्थान, रांची
3.	गुजरात	जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, अहमदाबाद।
4.	हिमाचल प्रदेश	जनजाति विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
5.	केरल	केरल इन्स्टीट्यूट फार रिसर्च ट्रेनिंग एण्ड डिवलेपमेंट स्टडीज आफ शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राईब्स कोझीकोड।
6.	राजस्थान	एम० एल० वी० जनजाति अनुसंधान संस्थान, उदयपुर।
7.	सिक्किम	विधि आयोग, सिक्किम, गंगटोक।
8.	तमिलनाडु	अन्ध्रोपोलोजी विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास।
9.	त्रिपुरा	विधि अनुसंधान संस्थान, पूर्वी क्षेत्र, गोहाटी उच्च न्यायालय।
10.	अरुणाचल प्रदेश	विधि अनुसंधान संस्थान, पूर्वी क्षेत्र, गोहाटी उच्च न्यायालय।
11.	—	अन्ध्रोपोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, कलकत्ता।

राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषदों की सदस्य-रचना

4204. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह **मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जनजातीय सलाहकार परिषदों की सदस्य रचना, शक्तियों और कृत्य क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : जनजाति सलाहकार परिषद समिति की सदस्य रचना संलग्न विवरण में दी गई है । जैसाकि संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 (2) में दिया गया है, जनजाति सलाहकार परिषद राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उत्थान से सम्बन्धित ऐसे मामलों में, जो उसे राज्यपाल द्वारा भेजे जाते हैं, सलाह देती है ।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	अध्यक्ष	जनजाति सलाहकार परिषद की सदस्य रचना				
		जनजाति विधायकों की संख्या	अन्य जनजाति प्रतिनिधियों की संख्या	अधिकारियों की संख्या	अन्य (संख्या)	कुल (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	जनजाति कल्याण मन्त्री प्रभारी	15	1	3	—	20
2. बिहार	मुख्यमन्त्री, अध्यक्ष और जनजाति कल्याण मन्त्री, उप-अध्यक्ष	15	—	3	—	20
3. गुजरात	जनजाति कल्याण प्रभारी मन्त्री (अध्यक्ष को छोड़कर जो जनजाति विधायक भी हैं)	16	2	1	—	20
4. हिमाचल प्रदेश	मुख्यमन्त्री	3	13	3	—	20
5. मध्य प्रदेश	मुख्यमन्त्री	16	2 (एक संसद सदस्य)	—	1	20
6. महाराष्ट्र	मुख्यमन्त्री	15	2	2	—	20
7. उड़ीसा	मुख्यमन्त्री	15	3	—	1	20

1	2	3	4	5	6	7
8. राजस्थान	जनजाति क्षेत्र विकास विभाग मन्त्री उप-अध्यक्ष, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग के उप मन्त्री	11	1 (संसद सदस्य)	3	3	20
9. तमिलनाडु	मन्त्री, आदि-द्रविड़ार कल्याण	3	13	2	1	20
10. पश्चिमी बंगाल	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, प्रभारी मन्त्री	15	—	—	4 (1 संसद सदस्य)	20

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का नया टी० वी० ट्यूब संयंत्र चालू किया जाना

4205. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का एक नया टी० वी० ट्यूब संयंत्र चालू होने के लिए तैयार है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त नये टी० वी० ट्यूब संयंत्र में प्रति वर्ष किस प्रकार के टी० वी० ट्यूब निर्मित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) देश में रंगीन टी० वी० ट्यूब बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम०एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) भारत इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड ने बंगलौर में श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबों की तकनीकी विनिर्माण-क्षमता को प्रतिवर्ष 200,000 नग से बढ़ाकर अतिरिक्त 100,000 नग तक करके अपनी विनिर्माण-क्षमता में अभिवृद्धि की है। 1000,000 ट्यूबों का यह नया संयंत्र मई, 1984 में चालू किया गया तथा इसमें अब उत्पादन हो रहा है। भारत इलेक्ट्रानिकी लि० को तलोजा, महाराष्ट्र में प्रतिवर्ष 500,000 श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबों की उत्पादन-क्षमता वाले एक नए संयंत्र की स्थापना के लिए भी आशय-पत्र मिला हुआ है। बंगलौर और तलोजा स्थित दोनों ही संयंत्रों की स्थापना श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए की गई है। तलोजा स्थित संयंत्र से मुख्यतः 51 से०मी० पर्दे के आकार वाले ट्यूबों की मांग को पूरा किया जाएगा जबकि बंगलौर स्थित संयंत्र में अन्य आकारों के ट्यूबों के विनिर्माण की भी सुविधा प्रदान की गई है।

(ग) निम्नलिखित तीन इकाइयों को रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए आशय-पत्र जारी किए गए हैं :—

1. मैसर्स पंजाब डिस्प्ले डिवाइसिज लिमिटेड (पी०डी०डी०एल०)

2. मैसर्स उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिकी निगम (अप्ट्रान)

3. मैसर्स आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रानिकी विकास निगम (ए०पी०ई०डी०सी०)

मैसर्स पी० डी० डी० एल० ने अपेक्षित स्तर की प्रौद्योगिकी तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली है, जबकि अन्य दो इकाइयां इस समय सम्भावित विदेशी सहयोग-कर्ताओं के साथ समझौता-वार्ता कर रही हैं।

कृत्रिम रेशे के कुप्रभाव पर अनुसन्धान

4206. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत किसी अनुसन्धान संस्था ने भारत में भिन्न-भिन्न जलवायु के सन्दर्भ में एक्रिलिक और अन्य प्रकार के कृत्रिम रेशों के प्रयोग से त्वचा पर पड़ने वाले दीर्घावधि प्रभाव के बारे में सघन अनुसन्धान करने सम्बन्धी कोई सुपरिभाषित कार्यक्रम शुरू किया गया है अथवा उसे सौंपा गया है ;

(ख) यदि हां, तो किए गए विभिन्न प्रयोगों और अनुसन्धानों के क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या जलवायु की स्थिति को ध्यान में रखते हुए देश में कुछ अशरण्य क्षेत्रों में इस प्रकार के रेशों के निरन्तर प्रयोग से पड़ने वाले कुप्रभाव की दृष्टि से सरकार इस प्रकार का अनुसन्धान कराने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस प्रकार के तन्तुओं का विश्व भर में काफी समय से इस्तेमाल किया गया है और भारत में इससे होने वाले किन्हीं प्रतिकूल प्रभावों के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के अनुसन्धान को तुरन्त शुरू करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

औद्योगिक "बाल्वों" का निर्माण

4207. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्रों के लिए आवश्यक औद्योगिक "बाल्वों" का देश में निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) इन संयंत्रों द्वारा देश में और विदेशों से कुल कितने औद्योगिकी बाल्व्रों की खरीद की गई है और कितनों के खरीदे जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इन दो इस्पात संयंत्रों की अनुमोदित सूची में शामिल भारतीय तथा विदेशी औद्योगिक बाल्व निर्माताओं के नाम क्या हैं ;

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) भिलाई तथा बोकारो के इस्पात कारखानों की औद्योगिक बाल्बों की आवश्यकता के अधिकांश भाग की पूर्ति देशीय निर्माताओं द्वारा की जाती है । इन निर्माताओं को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए औद्योगिक बाल्वों की आवश्यकता के बारे में प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है अथवा देशीय निर्माताओं को विशिष्ट टेण्डर जारी किए जाते हैं। दोनों इस्पात कारखानों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयुक्त किस्म के बाल्वों के विकास के लिए उन्हें सहायता भी प्रदान की जाती है। केवल कुछ विशेष प्रकार के बाल्वों का ही आयात किया जाता है क्योंकि देशीय निर्माता उनका निर्माण करने की स्थिति में नहीं है।

(ख) जानकारी नीचे दी गई है :—

कारखाने का नाम	1983-84 खरीदे गए बाल्वों की संख्या			1984-85 कितने बाल्व खरीदने का प्रस्ताव है
	देशीय	आयातित	कुल	
भिलाई	9183	15	9198	2400
बोकारो	4455	शून्य	4455	1260
कुल :	13638	15	13653	3660

(ग) इन कारखानों की अनुमोदित सूची में शामिल देशीय निर्माताओं के नाम तथा उन विदेशी निर्माताओं की सूची जिनसे हाल ही में औद्योगिक बाल्व खरीदे गए हैं, नीचे दी गई है :—

औद्योगिक बाल्व बनाने वाले देशीय निर्माताओं के नाम

1. मै० हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची
2. मै० भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, त्रिची
3. मै० लारसन एण्ड टयूबरो, बम्बई
4. मै० मैकनिल एण्ड मे गोर

5. मै० फोरेस इन्जीनियरिंग, बंगलौर

6. मै० ग्रीव्स काटन, बम्बई

7. मै० इण्डियन बाल्व्स, नासिक

8. मै० किरलोसकर ब्रदर्स लिमिटेड, पुणे

9. मै० हेनलेहमान (इण्डिया), कलकत्ता

10. मै० शिव दुर्गा, कलकत्ता

11. मै० फ्लोसील इन्जीनियर्स, अहमदाबाद

12. मै० जी० एम० दुलई एण्ड सन्स, कलकत्ता

13. मै० ग्लोब इन्जीनियरिंग, बम्बई

14. मै० बर्मेको, नई दिल्ली

15. मै० जे० एन० मार्शल, पुणे

16. मै० क्रिसेन्ट बाल्व्स, बम्बई

17. मै० इकोनो बाल्व्स, मद्रास

18. मै० प्रोसेस एसपेशियलिस्ट, मद्रास

19. मै० वी० के० ई० बाल्व्स, बम्बई

20. मै० हैदर इन्जीनियरिंग वर्कर्स, बम्बई

21. मै० कालीतारा इन्जीनियरिंग, कलकत्ता

22. मै० लेवकान बाल्व्स, कलकत्ता

23. मै० ए० वी० इन्जीनियरिंग, आगरा

24. मै० पेरी बाल्व्स, बम्बई

25. मै० उपाध्याय वाल्व्स, कलकत्ता

26. मै० अमीनचन्द प्यारेलाल

27. मै० लीडर इन्जीनियरिंग वर्कस

28. मै० ए० के० इण्डस्ट्रीज

29. मै० इण्डियन आक्सीजन

30. मै० बाम्बे मेटल एण्ड अलाएस

31. मै० एसोसिएटेड इन्जीनियरिंग वर्कस

32. मै० इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड

33. मै० मकाली इन्जीनियरिंग वर्कस

34. मै० आर० डी० वर्मा एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

35. मै० गीता ग्रान एण्ड ब्रान वर्कस

36. मै० एस० के० अविनाश इण्डस्ट्रीज

37. मै० ए० के० सन्स मैकैनिकिल इण्टरप्राइजेज

38. मै० ज्योति प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

39. मै० फल्यूड सिस्टम

40. मै० ब्लेन्डेन कोल एण्ड कम्पनी प्रा० लि०

41. मै० मेहता नानावती, बम्बई

42. मै० चैमट्रोल्स, कलकत्ता

43. मै० बाल्व इण्डिया, कलकत्ता

44. मै० के० लाल, कलकत्ता

45. मै० स्टीम एण्ड माइनिंग, कलकत्ता

औद्योगिक बाल्व बनाने वाले विदेशी निर्माताओं की सूची

1. मै० क्याजप्रोमएक्सपोर्ट, सोवियत रूस

2. मै० टेकेमेशएक्सपोर्ट, सोवियत रूस

3. मै० मैशीन एक्सपोर्ट, सोवियत रूस

4. मै० जिम्मेरमेनी एण्ड जेनसेन जी०एम०बी०एच०, पश्चिमी जर्मनी

5. मै० कोबईवाल्ब्स, जापान

6. मै० नितेत्सु शोजी कम्पनी लिमिटेड, जापान

चण्डीगढ़ स्थित सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स, लिमिटेड के उत्पादन के लिए विपणन नीति

4208. **श्री दिगम्बर सिंह : क्या प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ स्थित सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड ने अपने उत्पादों के लिए अपनी विपणन नीति बनाई है यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस एकक ने अपने उत्पादों के विपणन के लिए अब तक कोई स्वतन्त्र सर्वेक्षण किया है अथवा कोई एजेन्सी नियुक्त की है यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ;

(ग) सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड के उत्पादों के दस प्रमुख खरीददार सम्भवत: कौन होंगे ; और

(घ) किस तरह के उत्पादों में सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स के चिप्स मिलाए जाएंगे ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड के प्रमुख उत्पाद ये हैं : बड़े पैमाने/बहुत बड़े पैमाने के एकीकृत (एल०एस०आई०/वी०एल०एस०आई०) सेमीकण्डक्टर परिपथ तथा सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित ऐसे परिपथों पर आधारित माड्यूलें। ये परिपथ बढ़ती हुई किस्मों की इलेक्ट्रानिक प्रणालियों, उपस्कर तथा अन्य उत्पादों के मूल निर्माण ब्लाकों के रूप में उपयोग में आते हैं। इस प्रकार से सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड अपने उत्पाद प्रणालियों उपस्कर विनिर्माताओं को बेचता है अन्त्य उपभोक्ता/उपयोगकर्ताओं को नहीं। इस समय देश में बनाई जा रही इलेक्ट्रानिक प्रणालियों/उपस्कर में बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों का अंश काफी कम है। तथापि, सातवीं योजना के दौरान जब दूरसंचार कम्प्यूटर, औद्योगिक प्रक्रिया नियन्त्रण उपस्कर जैसी अनेक प्रमुख वस्तुओं में बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ पर्याप्त मात्रा में उपयोग में लाए जाएंगे और इनका नियमित आधार पर भारी मात्रा में उत्पादन होने लगेगा तब इनमें तेजी से वृद्धि होगी। इनमें से कुछ बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड के विदेशी सहयोगकर्ता अर्थात संयुक्त राज्य अमरीका की अमरीकन माइक्रोसिस्टम्स इनकारपोरेटिड के प्राठक्टरेज में आते हैं ; कुछ को थोड़े-बहुत संशोधनों के बाद ए० एम० आई० परिपथों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है ; और जो शेष बचेंगे उनके लिए सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड को सम्बन्धित अन्त्य उपस्कर में अन्तर्निहित विशेष बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ के डिजाइन को खरीदने या स्वयं बनाने तथा उन डिजाइनों को उनके सहयोगकर्ता (ए० एम० आई०) की उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग में लाई जाने वाली युक्तियों में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी ; इसके साथ-साथ कुछ मामलों में विशेषकर जहां अन्तर्निहित उपस्कर स्वदेश में ही डिजाइन तथा विकसित किया जा रहा है, उपस्कर तथा डिजाइन कर्ता को अपने उपस्कर के डिजाइन में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी ताकि वह सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित बड़े पैमाने

के एकीकृत परिपथ को उपयोग में ला सके। जहां कोई प्रमुख इलेक्ट्रानिक उपस्कर विदेशी प्रौद्योगिकी से विनिर्मित किया जाना है, जैसे फ्रांस की सी० आई० टी० अल्काटेल के विदेशी सहयोग से भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा विनिर्मित की जाने वाली इ०-10 बी० इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों, या ई०पी०ए०बी०एक्स० या इलेक्ट्रानिक टेलीफोनों, सरकार ने निर्णय किया है कि विदेशी सहयोगकर्ता द्वारा सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड को डिजाइन तथा, जहां कहीं जरूरी हुआ, प्रक्रिया विषयक तकनीकी जानकारी बेचनी पड़ेगी ताकि सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड सहयोगकर्ता के स्वामित्व वाले बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों को विनिर्माण कर सके और हमारी कम्पनी (कम्पनियों) को सम्बन्धित उपस्कर के विनिर्माण के लिए उन बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों की बिक्री कर सके। सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों की प्रभावी मांग को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग, सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड तथा उपस्कर विनिर्माताओं के मध्य निकट के समन्वय-कार्य के माध्यम से इन बहु-तन्त्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ-साथ सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों अर्थात ऊर्जा मीटरों में नए अनुप्रयोगों को बढ़ावा दे रहा है। इन अनुप्रयोगों को और आगे बढ़ाने तथा अपने उत्पादों के लिए बाजार में वृद्धि करने के उद्देश्य से सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड ने ऐसी युक्तियों का उपयोग करने में ग्राहकों की सहायता करने के लिए बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों के अनुप्रयोगों में विस्तार करने के लिए एक अनुप्रयोग इन्जीनियरिंग प्रयोगशाला भी स्थापित की है। ग्राहकों के साथ सम्पर्क बढ़ाने तथा हमारे इलेक्ट्रानिकी उद्योग में बड़े सम्भावित ग्राहकों/उपयोगकर्ताओं में बड़े पैमाने/बहुत पैमाने के एकीकृत परिपथ सेमीकण्डक्टरों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड द्वारा तकनीकी संगोष्ठियों और ग्राहकों के साथ बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। अभी तक सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड अपने विपणन-प्रयास साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली पंजाब स्थित मुख्यालय तथा नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय से ही कर रहा है। तथापि, निकट भविष्य में अन्य स्थानों पर भी ऐसे ही बिक्री कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) तथा (घ) सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड द्वारा विनिर्मित/विनिर्मित किए जाने वाले एम० ओ० एस० एल० एस० आई०/वी० एल० एस० आई० सेमीकण्डक्टर परिपथों में उपयोग में आने वाली महत्वपूर्ण उत्पाद श्रेणियों तथा उन उत्पादों के मुख्य विनिर्मातागण नीचे दिए अनुसार हैं :—

(i) डाकतार नेटवर्क के लिए दूरसंचार उपस्कर जैसे इलेक्ट्रानिक टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक पी० ए० बी० एक्स० स्थानीय तथा ट्रंक इलेक्ट्रानिक स्विचन प्रणालियां, पी० सी० एम० अंकीय मल्टीप्लेक्स उपस्कर तथा डाटा मॉडम (विनिर्माता : भारतीय टेलीफोन उद्योग, राज्य इलेक्ट्रानिकी निगम);

(ii) मझोले आकार के कम्प्यूटर लघु कम्प्यूटर, सूक्ष्म कम्प्यूटर और अन्य इलेक्ट्रानिक आंकड़ा संसाधन उपस्कर (विनिर्माता : भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड, राज्य इलेक्ट्रानिकी निगमें जैसे केलट्रॉन और अपट्रान, और निजी क्षेत्र के कम्प्यूटर विनिर्मातागण) ;

(iii) प्रक्रिया संयंत्रों के लिए औद्योगिक नियन्त्रण तथा यन्त्रीकरण (विनिर्मातागण; सार्वजनिक क्षेत्र में ई० सी० आई० एल० बी० एच० ई० एल०, इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड और केलट्रान कन्ट्रोल्स लिमिटेड तथा निजी क्षेत्र में ऐसे उत्पादों के विनिर्मातागण),

(iv) चिकित्सा इलेक्ट्रानिक उपस्कर विनिर्मातागण ;

(v) कृषि इलेक्ट्रानिक उपस्कर विनिर्मातागण ;

(vi) उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक उत्पाद अर्थात अंकीय रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों के विनिर्माता गण ;

(vii) टाइम्स कीपिंग उपस्कर जैसे एनालांग और अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियां तथा दीवार घड़ियां (विनिर्मातागण; हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, राज्य इलेक्ट्रानिकी निगमें तथा निजी क्षेत्र में बड़े और पैमाने के अनेक विनिर्मातागण) ;

(viii) वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं के लिए विशिष्ट प्रकार के उपकरणों/उपस्करों के विनिर्मातागण ;

(ix) कुछ किस्म के घरेलू उपकरणों के विनिर्मातागण ; और

(x) मशीनी औजार नियन्त्रण उपस्कर (विनिर्मातागण : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स तथा निजी क्षेत्र में कम्प्यूटराकृत संख्यात्मक नियंत्रण/संख्यात्मक नियंत्रण मशीनी औजार)।

लार्ज स्केल इंटेगरेटेड चिप्स के लिए लाइसेंस

4209. **श्री विगम्बर सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'लार्ज स्केल इंटेरेगरेटेड चिप्स' से सम्बद्ध उत्पादों के लिए अब तक मंजूर किए आशय पत्रों, औद्योगिक लाइसेंस और विदेशी सहयोग का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस समय लम्बित पड़े ऐसे आवेदनों का ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) बड़े पैमाने के एकीकृत सेमीकण्डक्टर परिपथों का प्रयोग कम्प्यूटरों, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिकी तथा नियंत्रण एवं यंत्रीकरण से लेकर दूर संचार स्विचन तथा सम्प्रेषण प्रणालियों और रक्षा इलेक्ट्रानिक उपस्करों से लेकर उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक उत्पादों तक विभिन्न इलेक्ट्रानिक उपस्करों में किया जाता है। अत: प्रश्न में मांगे गए ब्यौरे सम्भव नहीं हैं।

तमिलनाडु के लिए विद्युत पारेषण योजनाओं की मंजूरी

4210. **श्री एन० डेनिस** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने 1983-84 के लिए विभिन्न राज्यों में कितनी विद्युत पारेषण योजनाएं मंजूर की हैं ;

(ख) 1983-84 में तमिलनाडु के लिए कौन-कौन सी विद्युत पारेषण योजनायें मंजूर की गई हैं ; और

(ग) उनका ब्योरा क्या है ?

योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) योजना आयोग ने 1983-84 के दौरान छः विद्युत ट्रांसमिशन स्कीमें मंजूर कीं।

(ख) और (ग) योजना आयोग के पास तमिलनाडु के लिए 1983-84 में कोई विद्युत ट्रांसमिशन स्कीम मंजूरी के लिए नहीं भेजी गई।

जम्मू और कश्मीर के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

4211. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा आबंटन भेजे जाने की तारीख 1982 में समाप्त हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू और काश्मीर के तथाकथित स्वतन्त्रता सेनानियों के बहुत से आवेदन पत्र उन्हें उसके बाद भेजे गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(घ) ऐसा करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) उपर्युक्त आवेदनों में से कितने व्यक्तियों को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन मंजूर की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) अन्तिम तारीख के बाद जम्मू व कश्मीर से लगभग 3800 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ङ) अब तक विलम्ब के 4 मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई है।

छटनी हुए जनगणना-कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति

4212. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय देश भर में जनगणना कार्य पूरा करने के लिए उत्तरदायी है ;

(ख) क्या यह सच है कि जनगणना कार्य के पूरा होने के बाद उनके मंत्रालय ने, विभिन्न राज्यों में लगे बिहार के 3 हजार कर्मचारियों सहित कुल 36 हजार कर्मचारियों की छटनी कर दी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन कर्मचारियों को सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता देने का है।

(घ) यदि हां, तो जनगणना विभाग के राज्य-वार कितने कर्मचारियों को अब तक फिर से नियुक्त किया गया है ; और

(ङ) शेष व्यक्तियों को फिर से नियुक्त करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) तथा (ङ) ऐसे छटनी किए गए जनगणना कर्मचारी जो रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती किए गए थे और जिन्होंने अपनी छंटनी होने से पहले 6 महीने की सेवा पूरी कर ली थी, को रोजगार कार्यालयों में समीशन रोस्टरों में उच्च अग्रता दी जाती है । उनको केन्द्रीय सरकार में ग्रुप "ग" में सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये उनकी छटनी किए जाने से पहले की गई सेवा की समयावधि के अतिरिक्त 3 वर्ष तक आयु सीमा में छूट दी गई है । इसके अतिरिक्त वे दिसम्बर 1985 के अन्त तक ग्रुप "ग" पदों में भर्ती के लिये कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के भी पात्र हैं बशर्ते वे उस समय जब वे जनगणना संगठन में भर्ती किए गए अपनी आयु शैक्षिक अर्हताओं, अनुभव आदि के आधार पर इन परीक्षाओं में बैठने के पात्र थे ।

(घ) विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पदों पर भर्ती सारे देश में अलग-अलग समय पर भिन्न-भिन्न स्रोतों और माध्यमों द्वारा भिन्न-भिन्न स्तरों पर अनेक नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा की जाती है और ऐसी कोई केन्द्रीकृत एजेंसी नहीं है जिससे यह सूचना उपलब्ध हो सके ।

परमाणु विद्युत केन्द्रों से विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति

4213. **श्री मनोहर लाल पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु विद्युत केन्द्रों से देश की बिजली की आवश्यकता की पूर्ति हेतु शीघ्र कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसे कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) सन 2000 तक परमाणु बिजली पैदा करने की स्थापित क्षमता बढ़ाकर 10,000 मेगावाट कर देने की एक भावी योजना इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का पूरा होना

4214. **श्री अनन्त रामुलु मतालु** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को पूरा करने के लिए कुल कितने परिव्यय की आवश्यकता है और इस संयंत्र के प्रथम और द्वितीय चरणों को पूरा करने के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है ;

(ख) प्रथम चरण के कब तक पूरा होने की सम्भावना है और इस परियोजना पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ;

(ग) क्या इस परियोजना के निर्माण-कार्य की प्रगति निर्धारित समय-क्रम के अनुसार हो रही है और क्या इस पर जितनी धनराशि अब तक खर्च किए जाने की आवश्यकता थी उतनी खर्च की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) वर्ष 1981 की चौथी तिमाही के मूल्यों के आधार पर विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने का स्वीकृत लागत अनुमान 3897.28 करोड़ रुपए है। मूल्यों में वृद्धि तथा अतिरिक्त मदों की खरीद के आधार पर परियोजना के संशोधित लागत अनुमानों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) परियोजना के प्रथम चरण के वर्ष 1987-88 में पूरा होने की सम्भावना है। 31-7-84 तक इस परियोजना पर 1143.4 करोड़ रु० खर्च हो चुके हैं।

(ग) और (घ) यद्यपि कुछ क्षेत्रों में काम पिछड़ गया है तथापि समग्र रूप से परियोजना का निर्माण कार्य सामान्यतः संतोषजनक ढंग से चल रहा है। धनराशि आवश्यकतानुसार खर्च की गई है।

उड़ीसा में रीजनल सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन सैण्टर्स (आर० एस० आई० सी०) कार्यक्रम चलाना

4215. **श्री के० प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए रीजनल सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन सैन्टर्स से सम्बन्धित कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा में वैज्ञानिक समुदाय के लोगों को आगे अनुसंधान करने के लिए अत्याधुनिक उपकरण सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया है ;

(ख) क्या निकट भविष्य में नेल्को की स्थापना हो जाने के बाद सरकार उस राज्य में भी आर० एस० आई० सी० कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) क्षेत्रीय परिष्कृत यंत्रीकरण केन्द्रों (आर० एस० आई०

सी०) के कार्यक्रम में ऐसे केन्द्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई है जो क्षेत्रीय आधार पर परिष्कृत यंत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। बोस इन्स्टीट्यूट कलकत्ता में एक आर० एस० आई० सी० सैन्टर है और इण्डियन एसोशिएशन फार कल्टीवेशन ऑफ साइन्सिज (आई० ए० सी० एस०) कलकत्ता में एक लिक्विड हीलियम सुविधा है। ये सुविधाएं उड़ीसा सहित पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के वैज्ञानिकों की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

(ख) और (ग) अतिरिक्त आर० एस०आई० सी० केन्द्रों की स्थापना करने के प्रश्न पर सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसको अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, के दौरान विचार किया जाएगा।

सातवीं योजना के दौरान आदिवासी महिलाओं के लिए कल्याण योजना

4216. **श्री के० प्रधानी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के उत्थान और लाभ के लिए कौन-सी विशेष योजनाएं शुरू की जाने वाली हैं और क्या इस बारे में रूपरेखा तैयार कर ली गई है अथवा तैयार की जा रही है ; यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के उत्थान के लिए केन्द्र और राज्यों की योजनाओं में लाभ की मात्रा निश्चित करने के लिए कौन सा तंत्र बनाया जा रहा है जो वास्तव में उड़ीसा जैसे आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों "टार्गेटग्रुपों" और आदिवासी परिवारों को दिए जाते हैं ?

योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) की नीति से सम्बन्धित पत्र सदन के पटल पर रखा जा चुका है। इसमें अनुसूचित जातियों के विकास के लिए कार्यनीति बताई गई है। इसके अतिरिक्त इससे पता चलता है कि जनजातीय महिलाओं के लिए विशेष स्कीमें शुरू की जाएंगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार की जानी है और ब्यौरे भी अभी तैयार किए जाने हैं।

जल प्रदूषण नियंत्रण कानून

4217. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में प्रदूषण के स्रोत के रूप में औद्योगिक अपस्रावों के गंभीर रूप से बढ़ते जाने को रोकने के लिए वर्तमान जल प्रदूषण नियंत्रण कानूनों को पर्याप्त समझती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का सदण्ड औद्योगिक एककों को दण्ड देने के लिए सम्बद्ध उपबन्धों में संशोधन करने का बिचार है।

पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) जल प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम, 1974 की वर्तमान वैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार दुःशास्य औद्योगिक एककों पर मुकदमा चलाना संभव है। बहरलाल केन्द्रीय बोर्ड ने अधिनियम में संशोधन सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया ताकि कानूनों को और मजबूत बनाया जा सके, समिति ने अपनी सिफारिशें हाल ही में प्रस्तुत की है।

अहमदाबाद में "आदित्य" परियोजना शुरू करना

4218. **श्री सूरज भान : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नियंत्रित संगलन (फयूजन) से बिजली बनाने के लिए अहमदाबाद में "प्लाज्मा फिजिक्स प्रोग्राम"—"आदित्य" परियोजना शुरू की है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें, प्रगति और अनुमानित व्यय क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) "आदित्य" एक प्रायोगिक उपकरण (युक्ति) है जिसकी संविरचना उच्च ताप प्लाज्मा की स्थिरता, परिरोध और परिवहन का अध्ययन करने के लिए और इन क्षेत्रों में आधारभूत प्रयोगों को करने के लिए किया जा रहा है। नियंत्रित फ्यूजन (संगलन) के माध्यम से बिजली का उत्पादन करना इस परियोजना, जिसको सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है, के लक्ष्यों में से नहीं है। इस परियोजना के संकल्पनात्मक और इन्जीनियरी डिजाइन पूरे कर लिए गए है। इसकी विभिन्न उप प्रणालियां संविरचित किए जाने की प्रक्रिया में है। इस परियोजना पर लागत जिसने प्रयोगशालाओं उपस्कर सुविधाओं पर लागत और वैज्ञानिक तथ अन्य कर्मचारियों पर व्यय भी शामिल है, का लगभग 9.00 करोड़ रुपए तक अनुमान लगाया गया है। इस परियोजना के 1986 में चालू किए जाने की आशा है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन को मंजूरी

4219. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1984 को सरकार के पास स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के राज्य वार कितने दावे लंबित पड़े थे ; और

(ख) क्या सरकार ने सभी मामलों का निपटान करने और इस सम्बन्ध में सारे काम को पूरा करने के लिए समय सीमा नियुक्त की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है।

(ख) सभी मामलों के निपटाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना कठिन है क्योंकि सरकार को उनकी सजा के दावों की जांच के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है।

विवरण

स्वतन्त्रता सेनानियों के (राज्यवार) लम्बित पड़े दावे

1.	आन्ध्रप्रदेश	3464
2.	असम	8447
3.	बिहार	30979
4.	गुजरात	152
5.	हरियाणा	330
6.	हिमाचल प्रदेश	36
7.	जम्मू व कश्मीर	1058
8.	केरल	12633
9.	कर्नाटक	4773
10.	मेघालय	2
11.	मणिपुर	35
12.	मध्य प्रदेश	67
13.	महाराष्ट्र	10598
14.	नागालैंड	10
15.	उड़ीसा	4947
16.	पंजाब	1652
17.	राजस्थान	89
18.	तमिलनाडु	202
19.	त्रिपुरा	369
20.	उत्तर प्रदेश	2693
21.	पश्चिम बंगाल	40258

22.	सिक्किम	—
	संघ शासित क्षेत्र	
23.	अंडमान और निकोबार	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	4
25.	चण्डीगढ़	19
26.	दिल्ली	7
27.	गोआ	744
28.	मिजोरम	—
29.	पाण्डेचेरी	433

दिल्ली की जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़े

4220. **श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की कुल जनसंख्या कितनी है ; और

(ख) उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार दिल्ली के लोगों की मातृभाषाओं का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार दिल्ली संघ शासित क्षेत्र की जनसंख्या 6220406 है।

(ख) 1981 की जनगणना के अनुसार अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि सारणियों की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। फिर भी 1971 की जनगणना के आधार पर भाषा/मातृभाषा सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित खंड, "भारत की जनगणना, 1971, भारत श्रंखला-I, भाग-II-सी (I) सामाजिक तथा सांस्कृतिक सारणियों" में उपलब्ध हैं।

जेलों में नक्सलवादी बन्दी

4221. **श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न जेलों में कितने नक्सलवादी बंदी हैं ;

(ख) उनको राजनैतिक बन्दियों की तरह रखा जा रहा है अथवा साधारण बन्दियों की तरह ;

(ग) वे कितने समय से जेलों में हैं ;

(घ) उनमें उम्र-कैद की सजा पाए हुए कितने व्यक्ति हैं ;

(ङ) क्या उनमें से अनेक लोगों को राजनैतिक अथवा साधारण किसी भी प्रकार के बन्दी की सुविधा नहीं मिल रही है ; और

(च) क्या सरकार का विचार उनको राजनैतिक बन्दी की तरह मानने के सम्बन्ध में आदेश जारी करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए विशेष कार्यक्रम

4222. **श्री ए० नीलोहितादसन नाडार** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ख) क्या इसके लिए सरकार सातवीं योजना अवधि के दौरान कोई विशेष कार्यक्रम बना रही और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) शान्त घाटी क्षेत्र में सरकार का कैसे पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने का विचार है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) पारिस्थितिकी संतुलन के लिए उठाए गए कदमों में, कानून को लागू करना तथा प्रदूषण नियन्त्रण के लिए प्रोत्साहन तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षणज्यनीकरण तथा मृदा संरक्षण कार्यक्रम पर्यावरणीय अनुप्रभाव आंकलन तथा विकास परियोजनाओं का प्रबोधन ; निम्नीकृत क्षेत्रों के भू-उधार हेतु समन्वित पारि-विकास कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर पर्यावरणीय जागरूकता के विकास हेतु अभियान तथा केन्द्र व विभिन्न राज्यों में पर्यावरण विभागों की स्थापना हैं।

(ख) सातवीं योजना अवधि के लिए प्रस्तावित विशेष कार्यक्रम हैं, एक राष्ट्रीय संरक्षण योजना तैयार करना, जीवमंडल रिजर्वो के रूप में सुरक्षिन क्षेत्रों की एक ग्रिड की स्थापना, पर्यावरणीय प्रबन्ध हेतु राज्य स्तर की संरचनाओं की स्थापना की ओर उत्प्रेरक समर्थन ; चयन किए गए क्षेत्रों में पारि-विकास हेतु निदर्शन परियोजनाये अनुसंधान तथा जन-शक्ति प्रशिक्षण का संवर्धन ; पर्यावरणीय जागरुकता के लिए गहन अभियान तथा एक राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन संस्था एवं जोखिम वाले पदार्थों के नियन्त्रण हेतु एक वैधानिक प्राधिकरण की स्थापना को सम्मिलित करते हुए, प्रदूषण के नियन्त्रण प्रबोधन हेतु अवसंरचना सुविधाओं का पुष्टिकरण।

(ग) शांत घाटी (साइलैन्ड वैली) क्षेत्र को पहले ही एक राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित कर दिया गया है। इसके इस क्षेत्र में स्थापित होने वाले नीलिगिरी जीवमंडल रिजर्व के अभ्यन्तर (कोर) क्षेत्र के रूप में सुरक्षित करना, प्रस्तावित किया गया है।

धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक चकमा बौद्धों की उपेक्षा

4223. **श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संघ क्षेत्र मिजोरम में बसे धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक चकमा बौद्धों की सर्वथा उपेक्षा किए जाने के बारे में 7 जुलाई, 1984 के अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं / करने का विचार हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) योजना आयोग ग्रामीण संचार, जल आपूर्ति, सफाई और वनों के विकास के लिए प्रत्येक जिला परिषद् अर्थात पावी, लखोर और मिजोरम के जिला छिस्तुईपुई में चकमा के लिए विनिर्दिष्ट परिव्यय की व्यवस्था करता है। 1983-84 को वार्षिक योजना में इस प्रयोजना के लिए 20 लाख रुपए को व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त तीनों जिला परिषदों के विकास के लिए संघ शासित क्षेत्र की वार्षिक योजना के विभिन्न शेषों से धन उपलब्ध कराकर 1983-84 को वार्षिक योजना में 4.98 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी।

पंजाब में सैनिक कार्यवाही के दौरान गिरफ्तार किए गए/मारे गए विदेशी लोग

4224. **श्री एन० के० शेजवलकर :**

श्रीमती विद्या चेन्नुपति :

श्री पी० राजगोपाल नायडू :

श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में हाल की सैनिक कार्यवाही के दौरान पाकिस्तान या अन्य देशों के कितने लोग गिरफ्तार किए गए अथवा मारे गए ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : गिरफ्तार किए गए 38 व्यक्तियों को अब तक विदेशियों के रूप में पहचाना गया है। कार्यवाही के दौरान मारे गए किसी विदेशी के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

विदेशी साधु द्वारा भूमि की खरीद

4225. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री जगपाल सिंह :

श्री कमल नाथ :

श्री जयपाल सिंह कश्यप :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जुलाई, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "फारेन साधुज बांइंग अप लैंड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि साधुओं के वेश में अमेरिका, जर्मनी और स्विटजरलैंड के विदेशी लोगों का एक दल ऋषिकेश में लाखों रुपये के मूल्य की भूमि और भारी संपत्ति स्विटजरलैंड में जासूसी, हत्या तथा अन्य अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे ओंकारनन्द नामक एक भारतीय के नाम से खरीद रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन विदेशियों की गतिविधियों के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं और उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) यह सूचना है कि श्री दुर्गा मन्दिर-ओंकारानन्द आश्रम, मुनि की रेती, ऋषिकेश के नाम में कुछ प्लाट खरीदे गए हैं । इनके कार्य की देखभाल पांच सदस्यों की एक समिति द्वारा की जा रही है । इस समिति के चार सदस्य भारतीय हैं । स्वामी ओंकारानन्द जो स्विटजरलैंड में हैं के चार विदेशी शिष्यों (तीन स्विटजरलैंड और एक जर्मनी निवासी) को 30 सितम्बर, 1984 तक भारत में ठहरने की अनुमति दी गई है । उनके विपरीत कोई बात ध्यान में नहीं आई है ।

कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को उत्प्रवास मंजूरी की अपेक्षाओं से छूट

4226. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल में पारिपत्र जारी करने वाले अधिकारियों को विदेश जाने वाले कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को उत्प्रवास मंजूरी (क्लीयरेंस) की अपेक्षाओं से छूट देने के लिए अधिकृत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) दिनांक 30-6-84 के आदेश संख्या VIII/383/4/84 के अनुसार उत्प्रवासन अनुमति की अपेक्षा से जिन विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को छूट दी गई है वे इस प्रकार हैं :—

1. होटलों, रेस्टोरेन्टों, टी-हाउसों और अन्य सार्वजनिक सैरगाहों इत्यादि में प्रबन्धकीय स्थिति में विदेश जाने वाले वे व्यक्ति जिनके पास इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ की उपाधि है ।

2. सभी वृत्तिक उपाधि धारक जैसे डाक्टर, प्रत्यायित पत्रकार (जो आयकर नहीं देते परन्तु उनके पास पत्रकारिता में वृत्तिक उपाधि है) इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कास्ट एकाउन्टेन्ट, प्राध्यापक, अध्यापक, वैज्ञानिक, एडवोकेट, इत्यादि।

3. सभी राजपत्रित सरकारी कर्मचारी।

4. अपनी व्यष्टिगत हैसियत से सभी आयकर निर्धारिती/दाता।

5. सभी स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा धारी जिनके पास उस व्यवसाय की भी डिग्री हो।

6. सभी नाविक जिनके पास सी० डी० सी० है और सभी इन्जीनियरी सी-कैडेट प्रशिक्षणार्थी, जिनके पास सी० डी० सी० नहीं है।

7. पासपोर्ट धारी जिनके पास विवाह के लिए प्रवेश पत्र है अथवा जो अपने माता-पिता के पास जा रहे हैं या जिनके पास रोजगार वीसा है।

8. 21 वर्ष तक की आयु के जिन बच्चों के पास "ई० सी० एन० आर०" है उनके लिए तब तक प्रतिबन्ध है जब तक वे 21 वर्ष के नहीं हो जाते।

9. पासपोर्टधारी ऐसे व्यक्ति जिनके पास यू० के०, अमरीका, कनाडा और पश्चिमी यूरोपीय देशों का स्थायी आप्रवासन वीसा है जो वहां स्थायी रूप से बस गए हैं।

10. उपर्युक्त (1) से (4) में सूचीकृत श्रेणियों के व्यक्तियों के पति-पत्नी और आश्रित बच्चे।

उपर्युक्त श्रेणियों के अलावा जो व्यक्ति विदेशों में लगातार या टूटी हुई अवधियों में विदेश में तीन वर्ष से अधिक समय तक रह चुके हों उन्हें भी "उत्प्रवासन जांच अपेक्षित नहीं" वर्ग में रखा गया है क्योंकि वे उत्प्रवासियों की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते।

जिन अनिवासी भारतीयों की यात्रा किसी विदेश से शुरू और खत्म होती है और जिनके पास वापसी टिकट है वे भी उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 की परिधि में नहीं आते। सरकारी और राजनयिक पासपोर्ट धारकों को भी छूट प्राप्त वर्ग में रखा गया है।

दिल्ली पुलिस में "कमांडो" बल का बनाया जाना

4227. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस में विशेष प्रशिक्षण और हथियारों से लैस "कमांडो-बल" बनाया गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय मन्त्रियों सहित अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए इस बल की नियुक्ति की जाएगी ;

(ग) इस बल पर प्रारम्भिक तथा आवर्ती दोनों प्रकार का कितना खर्च होने का अनुमान है ; और

(घ) क्या दिल्ली में डकैतियों और आतंक की बढ़ती हुई घटनाओं के मुकाबले के लिए भी "कमांडो" का इस्तेमाल किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) दिल्ली पुलिस की वर्तमान संख्या में से एक कमांडो बल बनाने की स्वीकृति दे दी गई है। इस बल में 150 कार्मिक होंगे और उनमें से अधिकांश ने पहले ही प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है।

(ख) कमांडो बल का उपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और जब आवश्यक होगा आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए किया जाएगा।

(ग) प्रशिक्षण पर 80,000/-रुपए खर्च होने की सम्भावना है और प्रति वर्ष एक लाख रुपए कमांडो बल के कार्मिकों को ग्राह्य विशेष भत्ते अदायगी पर खर्च होगा।

(घ) जब आवश्यक होगा तो कमांडो बल का उपयोग किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल के 24-परगना जिले में सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा डकैतियां

4228. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि बंगलादेश में शरणार्थी व्यक्तियों की बार-बार घुसपैठ के कारण पश्चिम बंगाल के 24-परगना जिले के सीमा क्षेत्रों में सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा डकैतियों के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है ;

(ख) क्या ऐसे अपराध तत्वों को पकड़ने का कार्य करने में सीमा सुरक्षा बल अभी तक असफल सिद्ध हुआ है ; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में सीमा पर कड़ा नियन्त्रण रखने तथा डकैतियों और अपहरणों की घटनाओं की रोकथाम के लिए कोई अन्य उपाय किए जाएंगे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) 24-परगना के सीमान्त क्षेत्रों में इस वर्ष डकैती के केवल दो मामले हुए और एक मामले में बंगलादेश के अपराधियों के अंतर्ग्रस्त होने का संदेह है।

(ख) सीमा सुरक्षा बल ने दोनों मामलों में तत्काल कार्रवाई की। सीमा सुरक्षा बल पूर्णत: सावधान और सतर्क है।

(ग) 1983 के दौरान, सीमा सुरक्षा बल की दो बटालियनें बनाई गई और पश्चिमी बंगाल बंगला देश सीमा पर तैनात की गयी। 1984 के दौरान सीमा सुरक्षा बल की तीन और बटालियनें बनाई गई और इस सीमा पर तैनात की गयी। पांच अतिरिक्त बटालियनों के तैनात करने और युक्ति-युक्त तैनाती के परिणामस्वरूप 24-परगना में 9 अतिरिक्त सीमा बाह्य चौकियां बनायी गयी हैं।

दरियागंज पुलिस स्टेशन में अनुसूचित जाति के एक युवक को यातनायें दी जाना

4229. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दरियागंज (दिल्ली) पुलिस स्टेशन में 28 जून को अनुसूचित जाति के एक युवक को दी गई यातनाओं के बारे में 5 जुलाई, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार को देखा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) श्री देश राज जिसको 28 जून, 1984 को चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए दरियागंज पुलिस स्टेशन में ले जाया गया था, ने शिकायत की है कि थाने के सहायक उपनिरीक्षक सुखदेव द्वारा उसकी पीटाई की गई और उसको छोड़ने के लिए 550/-रुपए की रिश्वत भी ली थी।

(ग) सतर्कता जांच का आदेश दिया गया है और आगे कार्रवाई जांच रिपोर्ट के प्राप्त होने पर की जाएगी। इस दौरान सहायक उपनिरीक्षक सुखदेव को जिला लाइन्स में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

पंच वर्षीय योजनाओं में उल्लिखित जन जाति विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन

4230. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान शुरू किए गए विभिन्न जन जाति विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप सरकार ने इन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, स्तर कुशलता की निगरानी और उपयोगिता के लिए जनजाति क्षेत्रों हेतु समुचित प्रभावी ढांचे और कार्मिक नीतियों में सुधार करने हेतु कोई तंत्र तैयार किया है ताकि जनजातियों के सर्वाधिक कमजोर वर्गों को उनके लाभ वास्तव में मिल सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) शुरू की पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विभिन्न जाति विकास कार्यक्रमों के कार्यकरण और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासनिक प्रबन्धों तथा कार्मिक नीतियों के बारे में सरकार द्वारा गठित समितियों और अध्ययन दलों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, जनजाति क्षेत्र प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाते हैं। इस समय अधिकांश जनजाति पट्टियों में आई० टी० डी० पी० प्रकार के संगठन प्रचलित हैं, जिनका अध्यक्ष एक परियोजना—प्रशासक होता है। आदिवासियों के घनी आबादी वाले तथा मूल आदिवासियों वाले क्षेत्रों के लिए विशेष परियोजनाओं के वास्ते विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। गृह मन्त्रालय तथा योजना आयोग हर वर्ष जनजाति कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं। राज्य

स्तर पर, जनजाति विकास कार्यक्रमों का नियमित रूप से समन्वय करने, समीक्षा करने और मानिटर करने के लिए मुख्यमन्त्री/मुख्य सचिव/विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समितियां बनाई गई हैं। परियोजना स्तर पर, जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में कार्यान्वयन समितियां हैं, जो कार्यक्रमों की समीक्षा व मानीटरिंग करती हैं। जनजाति क्षेत्र में प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए परियोजना स्टाफ को पर्याप्त प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। जनजाति क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिए जाते हैं। स्टाफ क्वार्टरों की स्थिति सुधारने के लिए, इस प्रयोजन के वास्ते पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किया जा रहा है। सातवें और आठवें वित्त आयोगों ने जनजाति प्रशासन का स्तर ऊपर ऊंचा करने के लिए अलग पुरस्कारों की है। उल्लिखित अनेक मानिटरिंग तथा समीक्षा समितियां और राज्य सरकार के स्तर पर बनाए गए मानिटरिंग सैल भी यह सुनिश्चित करते हैं कि लाभ जनजातियों तक पहुंचे, जिनमें उनमें से सर्वाधिक कमजोर ग्रुप भी शामिल हैं।

भारत सोवियत बुद्धिजीवियों का सम्मेलन

4231. **श्री एन० के० शेजवलकर : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत-सोवियत बुद्धिजीवियों के सम्मेलन, जैसाकि 17 जून 1984 के नेशनल हेराल्ड, नई दिल्ली में समाचार है, की गतिविधियों की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन के भारतीय सदस्यों के नाम क्या हैं और उनकी सम्बद्ध स्थिति क्या है ;

(ग) फ्रेंड्स आफ द सोवियत यूनियन, इंडो सोवियत कलचरल सोसाइटी (आई० ए० सी० यू० एस०) सी० पी० आई० और सी० पी० एम० संगठन के सदस्य कौन कौन हैं ; और

(घ) क्या उक्त सम्मेलन के भारतीय सदस्यों ने इसके लिए मन्त्रालय से स्वीकृति ले ली थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (घ) सरकार ने यह खबर देखी है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के बारे में एक सम्मेलन मास्को में जून, 1984 के दूसरे सप्ताह में हुआ था जिसमें भारत और सोवियत संघ के विद्वानों ने भाग लिया। इसमें जिन भारतीयों ने भाग लिया था उनके नाम और पदनाम नीचे दिए गए हैं :—

(1) श्री टी० एन० कौल, भूतपूर्व विदेश सचिव, भारत सरकार।

(2) प्रो० एम० एन० श्री निवास, वरिष्ठ पुरस्कार विजेता होमी भाभा शिक्षावृत्ति।

(3) प्रो० रशीदुदीन खां, राजनीतिक अध्ययन केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय।

(4) प्रो० मूनिस रजा, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान।

(5) प्रो० वरुण डे, निदेशक समाज विज्ञान अध्ययन केन्द्र।

(6) प्रो० सी० एन० चक्रवर्ती, प्रो०, रशियन भाषा विभाग, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय।

(7) श्री के० सुब्रह्मण्यम, निदेशक, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान।

(8) प्रो० वी० पी० दत्त, प्रोफेसर, चीनी एवं जापानी अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।

(9) श्री ए० के० दामोदरन, राजनयिक अध्ययन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय।

(10) प्रो० एस० गोपाल, प्रोफेसर एमरिटस, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय।

(11) प्रो० के० आर० सिंह, सदस्य, पश्चिम एशियाई अध्ययन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय।

(12) श्री निखिल चक्रवर्ती, सम्पादक, मेनस्ट्रीम।

(13) श्री एम० नरसिंहम, भूतपूर्व सचिव, वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग भारत सरकार।

(14) श्री डी० डी० नरूला, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव।

(15) श्री संजीत सिन्हा, भारतीय समाज विज्ञान परिषद प्रतिनिधि मण्डल के स्टाफ के सदस्य।

यह संगोष्ठी भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद और सोवियत समाज विज्ञान अनुसंधान संस्था के बीच सहयोग करार की रूपरेखा में हुआ। इन संगठनों ने यानी फ्रैंड्स आफ सोवियत यूनियम, इन्डो-सोवियत कल्चरल सोसायटी, सी० पी० आई० और सी० पी० एम० ने हिस्सा नहीं लिया था। भारत से भाग लेने वालों ने सरकार से यथा अपेक्षित अनुमति ले ली थी।

पुलिस द्वारा स्थायी (स्टाक) गवाहों को बार-बार पेश किया जाना

4232. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसाकि 7 जुलाई, 1984 के "पेट्रियट" में प्रकाशित हुआ है कि अतिरिक्त चीफ मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए दिल्ली पुलिस की कटु निन्दा की है कि वह किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाने की कोशिश करते रहे हैं जो अन्य 5 वर्षों से अधिक समय से उनके मामलों में उनके स्थायी स्टाक गवाह रह चुके हैं ;

(ख) क्या एक अभियुक्त ने जिस पर गैर कानूनी रूप से एक बड़ा चाकू रखने का आरोप लगाया गया था, विभिन्न न्यायालयों द्वारा जारी किए गये 45 सम्मन पेश किए जिनमें उसे विभिन्न मामलों में अभियोजन गवाह के रूप में न्यायालय में पेश होने के लिए कहा गया था ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) और (घ) जिन मामलों में अभियुक्त को अभियोजन के साक्षी के रूप में पेश होने के लिए समन भेजा गया था, उनमें से अधिकांश मामले महिलाओं और लड़कियों का अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम के अधीन दर्ज किए मामलों से सम्बन्धित है। ये मामले 1975 से 1979 तक के पीछे की तारीखों की अवधि से सम्बन्धित हैं।

मामले की जांच की जा रही है।

टी० वी० पिक्चर ट्यूबों के लिए फासफोरस लुमिनसेन्ट मैटीरियल का उत्पादन

4233. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जून, 1984 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली के वैज्ञानिक द्वारा श्वेत-श्याम टी० वी० पिक्चर ट्यूबों में प्रयोग होने वाले 'फासफोरस लुमिनसेन्ट मैटीरियल' के उत्पादन की प्रक्रिया का विकास किया गया है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम०एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के लिए आवश्यक फासफोरस के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली ने एक प्रक्रिया विकसित की है। प्रायोगिक संयंत्र को राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला में प्रतिष्ठापित किया गया है और इसके लिए वित्तीय सहायता राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम द्वारा दी गई है तथा इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 800 कि० ग्रा० है। इस सामग्री को टेलीट्यूब इलेक्ट्रॉनिकी लि०, बंगलौर में परीक्षण के तौर पर प्रयोगशाला में लाया गया है और यह पाया गया है कि यह अधिकांश महत्वपूर्ण विशिष्टियों को पूरा करती है। इस प्रकिया की तकनीकी जानकारी को राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम को वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन के लिए उपलब्ध कराया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिकी लि०, बंगलौर, टेलीट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स, गाजियाबाद; यू० आर० इलेक्ट्रॉनिनिक्स लि०, बंगलौर तथा सीयरली लि०, कलकत्ता जैसी कम्पनियों ने वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन के लिए तकनीकी जानकारी में रुचि दिखाई है।

दिल्ली में अपराधिक गतिविधियों में पुलिस वालों की अन्तर्ग्रस्तता

4234. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय से दिल्ली की अपराधिक गतिविधियों में पुलिस वालों की अन्तर्ग्रस्तता बढ़ गई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस स्थिति की कोई समीक्षा की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) 1981 से 1984 (15-7-84 तक) की अवधि के दौरान उन मामलों की संख्या जिनमें पुलिस कार्मिक अन्तर्ग्रस्त थे, नीचे दी गई है :

अवधि	उन मामलों की संख्या जिनमें पुलिस कार्मिक अन्तर्ग्रस्त हैं	अन्तर्ग्रस्त/ गिरफ्तार पुलिस कार्मिकों की संख्या
1981	51	61
1982	71	72
1983	58	68
1984 (15-7-84 तक)	52	59

(ग) जब कभी कोई पुलिस कर्मचारी आपराधिक गतिविधि में अन्तर्ग्रस्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है। दिल्ली पुलिस की सतर्कता शाखा और दिल्ली प्रशासन की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा भी अनियमितताएं करने में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों का पता लगाने के लिए पुलिस कार्मिकों पर छापे मारती है और आकस्मिक जांच करती है। पर्यवेक्षक अधिकारी भी पुलिस कार्मिकों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखते हैं।

अमरीकी संसद की एशिया और प्रशान्त महासागर के देशों के मामलों से सम्बन्धित उप समिति द्वारा पंजाब की स्थिति के बारे में सुनवाई आयोजित किया जाना

4235. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्री बी० डी० सिंह :

श्री रशीद मसूद :

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका संसद् की एशिया और प्रशान्त महासागर के देशों के मामलों से सम्बन्धित उप-समिति कैपिटल हिल में अगले महीने के प्रारम्भ में पंजाब की स्थिति के बारे में सुनवाई का आयोजन कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में विरोध प्रकट किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) अमरीका संसद की एशिया और प्रशान्त महासागर के देशों के मामलों से सम्बन्धित उप-समिति और मानवाधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन उप-समिति ने पंजाब की स्थिति पर 7 अगस्त, 1984 को संयुक्त सुनवाई का निर्णय लिया था । वाशिंगटन स्थित हमारे राजदूत ने संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ यह मामला उठाते हुए इसका विरोध किया था । 28 जुलाई को विदेश सचिव ने नई दिल्ली में अमरीका के राजदूत को बुलाया था और उनसे कहा था कि यदि पंजाब की स्थिति के बारे में अमरीकी कांग्रेस में किसी तरह की सुनवाई की जाएगी, तो इसे हमारे आन्तरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप समझा जाएगा और जिसका दोनों देशों के अच्छे सम्बन्धों पर बुरा असर पड़ेगा । सरकार का ख्याल है कि प्रस्तावित सुनवाई आस्थगित कर दी गई है ।

"मोसाड" द्वारा श्री लंका के लिए सुरक्षा मास्टर प्लान का तैयार किया जाना

4236. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रीलंका की प्रस्तावित सैनिक सामग्री की खरीद इजराईल की खुफिया ऐजेन्सी भयानक मोसाड एम० ओ० एस० एस० ए० डी० का उस सारे क्षेत्र के लिए सुरक्षा मास्टर प्लान तैयार करने हेतु आमन्त्रण अपनी सेनाओं को लड़ाई का प्रशिक्षण देने हेतु क्रैक ब्रिटिश यूनिट एस० ए० एस० टी० की उपस्थिति के बारे में जानकारी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रीलंका ने ब्रिटेन और इजराइल से सुरक्षा और आसूचना विशेषज्ञों की सेवाएं ली गई हैं ।

(ख) भारत सरकार ने इन विदेशी सुरक्षा और आसूचना कार्मिकों को श्रीलंका में लाए जाने का हमेशा विरोध किया है । इससे इस पड़ौसी देश में जातीय समस्या और जटिल ही होगी । सरकार का मत है कि श्रीलंका की जातीय समस्या का समाधान केवल राजनीतिक बातचीत के जरिए ही होना चाहिए और हो सकता है ।

सेन समिति की रिपोर्ट

4237. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने कीकृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय मिशनों के कार्यकरण का पुनरीक्षण करने के लिए गठित से समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने में इतने अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां ।

(ख) कई सिफारिशें की गई जिनमें भरती, प्रशिक्षण, अमला, पदोन्नति, निरीक्षक, कार्यालय मशीनों का प्रयोग, भाषा विशेषज्ञता, प्रचार, सम्पत्ति, मनोरंजन आदि से सम्बन्धित सिफारिशें भी शामिल हैं । इन सुझावों को धीरे-धीरे करके लागू किया जा सकता है जिसमें कुछ वक्त लगेगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला मुख्यालयों में स्वच्छ शौचालय के लिए मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्रीय वित्तीय सहायता

4238. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के वर्तमान तीन शहरों के स्थान पर पांच शहरों को 50% वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ताकि अगले पन्द्रह वर्षों में राज्यों के सभी मुख्यालयों में मौजूदा गन्दे सूखे शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदला जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) "नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन" के वास्ते केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत सीमित आबंटन के अन्तर्गत भारत सरकार ने 1982-83 के दौरान रायपुर, बिलासपुर और शाजापुर और 1983-84 के दौरान दुर्ग, सतना तथा जबलपुर के छः कस्बों में मौजूदा शुष्क-शौचालयों को जलयुक्त शौचालयों में बदलकर सफाई कर्मचारियों को मुक्त कराने की पायलट परियोजना के लिए, मध्य प्रदेश सरकार से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होने पर सहायता की । यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के चुनींदा कस्बों में विभिन्न चरणों में पूरा होने वाला है । अतिरिक्त प्रस्तावों पर, यदि कोई हों, विचार पहले से चल रहे कार्यक्रम के पूरा हो जाने पर और योजना के तहत संसाधन उपलब्ध होने पर ही किया जा सकता है ।

भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग की बैठक

4239. **श्री बी० बी० वेसाई** :

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

श्री अमर राय प्रधान :

श्री के० ओबुल रेड्डी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब की घटनाओं और हाल में हुए इण्डियन एयर लाइन्स के विमान अपहरण से, जिसे लाहौर ले जाया गया था, भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली बातचीत को धक्का पहुंचा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विदेश सचिवों और संयुक्त आयोग की बैठकों को स्थगित करा दिया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या बातचीत करने के लिए कोई अन्तिम तिथि निश्चित की गई है ;

(घ) क्या इस समय पाकिस्तान का भारत के प्रति रुख अब तक सहायक नहीं रहा है ; और

(ङ) क्या बाद में भी यदि बातचीत जारी रखी जाय, तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ङ) भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों और भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग की बैठक सितम्बर, 1984 के बाद तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ठीक तारीखें समुचित समय पर परस्पर परामर्श से निश्चित की जाएंगी।

पंजाब की हाल की घटनाओं और अपहरण की घटना के प्रति पाकिस्तान की सरकार का रवैया जैसाकि उनके वक्तव्यों में परिलक्षित होता है, आपत्तिजनक था। पाकिस्तान के सरकारी समाचार माध्यमों ने इन घटनाओं को तोड़-मरोड़ कर और उत्तेजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया।

लेकिन सरकार पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण और सहकारी सम्बन्ध विकसित करने के प्रति वचनबद्ध है।

प्रत्येक राज्य में पासपोर्ट कार्यालय खोलना

4240. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य की राजधानी में पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इन कार्यालयों के कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) इस समय देश के विभिन्न भागों में 20 पासपोर्ट कार्यालय और दो पासपोर्ट सम्पर्क कार्यालय हैं। ये कार्यालय जनता की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा कर रहे हैं। प्रत्येक राज्य की राजधानी में पासपोर्ट कार्यालय खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाले भारतीयों की संख्या

4241. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **विदेशी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कितने भारतीय विदेशों में बस गए हैं ;

(ख) उनमें से कितने लोगों ने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है ; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

आर० के० पुरम नई दिल्ली के सेक्टर 9 की सब्जी मार्किट में तह-बाजारी के माध्यम से भूमि का आबंटन

4242. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आर० के० पुरम, नई दिल्ली-22 में सेक्टर-9 की सब्जी मार्किट में "तह-बाजारी" के माध्यम से भूमि के आबंटन की ओर समय-समय पर ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह तह-बाजारी कुछ कर्मचारियों की सांठ-गांठ से अवैध और अनियमित ढंग से शुरू की गई है, जिसके अन्तर्गत मृतकों के नाम की भूमि को भी अन्य व्यक्तियों को आबंटित कर दिया गया है तथा अनेक व्यक्तियों को "तह-बाजारी" की राशि जमा करा देने के बाद भी भूमि आबंटित नहीं की गई ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का कोई जांच कराने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बाघों की संख्या

4243. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :

श्री रामविलास पासवान :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान देश में बाघों की संख्या कम हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कम हुई है ;

(ग) क्या देशों में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार करने का सरकार का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए यदि कोई धनराशि आबंटित की गई है, तो कितनी है ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बाघ परियोजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित, चल रही एक योजना है जिसमें 11 राज्यों तथा 1 संघ राज्य क्षेत्र के 15 रिजर्व आते हैं। इसकी सफलता इस तथ्य में निहित है कि परियोजना के क्षेत्र में आने वाले वन्य जीव-जगत तथा बाघों की आबादी में पिछले दस वर्षों के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त देश में राष्ट्रीय पार्कों के तन्त्र (नेट वर्क) तथा अभ्यारण्यों को हाल के वर्षों में पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया गया तथा इससे देश में बाघों की स्थिति में काफी सुधार करने में सहायता भी मिली है। भविष्य में, इस तन्त्र (नेट वर्क) को और बढ़ाया जाएगा तथा सुदृढ़ किया जाएगा जो आगे जाकर निश्चित रूप से स्थिति को सुधारेगा।

(घ) बाघ परियोजना के लिए छठी पंच-वर्षीय योजना (1980-85) में कुल केन्द्रीय आबंटन 500.00 लाख रुपए हैं।

सातवीं योजना में श्रम प्रधान तकनीकी को प्राथमिकता

4244. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान श्रम प्रधान तकनीकों को प्राथमिकता दी जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ; और

(ग) किन परियोजनाओं में इन तकनीकों को प्राथमिकता दी जाएगी ?

योजना और सिंचाई मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार की जानी है। "सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 की नीति" सम्बन्धी दस्तावेज में बताया गया है कि सातवीं योजना में बुनियादी प्राथमिकताएं खाद्य, काम और उत्पादकता होनी चाहिए जिसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ कम पूंजी-प्रधान और अधिक श्रम-प्रधान तकनीक और निवेश प्राथमिकताओं को आम उपभोग की वस्तुओं की ओर बदलने जैसी नीति की आवश्यकता होगी। उसमें यह भी कहा गया है कि उस हर व्यक्ति को जो उत्पादक रोजगार खोज रहा है, कार्यक्रमों और नीतियों को इसे उपलब्ध कराने के उद्देश्य की ओर अभिमुख करना होगा और प्रत्येक क्षेत्रक में प्राथमिकता उन गतिविधियों को देनी होगी जो अधिक प्रभावी ढंग से इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता कर सके।

बलात्कारियों को नपुंसक बनाने का दण्ड

4245. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश दिल्ली ने सुझाव दिया है कि बलात्कारियों को दण्डस्वरूप नपुंसक बना दिया जाना चाहिए ताकि ऐसे अपराध को रोकने के लिए अन्य लोगों के दिल में भय उत्पन्न किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) बलात्कार के अपराध से सम्बन्धित भारतीय दंड संहिता के उपबन्धों और उसके लिए सजा में अभी हाल में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1983 द्वारा संशोधन किया गया है। न तो भारत के विधि आयोग ने, जिसने बलात्कार के कानून में संशोधन की सिफारिश की थी, ने और न संसद की संयुक्त समिति ने, जिसने उस विधेयक की समीक्षा की थी जिससे अधिनियम बना, किसी बलात्कारी के लिए दंड के रूप में नपुंसक बनाने की कोई सिफारिश की। सरकार का इस समय बलात्कार के कानून में कोई और संशोधन करने का विचार नहीं है।

उत्प्रवासियों को अपनी समस्याओं को हल करने में सहायता देने के लिए विभिन्न भारतीय दूतावासों में श्रम मन्त्रालय के प्रतिनिधियों को तैनात करना

4246. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से खाड़ी और अफ्रीकी देशों में भारतीय दूतावासों में श्रम मन्त्रालय के प्रतिनिधि रखे जाते हैं जो उत्प्रवासियों को पेश आ रही समस्याओं और शोषण को रोकने तथा उनके हितों की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं ;

(ख) बगदाद (इराक) में भारतीय दूतावास में विशेषकर वर्ष 1982 में सोम पन्त बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और उत्तम सिंह दुग्गल एण्ड कम्पनी जैसी कम्पनियों में श्रमिकों की हड़ताल के दौरान श्रम मन्त्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा क्या प्रयास किए गए और उनको क्या उपलब्धि हुई ;

(ग) क्या उत्प्रवासियों द्वारा इन दूतावासों में कोई शिकायतें दर्ज कराई गई थी ;

(घ) इन मिशनों द्वारा कितने सम्बन्धित उत्प्रवासियों को बसाया गया है ; और

(ङ) क्या इन प्रतिनिधियों का काम सन्तोषजनक नहीं था और यदि हां, तो किन विकल्पों पर विचार किया गया था ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं। विदेश मंत्रालय के राजनयिक और कोंसली अधिकारी भारतीय उत्प्रवासियों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को सुलझाते हैं और यथा सम्भव उनके हितों की रक्षा करते हैं।

(ख) बगदाद स्थित राजदूतावास ने भारतीय श्रमिक और निम्नलिखित कम्पनियों के प्रबंधकों के बीच श्रमिकों की हड़ताल से उत्पन्न होने वाले विवादों को सफलतापूर्वक निपटाया :—

1. सर्वश्री भंडारी बिल्डर्स
2. सर्वश्री सोम दत्त बिल्डर्स
3. सर्वश्री उत्तम सिंह दुग्गल एण्ड कम्पनी
4. सर्वश्री पंजाब कैमी प्लांट्स

(ग) जी, हां।

(घ) भारत का राजदूतावास, कुवैत

	निपटाई गई शिकायतों की सं०
1983	85
1984	20
भारत का राजदूतावास, बहरीन	
1982	62
1983	1084
भारत का राजदूतावास, मस्कत	
1981	70
1982	87
1983	45
भारत का दूतावास, साना	
1984	17
भारत का राजदूतावास, जेद्दा	
1981	70
1982	87
1983	45

भारत का दूतावास, आबुधाबी

नियोजकों से सम्पर्क करने के बाद कुछ शिकायतों का समाधान किया गया। कतिपय मामलों में, जहां नियोजकों के साथ समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सका, स्थानीय श्रम विभाग से सहायता के लिए सम्पर्क किया गया। जहां स्थानीय श्रम विभाग भी सहायता न कर सका वहां श्रमिकों को दीवानी/शरीया अदालतों में शिकायतें दर्ज कराने का निदेश दिया गया।

भारत का राजदूतावास, त्रिपोली

अधिकांश शिकायतें राजदूतावास के हस्तक्षेप से दूर कर दी गई हैं। शेष खाड़ी और अफ्रीकी देशों में उत्प्रवासियों की समस्यायें, जब कभी मिशन की जानकारी में लाई गई उसने उन्हें स्थानीय प्राधिकारियों के साथ उठाया और उनमें से अधिकांश को संतोषजनक ढंग से सुलझा दिया गया।

(ङ) विदेश स्थित मिशनों में श्रमिकों की समस्याओं को निपटाने वाले हमारे अधिकारियों का कार्य सन्तोषजनक रहा है।

सोवियत रूस से कोकिंग कोयले का आयात

4247. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के इस्पात उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए सोवियत रूस से 40 या 50 लाख टन कोकिंग कोयले का आयात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो सोवियत रूस से आयात किया गया कोकिंग कोयला मांग को पूरा करने के लिए किस हद तक पर्याप्त होगा ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में विभिन्न अन्य देशों से भी समझौता हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के दौरान कुल कितने कोकिंग कोल का आयात करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) इस्पात कारखानों के लिए कोककर कोयले की आवश्यकताओं की दीर्घकालीन आधार पर पूर्ति करने के लिए सोवियत संघ के सामने एक प्रस्ताव रखा गया है कि वे भारत से सोवियत संघ को बाक्साइट के निर्यात के बदले भारत को कोककर कोयले का निर्यात करने की सम्भावनाओं पर सिद्धान्त रूप से विचार करे। यह प्रस्ताव अभी प्रारंभिक चरण में है और इस पर सोवियत संघ की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है, इसलिए इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि हम सोवियत संघ से कितनी मात्रा में और कितने समय में कोककर कोयला आयात करेंगे।

(ग) और (घ) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० कोककर कोयले का आयात विश्व आधार पर निविदाएं आमंत्रित करके करती है। इस वर्ष अब तक कोककर कोयले के आयात के लिए किसी देश के साथ कोई करार नहीं किया गया है। वर्ष 1984-85 में "सेल" के कारखानों की प्रत्याशित मांग तथा बढ़िया कोककर कोयले की अनुमानित उपलब्धि में अनुमानतः 6.63 लाख टन का अन्तर रहेगा। जिसकी पूर्ति आयात द्वारा करने की सम्भावना है।

राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार गए किए व्यक्ति

4248. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अब तक राज्यवार, कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में प्रस्तुत की जाती है।

विवरण

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन	राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश/राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की उद्घोषणा से 30 जून, 1984 तक गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	871
2.	उत्तर प्रदेश	857
3.	मध्य प्रदेश	507
4.	असम	287
5.	गुजरात	279
6.	आन्द्र प्रदेश	249
7	पंजाब	237
8.	मणिपुर	221
9.	बिहार	195
10.	दिल्ली	134
11.	राजस्थान	61
12.	तमिलनाडु	52
13.	उड़ीसा	46
14.	कर्नाटक	29
15.	मिजोरम	17
16.	चण्डीगढ़	8
17.	मेघालय	4
18.	हरियाणा	3
19.	हिमाचल प्रदेश	2
20.	अण्डमान और निकोबार	1
	योग	4060

टिप्पणी :—राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 जम्मू व कश्मीर में लागू नहीं है। शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के बारे सूचना "शून्य" है।

देश में मगरमच्छ अनुसन्धान केन्द्र

4249. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने मगरमच्छ अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की गई है ;

(ख) ये मगरमच्छ अनुसंधान केन्द्र (राज्य-वार) कहां-कहां स्थित हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उड़ीसा में मगरमच्छ की प्रकृति और प्राकृतिकवास के बारे में अनुसंधान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ; और

(घ) उड़ीसा में मगरमच्छ के उचित आरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) मगरमच्छों के बन्दी हालत में पालन के साथ ही साथ आकड़ों के संग्रह तथा अनुसंधान हेतु, मगरमच्छ प्रजनन तथा प्रबन्ध परियोजना के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रों का विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) मगरमच्छों की विभिन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सतकोशिया जोर्ज तथा भीतार कनिका में अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है।

मगर प्रजनन के लिए जाशीपुर में एक केन्द्र की स्थापना की गई है तथा उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट नन्दनकानन वायोलोजिकल पार्क में देश में मगरमच्छों में पायी जाने वाली सभी तीन प्रजातियों के लिए बंदी प्रजनन भी शुरू किया गया है।

सतकोशिया तथा भितार में मगरमच्छों पर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया है तथा बंदी प्रजनित मगरमच्छ, भितार कनिका, किन्नरसानी तथा सिमली पालरिवर्जों में छोड़ दिए गए हैं।

कुछ चुने गए राज्य अधिकारियों को मगरमच्छ प्रजनन तथा प्रबन्ध में प्रशिक्षण दिया गया है। राज्यों को मगरमच्छ पुनर्वास के कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

विवरण

क्र० सं	केन्द्र का नाम	स्थान	राज्य
1	2	3	4
1.	घड़ियाल अनुसंधान तथा संरक्षण एकक, टिकरपाद	सतकोशिया जोर्ज अभयारण्य	उड़ीसा
2.	घडियाल पुनर्वास केन्द्र	कटरनियाघाट अभयारण्य	उत्तर प्रदेश

1	2	3	4
3.	घड़ियाल पुनर्वास केन्द्र	कुकरेल, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
4.	घड़ियाल पुनर्वास केन्द्र	दिओरी, मोरेना	मध्य प्रदेश
5.	साल्टवाटर मगरमच्छ तथा संरक्षण, एकक, दांगमल	भितार कनिका, अभ्यारण्य	उड़ीसा
6.	घड़ियाल पुनर्वास केन्द्र, भगवतपुर	सुन्दरबन	पश्चिमी बंगाल
7.	घड़ियाल स्कीम, साथानूर	साथानूर	तमिलनाडु
8.	घड़ियाल स्कीम, होगेनाकल	होगेनाकल	तमिलनाडु
9.	घड़ियाल स्कीम, सासनगिर	गिर राष्ट्रीय पार्क	गुजरात
10.	घड़ियाल स्कीम, रामतीर्थ	जासी पुर (सिम्पलीपल बाच रिजर्व)	उड़ीसा
11.	घड़ियाल स्कीम, बन्नरघाट्टा	मंगलौर	कर्नाटक
12.	घड़ियाल स्कीम, नेय्यर	नेय्यर	केरला
13.	घड़ियाल स्कीम, पेरम्बीकुलम,	पेरम्बीकुलम	केरल
14.	घड़ियाल स्कीम, रांची	रांची	बिहार
15.	घड़ियाल प्रजनन, परियोजना, आन्ध्र प्रदेश	नेहरू चिड़ियाघर, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश
16.	घड़ियाल बंदी प्रजनन परियोजना	नन्दनकान	उड़ीसा
17.	मद्रास घड़ियाल प्रजनन केन्द्र	बायोलोजीकल पार्क मद्रास	तमिलनाडु

आदिवासी क्षेत्रों से गैर-आदिवासियों की अचल सम्पत्ति के अन्तरण के लिए कानून

4250. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में ऐसा कोई कानून है जिसके अन्तर्गत गैर-आदिवासियों को जिसमें आदिवासी एजेंसी क्षेत्रों और आदिवासी अधिसूचित गांवों के अनुसूचित जाति समाज के अन्य कमजोर वर्ग शामिलो भी है, गैर-आदिवासी क्षेत्रों को अपनी अचल सम्पत्ति के अंतरण की अनुमति नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ऐसा कानून है और उसका क्या उद्देश्य है ;

(ग) क्या आदिवासी क्षेत्रों के सभी गैर-आदिवासियों को उपयुक्त आवास स्थान, खेतों के लिए भूमि और कुछ नकद प्रतिपूर्ति उपलब्ध करा कर अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो अपनी सम्पत्ति पर अधिकार के बिना वे इन क्षेत्रों में कैसे रह सकते हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने के बाद सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नालको द्वारा विस्थापित लोगों का पुनर्वास

4251. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या इस्पात और खान मंत्री नालको द्वारा विस्थापित लोगों के पुनर्वास के बारे में 24 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4809 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामनजोड़ी और आंगुल में कुल कितने गांव परिवार और व्यक्ति विस्थापित हुए ;

(ख) उड़ीसा सरकार ने दामनजोड़ी आंगुल में अब तक कुल कितनी निजी और सरकारी भूमि अधिगृहीत की है और "नालको" को दे दी है तथा उसके लिए कितना मुआवजा दिया है ;

(ग) "नालकों" ने दामन जोड़ी और आंगुल के निवासियों के लिए पुनर्वास और मुआवजे हेतु उड़ीसा सरकार को कितनी धनराशि प्रदान की है ; और

(घ) दामनजोड़ी और आंगुल में कुल कितने मकानों का निर्माण किया गया है और वहां प्रत्येक मकान पर क्या लागत आई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) अब तक दामनजोड़ी सेक्टर में 12 गांव तथा 2292 व्यक्तियों वाले 581 परिवारों में से 192 परिवार तथा अंगुल में 8 परिवारों के 37 व्यक्ति विस्थापित हुए हैं।

(ख) उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा दामनजोड़ी में 4408 एकड़ निजी भूमि तथा 521 एकड़ सरकारी भूमि और अंगुल में 29 13 एकड़ निजी भूमि तथा 18 एकड़ सरकारी भूमि नालको को सौंपी गई। भूमि मुआवजा के रूप में अब तक कोरापुट में 1.38 करोड़ रुपए तथा धेनकनाल में 5 करोड़ रु० की राशि जमा कराई गई है।

(ग) दामनजोड़ी में प्रत्येक परिवार की 2500/-रु० की अनुग्रह राशि देने के अलावा, विस्थापित परिवारों के पुर्नवास के लिए 5 लाख रु० दिए गए हैं। भूमि मुआवजे के भुगतान के लिए भी कलेक्टर, कोरापुट के पास 1.38 करोड़ रु० जमा कराए गए हैं। अंगुल में भूमि मुआवजे के भुगतान के लिए कलेक्टर धेनकलाल के पास 5 करोड़ रु० जमा कराये गए हैं।

(घ) दामनजोड़ी सेक्टर में 5 लाख रु० के प्रावधान में से 77 मकानों का निर्माण किया गया है। उनमें से 500 मकानों में से प्रति मकान 5000/-रु० लागत तथा 31 मकानों में प्रति मकान

8000/-रु० की लागत आई है। शेष राशि विस्थापित व्यक्तियों के लिए नलकूप लगाने पर खच की गई है। इसके अतिरिक्त, नाल्को ने 1.85 लाख रु० की लागत से 50 ट्रांजिट शेडों का निर्माण किया है तथा 4.15 लाख रु० की लागत से 130 ट्रांजिट शेड निर्माणधीन हैं। अन्य एजेंसियों ने भी स्थल पर 100 ट्रांजिट शेड बनाए हैं। अंगुल सेक्टर में कोई मकान नहीं बनाए जाने थे।

दामनजोड़ी में अल्युमीना संयंत्र के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए ठेका

4252. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामन जोड़ी में अल्यूमीना संयंत्र के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए कितने सरकारी और गैर-सरकारी फर्मों आदि को ठेका मिला है। और अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या विभिन्न निर्माण कार्यों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और प्रगति की गति को तेज करने के लिए "नालको" द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) अब तक कितने ठेके दिए गए है और (कार्य-वार) कितनी राशि दी गई है ; और

(घ) क्या कार्य पूरा होने में विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि हो गई है और यदि हां, तो लागत में कुल कितनी वृद्धि हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) दामनजोड़ी में एल्यूमिना संयंत्र में विभिन्न कार्यों हेतु 103 सरकारी गैर-सरकारी तथा विदेशी पार्टियों को ठेके दिए गए हैं। एल्यूमिना संयंत्र में 31 जुलाई, 1984 तक हुई प्रगति निम्नलिखित है :—

इन्जीनियरिंग	72.6 प्रतिशत
आर्डरिंग	83.6 ,,
टेंडरिंग	87.5 ,,
ढलाई और सुपुर्दगी	35.2 ,,
निर्माण	30.3 ,,

(ख) प्रगति सामान्यत: कार्यक्रम के अनुसार है।

(ग) और (घ) एल्यूमिना संयंत्र के लिए 103 पार्टियों को ठेके दिए गए हैं। नालको परियोजना की मूलस्वीकृत लागत 190 की प्रथम तिमाही के मूल्य स्तर पर, कुल 1242 करोड़ रु० थी और तब यह अनुमान लगाया गया था कि निर्माण अवधि में 5% की वार्षिक संचयी लागत वृद्धि के आधार पर लागत बढ़कर लगभग 1712 करोड़ रु० हो जायेगी। परियोजना की संशोधित लागत अभी तैयार की जा रही है।

परमाणु बिजली संयंत्र

4253. **श्री विरदा राम फुलवारिया :**

श्री के० टी० कोसल राम :

श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री अशफाक हुसैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास 22 परमाणु संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी कोई योजना विचाराधीन है और इनमें पांच संयंत्रों को लगाने के लिए स्थान भी चुन लिए जा चुके हैं ;

(ख) क्या इन संयंत्रों सर 13,900 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है ; और

(ग) क्या सरकार के पास बिजली के मामने में बहुत पिछड़े राज्य, राजस्थान में एक ऐसा संयंत्र स्थापित करने संबंधी कोई योजना है ; और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) न्यूक्लियर ऊर्जा के बारे में एक दीर्घकालीन कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 12 यूनिट तो ऐसे होंगे जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 235 मेंगावाट होगी और 10 यूनिट ऐसे होंगे जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 500 मेगावाट होगी। इस बारे में आखिरी फैसला कि इन यूनिटों को कहां-कहां लगाया जाए, विभिन्न क्षेत्रों के लिए बनाई गई स्थल-चयन समिति की रिपोर्टें मिलने और उन पर सरकार द्वारा विचार कर लिया जाने के बाद ही लिया जा सकेगा।

(ख) परमाणु बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम पर और उससे सम्बन्धित ईंधन की सप्लाई की सुविधाओं पर 15 वर्ष की अवधि में लगभग 13,900 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय होगा।

(ग) तथा (घ) उत्तरी क्षेत्र के बारे में, जिसमें राजस्थान राज्य भी शामिल है, स्थल-चयन समिति की अन्तिम रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।

छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को निर्धनता रेखा से ऊपर उठाना

4254. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से विचार-विमर्श करके छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को निर्धनता रेखा के ऊपर से उठाने के लिए क्या उपाय किए हैं ;

(ख) उक्त राज्य सरकार इस दिशा में कहां तक सफल हुई है ;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को निर्धनता रेखा के ऊपर उठाने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या योजनाएं बनाई गई है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) राज्य सरकार तथा अन्य स्रोतों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने के पश्चात् सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संसद कक्षों में कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

4255. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों के संसद कक्षों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को स्टाफ कार ड्राइवरों की तुलना में काफी देर तक कार्य करना पड़ता है लेकिन उनको स्टाफ कार ड्राइवरों की तुलना में समयोपरि भत्ते की अदायगी कम की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में फिर से विचार करने और कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को एक समान समयोपरि भत्ते की अदायगी करने के आदेश जारी करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) स्टाफ कार ड्राइवरों को समयोपरि भत्ते की अदायगी स्टाफ कार नियमों द्वारा विनियमित की जाती है, जबकि संसद एककों में कार्यरत कर्मचारियों सहित सभी अन्य कार्यालय कर्मचारियों तथा इसी प्रकार के अन्य कर्मचारियों को देय समयोपरि भत्ता अलग आदेशों से शासित होता है। स्टाफ कार ड्राइवरों के कार्य का स्वरूप तथा उनके कार्य के घण्टे अन्य कार्यालय कर्मचारियों तथा इसी प्रकार के अन्य कर्मचारियों से भिन्न होते हैं। अतः समयोपरि भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में कर्मचारियों के इन दो प्रवर्गों की तुलना करना उपयुक्त नहीं है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मृत्यु दण्ड

4256. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रपति द्वारा गत तीन वर्षों में मृत्युदंड के कितने मामलों में सजाओं को कम किया गया है ; और मृत्युदण्ड को कम दण्ड में परिवर्तन करने सम्बन्धी मार्ग निर्देश क्या हैं ?

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील अस्वीकार किए जाने के बाद मृत्युदण्ड की पुष्टि किए गए मृत्युदण्ड के मामलों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार को मृत्युदण्ड को समाप्त करने के लिए जनता अथवा विशेषज्ञ वकीलों से कोई टिप्पणियां प्राप्त हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) मृत्यु दण्ड को कम दण्ड में परिवर्तित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 72 के अधीन राष्ट्रपति की शक्ति पूर्ण और अपरिवर्तनशील है और प्रत्येक कैदी के मामले के गुणावगुण के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय किया जाता है। 14 अगस्त, 1984 को समाप्त तीन वर्ष की अवधि के दौरान राष्ट्रपति ने मौत की सजा प्राप्त पांच कैदियों के मृत्युदण्ड को कम दण्ड में परिवर्तित किया है। ऐसे कैदियों की संख्या का राज्यवार और वर्षवार एक विवरण संलग्न है जिनको उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी अपीलें रद्द किए जाने के बाद उसी अवधि के दौरान राष्ट्रपति द्वारा उनकी दया याचिकाएं अस्वीकृत किए जाने पर फांसी की सजा दी गई थी अथवा जो फांसी की सजा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(ग) उच्चतम न्यायालय द्वारा बचनसिंह तथा अन्य बनाम पंजाब सरकार (ए० आई० आर० 1980 उच्चतम न्यायालय 898) में मृत्यु दण्ड की वैधता की पुष्टि करने के पश्चात् जनता अथवा विशेषज्ञ वकीलों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उन कैदियों की संख्या जिनको निम्नलिखित तारीखों को समाप्त हुए वर्ष के दौरान उनकी दया याचिकाएं अस्वीकृत किए जाने के बाद फांसी की सजा दे दी गई अथवा जो फांसी की सजा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।		
	14-8-82	14-8-83	14-8-84
बिहार	—	2	—
गुजरात	—	1	—
हरियाणा	—	2	—
जम्मू व कश्मीर	—	—	1
कर्नाटक	—	1	—
मध्य प्रदेश	—	2	—
महाराष्ट्र	1	6	1
पंजाब	—	5	4
राजस्थान	—	1	—
तमिलनाडु	—	6	1
उत्तर प्रदेश	—	3	1
दिल्ली	2	2	—
कुल	3	31	8

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

4257. **श्री जगपाल सिंह** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कार्यकारी पदों के भरे जाने के बारे में 9 मई, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 998 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए वर्तमान पदोन्नति नीति क्या है ;

(ख) प्रबन्धकों द्वारा 1 अप्रैल, 1982 से 30 जून, 1984 तक (वर्ष-वार) कितने गैर-कार्यकारी व्यक्तियों की पदोन्नति (सम्वर्ग वार और पद वार) की गई है ;

(ग) 40 सूत्री रोस्टर के अनुसार कितने पद आरक्षित होने चाहिए (सम्वर्ग-वार और पद वार) तथा गैर कार्यकारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों द्वारा वास्तव में कितने पद भरे गए हैं ; और

(घ) अनुसूचित जनजातियों के गैर कार्यकारी कर्मचारियों ब्यौरा क्या है जो पदोन्नति के पात्र हैं किन्तु प्रबन्धकों द्वारा 20 सूत्री रोस्टर के अनुसार आरक्षित पदों पर पदोन्नत नहीं किए गए ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए वर्तमान पदोन्नति नीति बरीयता तथा सेवा की सहकारी अवधि पर आधारित है। अन्य इस्पात संयंत्रों से प्रचलित प्रणाली के आधार पर विस्तृत पदोन्नति नीति तैयार कर ली गई है और उसे कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) से (घ) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

सेल के बोकारो इस्पात संयंत्र और ठेकेदारों के बीच लदान और उतराई संबंधी ठेका रद्द किया जाना

4258. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण के बोकारो इस्पात संयन्त्र और ठेकेदार के बीच लदान और उतराई ठेका का रद्द कर दिया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस ठेके से सम्बन्धित मामला पंचाट के पास है, यदि हां, तो कब से ;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण को 50 हजार मासिक ब्याज का घाटा उठाना पड़ा ; और

(घ) इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

इस्पात और खाद मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने में माल लादने/उतारने के दो ठेके रद्द/समाप्त किए गए हैं, जैसे कि नीचे बताया गया है :—

विवरण

क्र० सं०	पद	ग्रेड	किस पद पर पदोन्नत की गई है	ग्रेड	पदोन्नति कर्मचारियों की संख्या	40 सूत्री रोस्टर के अनुसार कितने पद भरे जाने चाहिए		पदोन्नति के लिए उपलब्ध पात्र कर्मचारियों की संख्या		पदोन्नत द्वारा कितने पद वास्तव में भरे गए	
						अनु० जा०	अनु० जनजा०	अ० जा०	अनु० जनजा०	अ० जा०	अनु० जनजा०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-4-82 से 31-12-82										
1.	पर्यवेक्षक सम्पर्क	रु० 700-1300	वरिष्ठ जन सम्पर्क सहायक	रु० 810-1454	1	1	—	—	—	—	—
2.	वरिष्ठ सहायक (टेलेक्स)	रु० 700-1300	प्रधान सहायक (टेलेक्स)	रु० 810-1454	1	1	—	—	—	—	—
3.	वरिष्ठ सहायक (अनु० जनजा०)	रु० 700-1300	वैयक्तिक सहायक	रु० 810-1454	1	1	—	—	—	—	—
	1-1-83 से 31-12-83										
1.	वैयक्तिक सहायक	रु० 810-1454	वैयक्तिक सचिव	रु० 850-1537	1	1	—	—	—	—	—

2. सहायक	रु० 595-1065	वरिष्ठ सहायक	रु० 700-1300	41	6	3	6	—	6	—
3. सहायक (अनु० जनजाति)	रु० 595-1065	वरिष्ठ सहायक/ अनु० जनजा०	रु० 700-1300	3	1	1	—	—	—	—
4. सर्वेक्षक (एन०6)	रु० 690-1152	सर्वेक्षक (एन-7)	रु० 750-1303	1	1	—	—	—	—	—
5. जूनियर ड्राफ्टमैन (सिविल)	रु० 645-1023	डिजाइन असिस्टेंट (सिविल)	रु० 690-1152	1	1	—	—	—	—	—
6. ट्रेसर (सिविल)	रु० 610-904	डिजाइन असिस्टेंट (सिविल)	रु० 645-1023	2	1	—	—	—	—	—
7. आपरेटर (चल उपस्कर	रु० 610-904	आपरेटर (चल उपस्कर)	रु० 645-1023	2	1	—	—	—	—	—
8. ड्राइवर	रु० 610-904	ड्राइवर (ग्रेड-II)	रु० 645-1023	8	1	1	—	—	—	—
9. सहायक (रिप्रो ग्राफी)	रु० 585-823	सहायक (रिप्रो ग्राफी)	,, 610-904	2	1	—	—	—	—	—
10. पत्र वाहक	,, 550-704	पत्र वाहक	,, 565-761	5	1	1	1	—	—	1
11. खलासी	,, 550-704	खलासी (ग्रेड-11)	,, 565-761	21	3	2	2	—	—	2
1-1-84 से 30-6-84										
1. वरिष्ठ श्रम कल्याण निरीक्षक	,, 810-1454	वरिष्ठ श्रम कल्याण निरीक्षक	,, 850-1537	1	1	—	1	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	सहायक श्रम कल्याण निरीक्षक	,, 700-1300	श्रम कल्याण निरीक्षक	,, 810-1454	1	1	—	—	—	—	—
3.	सहायक	,, 595-1065	वरिष्ठ सहायक	,, 700-1300	9	2	4	—	—	—	—
4.	सहायक (अनु० जनजाति)	,, 595-1065	वरिष्ठ सहायक (अनु० जनजा०)	,, 700-1300	4	2	2	2	—	—	2
5.	सहायक (टेलेक्स)	,, 595-1065	वरिष्ठ सहायक (टेलेक्स)	,, 700-1300	1	1	—	—	—	—	—
6.	स्वागती एवं टेली-फोन आपरेटर	,, 595-1065	वरिष्ठ सहायक (दूरभाष एवं स्वागत)	,, 700-1300	4	1	1	1	—	—	1
7.	सहायक स्टोरकीपर	,, 595-1065	स्टोरकीपर	,, 700-1300	7	1	1	—	—	—	—
8.	पर्यवेक्षक (यांत्रिकी)	,, 690-1152	पर्यवेक्षक (यांत्रिकी)	,, 750-1303	3	1	—	—	—	—	—
9.	पर्यवेक्षक (विद्युत)	,, 690-1152	पर्यवेक्षक (विद्युत)	,, 750-1303	1	1	—	—	—	—	—
10.	सर्वेक्षक	,, 690-1152	सर्वेक्षण	,, 750-1303	1	1	—	—	—	—	—
11.	रूपांकन सहायक (यांत्रिकी)	,, 645-1023	रूपांकन सहायक	,, 690-1152	2	1	—	—	—	—	—

12. रूपांकन सहायक (निर्माण)	,, 645-1023	रूपांकन सहायक	,, 690-1152	3	1	—	—	—	—	—
13. ट्रेसर (यांत्रिकी)	,, 610-904	रूपांकन सहायक	,, 645-1023	1	1	—	—	—	—	—
14. आपरेटर (चल उपस्कर)	,, 610-904	आपरेटर (चल उपस्कर)	,, 645-1023	9	2	1	—	—	—	—
15. ड्राइवर	,, 610-904	ड्राइवर ग्रेड-II	,, 654-1023	2	2	1	1	—	1	—
16. रिगर	,, 585-823	रिगर	,, 610-904	2	1	—	1*	—	—	—
17. तकनीशियन (विद्युत)	,, 585-823	तकनीशियन (विद्युत)	,, 610-904	2	1	—	1	—	1	—
18. बढ़ई	,, 585-823	बढ़ई	,, 610-904	2	1	—	1	—	1	—
19. पत्र वाहक	,, 550-704	पत्र वाहक	,, 565-761	4	1	1	1	—	1	—
20. खलासी	,, 550-704	खलासी ग्रेड-II	,, 565-761	7	2	2	2	—	2	—
21. सफाई कर्मचारी	,, 550-704	सफाई कर्मचारी	,, 565-761	1	1	—	—	—	—	—
22. चौकीदार	,, 550-704	चौकीदार	,, 565-761	1	1	—	—	—	—	—

*पदोन्नति की जा रही है।

1. स्टोर डिपार्टमेंट में सामग्री को लादने/उतारने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने तथा उसके चट्ठें बांधने के लिए ठेका

स्टोर डिपार्टमेंट में सामग्री को लादने/उतारने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने तथा चट्ठा बांधने का एक ठेका समाप्त कर दिया गया है। यह ठेका मैसर्स राउरकेला ट्रेडिंग कंस्ट्रक्शन एण्ड कम्पनी, बोकारो स्टील सिटी को 27-5-1980 को 3 वर्ष के लिए दिया गया था। ठेकेदार द्वारा सन्तोषजनक ढंग से कार्य न करने के कारण यह ठेका करार की शर्तों के अनुसार समाप्त कर दिया गया।

2. रेल डिब्बों से हार्ड कोक उतारने के लिए ठेका

750 रेल के डिब्बों से हार्ड कोक उतारने का ठेका श्री एस० मिश्र को दिया गया था। ठेकेदार द्वारा काम सन्तोषजनक ढंग से न करने के कारण करार की शर्तों के अनुसार 11-6-84 को यह ठेका रद्द कर दिया गया।

(ख) मैसर्स राउरकेला ट्रेडिंग कंस्ट्रक्शन एण्ड कम्पनी को दिए गए ठेके के मामले में सब-जज, सैंकड कोर्ट, धनबाद द्वारा दिनांक 15-2-83 को दिए गए आदेश के अनुसार यह पंच निर्णय के लिए भेजा गया था। दूसरे ठेके के मामले में मामला पंच निर्णय के लिए नहीं भेजा गया था।

(ग) और (घ) पहले ठेके के बारे में मैसर्स राउरकेला ट्रेडिंग कंस्ट्रक्शन एण्ड कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे के विवरण से पता चलता है कि इस फर्म ने बोकारो इस्पात कारखाने में 3-12-81 से 10-5-1983 तक तथाकथित लम्बित विभिन्न बिलों के बारे में 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 9,68,524.05 रुपए का ब्याज का समेकित दावा किया है। ब्याज के रूप में 50,000 रुपए प्रतिमाह की तथाकथित हानि के बारे में दावे में अलग से आंकड़े दिए गए हैं। चूंकि यह मामला न्यायाधीन है इसलिए इस समय किसी हानि का प्रश्न नहीं उठता। पंच निर्णय के मामले में शीघ्र कार्यवाही करने के प्रयास किए जायेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी

4259. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :**

श्रीमती माधुरी सिंह।

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने से सम्बन्धित तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के प्रस्ताव का रूसी शिष्टमंडल ने भी समर्थन किया है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाए हैं ; और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) समझा जाता है कि सोवियत संघ से आए प्रतिनिधि ने यह कहा कि उसे इस बात में कतई संदेह नहीं है कि हिन्दी को विश्व भाषा

बनाया जाना चाहिए ताकि उसे संयुक्त राष्ट्र की एक अधिकृत भाषा का दर्जा मिल सके। सोवियत प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि हिन्दी को विश्व भाषा बनाने का प्रश्न तभी हल हो सकता है जब इसे अपने क्षेत्र में उचित स्थान मिल जाए।

(ख) हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की एक अधिकृत भाषा बनाए जाने के लिए प्रक्रिया नियमावली 51 में संशोधन करने के लिए महासभा के प्रक्रिया नियम 163 के अधीन एक प्रस्ताव पेश करना होता है। प्रस्तावित संशोधन पर एक समिति द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बाद प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुमत से अनुमोदित कराना होता है। हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की एक अधिकृत भाषा के रूप में स्वीकार किए जाने की सम्भावना का पता लगाने के समय-समय पर सदस्य देशों के साथ अनौपचारिक परामर्श किया गया है। अभी तक विचार-विनिमय का कोई उत्साह वर्धक परिणाम नहीं निकला है।

भारी-पानी के उत्पादन में आत्म-निर्भरता

4260. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री चिन्तामणि जैना :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्तमान भारी-जल संयंत्रों से भारी जल के उत्पादन में लक्षित प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भारी-जल के उत्पादन में देश के कब तक आत्मनिर्भर हो जाने की संभावना है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) शुरू में भारी पानी का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम रहा था, लेकिन समय बीतने पर, चालू भारी पानी संयंत्रों का कार्य-निष्पादन बहुत संतोषजनक रहा है। कोटा में लगाए गए संयंत्र को चालू करने की कार्रवाई चल रही है और उसका काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा हो रहा है।

(ख) उत्पादन के कम रहने का मुख्य कारण पहले यह था कि फीड गैस में ड्यूटीरियम की मात्रा कम थी और फीड गैस तथा बिजली की सप्लाई रुक-रुक कर होती थी।

(ग) जो भारी पानी संयंत्र लगाए जा चुके हैं या जिन्हें लगाने की योजना है, उनकी क्षमता इतनी होगी कि हम अपने परमाणु बिजली सम्बन्धी पूरे कार्यक्रम के लिए आवश्यक भारी पानी के मामले में निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

चालू पंचवर्षीय योजना के पुनरीक्षित लक्ष्य

4261. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री के० ए० स्वामी :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू पंचवर्षीय योजना में कुछ प्रमुख क्षेत्रों के योजना लक्ष्यों में कटौती की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या योजना अवधि के अन्त तक योजना के पुनरीक्षित लक्ष्य पूरे कर लिए जाने की सम्भावना है ?

योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) छठी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो दि० 19 अगस्त, 1983 को सदन के पटल पर रखा गया था। सदस्यों को भी इसकी प्रतियां वितरित की गई थीं। सदन ने इस मामले पर दि० 12, 13 और 14 दिसम्बर, 1983 को भी चर्चा की थी।

(ग) मध्यावधि मूल्यांकन दस्तावेज के भाग-1 की सारणी-1 में 51 मुख्य वस्तुओं या सेवाओं में अनुमानित निष्पादन दिखाया गया था। जबकि कुल मिलाकर ये अनुमान वही रहे हैं, खाद्यान्नों के उत्पादन के छठी योजना अनुमानों के 154 मिलियन टन के लगभग करीब रहने की आशा है, जबकि तिलहनों के सम्बन्ध में उत्पादन के 110 लाख टन के छठी योजना लक्ष्य से बढ़ने की आशा है। कच्चे पैट्रोलियम का उत्पादन, वर्ष 1984-85 में 29.6 मिलियन टन के प्रत्याशित उत्पादन स्तर से छठी योजना लक्ष्य और मध्यावधि मूल्यांकन के समय लगाए गए अनुमान दोनों ही से बढ़ेगा। तथापि, बिक्री-योग्य इस्पात के उत्पादन की, मध्यावधि मूल्यांकन में लगाए गए अनुमान से कम होने की सम्भावना है और अब इसके लगभग 9 मिलियन टन होने की आशा है। बिजली उत्पादन में उपलब्धि के 190 बिलियन के० डब्ल्यू० एच० के छठी योजना लक्ष्य के और 171 बिलियन के० डब्ल्यू० एच० के मध्यावधि मूल्यांकन के अनुमानों के मुकाबले लगभग 164 बिलियन के० डब्ल्यू० एच० होने की आशा है। चीनी उत्पादन भी मध्यावधि मूल्यांकन अनुमान से थोड़ा सा कम होने की संभावना है।

ब्रिटेन में भारतीय स्वतन्त्रता सेनानियों से सम्बद्ध फाइलों का नष्ट किया जाना

4262. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री राम विलास पासवान :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 अप्रैल, 1984 के "पैट्रियोट" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि ब्रिटेन में लाला हरदयाल, गोविन्द अमीन, एम० पी० टी० आचार्य, वी० वी० एस० अय्यर और नेताजी आदि भारतीय स्वतन्त्रता सेनानियों से सम्बन्धित ऐतिहासिक महत्व की गुप्त फाइलें नष्ट कर दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार की शेष ऐतिहासिक फाइलें प्राप्त करने के लिए, ब्रिटेन सरकार से अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर ब्रिटेन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, हां। सरकार ने यह खबर देखी है।

(ख) से (घ) पेट्रियट में छपी इस खबर की हमारी जांच-पड़ताल से पुष्टि नहीं हुई है। कुछ भी हो, भारत सरकार ने इण्डिया आफिस की लाइब्रेरी और उसके रिकार्डों पर औपचारिक रूप से यह अपना दावा किया है। यह मामला ब्रिटिश सरकार के साथ बहुत अर्से से विचाराधीन है और कुछ अन्य देशों द्वारा इसी प्रकार के कथित मुकाबले के कार्यों के कारण कोई समाधान सामने नहीं निकल सका है।

ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों को प्राप्त विदेशी सहायता

4263. **श्री छोतूभाई गामित :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार और गुजरात में ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों, कालेजों, औषधालयों, अस्पतालों और अन्य-केन्द्रों ने वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान विदेशों के खाद्य और दवाइयों के रूप में कुछ सहायता प्राप्त की है ; और

(ख) इस हेतु दान देने वाले देशों और संस्थाओं/संगठनों के नाम क्या-क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) वर्ष 1980, 1981 और 1982 के लिए आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं। इन वर्षों की विवरणियां संकलित हो जाने के बाद ही सूचना उपलब्ध होगी।

असम की राजधानी बदलना

4264. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम की राजधानी बदलने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या इससे वहां के निवासी विस्थापित होंगे ; और

(ग) सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) असम राज्य सरकार ने हाल ही में दिसपुर में अस्थायी राजधानी को, प्रागज्योतिशपुर नाम से चन्द्रपुर में स्थायी जगह पर बदलने का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग) प्रस्तावित जगह गोहाटी से लगभग 25 किलोमीटर और दिसपुर से भी इतनी ही दूर है और आंशिक रूप से कामरूप और आंशिक रूप से नोगांव जिले में स्थित है। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि पट्टाधिकारियों को बेदखल नहीं किया जाएगा और नए स्थान पर कुछ जन-जाति अतिक्रमणकारियों को बेदखल न करने के प्रयत्न किए जाएंगे। राज्य सरकार के अनुसार, इन विस्थापितों को असम की नई राजधानी में समाहित किए जाने के लिए हर सम्भव कोशिश की जाएगी।

लंदन में वर्णगत दंगे

4265. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में वर्णगत दंगे अभी भी हो रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ये दंगे किस सीमा तक फैले हुए हैं तथा सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) यूनाइटेड किंगडम में हाल ही में कोई जातीय दंगे नहीं हुए हैं लेकिन वहां अब भी जातीय हिंसा की छुट-पुट घटनाएं होती रहती हैं।

(ख) इस विषय पर सरकार की स्थिति सुविदित है, जिसे कई बार पहले भी कई मौकों पर ब्रिटिश सरकार को अवगत कराया जा चुका है। जब कभी भी भारतीय नागरिकों को प्रभावित करने वाले मामले ध्यान में आयेंगे तभी ब्रिटिश प्राधिकारियों के साथ उन्हें जोरदार ढंग से उठाया जाएगा।

महासागरों तथा उनसे लगे हुए तटीय स्थलों में धातुओं, खनिजों और समुद्री जीव संसाधनों का सर्वेक्षण

4266. **श्रीमती संयोगिता** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महासागरों तथा उनसे लगे हुए तटीय स्थलों में धातुओं, खनिजों और समुद्री जीव संस्थानों का सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) समुद्र और तटवर्ती जल के धातु और खनिज : विभिन्न प्रकार के खनिजों के लिए समुद्र और तटीय जल में विस्तृत सर्वेक्षण किए गए है। इनके परिणाम आशाप्रद हैं। भारत के सम्पूर्ण पश्चिमी महाद्वीपीय शेल्फ और पूर्वी महाद्वीपीय शेल्फ के लगभग एक-तिहाई भाग में खनिजों के पता लगाने का कार्य पूरा हो चुका है जिसके परिणामस्वरूप इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, फोस्फोराइट और मोनाजाइट के प्लेसर भण्डारों तथा मेग्नेटाइट और गारनेट के भिन्न-भिन्न अनुपातों में मौजूद होने का पता चला है।

इस सम्बन्ध में भारत में निर्मित जलयान "गवेषणी" और "सागर कन्या" नामक परिष्कृत समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण किए गए हैं। ये सर्वेक्षण जारी रहेंगे।

जहां तक मध्यवर्ती हिन्द महासागर में सर्वेक्षण का प्रश्न है, भारत ने काफी प्रगति की है। हमारे देश को अग्रगामी निवेशक के रूप में मान्यता दी गई है और मध्यवर्ती हिन्द महासागर में 30 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में विस्तृत सर्वेक्षण किए जाने के बाद दो खनन-स्थलों का पता लगाया गया है जो कि प्रत्येक 150,000 वर्ग किलोमीटर के हैं। हिन्द महासागर में अग्रगामी क्षेत्रके

आबंटन के लिए भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र-तल प्राधिकरण के प्रारम्भिक आयोग को पहले ही आवेदन पत्र दे रखा है।

समुद्र और तटवर्ती जल के सजीव संसाधन :

"गवेषणी" और "सागर कन्या" नामक जहाज अनन्य आर्थिक क्षत्र में समुद्रीय संसाधनों के विस्तृत सर्वेक्षण में लगे हुए हैं। महासागर विकास विभाग अक्तूबर, 1984 में "सागर सम्पदा" नामक एक मत्स्य और समुद्रवैज्ञानिक अनुसंधान जलयान प्राप्त करेगा जो मुख्यतः हिन्द महासागर की पर्यावरणीय स्थितियों के सम्बन्ध में सजीव संसाधनों के सर्वेक्षण के उपयोग में लाया जाएगा। इस जलयान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि बर्फ में भी कार्य करने में सक्षम होने की वजह से यह 60° अक्षांश दक्षिण में भी कार्य कर सकता है और इससे अन्टार्कटिक समुद्र में क्रिल मछलियों को भारी मात्रा में पकड़ा जा सकता है।

गहरा सागर खनिज विकास कार्यक्रम के लिए एक स्वायत्त बोर्ड

4267. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरा सागर खनिज विकास कार्यक्रमों के लिए एक स्वायत्त बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के क्रियाकलापों तथा उत्तरदायित्वों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

इलेक्ट्रानिक्स रीजनल टेस्ट लेबोरेटरी, दिल्ली में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

4268. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इलेक्ट्रानिक्स रीजनल टेस्ट लेबोरेटरी दिल्ली में 470 रु०, 650 रु०, 700 रु०, 1100 रु० और 1500 रु०, से आरम्भ होने वाले वेतनमानों में स्वीकृत पदों की श्रेणीवार संख्या कितनी है और उन पदों पर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और उक्त वेतनमानों में प्रत्येक पद पर काम कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या कितनी है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत पदों की अलग-अलग श्रेणी-वार संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उपरोक्त श्रेणियों के पदों पर काम कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या नगण्य है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित श्रेणी वार कोटा कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) मांगी गई जानकारी से सम्बन्धित एक विवरण संलग्न है।

(ख) तथा (ग) सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए रिक्त स्थानों के लिए आरक्षण किया जाता है। आरक्षित रिक्त स्थानों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों द्वारा यथासम्भव शीघ्र भरने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

क्रम सं०	वेतनमान तथा पदों की श्रेणी	मंजूर किए गए पदों की सं०	कर्मचारियों की कुल सं०	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की सं०	टिप्पणी
I.	**470 रु० से आरम्भ होने वाले वेतनमान**				
1.	वैज्ञानिक सहायक "ए"	13	7	2	
2.	तकनीकी सहायक "ए"	1	1	—	
II.	**650 रु० से आरम्भ होने वाले वेतनमान**				केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट रूप से कोई पद मंजूर नहीं किया जाता है। किन्तु सरकार के आदेशों के अनुसार रिक्त स्थानों का एक निश्चित प्रतिशत ऐसे उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया जाता है।
1.	अनुभाग अधिकारी गैर-तकनीकी	1	—	—	
III.	**700 रु० से आरम्भ होने वाले वेतनमान**				
1.	वैज्ञानिक "सी"	10	4	—	
IV.	**1100 रु० से आरम्भ होने वाले वेतनमान**				
1.	वैज्ञानिक "डी"	5	5	—	
2.	प्रशासन-व-लेगा अधिकारी	1	1	—	
V.	**1500 रु० से आरम्भ होने वाले वेतनमान**				
1.	वैज्ञानिक "ई"	3	2	—	

इलेक्ट्रोनिक्स रीजनल टेस्ट लेबोरेटरी, दिल्ली में कान्ट्रेक्ट के आधार पर नियुक्त अधिकारी

4269. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक्स रीजनल टेस्ट लेबोरेटरीज, दिल्ली में कार्यरत कुछ कर्मचारियों को कान्ट्रेक्ट के आधार पर दूसरे कार्यालयों से लाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की श्रेणी वार संख्या क्या है तथा उनके मूल कार्यालयों के नाम क्या हैं ; और

(ग) कान्ट्रेक्ट के आधार पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) जी, हां । दिल्ली स्थित इलेक्ट्रानिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला में अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त वर्ग 'क' के चार अधिकारियों के मूल कार्यालय हैं ; विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), त्रिवेन्द्रम, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली, दूरदर्शन महानिदेशालय, नई दिल्ली तथा आकाशवाणी । अन्य वर्गों में किसी भी अधिकारी को अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त नहीं किया गया है ।

(ग) इलेक्ट्रानिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, दिल्ली में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी भी अधिकारी को अनुबन्ध के आधार पर नहीं नियुक्त किया गया है ।

20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए राज्यों का श्रेणीकरण

4270. **श्री विष्णु प्रसाद** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए राज्यों का श्रेणीकरण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो श्रेणीकरण में पहले तीन स्थान प्राप्त करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ?

योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) 1983-84 के दौरान निष्पादन के आधार पर, राजस्थान, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश ने श्रेणीकरण में पहले तीन स्थान प्राप्त किए हैं ।

नामीबिया के बारे में संयुक्त राष्ट्र परिषद की रिपोर्ट

4271. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नामीबिया के बारे में संयुक्त राष्ट्र परिषद की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है अपनी सैनिक तैयारी करने और अपनी सशस्त्र सेनाओं को बेहतर बनाने के आलावा दक्षिण अफ्रीका, अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों की भरपूर सहायता और सहयोग से परमाणु हथियारों सम्बन्धी क्षमता प्राप्त करने के लिए अपने परमाणु सम्बन्धी तकनीक और प्रतिष्ठानों का भी विकास कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण अफ्रीका द्वारा अपनी परमाणु, हथियार क्षमता के विकास के बारे में सरकार को क्या जानकारी है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा सरकार इसे विश्व शांति के लिए कैसे खतरा समझती है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने समय-समय पर प्रकाशित प्रैस रिपोर्टें, विशेषज्ञों द्वारा निजी हैसियत से किए गए आकलन और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट देखी हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि दक्षिण अफ्रीका ने वे सभी अवयव विकसित कर लिए हैं जो नाभिकीय अस्त्रों के निर्माण के लिए आवश्यक हैं ।

(ग) नाभिकीय अस्त्र विकसित करने के दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की भांति हमारी सरकार भी चिन्तित रही है और इस सिलसिले में उसने संयुक्त राष्ट्र, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकी करण और विस्तार

4272. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किए गए उनके प्रयत्नों के परिणाम क्या निकले ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) दुर्गापुर इस्पात कारखाने का नवीकरण करने तथा इसका प्रौद्योगिकीय दृष्टि से उन्नयन करने से सम्बन्धित प्रस्ताव अनुमोदन के लिए भारत सरकार के विचाराधीन है और यह काम लगभग अन्तिम दौर में है। विदेशों से आवश्यक संयंत्र खरीदने तथा आवश्तकतानुसार सेवाएं प्राप्त करने हेतु विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का निर्धारण वित्त मंत्रालय से उचित समय परामर्श करके किया जाएगा ।

खनिज सर्वेक्षण के लिए आधुनिकतम हवाई-प्रणाली

4273. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खनिज सर्वेक्षण के लिए विकसित आधुनिकतम हवाई-प्रणाली को रद्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अपराधों के संबंध में सर्वेक्षण

4274. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का अध्ययन किया है कि आम तौर पर गर्मियों में अपराध बढ़ जाते हैं ;

(ख) क्या यह बात भी ध्यान में आई है कि पिछले कुछ दिनों में जरा सी अनबन पर आत्म हत्या, हत्या और बहुओं को जलाने जैसी अस्वाभाविक मौतों में वृद्धि हुई है जबकि सर्दियों में ये अपराध कम होते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) गर्मी के दिनों में अपराधों में बढ़ोत्तरी के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। सरकार के पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई विशिष्ट सूचना या रिपोर्ट नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में "आकस्मिक मौतें", आत्महत्या, हत्या, मामूली अनबन से वधू को जलाना, सर्दियों में कम होते हैं। इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

श्रीनगर में भारत विरोधी परचों का परिचालन

4275. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जुलाई, 1984 के "डेकन हेरल्ड" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि श्रीनगर में वितरित भारत विरोधी पर्चों में 25,000 व्यक्तियों की सुदृढ़ कश्मीर पुलिस द्वारा भारत के विरुद्ध विद्रोह करने का आह्वान किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में रिपोर्ट मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो इन पर्चों के मूल पाठ "के बारे में क्या ब्यौरा है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) सरकार को समाचार की जानकारी है। इसकी विषयवस्तु सरकार के ध्यान में लाई गई है।

उड़ीसा में समुद्री कछुओं के लिए शरण-स्थल

4276. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य सरकार नें उड़ीसा में भितारकनिका में, जहां समुद्री कछुए घोंसले बनाने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं ; समुद्री कछुओं के लिए देश का प्रथम शरण स्थल स्थापित करनें का कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अनूठे शरण स्थल की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भितारकनिका 1975 से एक अधिसूचित अभियारण्य है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्द महासागर में मैंगनीज के पिण्डों की उपलब्धता का मूल्यांकन

4277. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में मैंगनीज पिण्डों की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वाणिज्यिक उपयोग सम्बन्धी क्या कार्यक्रम है ;

(ग) क्या अनुसंधान और पायलट संयंत्रों के माध्यम से प्रौद्योगिकी को विकास करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो किस हद तक ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) महासागर विकास विभाग ने बहुधात्विक पिण्डों के लिए कार्यक्रम आरम्भ किया है। भारत को अग्रगामी निवेशक के रूप में मान्यता दी गई है और मध्यवर्ती हिन्द महासागर में 30 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में बहुधात्विक पिण्डों के लिए विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण किए जाने के बाद दो खनन-स्थलों का पता लगाया गया है, जो कि प्रत्येक 150,000 वर्ग किलोमीटर के हैं। भारत ने हिन्द महासागर में खनन के लिए एक अग्रगामी क्षेत्र आबंटित किए जाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के प्रारंभिक आयोग को पहले ही आवेदन-पत्र दे रखा है। प्रारंभिक आयोग द्वारा भारत को एक खनन-स्थल आबंटित किए जाने के बाद, पिण्डों के खनन से सम्बन्धित अनुसंधान एवं विकास-कार्य हाथ में लिया जाएगा, जिसमें इससे सम्बन्धित पर्यावरणीय आंकड़े एकत्रित करने का कार्य भी शामिल है। बहुधात्विक पिण्डों से प्रयोग स्तर पर धातुएं (तांबा, निकल और कोबाल्ट) निकालना भी संभव हो गया है और इस प्रक्रिया को उन्नत किया जा रहा है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, और भी सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन कार्य किया जाना है तथा सभी विकल्पों पर विचार किए जाने के बाद प्रायोगिक संयन्त्र के द्वारा खनन और संसाधन के लिए प्रौद्योगिकियां स्थापित की जाएंगी।

हिमालय के क्षेत्र के बारे में सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का क्रियान्वयन

4278. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हिमालय के क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 1982-83 में एक सलाहकार समिति गठित की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ग) यदि रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

योजना और सिंचाई मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) समिति सलाहकारी प्रकार की है तथा इससे कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाती।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) जैसा कि ऊपर भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है, समिति का स्वरूप सलाहकारी है और हिमालय क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित मुद्दों पर इसका मार्गदर्शन सतत आधार पर लिया जाता है।

खनिज स्रोतों का विकास

4279. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनिज स्रोतों के विकास के लिए कोई उपाय किए है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में छठी पंचवर्षीय योजना विधि के दौरान लौह अयस्क, मैंगनीज बाक्साइट और कोयला खानों के विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय खनिज नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रस्ताव को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) 1976 में हुई खनिज सलाहकार परिषद की बैठक में एक राष्ट्रीय खनिज नीति संकल्प तैयार करने पर चर्चा हुई थी। यह संकल्प कानूनी ढांचे, अर्थात खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1975 के अनुरूप होना था। चूंकि अधिनियम में व्यापक संशोधनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, अत: खनिज नीति का स्वरूप प्रस्तावित संशोधन हो जाने के बाद स्पष्ट हो सकेगा।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के पद को भरना

4280. **श्री आर० एन० राकेश : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जानजातियों के लिए आयोग के कार्यालय में आयुक्त का पद रिक्त पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो कब से रिक्त पड़ा है ;

(ग) क्या उक्त् कार्यालय को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए आयुक्त की शीघ्र नियुक्ति करने के सम्बन्ध में क्या सरकार को दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण संघ अम्बेदकर भवन, रानी झांसी रोड़, नई दिल्ली से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) उक्त नियुक्ति में देरी के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) विशेष अधिकारी, जो सामान्यत: अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के नाम से जाना जाता है, का पद 23 नवम्बर, 1981 से रिक्त पड़ा है।

(ग) जी हां, **श्रीमान्**।

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के पद को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है और इस पद के लिए चुने गए व्यक्तियों के शीघ्र कार्यभार संभालने की आशा है।

राज्यों के विधेयकों को मंजूरी देने में विलम्ब

4281. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 जुलाई, 1984 के "डक्कन हैरेल्ड" में "सेण्टर बलेम्स स्टेट फॉर पेण्डिग आफ बिल्स" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें केन्द्र ने राज्यों द्वारा पारित विधेयकों के बारे में राज्यों पर विलम्ब का, जहां तक राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने का सम्बन्ध है, आरोप लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार कारणों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने में विलम्ब के लिए जिम्मेवार कारण, विधायन में खामियों का होना, जिनमें संशोधन की आवश्यकता होती है ताकि वे न्यायिक संवीक्षा का सामना कर सके, केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों को स्पष्ट करने में विलम्ब और केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य कुछ मूल मतभेदों को दूर करना है जिसमें समय

लगता है। विलम्ब इस कारण भी होता है कि राज्य सरकारें, विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए अंतिम समय में भेजती है, और इस प्रकार से कानूनी प्रस्ताव पर उपयुक्त विचार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं देती है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कैम्प बैल खाड़ी में जासूसी करते पाए गए विदेशियों की गिरफ्तारी

4282. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कैम्पबैल खाड़ी में जुलाई, 1984 के तीसरी सप्ताह में जासूसी करते पाए गए विदेशियों को उनकी नौकाओं के साथ गिरफ्तार किया **गया** था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या खम्बात की खाड़ी में हमारे समुद्री तट की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) 10 जुलाई, 1984 को गांधीनगर, कैम्पबैल बे से दूर एक नौका पकड़ी गई जिस पर चार विदेशी **सवार थे**। अण्डमान व निकोबार प्राधिकारियों द्वारा उन विदेशियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है **और** उस मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

20 जुलाई, 1984 को गांधीनगर, कैम्पबैल बे से दूर एक अन्य विदेशी **जलयान पकड़ा** गया जिस पर विदेशी कर्मीदल के 13 सदस्य थे। इन विदेशियों पर मुकदमा चलाया **गया और** न्यायालय द्वारा उन्हें सिद्ध दोष ठहराया गया और सजा दी गई। अब उक्त जलयान को तथा **कर्मीदल** के सदस्यों को रिहा करने की कार्रवाई की जा रही है।

ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उपर्युक्त दो जलयानों पर सवार विदेशी जासूसी कर रहे थे। ऐसा लगता है कि वे संकट में पड़कर अथवा प्रतिकूल मौसम के कारण भारतीय जल-सीमा में प्रवेश कर गए।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान्। तट रक्षा संगठन और पुलिस बल उचित सतर्कता रखते हैं।

धार्मिक स्थानों का अन्य प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग

4283. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** :

श्री एम० अरुणाचलम :

श्री के० ए० स्वामी :

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :

क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिया है कि देश में विभिन्न धर्मों की धार्मिक

गतिविधियों के कई स्थानों का धर्मेतर प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है ;

(ख) क्या देश की सीमा के निकटवर्ती धार्मिक स्थानों को तस्करों और समाज-विरोधी तत्वों के छिपने के स्थान के रूप में उपयोग किया गया है ;

(ग) क्या देश के हाल के साम्प्रदायिक दंगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसे स्थानों की कोई व्यापक तलाशी ली है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या समाजविरोधी तत्वों द्वारा ऐसे स्थानों पर शस्त्र और गोलाबारूद छुपाने में पूजा स्थलों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई कानून बनाने का सरकार का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) हाल के महीनों में, पंजाब में अनेक गुरुद्वारों का प्रयोग बड़ी मात्रा में शस्त्रों और गोला बारूद के भंडारण के लिए और असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों को शरण देने के लिए किया जाता रहा है। अनेक धार्मिक स्थानों की तलाशी ली गई थी।

(ङ) इस सम्बन्ध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र पर वाद-विवाद

4284. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में दृष्टिकोण पत्र जारी किया है।

(ख) क्या इस पत्र पर अर्थशास्त्रियों व्यापार संघों और सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या उपरोक्त भाग (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को, सातवीं पंचवर्षीय योजना, को अंतिम रूप देते समय, विचार में लिया जाएगा ?

योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना की नीति पत्र तैयार करने में, देश में, विभिन्न प्रकार के वर्गों की व्यापक राय प्राप्त की गई। जिनसे राय ली गई थी, वे हैं उद्योग, वाणिज्य और व्यापार के प्रतिनिधिक संगठन योजना आयोग को सलाह देने वाले अर्थशास्त्रियों का पैनल और शिक्षा संस्थाओं से सम्बद्ध शिक्षा शास्त्री तथा अन्य शिक्षा शास्त्री दोनों ही। इसके अलावा, योजना मन्त्रालय से सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति सदस्यों की भी राय ली गई योजना आयोग को आर्थिक सलाहकार परिषद् तथा आर्थिक और प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दी गई सलाह से भी लाभ पहुंचा। दिनांक 12 और 13 जुलाई, 1984 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दस्तावेज अनुमोदित करने से पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भी इस पर विचार-विमर्श किया गया। इस प्रकार, नीति पत्र दस्तावेज को तैयार करने में, ऊपर बताए गए सभी के विचारों को ध्यान में रखा गया।

दिल्ली इन्द्रप्रस्थ बिजली संयंत्र का कार्यकरण

4285. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **प्रधानमन्त्री** ताप बिजली संयंत्रों द्वारा प्रदूषण को नियन्त्रित किए जाने के बारे में 1 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1497 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दिल्ली इन्द्रप्रस्थ संयंत्र ऐसे संयंत्रों में से एक है जहां विद्युत संयंत्र प्रदूषण को रोकने सम्बन्धी निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करने में सक्षम नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रदूषण को प्रभावपूर्ण ढंग से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। इन्द्रप्रस्थ ताप बिजली संयंत्र में पांच उत्पादन यूनिटें हैं। यूनिट 1 और 2 में स्थापित स्थिर वैद्युत अवक्षेपक सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। तथापि, यूनिट संख्या 2, 3 तथा 4 में सुलभ किए गए स्थिर-वैद्युत अवक्षेपक अपने अभिकल्पित कार्यक्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं।

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए स्थिर वैद्युत अवक्षेपकों के प्रदायकों के साथ इस मामले को उठाया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भी मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से यूनिट 2, 3 तथा 4 में सुधार तथा स्थिर-वैद्युत अवक्षेपकों के विस्तार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को पुराने स्थिर-वैद्युत अवक्षेपकों के स्थान पर नए अवक्षेपक स्थापित करने के लिए सलाह दी है।

औद्योगिक परियोजनाओं द्वारा प्रदूषण

4286. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पर्यावरण सफाई सम्बन्धी सरकार की अधिसूचना महाराष्ट्र राज्य, विशेष रूप से बम्बई में बेकार है ;

(ख) क्या अनेक पहले ही से स्थापित तथा उत्पादन कर रही अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली परियोजनाओं को, ऐसे उद्योगों को सरकार से अनुमति लेने निर्णय जून, 1984 में लिए जाने के बावजूद कार्योत्तर अनुमति दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या मैसर्स एस्कोर्टस लिमिटेड द्वारा अपनी ड्राई डॉक परियोजना (बम्बई में) के लिए ऐसी अनुमति ली गई है ?

पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) मैसर्स एस्कोर्टस को नवम्बर, 1984 तक इसके वर्तमान स्थान में फ्लोटिंग डोक परिचालन की अस्थाई तौर पर अनुमति दी गई है।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी अधिनियम का पुनरीक्षण

4287. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण मन्दिर परिसर के भीतर उग्रवादियों की भूमिका और गतिविधियों में नियन्त्रण रखने में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी की निष्फल भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार अधिनियम को प्रभावी बनाने की दृष्टि से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी अधिनियम की पुनरीक्षा करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो अधिनियम में परिवर्तन कब तक किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 जिसके अधीन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी कार्य कर रही है को संशोधित करने के लिए कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन पर विचार करने की आवश्यकता है।

(ख) इस अवस्था में कोई समय सीमा बताना सम्भव नहीं है।

पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के लोगों की घुसपैठ

4288. **श्री बाला साहिब विखे** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल में सीमा के अनेक गांवों में जनसंख्या दुगुनी हो गई है ;

(ख) क्या खबरों के अनुसार उनमें अधिकांशत: बांग्लादेश के ऐसे लोग हैं जो कुछ पश्चिम बंगाल सीमा के माध्यम से तथा अन्य असम सीमा के माध्यम से वहां आ गए हैं तथा झूठे नाप-पते के आधार पर वहां बस गए हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए पहल करेगी ; और

(घ) क्या पहले ही कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे और यदि नही, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है। जनगणना केवल दशवार्षिक आधार पर की जाती है।

(ख) से (घ) जब अवैध घुसपैठियों का पता चलता है, तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

गुजरात में खनिज

4289. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पाए गए खनिजों का ब्योरा क्या है ; और

(ख) गुजरात में उपलब्ध खनिज सम्पदा के सम्पूर्ण प्रबन्ध और विकास के लिए सरकार द्वारा क्या विभिन्न उपाय किए गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) गुजरात में प्राप्त मुख्य खनिज हैं :—

खनिज	अनुमानित भण्डार (मि० टनों में)
बौक्साइट	90.53
बेन्टोनाइट	43.00
चाइनाक्ले	67.4
तांबा अयस्क	7.5
डोलोमाइट	245.76
फायरक्ले	44.8
फ्लुअर्सपार	8.35
जिप्सम	7.2
लिगनाइट	51.65
लाइमस्टोन	10.792
सीसा जस्ता अयस्क	7.7
मैगनीज अयस्क	2.89

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा गुजरात राज्य भूतत्व और खनन निदेशालय गुजरात की खनिज सम्पदा की खोज पहले सही फोटो भूविज्ञान, भूरसायनिक तथा भूभौतिकी तकनीकों को अपनाकर कर रहा है।

गुजरात खनिज विकास निगम, राज्य सरकार के उपक्रम को महत्वपूर्ण खनिजों जैसे पलुअर्सपार, लिग्नाइट, बौक्साइट तथा तांबा-सीसा-जस्ता निक्षेपों के विकास के लिए खनन पट्टे दिए गए हैं, इसके अलावा अन्य खनिजों जैसे लाइमस्टोन, बौक्साइट फायरक्ले आदि का दोहन प्राइवेट क्षेत्र द्वारा किया जाता है।

राठवाकोलि समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना

4290. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राठवा समुदाय के लोग जो कि मुख्यत: गुजरात के बड़ौदा जिले के आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं परन्तु राठवा-समुदाय के कुछ लोग जो अपना उपनाम राठवाकोलि या कोलि लिखते हैं उन्हें अनुसूचित जनजातियों के वे लाभ प्राप्त नहीं होते जो राठवा लोगों को मिलते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन गरीब आदिवासियों के लाभ के लिए जो अन्य जनजातियों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, राठवाकोलि या कोलि को अनुसूचित जाति "राठवा" की सूची में शामिल करने पर विचार करेगी, क्योंकि ये उपजातियां भी उसी समुदाय की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं और इन उपजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में कब तक शामिल कर लिया जाएगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) समय-समय पर संशोधित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 के अनुसार केवल राठवा समुदाय को अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। गुजरात में राठवाकोलि अथवा कोलि समुदाय को अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। इस दृष्टि से केवल राठवा समुदाय से सम्बन्धित व्यक्ति अनुसूचित जनजातियों के लाभ प्राप्त करने के पात्र है।

(ख) तथा (ग) अनुसूचित जनजातियों की सूची में राठवाकोलि और कोलि को शामिल करने के प्रस्ताव पर अन्य ऐसे प्रस्तावों, सिफारिशों, सुझावों और अभ्यावेदनों के साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के विस्तृत संशोधन के सन्दर्भ में सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और भारत के महापंजीकार से परामर्श करके और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए इस मामले में अपनाए जाने वाले सम्बन्धित मानदण्डों के अनुसार विधिवत विचार किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों की टिप्पणियों की अभी प्रतीक्षा है और उनको नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) की दृष्टि से केवल संसद के किसी अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

राष्ट्रीय ध्वज का जलाया जाना

4291. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय ध्वज जलाने की कितनी घटनाएं हुईं तथा उनके क्या कारण थे ;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और चालान किया गया, उसमें से कितने व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ दिया गया तथा कितने व्यक्ति अभी तक न्यायिक-हिरासत में हैं और उनके विरुद्ध की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय ध्वज को जलाने के मामले में अब तक कोई व्यक्ति दण्डित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके ब्यौरे क्या हैं तथा उन्हें कितनी अवधि की सजा दी गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

राजस्थान में पशु विहार योजना

4292. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राजस्थान में अरावली पहाड़ियों के कुम्मलगढ़ क्षेत्र में और देभूरी के कुछ क्षेत्रों में पशु विहार योजना शुरू की गई है ताकि इन क्षेत्रों में वन्य प्राणियों का संरक्षण किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो कब से और केन्द्र सरकार तथा राजस्थान सरकार ने इस योजना पर अब तक कितनी धनराशि पृथक-पृथक खर्च की है ; और

(ग) क्या उक्त योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कुम्मलगढ़ अभयारण्य के रूप में 1971 में अधिसूचित किया गया था। 1982-83 से अभयारण्य के लिए केन्द्रीय सहायता नीचे के ब्यौरे के अनुसार दी गई :—

वर्ष	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश
1982-83	1,22,500.00 रु०	1,25,798.48 रु०
1983-84	2,27,500.00 रु०	2,28,109.99 रु०

(ग) हाल के वर्षों में अभयारण्य के अन्दर प्राकृतिक आवासों स्तर में तथा वन्य प्राणियों के स्तर में पर्याप्त सुधार हुआ है।

देश में लघु परमाणु केंद्रों की स्थापना

4293. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने 235 मेगावाट तक की क्षमता वाले लघु परमाणु विद्युत केन्द्रों का डिजाइन किया है ;

(ख) अगले दो दशकों में देश में ऐसे कितने परमाणु विद्युत केन्द्र स्थापित करने का विचार है ;

(ग) प्रस्तावित विद्युत केन्द्रों पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ; और

(घ) क्या 2000 ई० तक भारत देश में बढ़ती जनसंख्या की ऊर्जा की मांग के समाधान के लिए परमाणु विद्युत के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत ही एक ऐसा विकासशील देश है जिसने स्वदेशी आधार पर परमाणु बिजलीघर लगाने की क्षमता प्राप्त कर ली है और इस समय 235 मेगावाट क्षमता के कई बिजलीघर बना रहा है।

(ख) तथा (ग) परमाणु बिजली के बारे में एक ऐसा कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है जिसमें सन 2000 तक 235 मेगावाट की क्षमता वाले 12 यूनिट और 500 मेगावाट की क्षमता वाले 10 यूनिट लगाए जाएंगे। इस पर 15 वर्ष की अवधि में 13,900 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय आएगा।

(घ) परमाणु बिजली के उत्पादन के लिए दाबित भारी पानी किस्म के रिऐक्टरों और उनसे सम्बन्धित सुविधाओं के डिजाइन तैयार करने तथा उन रिऐक्टरों और सुविधाओं को बनाने और चलाने के मामले में भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। आशा है कि सन 2000 तक देश में पैदा होने वाली कुल बिजली में परमाणु बिजली की मात्रा बढ़कर लगभग 20 प्रतिशत हो जाएगी।

लक्समबर्ग में पश्चिमी देशों की गुप्त बैठक

4294. **श्री कमल नाथ** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए देशों को आणविक हथियार बनाने से रोकने के उपायों पर विचार करने के लिए पिछले सप्ताह 12 पश्चिमी देशों की लक्समबर्ग में गुप्त बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी है।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति सुविदित है। भारत सभी प्रकार के नाभिकीय हथियारों

के पूर्णत: विरुद्ध है। सरकार की यह नीति है कि शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए नाभिकीय ऊर्जा को विकसित किया जाय।

भारत कुछ देशों अथवा देशों के समूहों द्वारा अस्वीकृत ऐसी किसी भी भेदभावपूर्ण अथवा प्रतिबन्धात्मक नीति तथा काम का समर्थन नहीं कर सकती जो विकासशील देशों की अपनी-अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं और हितों के अनुरूप अपने शांतिपूर्ण नाभिकीय कार्यक्रम निर्धारित करने के उनके अधिकारों और आकांक्षाओं के खिलाफ हो।

साम्प्रदायिक दंगों के बारे में मार्ग निर्देश जारी किया जाना

4295. **श्री के० राममूर्ति** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में न केवल साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम के लिए बल्कि सम्प्रदाय की सम्बद्धता का ख्याल किए बिना ऐसे दंगों को उकसाने वाले तथा उनमें भाग लेने वाले लोगों को दण्ड देने के साथ-साथ इनके सम्बन्ध में पहले से कार्यवाही करने के लिए जारी किए गये मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अब तक की गई सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) साम्प्रदायिक हिंसा को फैलने से रोकने और साम्प्रदायिक शांति बनाए रखने के वास्ते राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को पहले जारी किए गये गए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों के अलावा, उनका ध्यान इस सम्बन्ध में पिछले वर्ष मई में प्रधान मन्त्री द्वारा सुझाए गये विशिष्ट उपायों की ओर भी दिलाया गया था। सांप्रदायिकता की वृद्धि को रोकने और साम्प्रदायिक तनाव को रोकने और तत्परता तथा दृढ़ता से निपटने के लिए प्रधान मन्त्री द्वारा सुझाए गये मुद्दों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) आयोग की केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित सिफारिशों के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई के ज्ञापन नियमित रूप से सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं।

विवरण

1. साम्प्रदायिक दंगे :

1. राज्य सरकारों को सलाह दी जा रही है कि जिन क्षेत्रों के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील और दंगों प्रवृत्त क्षेत्र में होने का पता लगाया गया है उन क्षेत्रों में सर्वाधिक कार्य कुशल, निष्पक्ष तथा धर्मनिर्पेक्ष रिकार्ड वाले जिला तथा पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में तथा अन्य कहीं भी साम्प्रदायिक तनाव की रोकथाम करना जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक का प्राथमिक कार्य होना चाहिए। इस सम्बन्ध में उनका कार्य-निष्पादन उनकी पदोन्नति की सम्भावनाओं का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण बात मानी जानी चाहिए।

2. इस सम्बन्ध में जिला तथा पुलिस प्राधिकारियों द्वारा किए गए अच्छे कार्य के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

3. जो लोग सांप्रदायिक तनाव को भड़काते हों अथवा हिंसा में भाग लेते हों उन सभी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

4. विशेष न्यायालय अथवा साम्प्रदायिक अपराधों के निवारण के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि अपराधियों को जल्द सजा दी सके।

5. सांप्रदायिक दंगों के शिकार व्यक्तियों को तत्काल राहत दी जानी चाहिए और उनके पुनर्वास के लिए शीघ्र पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

6. ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास, सांप्रदायिक सद्भाव तथा शांति कायम करने के लिए रेडियो और टी० वी० को भी सहायता करनी चाहिए।

7. यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रैस का कुछ वर्ग पक्षपातपूर्ण समाचार देता है। और आपत्तिजनक तथा उत्तेजनात्मक सामग्री का प्रकाशन करता है जिससे साम्प्रदायिक तनाव भड़क सकता है। मुझे आशा है कि सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्बन्धित अन्य व्यक्ति ऐसी सामग्री के प्रकाशन को रोकने का रास्ता निकालने में सहयोग देंगे।

2. राज्य तथा केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती :

8. पुलिस कार्मिकों की भर्ती में राज्य सरकारों को सलाह दी जाए कि वे अल्पसंख्यकों की ओर विशेष ध्यान दें। इस प्रयोजन के लिए, चयन समितियों के गठन में उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

9. केन्द्रीय सरकार द्वारा भी केन्द्रीय पुलिस बलों के कार्मिकों की भर्ती में इसी तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए।

10. रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा बड़े पैमाने पर रोजगार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन मामलों में भी सम्बन्धित विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक समुदायों से भर्ती करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

11. बहुत से क्षेत्रों में भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं से की जाती है। ऐसी परीक्षाओं में बराबरी के आधार पर भाग लेने में अल्पसंख्यक ग्रुपों के लोग शिक्षा-पद्धति का लाभ उठाने में प्राय: अक्षम रहे हैं। उनकी इन अक्षमताओं को दूर करने लिए अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में कोचिंग कक्षाओं को शुरू करने को प्रोत्साहित करने के उपाय किए जाने चाहिए ताकि इन परीक्षाओं में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके।

12. जो अल्पसंख्यक लोग आज पिछड़े हुए हैं वे तकनीकी कौशल प्राप्त करके राष्ट्रीय विकास में सहायक हो सकते हैं। सरकारी तथा प्राइवेट एजेंसियों द्वारा मुख्यता अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों में आई० टी० आई० और पालिटेकनिल खोलने का प्रबन्ध किया जाए ताकि ऐसे संस्थानों में इन समुदायों के लोगों को पर्याप्त संख्या में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

3. अन्य उपाय :

13. 20 सूत्री कार्यक्रम समेत विभिन्न विकास कार्यक्रमों में यह निश्चित की सावधानी बरतनी चाहिए कि उनसे होने वाले लाभ अल्पसंख्यकों को ठीक तथा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हों। ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के वास्ते बनाई गई विभिन्न समितियों में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को भी सक्रिय रूप से सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

14. जिन आम मसलों का मैंने जिक्र किया है उनके अलावा ऐसी अनेक स्थानीय समस्याएं हैं जिनसे अल्पसंख्यकों को ख्वामख्वाह चिढ़ हो जाती है। मिसाल के तौर पर वक्फ सम्पत्तियों और कब्रिस्तानों के अधिक्रमण से कुछ स्थानों पर विशेष और शिकायतें हुई हैं। ऐसी समस्याओं से शीघ्र और सन्तोषजनक रूप से निपटने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए।

15. अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित समस्याओं की ओर निरन्तर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ताकि आशंकाओं को कम किया जा सके और वास्तविक शिकायतों को दूर किया जा सके। इस कार्य में सुविधा के लिए, गृह मन्त्रालय में अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित मसलों पर कार्रवाई करने के लिए एक विशेष सेल बनाया जाएगा।

करौल बाग में गति अवरोधक

4296. **श्री भीखाभाई** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करोल बाग में गुरुद्वारा रोड, अब्दुल अजीज रोड, किशनदास रोड के लिए गति अवरोधक काफी पहिले मंजूर किए जा चुके हैं। लेकिन अभी तक उनका निर्माण नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त सड़कों पर गति अवरोधकों के निर्माण पर कितना समय लगेगा जबकि कुछ समय पहले यहां कई घातक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा गठित सड़क सुरक्षा और यातायात/परिवहन इन्जीनियरिंग समिति ने सिफारिश की है कि मुख्य सड़कों पर गति अवरोधक नहीं होने चाहिए। इस मार्गदर्शी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अब्दुल अजीज सड़क और कृष्ण दास सड़क पर गति अवरोधक के निर्माण के निर्णय की समीक्षा की गई थी। दिल्ली नगर निगम को, जो गति अवरधोकों के निर्माण से सम्बन्धित है, करौलबाग में अब्दुल अजीज सड़क और किशन दास सड़क पर गति अवरोधकों का निर्माण शुरू करने के लिए निदेश कर दिए गए हैं।

भर्ती और पदोन्नति किए गए सरकारी कर्मचारियों अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के अतिरिक्त और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या

4297. **श्री भीखाभाई** : क्या **प्रधान मन्त्री** भर्ती और पदोन्नति किए गये सरकारी कर्मचारियों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति

से सम्बद्ध कर्मचारियों के बारे में दिनांक 18 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8092 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उपर्युक्त उत्तर में बताए गए रोस्टर के अनुसार आरक्षण/पदोन्नति नीति विज्ञान और औद्योगिकी विभाग और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यान्वित की गई है अथवा नहीं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : भर्ती और पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों/जनजातियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के बारे में आरक्षण के सम्बन्ध में सरकार के अनुदेशों का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में तथा इनके अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पालन किया जा रहा है।

वी० सी० आर० आदि के निर्माण के लिए अनुसूचित जातियों से आवेदन पत्र

4298. **श्री भीखा भाई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली को जुलाई, 1984 में वीडियो कैसेट और वी० एच० एस० के निर्माण के लिए अनुसूचित जातियों के इन उद्यमियों से कुछ आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिन्हें उद्योग निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ने औद्योगिक क्षेत्र चरण-2 ओखला नई दिल्ली में प्लाट आबंटित किए हैं, यदि हां, तो प्रत्येक आवेदन पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके लिए क्या विशेष ध्यान दिए जाने का विचार है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) जी, हां। 28 जुलाई, 1984 को एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के अनुसार अनुसूचित जाति के उद्यमकर्ताओं तथा अन्य उद्यमकर्ताओं के बीच कोई अन्तर नहीं है ।

सचिव (पूर्व) द्वारा वियतनाम का दौरा

4299. **श्री आनन्द सिंह :**

श्री एन० के० शेजवलकर :

क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में सचिव (पूर्व), श्री नटवर सिंह ने प्रधान मन्त्री के एक संदेश और युद्ध के दौरान नष्ट हुई अपनी रेल प्रणाली की मरम्मत के लिए हनोई द्वारा भारत रेल उपकरण और इन्जिन आदि खरीदने के लिए 10,00 करोड़ रु० के ऋण की पेशकश के साथ वियतनाम का पांच दिन का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का क्या परिणाम रहा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां।

(ख) इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे जिसके हिसाब से भारत वियतनाम को 10 करोड़ रु० का ऋण देगा। यह ऋण वियतनाम को इसलिए दिया जा रहा है कि वह रेल इन्जन मरम्मत का कारखाना स्थापित करने के लिए अपेक्षित उपकरण और सेवा हासिल कर सके तथा एक कपड़ा मिल को आधुनिक रूप देने के लिए अपेक्षित उपकरण और सेवा भी हासिल कर सकता है। पहले के ऋण के आधार पर भारत में बने तीन डीजल इन्जनों की पहली खेप भी इसी यात्रा के दौरान सौंपी गई थी।

सचिव ने वियतनाम के महत्वपूर्ण नेताओं और अधिकारियों से द्विपक्षीय सम्बन्धों के सिलसिले में और आपसी हित के अन्य मामलों पर उपयोगी बातचीत की।

युवकों द्वारा दिल्ली परिवहन निगम की बस का अपहरण

4300. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ युवकों ने जनकपुरी क्षेत्र में 26 जुलाई, 1984 को दिल्ली परिवहन निगम की बस का अपहरण कर लिया था और इसको आग लगाने का असफल प्रयास किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या कोई गिरफ्तारी की गई है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उनको दण्ड देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) 26 जुलाई, 1984 को दिल्ली परिवहन निगम की एक पूर्वान्ह लगभग 11.00 बजे हरियाणा डिपो को वापिस जा रही थी। फतेह नगर बस स्टेंड पर दो युवकों ने बस को रोकने के लिए हाथ दिया। जब बस रुकी तो लगभग दस युवक बस में घुस गए और चालक को चाकू दिखाकर बस को जनकपुरी की तरफ ले जाने के लिए कहा। बस को हैप्पी माडल स्कूल, जनकपुरी के पास रोक लिया तथा चालक और संवाहक को जबरदस्ती बस से बाहर निकाल दिया गया। बदमाशों ने टायरों पर पेट्रोल छिड़क दिया और उनको आग लगा दी। उसके बाद वे भाग गए और अंधेरे में अदृश्य हो गए। जेल रोड जा रही स्टाफ बस से लाए गए दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की सहायता से आग बुझाई गई। अनुमानित क्षति लगभग 7,500/- रु० की है।

(ग) भा० दं० सं० की धारा 353/186/456 और सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति निवारण अधिनियम की धारा 4 के अधीन एक मामला जनकपुरी थाने में दर्ज किया गया है और उसकी जांच चल रही है। अपराधियों को पकड़ने लिए प्रयास जारी हैं। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

"एक्स ब्रिगेडियर एडमिट्स प्लाट टू किल लीडर्स" शीर्षक समाचार

4301. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जुलाई, 1984 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "एक्स-ब्रिगेडियर

एडमिट्स प्लाट टु किल लीडर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों का उल्लेख है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इस षडयन्त्र का पता लगाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां श्रीमान ।

(ख) भा० दं० सं० की धारा 120-ख के अधीन एक मामला थाना लोदी कालोनी में दर्ज किया गया है और आगे पूछताछ चल रही है। इस मामले में अब तक कोई और गिरफ्तारी नहीं की गई है ।

पिछड़े उद्योगों और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का आधुनिकीकरण

4302. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात, कोयला, सीमेंट और उत्पादन के अन्य यूनिटों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय उद्योगों और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के तकनीकी रूप से पिछड़ेपन के बारे में गहराई से कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इनका आधुनिकीकरण करने और अन्य विकसित देशों के समकक्ष लाने के लिए सातवीं योजना के दौरान क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

योजना और सिंचाई मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) सरकारी और निजी क्षेत्रक में उद्योगों द्वारा उद्यमों के कार्य संचालन में सुधार करने के लिए समय-समय पर अभ्यास किए जाते हैं। जिनमें प्रयुक्त किए जा रहे प्रौद्योगिकी (शिल्प विज्ञान) का उन्नयन शामिल है। ये अध्ययन उनके द्वारा या तो अपने आप किए जाते हैं अथवा परामर्शदाताओं/विशेषज्ञों के साथ मिलकर किए जाते हैं। विकास परिषदें भी शिल्प वैज्ञानिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करने और इसे दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने में उपयोगी भूमिका निभाती हैं । किसी विशेष क्षेत्र में शिल्प-विज्ञान के आयात के लिए सहयोग पर विचार करते समय, उद्योग मन्त्रालय की तकनीकी मूल्यांकन समिति यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय उद्योग यथा संभव आधुनिक हो सके, वर्तमान प्रौद्योगिकी आयात किए जाने वाले प्रस्तावित शिल्पविज्ञान के बारे में विस्तृत मूल्यांकन करती है ।

(ग) सातवीं योजना की अवधि में इन प्रयत्नों की अवधि में इन प्रयत्नों के विस्तार का प्रस्ताव है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, "सातवीं योजना के नीति पत्र" नामक दस्तावेज में यह बताया गया है कि "सातवीं योजना मे औद्योगिक विकास का संकेन्द्रण प्रौद्योगिकी के उन्नयन, आधुनिकीकरण, परिसम्पत्तियों के अधिक अच्छे उपयोग और कुशलता के संवर्धन पर होगा।"

न्यूयार्क में खालिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियां

4303. **श्री विलास मुत्तेमवार** :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जुलाई, 1984 के "नवभारत टाइम्स" में "खालिस्तान के लिए तैयारी न्यूयार्क में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या अमरीकी सरकार के कुछ अधिकारी भी उपर्युक्त बैठक में मौजूद थे और क्या बैठक को वहां की सरकार का संरक्षण प्राप्त था ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) सरकार ने 30 जुलाई, 1984 के "नवभारत टाइम्स" में छपी यह खबर देखी है।

(ख) इस सम्मेलन में अमरीका सरकार का कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं था। तथापि न्यूयार्क राज्य के गवर्नर ने एक सन्देश भेजा था जिसे उनके जातीय मामलों के सहायक ने पढ़ा था। यह सन्देश शुभकामना के रूप में था। अमरीका सरकार ने इस सम्मेलन से किसी प्रकार का ताल्लुक होने का अधिकारिक रूप से खंडन किया है।

(ग) वाशिंगटन स्थित हमारे राजदूत ने और न्यूयार्क स्थित हमारे प्रधान कोंसल ने यह मामला अमरीका सरकार के साथ उठाया है।

भारत-सोवियत संयुक्त अन्तरिक्ष उड़ान

4304. **श्री के० ए० स्वामी :**

श्री एम० अरुणाचलम :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-सोवियत संयुक्त अन्तरिक्ष उड़ान के दौरान एकत्र किए गए वैज्ञानिक आंकड़ों का विश्लेषण कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विश्लेषण का ब्यौरा क्या है और इससे हमारे अन्तरिक्ष विज्ञान संबंधी ज्ञान में किस प्रकार वृद्धि होने की आशा है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी; परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिकी एवं महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है तथा इस कार्य के पूरा होने के बाद ही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इन परिणामों से मानव पर पड़ने वाले अन्तरिक्ष उड़ान के प्रभावों के विविध पहलुओं, अन्तरिक्ष में पदार्थ को संसाधित करने और मृदा अध्ययन, वानिकी, मानचित्रण इत्यादि के लिए सुदूर संवेदन तकनीकों से सम्बन्धित हमारे ज्ञान में वृद्धि होने की आशा है।

भारत में ब्रिटिश राष्ट्रिकों को वीसा दिया जाना

4305. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में आ चुके या आ रहे ब्रिटिश राष्ट्रिकों के लिए वीसा की आवश्यकता/पंजीकरण से सम्बन्धित अधिनियम और नियमों में जून, 1984 में क्या परिवर्तन किए गए हैं ;

(ख) ऐसे वीसा पंजीकरण की मंजूरी के लिए जारी किए गए अनुदेश/मार्ग निदेश क्या है ;

(ग) (एक) दिल्ली/बम्बई में इस समय जिन ब्रिटिश राष्ट्रिकों ने वीसा मांगा है/या हाल ही में प्राप्त कर लिया है उनका ब्यौरा क्या है, (दो) यह वीसा किन आधारों पर मांगा गया है और (तीन) प्रत्येक व्यक्ति के मामले में यह कितनी अवधि के लिए मंजूर किया गया है ;

(घ) भारत में पहले ही आ चुके या आ रहे ब्रिटिश राष्ट्रिकों को स्थायी रूप से बसने की अनुमति किन आधारों पर दी जाती है ; और

(ङ) भारत में स्थायी रूप से बसने की हाल ही में अनुमति मांगने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और ऐसे अनुरोधों का आधार क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जून, 1984 के मध्य तक ब्रिटिश राष्ट्रिकों को भारत में प्रवेश के लिए वीसा प्राप्त करने से छूट थी, यदि वे मशीनरी कार्य के सम्बन्ध में आ रहे हों। इस प्रकार के सभी श्रेणियों के राष्ट्रिकों को वीसा प्रणाली के अन्तर्गत लाने के लिए और यदि भारत में उनके ठहरने की अवधि 90 दिन से अधिक बढ़ जाती है तो उनके पंजीकरण की व्यवस्था करने के लिए पारपत्र (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 और विदेशी नागरिकों का पंजीकरण (छूट) आदेश, 1957 में 13 जून, 1984 को संशोधन किया गया।

(ख) विदेशों में भारतीय मिशनों को, इस प्रकार के व्यक्तियों से प्राप्त वीसा के आवेदन पत्रों पर, गुणदोष के आधार पर निपटाना होता है जैसा कि अन्य विदेशी नागरिकों के मामले में किया जाता है। जिलों में सभी विदेशी नागरिक पंजीकरण अधिकारियों को, नियमों में संशोधन से पूर्व भारत में पहले से रह रहे ब्रिटिश नागरिकों आदि को प्रत्येक मामले के गुण दोष के आधार पर 3 माह या 6 माह के लिए रिहायशी परमिट देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली और बम्बई में विदेशी नागरिक पंजीकरण अधिकारियों ने, विभिन्न अवधि के लिए क्रमश: 1174 और 66 ब्रिटिश राष्ट्रिकों को, पर्यटन रिश्तेदारों के साथ रहने, व्यापार, अध्ययन, सेवा आदि के प्रयोजनों के लिए रिहायशी परमिट दिए।

(घ) और (ङ) स्थायी रूप से बसने और भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से लम्बे समय तक ठहरने के लिए सामान्य रूप से दिए जाने वाले आधार इस प्रकार हैं :—

(i) आवेदकों का भारतीय मूल का होना ;

(ii) पति-पत्नी की भारतीय नागरिकता ;

(iii) भारत में स्थायी प्रकृति के सम्पर्क तथा सम्बन्ध आदि।

यह सूचित किया गया कि स्थायी रूप से बसने की दृष्टि से दिल्ली में 337 व्यक्तियों और बम्बई में 6 व्यक्तियों ने दीर्घ अवधि के लिए ठहरने की सुविधा का अनुरोध किया है। उनके मामलों पर उचित कार्रवाई करने के बाद, सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

दिल्ली में डा० अम्बेदकर मेमोरियल म्यूजियम की स्थापना

4306. **श्री हीरालाल आर० परमार :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ व्यक्तियों सहित स्वयंसेवी समाज कल्याण संगठनों और दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण संगठन (पंजीकृत) अम्बेडकर भवन, नई दिल्ली से दिल्ली में 26, अलीपुर रोड पर "डा० अम्बेडकर स्मारक संग्रहालय" की स्थापना के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) अभ्यावेदन की एक प्रतिलिपि दिल्ली प्रशासन को भेज दी गई है जिसने हमको सूचित किया है कि मामला दिल्ली प्रशासन के पुरातत्व निदेशक के कार्यालय में विचाराधीन है।

मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन

4307. **श्री हीरालाल आर० परमार :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन/राज्य सरकारें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि करने और मैट्रिक-पूर्वस्तर पर पात्रता के लिए माता-पिता की आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने हेतु समय-समय पर केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करती है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों/राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर छात्रवृत्ति की दरों और माता-पिता की अधिकतम आय सीमा में संशोधन का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति देने की योजनाएं राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं। इस मन्त्रालय के पास कोई ब्यौरे नहीं हैं।

गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का पता लगाने के लिए अन्तिम सीमा रेखा की पुनरीक्षा

4308. **श्री हीरालाल आर० परमार :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा निर्धारित कैलोरी की मात्रा विदेशों में निर्धारित 3600 से 4000 कैलोरी प्रति व्यक्ति की तुलना में अपर्याप्त है ;

(ख) क्या सरकार को दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण संगठन, अम्बेडकर भवन, नई दिल्ली से अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों द्वारा महसूस की जाने वाली कठिनाइयों की दृष्टि से बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे अन्तिम सीमा रेखा के तुरन्त पुनर्निर्धारण की मांग करते हुए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और सिंचाई मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सरकार को ऐसे किसी देश का पता नहीं है जिसने प्रतिदिन प्रति इकाई कैलोरी की मात्रा 3600 से 4000 कैलोरी निर्धारित की हो । विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित अद्यतन विश्व विकास रिपोर्ट, 1984 से पता चलता है कि न्यूनतम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में वर्ष 1981 की प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति आवश्यकताएं लगभग 2288 कैलोरी हैं। भारत के लिए तुलनात्मक आंकड़ा 2216 कैलोरी दिखाया गया है। भारत के लिए अपनाए गए कैलोरी उपभोग के मानक ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 हैं और शहरी क्षेत्रों में 2100 हैं जो कुल जनसंख्या में आयु, स्त्री-पुरुष और व्यावसायिक विभेदों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए औसत मानक हैं।

(ख) जी, हां ।

(ग) योजना आयोग ने पहले ही गरीबी की रेखा की परिकल्पनाओं और अनुमान से सम्बन्धित एक अध्ययन दल गठित किया है । दल के विचार-विमर्श अभी पूरे नहीं हुए हैं ।

बिहार के गिरिडीह जिले में खनिजों पर आधारित उद्योग

4310. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गिरिडीह जिले में कालाकडिका और विष्णुपुर और माननपुर (बेंगबाद) की पहाड़ियों में सर्वेक्षण के दौरान टिन, सीसा, सोना, चांदी, और तांबे के भण्डार पाये गए हैं ?

(ख) यदि हां, तो ये खनिज कुल कितने क्षेत्र में उपलब्ध हैं और क्या सरकार का विचार जन हित में इन खनिजों पर आधारित कुछ परियोजनायें तैयार करने और उन्हें शुरू करने का है ताकि इन पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो सके ; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक होगा और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) सवाल ही नहीं उठता ।

कुद्रे मुख परियोजना से लौह अयस्क का निर्यात

4311. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुद्रेमुख परियोजना (कर्नाटक) से अन्य देशों को लोह अयस्क का निर्यात करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) कुद्रेमुख परियोजना से लोह अयस्क के सांक्रण के निर्यात के लिए रूमानिया, चैकास्लोवाकिया तथा बहरीन के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ब्यौरा इस प्रकार है :—

रूमानिया

(i) अक्तूबर, 1981 से मार्च, 1985 तक प्रति वर्ष 10 लाख टन की दर से 35 लाख टन।

(ii) वर्ष 1983-84 के दौरान 200,000 टन।

चैकोस्लोवाकिया

(i) 1983 में 60,000 टन।

(ii) वर्ष 1984 में 120,000 टन (खरीददारों की मर्जी पर अतिरिक्त 30,000 टन)

बहरीन

1984 में 250,000 टन।

फिलीपाइन को लोह अयस्क/सांद्रण (अयस्क पैलेट) की सप्लाई के लिए उस देश से एक आशय पत्र भी प्राप्त हुआ है। दूसरे देशों को निर्यात करने की सम्भावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है।

बम्बई में पत्थर की खदान

4312. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के पूर्वी उपनगरों के कई भागों में पत्थर की कई खदानें हैं ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने खदानों में ये खाने हैं ;

(ग) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि इन खदानों से पत्थर निकालने से बम्बई में पारि-स्थितिकी सम्बन्धी सन्तुलन बिगड़ जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण विभाग में प-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) सम्बन्धित सूचना महाराष्ट्र सरकार से एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राज्यों में सेना की तैनाती

4313. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान किन-किन विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार ने सैनिक सहायता के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) प्रत्येक मामले में सैनिक सहायता की मांग करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रत्येक मामले में सेना को कब हटाए जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) गत एक वर्ष (1-8-1983 से 31-7-1984) के दौरान, निम्नलिखित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने सैनिक सहायता के लिए अनुरोध किया था :—

(i) आंध्र प्रदेश

(ii) असम

(iii) बिहार

(iv) चण्डीगढ़

(v) हिमाचल प्रदेश

(vi) जम्मू व कश्मीर

(vii) कर्नाटक

(viii) केरल

(ix) मध्य प्रदेश

(x) महाराष्ट्र

(xi) पंजाब

(xii) राजस्थान

(xiii) तमिलनाडु

(xiv) त्रिपुरा

(xv) उत्तर प्रदेश

(xvi) पश्चिम बंगाल

(ख) सैनिक सहायता मुख्य रूप से (i) विधि और व्यवस्था बनाए रखने (ii) उग्रवादी-विरोधी कार्रवाई, (iii) साम्प्रदायिक दंगों के दौरान, (iv) बाढ़ राहत और अन्य परिस्थितियों के लिए मांगी गई और उपलब्ध कराई गई। प्रत्येक मामले के ब्यौरे संलग्न विवरण में उपलब्ध हैं।

(ग) पंजाब और चण्डीगढ़ के मामले के अतिरिक्त, सभी स्थानों से सशस्त्र बलों को हटा लिया गया है।

विवरण-1

नागरिक प्राधिकारियों को सहायता-विधि और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए
1 अगस्त, 1983-31 जुलाई, 1984

क्र० सं०	राज्य/स्थान	तारीख/अवधि	सहायता का संक्षिप्त विवरण
1.	महाराष्ट्र/भिवंडी, कल्याण, थाणे और बम्बई	13 मई 84-2 जुलाई, 84	सांप्रदायिक दंगों के दौरान सहायता
2.	पंजाब	2 जून. 84-सहायता जारी है	उग्रवादी-विरोधी कार्य-वाई
3.	चण्डीगढ़	2 जून, 84-सहायता जारी है	—तदैव—
4.	जम्मू और कश्मीर/पुंछ	7 जून, 84-19 जून, 84	विधि और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए
5.	जम्मू और कश्मीर	8 जून, 84-17 जून, 84	—तदैव—

विवरण-2

नागरिक प्राधिकारियों को सहायता-प्राकृतिक आपदाएं
1-8-83—31-7-83

क्र० सं०	राज्य/स्थान	तारीख /अवधि	सहायता का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4
1.	महाराष्ट्र/बम्बई	6-8-83	ढह गए एक भवन के मलबे से हताहतों को निकालने के लिए बाढ़ राहत
2.	आंध्र प्रदेश/निजामाबाद	12-8-83—18-8-83	—तदैव—

1	2	3	4
3.	महाराष्ट्र/नांदेड़	12-8-83—26-8-83	—तदैव—
4.	महाराष्ट्र/पुणे	15-8-83—17-8-83	—तदैव—
5.	राजस्थान/जालौर	17-8-83—24-8-83	—तदैव—
6.	मध्य प्रदेश/सागर	9-9-83—10-9-83	—तदैव—
7.	उत्तर प्रदेश/ललितपुर	10-9-83—11-9-83	—तदैव—
8.	उत्तर प्रदेश/बड़ा गांव, झांसी	10-9-83	—तदैव—
9.	उत्तर प्रदेश/बरवा, सागर, झांसी	10-9-83—12-9-83	—तदैव—
10.	उत्तर प्रदेश/तलबेहट	10-9-83—11-9-83	—तदैव—
11.	मध्य प्रदेश/गुना	10-9-83—11-9-83	—तदैव—
12.	उत्तर प्रदेश/हमीरपुर	12-9-83—16-9-83	—तदैव—
13.	उत्तर प्रदेश/बांदा	13-9-83—19-9-83	—तदैव—
14.	असम/कोकराझार	13-9-83—27-9-83	—तदैव—
15.	पश्चिम बंगाल/कपड़डोंगा, बलरामपुर, कूच बिहार	13-9-83—14-9-83	—तदैव—
16.	उत्तर प्रदेश/बाराबंकी	16-9-83—24-9-83	—तदैव—
17.	उत्तर प्रदेश/नवाबगंज, गोंडा	16-9-83—20-9-83	—तदैव—
18.	महाराष्ट्र/नान्देड़	16-9-83—23-9-83	—तदैव—
19.	उत्तरप्रदेश/बलिया	19-9-83 —27-9-83	—तदैव—
20.	उत्तर प्रदेश/बलरामपुर, गोंडा	21-9-83—24-9-83	—तदैव—
21.	उत्तर प्रदेश/सीतापुर	22-9-83—6-10-83	—तदैव—
22.	उत्तर प्रदेश/रामपुर	25-9-83—29-9-83	—तदैव—
23.	महाराष्ट्र/नान्देड़	6-10-83—18-10-83	बाढ़ राहत

1	2	3	4
24.	आंध्र प्रदेश/निजामाबाद	7-10-83—9-10-83	चक्रवा राहत
25.	उत्तर प्रदेश/मिर्जापुर	30/31-10-83	ओबरा बिजली घर में आग बुझाने का कार्य
26.	महाराष्ट्र/वर्धा	4-11-83	आग बुझाने की कार्रवाई
27.	तमिलनाडु/त्रिचिरापल्ली	27-12-83—6-1-84	बाढ़ राहत
28.	उत्तर प्रदेश/लखनऊ	8-2-84—9-2-84	शवों और उलट गई नौकाओं की बरामदगी
29.	महाराष्ट्र/वर्धा	19-3-84	आग बुझाना
30.	जम्मू और कश्मीर/पुंछ	10-2-84	—तदैव—
31.	महाराष्ट्र/वर्धा	10-5-84	—तदैव—
32.	राजस्थान/भरतपुर	28-4-84	आग बुझाना
33.	—तदैव—	2-5-84	—तदैव—
34.	महाराष्ट्र/वर्धा	13-5-84	—तदैव—
35.	त्रिपुरा/धर्मनगर और कैलास शहर	16-5-84—18-5-84	बाढ़ राहत
36.	असम/करीमगंज	16-5-84—21-5-84	—तदैव—
37.	हिमाचल प्रदेश/डलहौजी	23-5-84	आग बुझाना
38.	पश्चिम बंगाल/कलकत्ता	6-6-84—10-6-84	बाढ़ राहत
39.	पश्चिम बंगाल/हुगली	27-6-84—2-7-84	—तदैव—
40.	पश्चिम बंगाल/बीरभूम	27-6-84—28-6-84	—तदैव—
41.	महाराष्ट्र/कोल्हापुर	2-7-84—9-7-84	—तदैव—
42.	पश्चिम बंगाल/मालदा	15-7-84—21-7-84	—तदैव—
43.	बिहार/कटिहार	17-7-84—24-7-84	—तदैव—

लेखा परीक्षकों, कनिष्ठ लेखाकारों आदि के पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा

4314. **श्री सूरज भान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग ने लेखा-परीक्षकों, कनिष्ठ लेखाकारों आदि के पदों हेतु चयन के लिए वर्ष 1982 में कोई परीक्षा आयोजित की थी ;

(ख) क्या उक्त परीक्षा के आधार पर कुछ उम्मीदवारों की, महालेखाकार, हरियाणा में लेखा-परीक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई थी तथा अक्तूबर, 1983 में उस कार्यालय द्वारा उनका नियुक्ति प्रस्ताव रद्द कर दिया गया था ;

(ग) क्या इसी परीक्षा में निचले स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवार अन्य सरकारी विभागों में कनिष्ठ लेखाकारों, उच्च श्रणी लिपिकों के पदों पर नियुक्त किए जा चुके हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1984 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित समान परीक्षा के परिणामों की घोषणा से पहले उन उम्मीदवारों को, जिन्हें महालेखाकार, हरियाणा के कार्यालय में नियुक्ति नहीं दी गई, अन्य कार्यालयों को आबंटित करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) लेखा-परीक्षक/कनिष्ठ लेखाकार/उच्च श्रेणी लिपिक परीक्षा, 1982 के आधार पर जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी, उन उम्मीदवारों की सूची में अन्य के अलावा ऐसे 232 उम्मीदवार भी शामिल थे जिनकी महालेखाकार (हरियाणा), चण्डीगढ़ के कार्यालय में लेखा परीक्षकों के पदों पर नियुक्ति की सिफारिश की गई थी । तथापि, महालेखाकार (हरियाणा) ने सिफारिश किए गए सभी उम्मीदवारों के सेवा विवरण (डोजियर) इस आधार पर आयोग को लौटा दिए थे कि लेखा-परीक्षकों की भर्ती पर रोक लगी हुई है और साथ ही यह भी कि उक्त संवर्ग का पुनर्गठन किया जा रहा है और इस कारण लेखा-परीक्षकों के संवर्ग की रिक्तियां फिलहाल भरी नहीं जा रही हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस आशय के अनुदेश जारी किए जा रहे हैं कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 1982 तथा 1983 के वर्षों के दौरान ली गई प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उन्हें सूचित की गई रिक्तियों के मामले में पदों के सृजन/भरने पर वर्तमान प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा । साथ ही आयोग विभिन्न नियोक्तता कार्यालयों द्वारा भविष्य में सूचित की जाने वाली रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों को पुन: नामित करने की दिशा में पूरे प्रयास कर रहा है ।

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता को केन्द्रीय विपणन संगठन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

4315. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता के केन्द्रीय विपणन संगठन के अन्तर्गत विभिन्न एककों/शाखाओं में काम करने वाले कार्यकारी और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों की अप्रैल, 1984 के दिन संवर्गवार कितनी और पदवार संख्या कितनी थी ;

(ख) उनमें से कितने पदों को (संवर्गवार और पदवार) 100 सूत्री और 40 सूत्री रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जाना अपेक्षित है ;

(ग) उपरोक्त (ख) में से कितने आरक्षित पदों को (संवर्गवार, पदवार) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध व्यक्तियों से वास्तव में भर दिया गया है ; और

(घ) अनारक्षित किए गए और आगे ले जाये गए पदों को 100 सूत्री और 40 सूत्री रोस्टर के अनुसार भरने के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) 1-4-1984 को "सेल" के केन्द्रीय विपणन संगठन की विभिन्न इकाइयों/शाखाओं में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संवर्ग-अनुसार तथा पदानुसार स्थिति के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

1-4-1984 को केन्द्रीय विपणन संगठन की विभिन्न इकाइयों/शाखाओं में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संवर्गानुसार तथा पदानुसार

क्रम सं०	ग्रेड/पद	वेतनमान	कर्मचारियों की कुल संख्या
1	2	3	4
		संवर्ग-कार्यपालक	
1.	ई०-1	1150-1870 रु०	210
2.	ई०-2	1500-2340 रु०	217
3.	ई०-3	1700-2600 रु०	144
4.	ई०-4	2200-3100 रु०	67
5.	ई०-5	2550-3250 रु०	33
6.	ई०-6(क)	3000-3500 रु०	10

1	2	3		4
7.	ई०-6(ख)	3100-3700 रु०		6
8.	ई०-7	3700 रु० नियत		3
9.	ई०-8	3500-4000 रु०		2
			जोड़ :	692
		संवर्ग-गैर-कार्यपालक		
10.	एन०-1	550-704 रु०		1104
11.	एन०-2	565-761 रु०		
12.	एन०-3	585-823 रु०		240
13.	एन०-4	610-904 रु०		
14.	एन०-5	645-1023रु०		
15.	एन०-6	690-1152 रु०		29
16.	एन०-7	750-1303 रु०		14
17.	ए०-1	595-1065 रु०		951
18.	ए०-2	700-1300 रु०		1036
19.	ए०-3	810-1454 रु०		829
20.	ए०-4	850-1537 रु०		
			जोड़ :	4167
			कुल जोड़ :	4859

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा ढलवां लोहे की डिलीवरी

4316. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो स्टील प्लांट/स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड अपने उन मंजूरशुदा

क्रेताओं/आवंटियों को पिछले छः महीने के दौरान नियमित रूप से ढलवां लोहा पहुंचाने में असफल रहे हैं ;

(ख) क्या उनमें से कुछ आबंटी वे हैं, जिनकी सप्लाई स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के नियमित स्तर पर प्रतिमास 250 मीटर अधिक अथवा कम की दर पर सुनिश्चित की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो बिहार राज्य में एककों को ढलवां लोहे की सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी घड़ी कम्पनी वाच कम्पनी द्वारा गलत नक्शे का मुद्रण

4317. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 मई, 1984 के दैनिक हिन्दुस्तानें में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक विदेशी घड़ी कम्पनी (फोरेन वाच कम्पनी) ने भारत का गलत नक्शा मुद्रित करवाया है और यदि हां तो इस पर सरकार की क्या-क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या कई नागरिकों द्वारा स्विटजरलैण्ड की प्रसिद्ध "रोडो' वाच कम्पनी को भारत का गलत नक्शा मुद्रित करवाने के लिए नोटिस भेजे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने स्विटजरलैण्ड सरकार के साथ इस मामले को उठाया था, जिससे कि कम्पनी भविष्य में ठीक नक्शा मुद्रित करे।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) जी हां। 19 अप्रैल, 1984 के द टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित राडो वाच कम्पनी के विज्ञापन में भारत का गलत नक्शा छपा था। इस नक्शे में भारतीय प्रदेश के कुछ भाग गलत तरीके से भारत की बाह्य सीमा से बाहर दिखाए गए थे। सरकार ने यह मामला टाइम्स आफ इण्डिया के साथ उठाया है और बर्न स्थित भारत के राजदूतावास को भी यह अनुदेश दिया है कि वह इस मामले को राडो वाच कम्पनी के साथ उठाए।

शिक्षा सुविधाओं के लिए मध्य प्रदेश को धन

4318. **श्री सुभाष चन्द्र यादव** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश को राज्य में समाज के सभी वर्गों को पूर्ण शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने का है ?

योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : शैक्षणिक सुविधाओं के विकास के लिए योजनाओं में प्रावधान, मुख्य रूप से, अनुमोदित योजनाओं के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा किया जाता

है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के नीतिपत्र में यह प्रस्ताव किया गया है कि वर्ष 1990 तक 6-14 आयु वर्ग में सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अन्तर्गत समाज के सभी वर्ग आ जाएंगे।

जल प्रदूषण बोर्डों की स्थापना

4319. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तिान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने जल प्रदूषण प्रतिरोधक और नियन्त्रक बोर्डों की स्थापना की है ;

(ख) क्या जहां, जहां ऐसे बोर्ड स्थापित किए गए हैं, वहां के स्थानीय निकाय उप कर राशि का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं और क्या स्थानीय निकायों ने सम्बन्धित अधिनियम को ही रद्द करने की कोई मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों ने जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के लिए राज्य बोर्डों का गठन किया है।

(ख) कुछ राज्यों में नगरपालिकाएं/निगम जैसे स्थानीय निकाय जल उपकर के बकायों का भुगतान कर रहे हैं। फिर भी, अभी तक अधिनियम को निरस्त करने की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई प्राथमिक शिक्षा (गुजरात संशोधन अध्यादेश, 1983)

4320. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात में चल रहे गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति के अनुदेश हेतु बम्बई प्राथमिक शिक्षा संशोधन अध्यादेश, 1983 भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक अनुमोदित कर दिए जाने की आशा है तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) बम्बई प्राथमिक शिक्षा (गुजरात संशोधन) अध्यादेश, 1983 पर केन्द्रीय सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में तेजी लाने के लिए कदम

4321. **श्री एन० डैनिस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में जनशक्ति और परीक्षण क्षमता उपलब्ध होने के बावजूद तमिलनाडु का इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में योगदान बहुत ही कम है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु सरकार को इस बारे में सक्रिय उपाय करने के लिए जारी किए गए सुझावों और मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) अब तक किए गए विकास-कार्य को देखने से पता चलता है कि संभवतः इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में तमिलनाडु अन्य राज्यों की तुलना में औद्योगिक उत्पादन तथा अनुसंधान व विकास कार्य की दृष्टि से कम विकसित है।

(ख) सातवीं योजना तैयार करने के एक भाग के रूप में तमिलनाडु सरकार से विचार-विमर्श किए गए हैं और तमिलनाडु इलेक्ट्रानिकी निगम (एल्कोट) (जिसे अन्य राज्यों के इलेक्ट्रानिकी निगमों की भांति तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिकी के विकास में बहुपक्षीय अग्रणी भूमिका निभानी है) तथा तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिकी को आमतौर पर बढ़ावा देना, इन दोनों के बारे में विभिन्न उपाय किए जाने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

भारत-तिब्बत सीमा की अनुसूचित जातियों से अभ्यावेदन

4322. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को सम्बोधित भारत तिब्बत सीमा के चमोली जिले की अनुसूचित जातियों का दिनांक 27 अप्रैल, 1984 का कोई अभ्यावेदन चमोली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन में अनुसूचित जातियों द्वारा की गई मांगों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन मांगों में से प्रत्येक पर क्या कार्रवाई की गई है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके कारण क्या हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चमोली (उ० प्र०) ने सूचित किया है कि भारत-तिब्बत सीमा के चमोली जिले की अनुसूचित जातियों का दिनांक 27 अप्रैल, 1984 का अभ्यावेदन पूर्ण रिपोर्ट के साथ विशेष संदेशवाहक द्वारा गृह मंत्रालय को भेजा जा रहा है। अभ्यावेदन की अभी प्रतीक्षा है।

आदिवासी क्षेत्रों के निर्धनतम लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए सर्वेक्षण

4323. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने जैसा कि छठी पंचवर्षीय योजना में प्रावधान था, समाज के विशेष कर आदिवासी क्षेत्रों के निर्धनतम लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार इस बारे में सर्वेक्षण कराने पर विचार करेगी ?

योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) दस्तावेज के 26वें अध्याय में "पिछड़े वर्गों का विकास" शीर्षक के सर्वेक्षण का उल्लेख किया गया है जिसमें "पुनरीक्षा" के अन्तर्गत यह उल्लेख किया गया है कि कार्यक्रमों में जनजातीय समस्याओं से सम्बन्धित सर्वेक्षण और अनुसंधान के लिए जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की स्थापना शामिल है। ये संस्थान पहले की योजनाओं में स्थापित किए गए थे और छठी योजना में लगातार कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते।

आयातित प्रौद्योगिकी से बड़े कम्प्यूटरों का उत्पादन

4324. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०) के लिए आयातित प्रौद्योगिकी से बड़े कम्प्यूटर बनाने का आधार तैयार कर लिया गया है ; और हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या काफी बड़ी संख्या में औद्योगिकी घरानों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम से छूट देकर और उन्हें शीघ्र स्वीकृति और रियायतें देने, जैसे विभिन्न प्रोत्साहन देकर अनेक श्रेणी के कम्प्यूटर उत्पाद बनाने की अनुमति दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) उन औद्योगिक घरानों का ब्योरा क्या है, उन्हें कितनी क्षमता की अनुमति दी गई है और प्रत्येक के मामले में कितनी विदेशी सहायता की मंजूरी दी गई है ; और

(ङ) क्या पश्चिम बंगाल में भी इस प्रकार कोई एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, नहीं। चूंकि बड़े/मझौले कम्प्यूटरों के विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का अंतरण

विषयक निविदाओं का मूल्यांकन कार्य अन्तिम अवस्था में है, अतः अभी भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०) ऐसी स्थिति में नहीं पहुंची है कि वह आयातित प्रौद्योगिकी की सहायता से बड़े कम्प्यूटरों का उत्पादन शुरू कर सके।

(ख) तथा (ग) बड़े व्यापारिक घरानों को विनियोग के लिए आकृष्ट करने के उद्देश्य से कम्प्यूटर उपान्त-उपस्करों के विनिर्माण को एकाधिकार प्रतिबन्धनकारी व्यापार पद्धति अधिनियम की धारा 21 व 22 के उपबन्धों से मुक्त रखा गया है। ऐसा जिन कारणों से किया गया है, उनमें निम्नलिखित कारण शामिल हैं :—

कम्प्यूटर उपान्त उपस्कारों के विनिर्माण के लिए इलेक्ट्रानिकी, इलेक्ट्रो-मंकेनिक्स (उदाहरणार्थ उच्च कार्यनिष्पादन सर्वो मोटर ड्राइवें) तथा प्रिसीजन मैंकेनीकल इंजीनियरिंग और संरचना के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आवश्यक गुणवत्ता तथा उच्च विश्वसनीयता वाले उत्पादों के गहन विनिर्माण के लिए संयंत्र तथा मशीनों पर पर्याप्त पूंजीनिवेश की जरूरत भी पड़ती है इसके अलावा प्रणाली के आकार तथा प्रकृति के आधार पर समग्र कम्प्यूटर प्रणाली की लागत में उपान्त-उस्कर यूनिटों का भाग 30% से 60% के बीच होता है। इसलिए हमारे कम्प्यूटर उद्योग की विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं पर आयात प्रतिस्थापन उपान्त्र-उपस्करों का न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षो के दौरान हमारे इलेक्ट्रानिक उद्योग के कम्प्यूटर क्षेत्र की लगभग 30% की दर से हो रही वृद्धि तथा सातवीं योजना के दौरान वृद्धि की दर में होने वाली और अधिक संभावित वृद्धि के कारण और अधिक तेजी से आयात-प्रतिस्थापन करने की भी जरूरत पड़ेगी। इसके लिए उत्पादन स्थापित करने और यथाशीघ्र इसमें तीव्र वृद्धि करने की जरूरत पड़ेगी। आशा की जाती है कि अपनी वित्तीय, प्रबंधकीय तथा कुल उद्यमीय योग्यताओं के साथ बड़े व्यापारिक घराने उपान्त-उपस्कर उद्योग की इन अत्यावश्यक मांगों को पूरा कर सकेंगे और उत्पादन को तेजी से बढ़ा सकेंगे।

(घ) जिन एकाधिकार प्रतिबंधकारी व्यापार पद्धति कंपनियों को कम्प्यूटर उपान्त-उपस्करों का विनर्माण करने के लिए अनुमोदन प्रदान किए गए हैं। उसके ब्यारे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) पश्चिम बंगाल में कलकत्ता स्थित मेसर्स मशीनरी मैन्यूफेक्चरिंग कारपोरेशन एक ऐसी विद्यमान इकाई है जो कम्प्यूटर उपान्त-उपस्करों का विनिर्माण कर रही है। हाल ही में इस इकाई को फ्लापी डिस्क ड्राइवों के उत्पादन को प्रति वर्ष 1500 संख्या से बढ़ा कर प्रति वर्ष 3000 संख्या तक फ्लापी डिस्क ड्राइवों तक बढ़ाने के लिए एक औद्योगिक अनुमोदन जारी किया गया है।

विवरण

कम्प्यूटर उपान्त-उपस्करों के विनिर्माण के लिए एकाधिकार प्रतिबन्धनकारी व्यापार पद्धति कम्पनियों को दिए गए अनुमोदनों के ब्यौरे

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	विनिर्मित वस्तु तथा वार्षिक क्षमता	विदेशी सहयोगकर्त्ता का नाम
1	2	3	4
1.	मैसर्स इन्टरनेशनल कम्प्यूटर्स मैन्यूफेक्चरिंग लिमिटेड, पुणे	चुम्बकीय टेप ड्राइवें 200 संख्या लाइन मुद्रक-500 संख्या कार्ड रीडर-100 संख्या	इन्टरनेशनल कम्प्यूटर लिमिटेड, ग्रेट-ब्रिटेन
2.	मैसर्स डी० सी० एम० डाटा प्राडक्टस, नई दिल्ली	विंचेस्टर डिस्क ड्राइवें	मैसर्स कन्ट्रोल डाटा लिमिटेड संयुक्त राज्य अमरीका,
3.	मैसर्स अम्बालाल साराभाई इन्टरप्राइजिज लिमिटेड, बडौदा	कार्ड रीडर-75 संख्या लाइन मुद्रक-250 संख्या चुम्बकीय टेप ड्राइवें-100 संख्या फ्लापी डिस्क ड्राइव्स 1000 संख्या (केप्टिक उपभोग के लिए)	मैसर्स पर टेक कम्प्यूटर कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका
4.	मैसर्स मशीनरी मैन्यूफेक्चरर्स कारपोरेशन, कलकत्ता	मेट्रेक्स मुद्रक-250 संख्या फ्लापी डिस्क ड्राइव्स-30.0 संख्या	मैसर्स डाटा रिकार्डिंग इन्स्ट्रूमेन्ट्स कम्पनी लिमिटेड ग्रेड ब्रिटेन
5.	मैसर्स लारसन एण्ड ट्रबरो लि०, बम्बई	मानक/लघु फ्लापी ड्राइव्स डाट मेट्रिक्स मुद्रक, हार्ड डिस्क ड्राइवे रेखा मुद्रक-7500 संख्या	मैसर्स बी० ए० एस० एफ० एकटीनगेसल्सचाफ एफ० आर० जी०
6.	मैसर्स गोदरेज एण्ड वां मैन्यू० कम्पनी (प्रा०) लि०, बम्बई	विभिन्न प्रकार के मुद्रक-5000 संख्या वीडियो टर्मिनल-5000 संख्या की बोर्ड-कम्प्यूटरों के लिए 5000 संख्या	

1	2	3	4
7.	मैसर्स पीको इलेक्ट्रानिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लि०, बम्बई	उच्च गति लक्षण वाले मुद्रक-1000 संख्या लघु फ्लापी डिस्क ड्राइव्स-2000 सं० कम प्रोफाइल के इलेक्ट्रानिक कुंजीपटल 1500 संख्या	
8.	मैसर्स ओ०/ई०/एन० माइक्रो सिस्टम्स कोचीन	कुंजीपटल-300 संख्या फ्लापी डिस्क ड्राइव्स-1500 संख्या मुद्रक-7500 संख्या बीडियो टर्मिनल-1000 संख्या	मैसर्स रेमेक्स डिवीजन आफ एक्स-सेल ओ० कारपोरेशन संयुक्त राज्य अमरीका मैसर्स वीडोनटन कारपोरेशन हंगरी, मैसर्स मेन्समेन टाली लि०, ग्रेट-ब्रिटेन

प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या

4325. **श्री सूरज भान** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण विभाग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 12 करोड़ लोग और शहरी क्षेत्रों में 1.5 करोड़ लोग अपने ऊपर एक महीने में केवल 34 रुपए खर्च कर सकते हैं, अर्थात् एक रुपया प्रति दिन जबकि रुपए की क्रय शक्ति बहुत कम रह गई है ; और

(ख) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या कितनी है ?

योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से है जिसका संचालन रा० प्र० सर्वे० के 23वें दौर (अक्तूबर, 73-जून, 74) में किया गया। यदि ऐसा ही है तो प्रश्न में दिए गए आंकड़े प्रमाणित हैं।

(ख) आरम्भ की जाने वाली पंचवर्षीय योजना के समीपवर्ती वर्ष, जब उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण संचालित किया गया था, के तदनुरूपी आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

ऐसे व्यक्तियों की अनुमानित संख्या जिनका प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह व्यय 34 रु० से कम है

सर्वेक्षण अवधि	प्रचलित भाव व्यक्ति (करोड़ में)		स्थिर भाव (1973-74) व्यक्ति (करोड़ में)	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
*अप्रैल 52-सितम्बर 52	28.02	5.39	5.03	0.66
अगस्त 56-फरवरी 57	31.38	5.91	8.38	1.43
जुलाई 60-अगस्त 61	31.57	5.83	7.89	1.09
जुलाई 65-जून 66	30.30	5.79	11.19	1.62
अक्तूबर 73-जून 74	11.89	1.49	12.89	1.49
जुलाई 77-जून 78	7.95	0.70	10.57	1.31

*परिणाम एक उप-प्रतिदर्श के सारणीयन पर आधारित है और रीति विधान को भी अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

प्रस्तावित बोध घाट पर आदिवासी विरोध

4326. **श्री बसन्त कुमार पण्डित :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश राज्य और महाराष्ट्र की प्रस्तावित बोध घाट इचाम्पल्ली भोपालपट्टियम बिजली परियोजनाओं का आदिवासी, वनवासी लोगों द्वारा विरोध करने और प्रसिद्ध समाज सेवी श्री बाबा आम्टे मुरुजी द्वारा आरम्भ किए गए सत्याग्रह आंदोलन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि यदि वर्तमान रूपरेखा के अनुसार इन योजनाओं को मंजूर किया जाता है तो विशाल बहुमूल्य वन सम्पदा नष्ट हो जाएगी ;

(ग) क्या विभाग ने इन पनबिजली योजनाओं के क्षेत्र की परिस्थितियों और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे अध्ययन के परिणाम क्या रहे हैं उक्त पनबिजली परियोजनाओं से बचने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) वनों की परिवर्तनशील पट्टियों की प्रस्तावित परियोजनाओं के आप्लावन क्षेत्रों में आने की सम्भावना है ।

(ग) तथा (घ) पर्यावरण विभाग ने बोध घाट पन बिजली परियोजना के सम्भावित पर्यावरणीय अनुप्रभाव के अध्ययन हेतु एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है । इचाम्पल्ली तथा भोपालपट्टियम पन बिजली परियोजनाओं के ब्यौरे अभी तक पर्यावरणीय मूल्यांकन हेतु प्राप्त नहीं हुए हैं ।

दिल्ली के आदर्शनगर पुलिस थाने में पुलिस द्वारा सताए जाने के कारण संदिग्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाना

4327. **श्री राम सिंह शाक्य** :

श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री दौलत राम सारण :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जुलाई, 1984 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "पुलिस टार्चर किल्स इनोसेंट" सस्पेक्ट" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें दिल्ली के आदर्श नगर पुलिस थाने में एक संदिग्ध व्यक्ति की मृत्यु होने, अपराधियों की शिकायत पर निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार करने और पुलिस द्वारा उसकी विधवा को मुआवजे के रूप में 20,000 रुपए देने की पेशकश किए जाने के मामले को उजागर किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह धनराशि कहां से आई और इसे देने की पेशकश क्यों की गई ;

(ग) क्या उस विधवा के पुनर्वास का कोई प्रस्ताव है जिसके पति को पुलिस ने मार कर उससे उसका रोटी कमाने वाला छीन लिया है, और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि अपराधियों की शिकायतों पर निर्दोष व्यक्ति न पकड़े जाएं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) समझा जाता है कि नई सब्जी मण्डी आजादपुर, दिल्ली के कुछ व्यापारियों ने, सहानुभूति के रूप में मृतक के परिवार को देने के लिए कुछ धन एकत्र किया था ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) पुलिस कार्मिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी होती है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को आपराधिक मामले में अन्तर्ग्रस्त या झूठे मामले में फंसाया न जाय । पुलिस उपायुक्त द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें इस बात पर बल दिया गया है कि

पुलिस हिरासत में व्यक्ति को शारीरिक यातना न दी जाय और पूछताछ वैज्ञानिक तरीके से की जाए। इस प्रकार के दुराचार दोषी पाए जाने वाले पुलिस अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती है।

यूनेस्को में बने रहने का अमेरिका का निर्णय

4328. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका ने यूनेस्को में बने रहने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं ; तो इस बारे में अमेरिका की नवीनतम स्थिति क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1983 में संयुक्त राज्य अमरीका ने एक वर्ष का नोटिस देकर यूनेस्को से हटने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। इस निर्णय की घोषणा करते हुए यह कहा गया था कि यदि इस एक वर्ष की अवधि के दौरान ऐसी बातें सामने आती हैं, जिनसे इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगा।

संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मन्त्री ने यूनेस्को से सम्बद्ध एक परिवीक्षण पैनल नियुक्त किया है, जिसके द्वारा दिसम्बर, 1984 के प्रारम्भ में उनके समक्ष रिपोर्ट पेश किए जाने की सम्भावना है। अमरीका के विदेश विभाग ने इस निर्णय की समीक्षा करने की पुष्टि की है, लेकिन अपने फैसले में किसी रद्दोबदल करने के बारे में कोई वायदा नहीं किया।

भू-विज्ञानी का स्थानान्तरण

4329. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कोई अधिकारी हैं जो कि किसी स्थान विशेष पर बिना चिकित्सीय आधार पर 7 वर्षों से अधिक समय तक रहे हों ;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों पर स्थानांतरण नीति लागू क्यों नहीं की गई ;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के नई दिल्ली स्थित सम्पर्क कार्यालय के प्रभारी भू-विज्ञानी, भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था की सामान्य स्थानांतरण नीति का उल्लंघन करते हुए गत 14 वर्षों से दिल्ली में कार्य कर रहे थे ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कुछ वरिष्ठ अधिकारी, अधिकारियों के बीच सामान्य, अनुशासन को भंग करते हुए, उद्धृत अधिकारी को शह दे रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) यद्यपि भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण में मौजूदा स्थानांतरण विधि के अनुसार, राजपत्रित अधिकारियों को किसी भी स्टेशन पर 6-7 वर्ष रहने के बाद ही सामान्यतः उनके स्थानांतरण पर विचार किया जाता है ; लेकिन ऐसे विशाल संगठन में अधिकारियों के क्षेत्र विशेष में विशेषता हासिल कर लेने तथा उनकी

घरेलू परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उनको स्थान विशेष पर रोके रखने के लिए इस नियम में कुछ रियायत भी दे दी जाती है। परन्तु अधिकारियों को स्थान विशेष पर सामान्य अवधि से अधिक समय तक रोकने में मुख्य कारण लोकहित का ही होता है।

(ग) दिल्ली स्थित भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यालय के इन्चार्ज जो वर्तमान भू-विज्ञानी (वरिष्ठ) हैं, इस कार्यालय में 10 वर्ष से कार्यरत हैं। शुरू में इस अधिकारी की दिल्ली में तैनाती हवाई खनिज सर्वेक्षण और समन्वेषण विंग के भू-विज्ञानी के रूप में की गई थी। जैसा कि ऊपर बताया गया। किसी अधिकारी को एक स्थान पर सामान्य से अधिक अवधि तक तैनात रखने में लोकहित का तत्व ही प्रधान होता है।

(घ) जी नहीं। दिल्ली में उनकी तैनाती भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा लोकहित को ध्यान में रखकर की गई है।

वीडियो कैसेट रिकार्डरों और वीडियो कैसेट प्लेयरों के लिए डैक पुर्जों का निर्माण

4330. **श्री विष्णु प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का विचार वीडियो कैसेट रिकार्डरों और वीडियो कैसेट प्लेयर के लिए डेक पुर्जों के निर्माण की स्वीकृति देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्टानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) वी० सी० आर०/वी० सी० पी० के डेकों तथा सम्पूर्ण वी० सी० आर०/वी० सी० पी० के विनिर्माण के सम्बन्ध में एक एकीकृत औद्योगिक नीति तैयार की जा रही है।

भारत एल्युमिनियम लिमिटेड के लिए रक्षित विद्युत एककों हेतु निविदायें

4331. **श्री के० रामभूर्ति** : क्या **इस्पात और खानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड के लिए चार रक्षित विद्युत एककों हेतु कोई अन्तर्राष्ट्रीय निविदायें मंगाई गई थीं ;

(ख) यदि नहीं, तो किस आधार पर टिविन्की रक्षित विद्युत संयंत्र का 400 करोड़ रुपए का ठेका ब्रिटेन की जनरल यूनाईटिड कम्पनी को दिया गया और किस आधार पर "भेल" की पेशकश को नामन्जूर कर दिया गया ; और

(ग) क्या जनरल यूनाईटिड कम्पनी (ब्रिटेन) की दो भारतीय सहायक कम्पनियों को इस ठेके के एवज में कुल 6 करोड़ रुपए का कमीशन मिलने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) खान विभाग के अधीन सरकारी उपक्रम भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० (बाल्को) को 285 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 270 मे० वा० क्षमता (67.5 मे० वा० के 4 यूनिट) के ग्रहीत विद्युत घर की

स्थापना हेतु दिसम्बर, 1982 में स्वीकृति दी गई थी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० की प्रमाणित क्षमता को अपना कर टर्न-की आधार पर ग्रहीत बिजलीघर की स्थापना का मूल प्रस्ताव वित्तीय बाधाओं के कारण कार्यान्वित नहीं किया जा सका। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने सहायता का संकेत दिया। टर्न की आधार पर विद्युत संयंत्र की सप्लाई और संरचना हेतु ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की गई। कार्य का ठेका मैं० जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी टर्बाइन जेनरेटर्स ब्रिटेन को सौंपा गया, ब्रिटिश सरकार के वित्तीय अनुदान पैकेज तथा सरकार समर्थित ऋण से जुड़ा है।

(ग) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

भारत-पाकिस्तान और भारत-नेपाल सीमाओं के पार से हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी

4332. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक की इस स्वीकृति की ओर दिलाया गया है कि उस बल के काफी कर्मियों को भारत-पाकिस्तान सीमा के पार से पंजाब के उग्रवादियों द्वारा हथियारों, गोला-बारूद तथा अन्य वस्तुओं की की जाने वाली तस्करी में सांठ-गांठ हो सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है और उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) प्रेस के कुछ सदस्य जून, 1984 के मास में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक से मिले थे और भारत-पाक सीमा पर तस्करी की समस्या पर अनौपचारिक रूप से विचार-विमर्श किया गया था। महानिदेशक ने यह नहीं कहा था कि सीमा सुरक्षा बल के काफी संख्या में कार्मिकों की तस्करों से सांठ-गांठ है। उन्होंने केवल यह उल्लेख किया था कि यह ध्यान में आया है कि सीमा सुरक्षा बल के कुछ कार्मिक विशेष रूप से छोटे पदों के कार्मिकों को कभी-कभी प्रलोभन दिया गया था और उनकी तस्करों से सांठ-गांठ थी तथा उनको सीमा सुरक्षा अधिनियम और नियमों के अनुसार दण्ड दिया गया था।

गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति खपत और व्यय

4333. **श्री सूरज भान** :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार कुल 52.5 करोड़ की ग्रामीण जनसंख्या में, 16 करोड़ की 7: प्रतिशत शहरी जनसंख्या में से लगभग 91.5 प्रतिशत जनसंख्या का प्रति व्यक्ति 100 रुपये से भी कम है ;

(ख) छठी योजना सम्बन्धी कार्य-दल के अनुसार 1981-82 के लिए गरीबी की रेखा प्रयोजन

से ग्रामीण लोगों के लिए 104 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 113 रुपये का प्रति व्यक्ति मासिक खपत व्यय माना गया है ;

(ग) क्या भारत में लगभग 60 करोड़ व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे या उसके समीपवर्ती जीवन बिता रहे हैं ;

(घ) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के शुरू में गरीब व्यक्तियों का प्रतिशत कितना था ; और

(ङ) उक्त कार्य-दल के मानदण्डों के अनुसार इस समय प्रति व्यक्ति मासिक खपत-व्यय कितना है ?

योजना और सिंचाई मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) उल्लिखित जनसंख्या आंकड़े वर्ष 1980-81 से सम्बन्धित जान पड़ते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, उपभोक्ता व्यय से सम्बन्धित सर्वेक्षण पांच वर्ष में एक बार करता है। उपलब्ध आंकड़े 1977-78 के सर्वेक्षण पर आधारित हैं। 1983 में किए गए अगले सर्वेक्षण के परिणाम अभी सारणीबद्ध करने हैं।

(ख) जी, नहीं। कृतिक बल ने 1981-82 के लिए कोई आंकड़े नहीं दिए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) गरीबी रेखा की वर्तमान संकल्पना और गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या, योजना आयोग द्वारा गठित न्यूनतम आवश्यकता और प्रभावी उपभोग मांग से सम्बन्धित कृतिक बल की सिफारिशों पर आधारित होता है जिसकी रिपोर्ट जनवरी, 1979 में प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुवर्तन के फलस्वरूप वर्तमान छठी योजना तैयार करते समय गरीबी आकलन के लिए यह तरीका अपनाया गया था। अतः पहले की प्रत्येक योजनाओं के आरम्भ के गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत के कोई अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। 1979-80 अर्थात छठी योजना के आरम्भ में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत 48.4 होने का अनुमान था जो छठी योजना दस्तावेज में दिया गया है।

(ङ) गरीबी का मानदण्ड कृतिक बल की सिफारिशों के अनुसार 1979-80 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 76 रु० और शहरी क्षेत्रों में 88 रु० है और इसे छठी योजना दस्तावेज में दर्शाया गया है। 1983-84 की कीमतों पर गरीबी के मानदण्ड का वृद्धि मूलक मूल्य थोक कीमतों की सूची पर है जो ग्रामीण क्षेत्रों में 103 रु० और शहरी क्षेत्रों में 119 रु० है।

बम्बई में वायु-प्रदूषण

4334. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के चैम्बूर/ट्राम्बे क्षेत्र अत्यधिक प्रदूषित हैं तथा स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो वहां वायु-प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) इस विपत्ति की रोकथाम के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

(घ) गत आठ वर्षों से किये गये प्रदूषण-रोधी उपायों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) भविष्य में क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) क्षेत्र में प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों से निकलने वाला उत्सर्जन है ।

(ग) से (ङ) प्रदूषण नियन्त्रण के लिए उठाए जाने वाले कदमों में ये शामिल हैं :—

(1) सभी उद्योगों द्वारा कम सल्फर हाई स्टॉक (एल०एस०एच०एम०) तथा बम्बई हाई गैस का उपयोग ;

(2) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम तथा भारत पेट्रोलियम तेलशोधकों द्वारा सल्फर रिकवरी संयंत्र/कार्बन-मोनोक्साइड बॉयलर्स स्थापित करना ;

(3) सल्फर डाइआक्साइड संयंत्र को दुगुने परिवर्तन दुगुने प्रभाव में परिवर्तित करना सल्फर यूनिट का सुधार और राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स द्वारा नाइट्रिक एसिड प्लांट से NO_2 उत्सर्जन के नियन्त्रण हेतु सक्रबिंग यूनिट की स्थापना ।

विदेशों में कला दीर्घाएं

4335. **श्री चिन्तामणि जैना** :

श्री मोहन लाल पटेल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में कला दीर्घाएं स्थापित करने के बारे में विचार कर रही हे ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन-से नगरों का चयन किया गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) महोदय, बौन्न, लन्दन, पेरिस, नैरोबी और न्यूयार्क में कल्चरल विन्डो खोलने पर विचार किया जा रहा है जिन्हें पूरी तरह आर्ट गैलरी नहीं कहा जा सकता । ये कल्चरल विन्डो भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों को उजागर करने की कोशिश करेंगी । आर्ट गैलरी सांस्कृतिक प्रदर्शों का एक अंग होंगी ।

(ग) बौन्न में जगह ले ली गई है और अक्टूबर, 1984 में वहां कल्चरल विन्डो का उद्घाटन किया जायेगा । अन्य शहरों में भी उपयुक्त स्थान की तलाश करने पर विचार किया जा रहा है ।

तांबे पर विशेष शुल्क छूट

4336. **श्री सुशील कुमार भट्टाचार्य** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कापर लि० को तांबे के अपने आयात पर कोई विशेष शुल्क छूट दी गई है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड अपने आयात किए गए तांबे को खनिज और धातु व्यापार निगम के बिक्री मूल्य पर लेता है जो इसमें 115% आयात शुल्क को भी जोड़ता है और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए आयातित तांबे के मूल्य कम करने के स्थान पर अपने लाभ में वृद्धि करता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार आयातित तांबे के प्रयोगकर्ताओं को मदद करने हेतु क्या उपाय करने का है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां। हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा विदेश में टोल प्रद्रावण हेतु प्रेषित कापर रिवर्टस के बाद प्राप्त तांबा धातु के आयात के लिए एक तदर्थ शुल्क छूट आदेश जारी किया गया है। चूंकि इसमें हिन्दुस्तान कापर लि० की अपनी माध्यमिक तांबा धातु का निर्यात और परवर्ती आयात निहित था, इसलिए वापस प्राप्त तांबे पर सीमाशुल्क की मूल तथा अनुषंगी ड्यूटी में छूट देने, किन्तु इन आयातों पर देय प्रति संतुलनकारी पूर्ण शुल्क लगाने का आदेश जारी किया गया था।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा विदेश में टोल प्रद्रावित तांबा धातु की बिक्री मूल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित प्रचलित मूल्य पर की जा रही है, जो खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा आयातित माल हेतु निर्धारित यह मूल्य, फिलहाल तांबे के टोल प्रद्रावण पर आई कम्पनी की लागत से कम है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ताओं के लाभ के लिए तांबा धातु के मूल्यों में कमी के बजाय, हिन्दुस्तान कापर लि० के लाभ में वृद्धि करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्र से योजना का राज्यों को विकेन्द्रीयकरण करनें की मांग

4337. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मुख्य मन्त्रियों ने केन्द्र से योजना का राज्यों को विकेन्द्रीयकरण और स्रोतों का अधिक स्थानांतरण करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यों के लिए अधिक विकेन्द्रीयकरण और स्रोतों का पर्याप्त स्थानांतरण सुनिश्चित करने हेतु दिल्ली में 12 जुलाई, 1984 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में इन मुख्य मन्त्रियों ने क्या ठोस उपाय सुझाए थे ; और

(ग) इन राज्यों के प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और सिंचाई मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने 'सातवीं योजना की नीति' से सम्बन्धित एक नोट योजना आयोग को भेजा था जिसमें विकेन्द्रित योजना से सम्बन्धित राज्य सरकार के विचार थे।

(ख) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मुख्य मन्त्री 12 और 13 जुलाई, 1984 को नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक से उठकर चले गए थे और उन्होंने सातवीं योजना की नीति से सम्बन्धित चर्चा में भाग नहीं लिया।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 की नीति से सम्बन्धित दस्तावेज 30 जुलाई, 1984 को सदन के सभा पटल पर रखा गया था और इसमें सातवीं योजना में विकेन्द्रित योजना से सम्बन्धित व्यापक नीति संरचना का उल्लेख है।

दिल्ली में चूहों का प्रकोप

4338. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में व्याप्त चूहों के प्रकोप की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो घरों में चूहों को समाप्त करने के लिए कोई उपाय किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) तीन स्थानीय निकाय नामत: दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका और छावनी बोर्ड घरों से चूहों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नियमित उपाय कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में किए गए उपायों में चूहों को पकड़ने तथा नष्ट करने के लिए नियमित कर्मचारियों की तैनातगी, घरों में चूहेदानों की व्यवस्था करना और चूहे मारने की गोलियां/जहर का प्रयोग शामिल है।

सरकारी प्रतिनिधिमंडलों में विदेश भेजे गए संसद सदस्य

4339. **श्री ए० के० राय** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1984 के अन्त तक गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी प्रतिनिधिमण्डलों में विदेश दौरों पर भेजे गए संसद सदस्यों का ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलों का वर्ष-वार तथा दल-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन प्रतिनिधिमण्डलों में कितने असम्बद्ध संसद सदस्य शामिल किये गये ;

(ग) उनमें से कितने संसद सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के थे ; और

(घ) उसमें चयन के लिए क्या मानदण्ड है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के निर्माताओं द्वारा टेलीफोन उपकरणों का निर्माण

4340. **श्री गुलाम मुहम्मद खां** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में टेलीफोन उपकरणों की सप्लाई करने वाले प्रमुख सप्लायरों के नाम क्या हैं ;

(ख) देश में प्रत्येक निर्माता प्रतिवर्ष कितने टेलीफोनों का निर्माण करता है ; और

(ग) आगामी दो वर्षों में अनुमानतः कितने टेलीफोनों की आवश्यकता होगी और सरकार का विचार उक्त कमी को किस प्रकार पूरा करने का है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र में टेलीफोनों के मुख्य आपूर्तिकर्ता मैसर्स भारतीय टेलीफ़ोन उद्योग लि० हैं। मैसर्स गुजरात संचार एवं इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड नामक एक राज्यस्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भी टेलीफोन की आपूर्ति करता है लेकिन उसकी मात्रा मैसर्स भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० से बहुत कम है। टेलीफोन के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र की किसी भी इकाई को अभी तक लाइसेन्स नहीं दिया गया है।

(ख) टेलीफोन का वार्षिक उत्पादन नीचे दिए अनुसार है :—

	1982-83	1983-84
(i) आई०टी०आई०	5.85 लाख	6.32 लाख
(ii) जी०सी०ई०एल०	400 नग	कम मात्रा

(ग) डाक व तार विभाग द्वारा अगले दो वर्षों के दौरान आंकी गई टेलीफोन की मांग नीचे दिए अनुसार है :—

1984-85	6.3 लाख
1985-86	9.8 लाख

नई इकाइयों को लाइसेन्स प्रदान किए गए हैं और वे मांग और पूर्ति के बीच के अन्तराल को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं।

पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया श्रम सम्बन्धी विधेयक

4341. **श्री अजित बाग** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित किये गये और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार के पास भेजे गये श्रम सम्बन्धी विधेयक का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उक्त विधेयक को अभी तक आवश्यक स्वीकृति प्रदान न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) श्रम सम्बन्धी जो पांच विधेयक पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित किए गये हैं और राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजे गये हैं, उनके शीर्षकों का विवरण संलग्न है।

(ख) ये विधेयक केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं तथा उनको यथाशीघ्र स्वीकृति दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

क्रम सं०	विधेयक का शीर्षक
1.	औद्योगिक विवाद (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1981
2.	पश्चिम बंगाल मजदूर, टिन्डल लोडर, गोडाउनमैन और अन्य वर्कर्स (रोजगार और कल्याण विनियमन) विधेयक, 1981
3.	ट्रेड यूनियन (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1983
4.	औद्योगिक विवाद (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1984
5.	पश्चिम बंगाल दूकान और प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 1984

सोवियत संघ द्वारा भारत से इस्पात की खरीद

4342. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ भारत से इस्पात खरीद रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सोवियत संघ द्वारा भारत से कुल कितने टन इस्पात खरीदे जाने का विचार है ; और

(ग) भारत से अन्य कौन से देश इस्पात खरीद रहे हैं ; और

(घ) देश से इस्पात से बनी वस्तुओं के वार्षिक निर्यात सम्बन्धी स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (**श्री एन० के० पी० साल्वे**) : (क) और (ख) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० ने हाल में क्वायलों की शक्ल में 30,000 टन सादी गोल छड़ों और 50,000 टन एंगलों का सोवियत रूप से निर्यात करने के लिए मास्को के मेसर्स प्रोमसी रियोइम्पोर्ट के साथ दो करार किए हैं। रूस भारत से कुल कितना इस्पात खरीदेगा—यह इस बात पर निर्भर करेगा

कि हम कौन-कौन सी मदें कितनी-कितनी मात्रा में दे सकते हैं और सोवियत संघ की उनकी खरीद में कितनी अभिरुचि है।

(ग) "सेल" ने निर्यात के लिए अधिकांश आर्डर विदेशी खरीददारों नामतः जापान, चीन और अमरीका द्वारा बताए गए गन्तव्य स्थानों और जहाज तक निष्प्रभार आधार पर बुक किए हैं। ये आर्डर मिस्र और सोवियत संघ को इस्पात के निर्यात के लिए किए गए करारों के अलावा हैं।

(घ) वर्ष 1982-83, 1983-84 और अप्रैल-जुलाई, 1984 के दौरान माध्यम अभिकरण की मार्फत किए गए निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	मात्रा (टनों में)
1982-83	11032
1983-84	24413
1984-85 (अप्रैल-जुलाई, 84)	37228

ऊपर दी गई मात्रा के अलावा वर्ष 1982-83 और 1983-84 में क्रमशः 526 और 509 टायर और एक्सल निर्यात किए गए हैं।

निर्यात मुख्यतः आस्ट्रेलिया, जापान, नार्वे फिलिपाइन, तंजानिया, अमरीका, वियतनाम, मिस्र, चीन और नेपाल को किया गया था।

भाड़ा समीकरण योजना के कारण पश्चिम बंगाल को हुई हानि

4343. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल को कोयला और इस्पात जैसी मदों जो कि लगभग तीन दशकों से चल रही है के लिए भाड़ा समीकरण योजना के कारण लगातार हानि हो रही है ;

(ख) क्या गत जुलाई के पटना में एक प्रेस सम्मेलन में उन्होंने घोषणा की थी कि भाड़ा समीकरण योजना कोयला और इस्पात के लिए तो लागू रहेगी किन्तु अन्य वस्तुओं के लिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है ;

(ग) यदि हां, तो इसके पीछे क्या तर्क है ;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल के वित्त मन्त्री प्राकृतिक गैस को इसके अन्तर्गत लाने और इसे सम्पूर्ण देश में एक ही मूल्य पर बेचने के लिए पहले ही अपील कर चुके हैं ;

(ङ) प्राकृतिक गैस जो कि कोयला की तरह ही एक मूल ईंधन है पर भाड़ा समीकरण का सिद्धान्त लागू न करने के क्या कारण हैं ; और

(च) क्या वे इस सिद्धान्त को समानता और निष्पक्षता की दृष्टि से प्राकृतिक गैस पर भी लागू करेंगे अथवा फिर वर्तमान योजना को समाप्त करेंगे ?

योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) औद्योगिक विकास अनेक उपादानों पर निर्भर करता है। इस्पात पर भाड़ा समीकरण नीति के परिणामस्वरूप, जिसका उत्पादन न केवल पश्चिम बंगाल में होता है बल्कि अन्य राज्यों में भी होता है, किसी विशेष राज्य को प्राप्त होने वाले लाभों अथवा उनके द्वारा उठाई जाने वाली हानियों को अभिकलित्र करना कठिन है। कोयले के मामले में भाड़ा समीकरण की कोई स्कीम नहीं है।

(ख) से (च) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (पांडे समिति) द्वारा भाड़ा समीकरण नीति की समीक्षा की गई थी। सरकार इस समिति की इस सम्बन्ध में सिफारिशों को सिद्धान्त रूप में पहले ही स्वीकार कर चुकी है कि सुदूरवर्ती, अगम्य और अलग-थलग क्षेत्रों के लिए परिवहन राज सहायता के अधीन, सीमेंट तथा इस्पात जैसी वस्तुओं पर वर्तमान भाड़ा समीकरण को धीरे-धीरे हटा दिया जाए। यह भी निर्णय किया गया है कि सुदूरवर्ती अगम्य और अलग-थलग क्षेत्रों जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी तथा कठिन क्षेत्रों अथवा सार्वजनिक उद्योग की आवश्यक वस्तुओं के मामले में परिवहन लागत के सम्बन्ध में राज सहायता को छोड़कर, औद्योगिक वस्तुओं के भाड़ा समीकरण की कोई नई स्कीम शुरू नहीं की जाएगी। वित्त मन्त्री जी द्वारा भाड़ा समीकरण स्कीम के बारे में पटना में दिए गए वक्तव्य सम्बन्धी प्रेस रिपोर्टों में जो उन्होंने कहा था उसे सही तरह से प्रतिबिम्बित नहीं किया गया।

केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बीच वितरण के लिए मंजूर किए गए ऋण

4343-क. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और किसानों में चालू वित्त वर्ष 1984-85 के दौरान वितरण के लिए कितनी धनराशि का ऋण मंजूर किया है ; और

(ख) क्या ऋण के साथ अनुदान भी दिया जाएगा और यदि हां तो, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) राज्य सरकार तथा अन्य स्रोतों से सूचना एकत्र की जा रही है। प्राप्त होने के पश्चात् सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेश मन्त्रालय पदोन्नति में गत्यवरोध के बारे में दि० 1-8-84 के अतारांकित प्रश्न सं० 1542 के उत्तर में

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : लोकसभा, अतारांकित प्रश्न संख्या 1542, जिसका उत्तर 1-8-84 को दिया गया था, के उत्तर के भाग (क) की दूसरी पंक्ति में लिखे शब्द "बाद" के स्थान पर "पहले" रखा जाए।

यह गलती पहले सही नहीं की जा सकी क्योंकि यह हाल ही में मेरी जानकारी में आई है।

साम्प्रदायिक दंगों विषयक न्यायिक आयोगों की सिफारिशों के बारे में दि० 25-7-1984 के अतारांकित प्रश्न सं० 473 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : 25-7-1984 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 473 के उत्तर को ठीक किया जाए और अब इस प्रकार पढ़ा जाए "केन्द्रीय सरकार ने न्यायमूर्ति रघुबीर दयाल आयोग, जिसका प्रतिवेदन 25 फरवरी, 1969 को दोनों सदनों के पटल पर ही रखा जा चुका है और उक्त प्रतिवेदन पर उचित कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है, के अतिरिक्त इन जांच आयोगों की नियुक्ति नहीं की है।"

इस अशुद्धि को पहले ठीक नहीं किया जा सका क्योंकि यह हाल ही मेरे में ध्यान में आई है।

12.00 म० प०

विशेषाधिकार का प्रश्न

आन्ध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा अपनी विशेषाधिकार समिति को विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं विनिर्णय दे रहा हूं। कृपा शान्त रहिए।

प्रो० के० के० तिवारी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का प्रयास किया है जो हम-सभा के सदस्य और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री, श्री जगन्नाथ कौशल के विरुद्ध 21 फरवरी, 1984 को आन्ध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा विशेषाधिकार के एक प्रश्न को अपनी विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने के सम्बन्ध में है। उस विशेषाधिकार के प्रश्न में विधान सभा द्वारा पास किए एक संकल्प को जिसमें आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव था, अस्वीकृत किये जाने का आरोप था।

मुझे इस सम्बन्ध में न तो श्री जगन्नाथ कौशल विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री से और न ही आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष से इस बारे में कोई पत्र मिला है।

सदस्यगण मानते हैं कि यह हमारी सुस्थापित परिपाटी है कि यदि किसी अन्य विधान मण्डल के किसी सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग किये जाने या सभा का अपमान करने के लिए कोई मामला उठाया जाता है तो मामला उस विधान मण्डल के पीठासीन अधिकारी के पास आवश्यक कार्यवाही के

लिए भेज दिया जाता है। यह परिपाटी पीठासीन अधिकारियों के 17 सितम्बर; 1956 को हुए सम्मेलन में स्वीकृत किए गए अध्यक्षों की समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुसार स्थापित की गई थी।

संविधान के अनुच्छेद 75 (3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है। यह उत्तरदायित्व संयुक्त हैं और अविभाजक है। संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि कोई मन्त्री उसके विभाग की गलतियों के लिए संसद के प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

इस मामले में बताया जाता है कि विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री ने आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री को 31 दिसम्बर, 1983 को सूचित किया था कि सरकार ने इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। उसने आन्ध्र प्रदेश में विधान परिषद की समाप्ति के लिए विधान प्रस्तुत करने के प्रस्ताव से सहमत होना सम्भव नहीं पाया है।

संविधान के अनुच्छेद 169 के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा विधान परिषद को समाप्त करने का संकल्प पारित किया गया था। उस अनुच्छेद के अन्तर्गत भारत सरकार के लिए यह अनिवार्य नहीं हैं कि वह इस प्रयोजनात संसद में विधान प्रस्तुत करे। यह प्रश्न 1970 में भी लोक सभा के समक्ष लाया गया था और उसके उत्तर में तत्कालीन विधि मन्त्री ने 8 दिसम्बर, 1970 को एक वक्तव्य दिया था कि "संसद को अपने स्वविवेक से काम करना होता है और संसद आंख मूंदकर एक विधान सभा के संकल्प को क्रियान्वित नहीं कर सकती। संसद इसके विरुद्ध भी निर्णय ले सकती है। अतः उत्तर यह है कि यह वैकल्पिक है।"

अतः मेरी राय में सरकार किसी विषय हर विधान लाने के लिए समय और मौका चुन सकती है और इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। यदि यह अनुच्छेद 169 का उल्लघंन है तो इसका फैसला अदालतें करेंगी और संसदीय विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठता।

मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामले पर विचार करते समय सभी सम्बन्धित व्यक्ति इन संगत तथ्यों को ध्यान में रखेंगे।

प्रो मधु दण्डवते (राजापुर) : इस विनिर्णय का स्वागत करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात उनके बाद सुनूंगा। मैं इस पर किसी चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : चर्चा की गई बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : तब ठीक है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इस विनिर्णय का स्वागत करता हूं क्योंकि यह एक सही दृष्टिकोण पर आधारित है। यह विनिर्णय इस सभा की परम्पराओं के अनुरूप है। परन्तु आपने अपने विनिर्णय में कहा है कि यह पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की सिफारिशों पर आधारित है। उन सिफारिशों का भी लोक सभा ने समर्थन किया था। अतः उन्हें लोक सभा का समर्थन प्राप्त है।

श्री राकेश पायलट (भरतपुर) : मैंने आपको एक सूचना दी थी। कल हमने आन्ध्र के बारे में चर्चा की थी। कल विपक्ष के सदस्यों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने बहुत से विधायकों को प्रस्तुत किया है। परन्तु कल प्रेस सम्मेलन के बाद कहा गया है कि···**···

अस्थायी पहचान पत्र जारी किए गए हैं जो जाली हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। इस पर कानूनी कार्यवाही होगी।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनकी बात सुन ली है।

श्री अटल विहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, क्या कोई स्पीकर, ऐसा सकता है?

प्रो॰ मधुदण्डवते : श्रीमन वे आक्षेप कर रहे हैं। **

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी इजाजत नहीं देता। इस पर उपयुक्त अधिकारी निर्णय करेंगे।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस पर उपयुक्त प्राधिकारी निर्णय करेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते।

(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, ** आक्षेप लगाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दे दीजिए, मैं देख लूँगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह कार्यवाही में नहीं जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : पायलट जी, आपकी बात सुन ली है। अब आप और क्या कहना चाहते हैं।

(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसे सभा का कार्यवाही में शामिल न किया जाए।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आक्षेप मत कीजिए। मैं किसी पर आक्षेप लगाने की इजाजत नहीं देता। **(व्यवधान)**

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, कल जो लोग राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें से तीन अस्पताल में बीमार थे।**

दो तरह के पासेस दिए गए हैं। वे बोगस पास थे और बोगस व्यक्तियों को पेश किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं **(व्यवधान)**

आचार्य भगवान देव : इस पर तीन तरह के बयान आए हैं। सच्चाई क्या है, इसके लिए मंत्री महोदय बयान दें। **(व्यवधान)****

श्री राजेश पायलेट : मैं तो केवल यह अनुरोध कर रहा हूं कि गृह मन्त्री को एक वक्तव्य देना चाहिए। **(व्यवधान)** **

अध्यक्ष महोदय : कोई भी बात सभा का कार्यवाही में शामिल नहीं की जायेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा से एक अपील करनी है यदि आप चाहते हैं कि मैं सभा की कार्यवाही चलाऊं तो मुझे चलाने दीजिए अन्यथा मुझे सभा स्थापित करने दीजिए। आप यो चाहेंगे मैं वही करूगा। जो हो चुका है वह मैंने सुन लिया है। आपने मेरी इजाजत मांगी···

श्री राजेश पायलेट : परन्तु उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। मैं अपनी बात कहना चाहता था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे बात कर लेने दीजिए, आप बैठिए···**(व्यवधान)** अगर प्रोफेसर साहब की बात रिकार्ड पर जाएगी तो आप की क्यों नहीं जा सकती···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात जानना चाहता हूं कि हमारे पास जब कानून है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, कानून के तहत ही देखा जाएगा···**(व्यवधान)** आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं जो कुछ करवा सकता था, मैंने वह करवा दिया है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस विषय पर ढ़ेर सारी डिस्कशन करवा दी, इसमें अब कुछ बचा नहीं है···

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलत नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह कानून लागू करने वाली एजेंसियों का काम है, मेरा नहीं। आप मुझे सूचना दे सकते हैं। मैं जो कर सकता हूँ वह मैं करूंगा। परन्तु इस पर सभा कुछ नहीं कर सकती। इस पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों ही कुछ कर सकती हैं। कृपया बैठ जाइये। यदि आपकी कोई आपत्ति है या व्यवस्था का प्रश्न है तो मैं उसे एक-एक करके लूंगा यदि आप सभी एक साथ चिल्लायेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे मैं आपकों एक-एक करके सुनूंगा। प्रो० तिवारी आपको क्या कहना है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष-महोदय : अब आप फिर बीच में बोल रहे हैं। यदि आप इस तरह से अपने मैम्बर को ही नहीं बोलने देंगे, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुन लीजिए, यदि उसकी वैरासिटी लीगैलिटी या ओब्जैक्शन ठीक है तो उसका डिसीजन मैं करूंगा, यदि आप बीच में कुछ बोलेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा।

प्रो० तिवारी अब आप कहिए।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : श्रीमन् यह एक महत्वपूर्ण मामला है। जिस पर देश और यह सभा ध्यान दे रही है। रिपोर्ट आई है···

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसके बारे में सुन लिया है। यदि आपको कुछ और कहना है तो कह सकते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : दक्खन क्रानिकल में आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के सचिव का एक वक्तव्य है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहचान पत्र जारी नहीं किये हैं और ऐसे पहचान पत्र जारी करने के लिए वही प्राधिकारी है ···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए मैं करूंगा। मैं उत्तर दूंगा। आप यह क्यों करना चाहते हैं। मैं करूंगा। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र जाली है। यह सिद्ध हो चुका है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच चल रही है।···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। आप एक प्रस्ताव दे सकते हैं। कानून लागू करने का काम उपयुक्त एजेंसी को सौंपा गया है ···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। कानून लागू करने वाली एजेंसी को यह करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : दे तो रहा हूं। आप मुझे डंडा मारना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। श्री तिवारी, मैं आपको इजायत नहीं देता।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं जाली पहचान पत्र अथवा जाली सदस्य के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। कल हमने मजबूरन सभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया क्योंकि आपने उस सदस्य को नहीं बोलने दिया जिसने त्याग पत्र दिया था···

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह बात स्पष्ट करनी है। यह मेरा फैसला है, मेरा विनिर्णय है। इस पर सभा में चर्चा नहीं हो सकती।

मैं भी गलती कर सकता हूं। यदि आप समझते हैं कि मैंने गलती की है तो मैं सभा से माफी मांग सकता हूं। मैंने नियमों के अनुसार ही फैसला किया है। मैंने श्री बहुगुणा की इस बात को नहीं माना कि मैं उनका समय उस सदस्य को दूं···

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने नहीं किया। परन्तु यह हो सकता था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए। इसके लिए भी आप मेरे कक्ष में आ सकते हैं मैं आपको समझा दूंगा। मैं अपने विनिर्णय पर चर्चा करने की इजाजत नहीं दूंगा। यदि श्री बहुगुणा मेरा कोट मांगते तो मैं उन्हें सहर्ष दे देता। परन्तु यह अधिकार मुझे इस सभा का अध्यक्ष होने के नाते मिला हैं और इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं इसके लिए मजबूर था क्योंकि यह मेरा फैसला था।

प्रो० मधु दण्डवते : आपकी क्या मजबूरी थी ?

अध्यक्ष महोदय : मजबूरी की कोई बात नहीं है। मुझे इसका फैसला करना था। वह मैंने किया। यदि मैं गलती पर हूं तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप देखिए मैं इनसे बात कर रहा हूं। आपने बहुत घी खाया हुआ है आपने बहुत कसरत की है, मैं बहुत दाद देता हूं मैं इनको यह कहता हूं कि अगर आप मुझे बता दें, नियम 240 मेरे पास है, अगर मैंने इसका उल्लंघन किया है तो आप मुझे दोष दे सकते हैं। परन्तु मैं इस पर चर्चा की इजाजत नहीं देता। हां यदि मैंने कोई गलती की है तो मैं मानने के लिए तैयार हूं···

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, त्याग पत्र की बात नहीं हो रही है। त्याग पत्र से पहले आप उन्हें सुनने के लिए कह सकते थे। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं आपको नहीं बुलाऊंगा। यह मेरे स्वविवेक के अनुसार होगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं मानता हूं कि यह आपके अधिकार में हैं। परन्तु, श्रीमन्···

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे कक्ष में आइये।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सभा से कभी भी मांफी मांग सकता हूं। मेरे विनिर्णय पर चर्चा नहीं हो सकती।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन् मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं मानता हूं कि आपके विनिर्णय पर चर्चा नहीं हो सकती और में आपके स्वविवेक को भी मानता हूं। परन्तु यह अभी के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी होगा। अध्यक्ष के स्वविवेक का अर्थ यह है कि उन्हें अपना ही फैसला करके सभा में कार्य करना होगा।

मेरा अनुरोध यह है कि वह एक निष्ठावान सदस्य हैं और लम्बे अर्से से संसद में रहे। विश्व के विभिन्न भागों में यह होता है कि जब कभी भी कोई सदस्य त्याग पत्र देता है। तो वह वक्तव्य देता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका ध्यान रखूंगा। मैं आपके फैसले को मानता हूं यदि आप मुझे समझा सके···

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा अनुरोध यह है कि कल एक अवसर आ सकता है···

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बात का भी अध्ययन कर लिया है। मैं आपसे विचार विमर्श कर सकता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : सदस्यों को वक्तव्य देने की अनुमति दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दृष्टांत बता सकते हैं। मैं आश्वासन देता हूं कि मैं अपने में सुधार कर लूंगा। मैंने सभा की अपनी पूरी योग्यता के साथ सेवा करने की कोशिश की है। इस सभा ने मुझे प्रतिष्ठा प्रदान की है और मैं सभा की प्रतिष्ठा कायम रखूंगा।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : श्रीमन् मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (**व्यवधान**)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : श्रीमन् मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 240 (1 क) में कहा गया है :

> "यदि कोई सदस्य अपना त्याग पत्र व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष को देता है और उसे सूचित करना है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक एवं स्वाभाविक है एवं अध्यक्ष को इसके विपरीत

कोई सूचना अथवा जानकारी न हो तो अध्यक्ष त्याग पत्र तत्काल स्वीकार कर लेगा।"

मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को अपना त्याग पत्र आपको व्यक्तिगत रूप से देना है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बता देना आप।

श्री हरिकेश बहादुर : परन्तु उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। इसे अभी आपके कक्ष में पहुंचना है। तभी आप इसे निबटा सकेंगे।

श्री के० मायातेवर : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने डा० स्वामी को इजाजत दे दी है श्री तेवर। आप बैठ जाइये। मैं अकेला आदमी हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं। हमने आन्ध्र के मामले पर चर्चा थी। आप हिन्दुस्तान टाइम्स में खबर है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा पांच के आदेश दिए जा चुके हैं। सभा को पता होना चाहिए कि यह सही है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसके बारे में पता नहीं है। श्री शास्त्री।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, कल सेंट्रल गवनमेंट एम्पलाईज ने,

अध्यक्ष महोदय : आपने दिया है, मैं सोच रहा हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : पे-कमीशन के सामने धरना दिया है। मैं चाहता हूं कि सरकार उस पर कोई बयान दे कि वह कब तक पे-कमीशन की रिपोर्ट देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात को लूंगा (**व्यवधान**)

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी (नरसापुर) : श्रीमन् 100 जाली पहचान पत्र छपे थे।

अध्यक्ष महोदय : कोई नई बात नहीं है।

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : अध्यक्ष महोदय के वक्तव्य के अनुसार, उन्होंने बहुत से पहचान पत्र दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में सुन चुका हूं।

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : आप वह नहीं सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि बहुत से पहचान पत्र जारी किये हैं क्योंकि वे उन्हें यहां नहीं लाए। आन्ध्र विधान सभा के सचिव ने कहा है कि केवल दो पहचान-पत्र जारी किये गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में सुन चुका है। वह विधि अमिएजेंसीज को करना होगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के 162 सदस्यों को राष्ट्रपति के यहां ले जाया गया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट वहां की स्टेट गवर्नमेंट में कालुजन से सी० बी० आई० के द्वारा एम० एल० एज को धमका रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता।

एक माननीय सदस्य : श्री वेंकटसुब्बय्या कल राष्ट्रपति से क्यों मिले थे।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, आज के **इण्डियन एक्सप्रैस** में लिखा है कि प्राबेशनरी आफिसर ग्रेड एग्जामिनेशन (बी० एस० आर० बी० सैंट्रल ग्रुप लखनऊ) के परचे में एक सवाल यह दिया गया कि खालिस्तान का लीडर कौन है : (1) डा० जगजीत सिंह चौहान (2) भिंडरांवाले (3) टोहरा (4) लोंगोवाल। सरकार माध्यम से इस किस्म का प्रचार देशद्रोह है। इसकी एनक्वायरी की जाए और जिन्होंने इस किस्म का सवाल परचे में दिया है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख कर दीजिए।

श्री मनी राम बागड़ी : मैंने लिख कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं कि इसकी एनक्वायरी करानी चाहिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सूचना और प्रसारण मंत्री बैठे हुए हैं। मैं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन का प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं लोक सभा की कार्य प्रणाली के नियम 222, विशेषाधिकार हनन, के अन्तर्गत निम्नलिखित मामला माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री के विरुद्ध लाना चाहता हूं :

मैं लोक सभा की समस्त कार्यवाहियों में निरंतर भाग लेता हूं और मेरा नाम आकाशवाणी···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने के लिए अलाऊ करूंगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं तो प्रिविलेज का मामला उठाना चाहता हूं। श्री एच० के० एल० भगत ने मेरी प्रतिष्ठा को आघात लगाया है। इस सदन में कहा गया था कि श्री कल्पनाथ सोनकर को पुलिस ने मारा है। लेकिन रात को 8 बजे रेडियो से कहा गया कि राजनाथ सोनकर शास्त्री को पुलिस ने मारा है।

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम तो आ गया। मारने वाले की बेइज्जती होती है। मार खाने वाला तगड़ा आदमी होता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। ऐसा करेंगे, जो आप का प्रिविलेज मोशन है वह तो मैं देखूंगा। वह तो आप मुझे देंगे। दूसरा जो आपका स्पष्टीकरण है वह में 377 में एलाऊ करूंगा। तो आप उसमें स्पष्टीकरण कर दीजिएगा। उसमें चिन्ता की कोई बात नहीं है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैंने प्रिविलेज मोशन दिया हैं। 377 में फिर मेरे पढ़ने का क्या मतलब होगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली। आप बैठिए। जो आप ने दिया है वह मैं देखूंगा। एक्सप्लेनेशन जो आप देंगे उसमें वह ठीक हो जाएगा। दोबारा आपका नाम आएगा।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मैं इस बारे में जानकारी चाहूंगा कि माननीय सदस्य राजेश पायलट ने दूसरे सदन के अध्यक्ष के ऊपर आक्षेप लगाया है···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं कोई आक्षेप नहीं आएगा। मैंने कह दिया। मैंने इसका फैसला कर लिया है। आप अब हमें क्यों उठा रहे हैं ?

श्री राजेश कुमार सिंह : उन्होंने उनके ऊपर आक्षेप लगाया है···

अध्यक्ष महोदय : राजेश जी आप सुन लीजिए, नहीं है कोई आक्षेप। मैंने कह दिया कि जो कोई आक्षेप नहीं आने दिया जाएगा।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपके रहते हुए 14 साल तक जो संसद सदस्य इस सदन में रहे हों···** **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में यह सब शामिल नहीं किया जायेगा। नीम हकीम खतराय जानी जगपाल जी, आपको पता नहीं है। आदमी को उस बात पर नहीं जाना चाहिए जिसका पता नहीं हो।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। क्या कर रहे हैं आप ? बूटा सिंह जी, देखिए, यह क्या हो गया है इनको ?

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उत्तर प्रदेश में 60 हजार बी० टी० सी० दस साल से बेरोजगार हैं और प्रतीक्षा सूचि में है। उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी जो 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक का फार्मूला सरकार ने बनाया है उसे 30 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक कर दे तो उनको काम मिल जाएगा···

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर देंगे तो मैं देखूंगा, ऐसे तो कोई बात नहीं हो सकती।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : श्रीमन् जो लकड़ी चोर होते हैं उनको पकड़ने के लिए सरकार की तरफ से मुखबिर लगाए जाते हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप तो बेकार में टाइम ले रहे हैं। लिख कर देंगे तो मैं देखूंगा। बैठ जाइए आप।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : श्रीमन्, जनता मारी जा रही है, पुलिस लोगों को मार रही है ···(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी इजाजत नहीं दी जाती है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, जिसने आपको इस्तीफा नहीं दिया था उसका इस्तीफा आपने ले लिया सिर्फ इसलिए कि उनको बोलने का मौका नहीं मिल सके···

अध्यक्ष महोदय : जो कोई देगा उसको तो मैं लूंगा, जो नहीं देगा उसका नहीं लूंगा। बोलिए बालन जी।

···(**व्यवधान**)···

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि कल राष्ट्रपति भवन में बहुत सारे फर्जी बोगस कार्डों के जरिए से लोगों को···

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : इस सभा की एक जिम्मेदारी यह भी है कि**

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं हैं, यह सभा में नहीं लाया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : डा० भोई, आप कुछ कहना चाहते हो ?

(**व्यवधान**)

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : मैं आपके लिए और गर्मी पैदा नहीं करना चाहता (**व्यवधान**)

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

डा० कृपासिंधु भोई : मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि-हल्लागुल्ला हो रहा है। सुभा की अनुमति से मैं एक श्लोक सुनाता हूं ;

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उदियते यदि भानु पश्चिम दिग्विभागे

प्रसंपुतित् यदि पद्म पर्वतानाम् शिखाग्रे···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। श्री शिवराज पाटिल।

12.41 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राजस्थान परमाणु ऊर्जा केन्द्र की तकनीकी मूल्यांकन सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराम बी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राजस्थान परमाणु ऊर्जा केन्द्र के तकनीकी मूल्यांकन सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) राजस्थान परमाणु ऊर्जा केन्द्र के तकनीकी मूल्यांकन सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर, की गई कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8624/84]

जेल सुधारों सम्बन्धी अखिल भारतीय समिति का प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : मैं जेल सुधारों सम्बन्धी अखिल भारतीय समिति के प्रतिवेदन—1980-83 (खण्ड एक तथा दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 8625/84]

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत अधिसूचना केन्द्रीय सतर्कता आयोग का वर्ष 1983 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा रांगट (अन्दमान) में गोली-बारी की घटना सम्बन्धी जांच आयोग का प्रतिवेदन

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : मैं श्री पी० वेंकटसुब्बय्या की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(1) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (तीसरा संशोधन) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 4 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 815 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 8626/84]

(2) (एक) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के 1 जनवरी, 1983 से 31 दिसम्बर, 1983 की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रतिवेदन में उल्लिखित कतिपय मामलों में आयोग के परामर्श को स्वीकार न किए जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल टी० 8627/84]

(3) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) 28 जनवरी, 1983 को मध्य अन्दमान में रांगट में गोली-बारी की घटना की जांच करने हेतु नियुक्त एक सदस्यीय आयोग का जांच प्रतिवेदन।

(दो) प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 8628/84]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

श्री ए० के० बालन (ओट्टापलम) : महोदय, आप मुझे बुला चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बालन, आप एक मिनट रुकिए। श्री बूटा सिंह खड़े हैं। मैं आपको बुलाता हूं।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, अनेक बार यह बात हमारे ध्यान में आई है कि जिन बातों को कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित न करने की अनुमति दी जाती है उनको कुछ पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे लिखित रूप में दें।

श्री बूटा सिंह : मैं आपको लिखित रूप में दे दूंगा लेकिन यह कुछ ऐसी बात पर जिस पर महा सचिव ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री बालन।

(व्यवधान)

श्री ए० के० बालन : खड़े हुए।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आपने श्री बूटा सिंह को अनुमति दी है। कृपया मुझे भी अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री बालन को अनुमति दी है। श्री चक्रवर्ती, कृपया भगवान के वास्ते बैठ जाइये।

सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, कृपया मुझे भगवान के वास्ते अनुमति दीजिए।

श्री ए० के० बालन : केरल के सदस्यों ने केरल में सीमेंट घोटाले के बारे में सूचना दी है। **(व्यवधान)** महोदय, आपके निदेशानुसार···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल श्री बालन को अनुमति दी है।

श्री ए० के० बालन : मैं दूसरों को अनुमति नहीं दूंगा। **(व्यवधान)** महोदय, आपके निदेशानुसार हम केरल के सदस्यों ने सीमेंट घोटाले के बारे में सूचना दे रखी है।

अध्यक्ष महोदय : वह पहले से रखी हुई है। हम कार्यवाही कर चुके हैं। हमने और अधिक तथ्य मांगे हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामुला) : स्पीकर साहब, मैं कन्ट्रोवर्सी की बात नहीं करूंगा, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं समझाता हूं कि रामाराव का दिल्ली आना ही इस बात का सबूत है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कल ले चुका हूं। अब श्री मल्लिकार्जुन। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। मद सं० 5।

दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली का प्रतिवेदन

खेल विभाग, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 19 के अन्तर्गत, दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी में संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल टी० 8629/84]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 607 (अ), जो 13 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 609 (अ), जो 13 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो निकल आक्साइड सिन्टर को, जब भारत में उसका आयात किया जाता है, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल तथा अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 8630/84]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या स० का० नि० 604 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 10 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 8631/84]

———————

12.43 म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

अध्ययन दौरों सम्बन्धी प्रतिवेदन

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के अध्ययन दौरों सम्बन्धी निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) समिति के अध्ययन दल की जून-जुलाई, 1984 को भुवनेश्वर, कोरापुट, विशाखापत्तनम और कलकत्ता की यात्रा के अध्ययन-दौरे का प्रतिवेदन।

(दो) समिति के अध्ययन दल दो की जून-जुलाई, 1984 की मद्रास, ऊटी, कोयम्बतूर और बंगलौर की यात्रा के अध्ययन-दौरे का प्रतिवेदन।

———————

12.43-1/2

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

81वां प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 81वां प्रतिवेदन ((हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———————

12.44 म० प०

लोक लेखा समिति

218वां, 223वां तथा 224वां प्रतिवेदन

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) अन्तर्देशीय पत्र कार्डों के स्थानीय मुद्रण तथा अन्नी नगर में कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के बारे में समिति के 133वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही सम्बन्धी 218वां प्रतिवेदन।

(2) स्वीकृत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों (1982-83) से अतिरिक्त राशियों तथा 166वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही के बारे में 222वां प्रतिवेदन।

(3) एक संयोगकर्त्ता की ओर बकाया दावों के बारे में भारत के नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1981-82 के अग्रिम प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल)—के पैरा 16 के बारे में 222वां प्रतिवेदन।

———————

12.44-1/2 म० प०

प्राक्कलन समिति

88वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री बंसी लाल (भिवानी) : मैं शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय-भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान,

शिमला, के बारे में प्राक्कलन समिति का 88वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

———————

अध्यक्ष महोदय : श्री नरसिंह राव।

श्री ए० के० राय : इस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यहां इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

———————

12.45 म० प०

संविधान (52वां संशोधन) विधेयक

गृह मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : मुझे भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उन सदस्यों से सूचनाएं मिली हैं जो विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करना चाहते हैं। उनके नाम हैं : श्री राम विलास पासवान, प्रो० मधु दण्डवते, श्री सुनील मैत्रा, प्रो० रूपचन्द पाल, श्री हरिकेश बहादुर, श्री गिरि तथा श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती।

श्री पासवान।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। यह सही है कि आपके पास समय नहीं है। सभा बहुत व्यस्त है परन्तु फिर भी इस प्रकार के महत्वपूर्ण विधेयक की प्रति हमें 9.00 बजे मिली है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न व्यवस्था-बाह्य है। समूची सभा ने इस बारे में मेरे साथ निर्णय किया था। यह बिल्कुल ठीक है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : संविधान (बावनवां संशोधन) विधेयक कार्य मन्त्रणा समिति के समक्ष नहीं आया। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सभा पहले ही कार्य मन्त्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत कर चुकी है।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : मेरे सहयोगी, श्री राजेश सिंह ने कहा है कि मैंने ** के विरुद्ध आरोप लगाया है जबकि मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने तो केवल समाचार पत्र से उद्धृत किया था।

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में निर्णय कर चुका हूं। आप इसे फिर क्यों उठाना चाहते हैं ?

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, यह जो संविधान का संशोधन करने के लिए 52वां अमेण्डमेंट बिल, आर्टिकल 33 का संशोधन करने के लिए हमारे सामने रखा गया है, मैं इसका विरोध करता हूं। मैं विरोध क्यों करता हूं—सबसे पहली बात तो यह है कि आज सवेरे ही यह हम लोगों को सर्कुलेट किया गया। मैं समझता हूं इसको किसी भी माननीय सदस्य ने पढ़ा भी नहीं होगा और यदि किसी माननीय सदस्य ने पढ़ा है तो उठकर कह दें कि हमने पढ़ा है। सिवाय होम मिनिस्टर के किसी ने नहीं पढ़ा है। मेरा ख्याल है पार्लियामेंट्री मिनिस्टर ने भी नहीं पढ़ा है···

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : मैंने पढ़ा है।

श्री राम विलास पासवान : किसी ने नहीं पढ़ा है। इतनी जल्दबाजी में इतना इम्पार्टेन्ट बिल कांस्टीच्यूशन को अमेण्ड करने के लिए हम लोगों के सामने लाया गया है···

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : बूटा सिंह जी ने कहा है कि उन्होंने पढ़ा है। क्या पढ़ा है बतलाइये ?

श्री बूटा सिंह : मैं अभी बतला सकता हूं, आप बैठ जाइये।

12.45 म० प० **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

मैं संविधान (52वां संशोधन) विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन को पढ़कर सुनाऊंगा।

श्री राम विलास पासवान : मैं कह रहा था कि जब पार्लियामेंट्री अफेअर्स मिनिस्टर को ही मालूम नहीं है तो सदन के दूसरे सदस्यों को मालूम होगा। इतने इम्पोर्टेन्ट ईशू को इतने हल्के ढंग से लाना, मैं समझता हूं उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह आर्टिकल 33 को अमेण्ड करने के लिए लाया गया है और आप जानते हैं कि आर्टिकल 12 से 35 तक फण्डामेंटल राइट्स के अन्तर्गत आते हैं, संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसके तहत इनको रखा गया है। मैं आर्टीकल 33 आपको पढ़कर सुनाता हूं—

> "संसद विधि द्वारा अवधारणा कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को, सशस्त्र बलों या लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार-साधन करने वाले बलों के सदस्यों को लागू होने में, किस परिणाम तक निबन्धित या निराकृत किया जाय ताकि उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे।"

यह वास्तव मे आर्मी के लिए रखा गया था, लेकिन अब सरकार इसको आम लोगों पर धीरे-धीरे लागू करना चाहती है, उन पर पंजा जमाना चाहती है। आपको मालूम है—इसी सदन में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को अमेण्ड किया गया, उसको और अधिक कड़ा बनाया गया। आपको यह भी मालूम है कि टैरोरिस्ट एक्ट बनाया गया। अब यहां कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट करके दूसरे लोगों के मौलिक अधिकारों को भी आप समाप्त करने जा रहे हैं। यह किन लोगों पर लागू होगा, यह स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में दिया गया है :

(i) राज्य की या राज्य के भार साधन या कब्जे में की सम्पत्ति के संरक्षण का भारसाधन करने वालों के सदस्यों को; या

(ii) आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को; या

(iii) किसी बल ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूर संचार प्रणाली में या उसके सम्बन्ध में नियोजित व्यक्तियों को, सम्मिलित किया जा सके।

इसका मतलब है कि असेंशियल सर्विसेस के नाम पर सरकार लोगों के मौलिक अधिकारों को खत्म करना चाहती है। यह वह सरकार है जिसने इमरजेंसी के समय लोगों के जाने के अधिकार को छीना था। "राइट्स टू लिव" को जिसने खत्म किया था और उसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ा था। अब सरकार इमरजेंसी न लगाकर उसको दूसरे रूप में लाना चाहता है। सरकार आज डरी हुई है। आज सरकार का ज्यूडिशरी पर फेथ नहीं रही है, पार्लियामेंट पर फेथ नहीं रहा है, लेजिसलेटिव ब्रांच पर फेथ नहीं रहा है, ज्यूडिशीयल ब्रांच पर फेथ नहीं रहा है इसलिए सरकार एग्जीक्यूटिव को मजबूत करना चाहती है। एक्जीक्यूटिव को तजबूत करने का मतलब है भारत सरकार और उसकी प्रधान मंत्री। इसलिए एक आदमी के लिए एग्जी क्यूटिव को हैड बनाया जा रहा है। लोगों के मौलिक अधिकारों के साथ संसार में कहीं भी इस तरह से खिलवाड़ नहीं किया गया है। कांस्टीट्यूशन की किताब में दूसरे देशों का भी वर्णन है। लेकिन इस तरह का कानून कहीं पर नहीं है। विदेशों में फोर्सेस को भी फण्डामेंटल राइट्स दिए गए हैं। यहां पर फोर्सेस को फण्डामेटल राइट्स देने के बजाय दूसरे लोगों के भी फण्डामेंटल राइट्स छीनने के लिए यह किया है। इसके द्वारा लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया का रहा है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की पुरःस्थापन अवस्था पर ही मेरी आपत्ति इस बात से उत्पन्न हुई है कि जब सभा आन्ध्रप्रदेश की घटनाओं जैसे महत्वपूर्ण विषयों तथा श्रीलंका जैसे अन्य महत्वपूर्ण विषयों में व्यस्त है तो यह विधेयक अव्यवस्थित ढंग से पके से लाया गया है। यदि आप अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए व्याख्यात्मक ज्ञापन को ध्यान से पढ़ें तो इसमें कहा गया है कि यह ज्ञापन इसलिए अध्यक्ष के विचार के लिए हैं कि संविधान (संशोधन) विधेयक, 1984 को इसकी प्रतियां अग्रिम रूप से सदस्यों को उपलब्ध कराए बिना क्यों पुरःस्थापित करवाया जा रहा है जैसाकि अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 19 (ख) के अन्तर्गत अपेक्षित है। अतः उन्होंने जो व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया है वह स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि इस सभा के सदस्यों में वि धेयक की प्रतियां अग्रिम रूप से परिचालित किए बिना वे यह विधेयक लाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बारे में स्पष्टीकरण यह दिया गया है : हाल ही में कुछ संगठनों के कर्मचारियों में एक प्रवृत्ति घर कर रही है कि सरकार के साथ बातचीत करने के लिए आन्दोलनात्मक तरीके अपनाये जायें। इसका कुशलता पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा है तथा इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ऐसी आवश्यकता है कि स्थिति से अविलम्ब निपटा जाए। अतः यह आवश्यक हो गया है कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक शीघ्र पारित किया जाए। उपरोक्त कारणों से तथा संसद के वर्तमान सत्र के दौरान उपलब्ध बहुत कम समय को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि इस विधेयक को वर्तमान सत्र में पुरःस्थापित करने हेतु अनुमति देने के लिए इस विधेयक के सम्बन्ध में अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 19 (ख) में ढील दी जाए। अतः सामान्य प्रक्रिया और अध्यक्ष के निदेश को समाप्त करने की आवश्यकता है ताकि स्थिति की गम्भीरता

को देखते हुए विधेयक पुरःस्थापित और अन्ततोगत्वा पारित किया जा सके। हममें से जो लोग कर्मचारियों के संगठन में, सरकारी संस्थाओं में, विभिन्न प्रकार के संगठनों में लगे हुए हैं वे उसे स्पष्ट रूप से महसूस करते है, जैसाकि व्याख्यात्मक ज्ञापन में उल्लिखित है, कि सरकारी कर्मचारियों तथा सरकारी संगठनों में कतिपय आन्दोलनात्मक गतिविधियों की रोकथाम के लिए यह विशेष विधेयक लाया जाना है। कोई यह प्रश्न पूछ सकता है : क्या आप नहीं चाहते कि संवेदनशील सरकारी संस्थाओं और सेवाओं की रक्षा की जाए ? हम यह चाहते हैं। विश्व के भिन्न-भिन्न भागों में इनकी रक्षा की जाती है। परन्तु वे यह कैसे करते हैं ? उदाहरण के लिए, ब्रिटेन जैसे देश में उन्होंने क्या किया है कि ऐसी सेवाओं में, जिन्हें वे बहुत ही संवेदनशील और आवश्यक समझते हैं, उन्होंने विवाद निपटाने के लिए एक वैकल्पिक प्रकार के तन्त्र की व्यवस्था कर रखी है ताकि आन्दोलन किए बिना ही, हड़तालें किए बिना ही ये कर्मचारी अपनी मांगों का शीघ्र ही फैसला कर सकते हैं और उनको आन्दोलनों और हड़तालों के तरीके नहीं अपनाने पड़ते। हम ऐसे संगठनों में लगे कर्मचारियों के विवादों के तुरन्त निपटाने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक अवसर प्रदान नहीं करते जिनका कि इस पूरे विधेयक में उल्लेख है। फिर भी विवाद निपटाने के लिए ऐसे किसी मार्ग की व्यवस्था किए बिना ही हम संविधान के भाग तीन में निर्दिष्ट मूल अधिकारों पर रोक लगाने की कोशिश करके आन्दोलन पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

दुर्भाग्यवश, क्योंकि विधेयक परिचालित नहीं किया गया, इसलिए श्रमिक संघों में लगे इस सभा के अनेक सदस्य अपनी आपत्ति नहीं उठा सके क्योंकि उनका ध्यान इस खतरनाक विधेयक की ओर नहीं दिलाया गया जिसे पिछले दरवाजे से लाया जा रहा है। अतः इसके लिए कि विधेयक के ब्यौरे उचित ढंग से परिचालित किए जाते और श्रमिक संघ संगठनों को विधेयक पढ़ने का पर्याप्त समय मिलता, मैं इस बात पर बल दूंगा कि हमें इस विधेयक का इसकी पुरःस्थापन अवस्था में ही विरोध करना चाहिए। यदि गृह मन्त्री को सद्बुद्धि आती है तो वैसी स्थिति में, पुरःस्थापन अवस्था में ही वह यह घोषणा कर सकते हैं कि "हम इस विधेयक को श्रमिक संघ संगठनों के बेहतर विचार के लिए वापस लेते हैं" और यदि आवश्यक हो तो इसे बाद में लाया जाए। अतः मैं इस विधेयक का पुरःस्थापन अवस्था में विरोध करता हूं।

श्री ए० के० राय : महोदय, मेरा नियम 72 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न है। जैसाकि आप जानते हैं, यदि कोई सदस्य विधेयक का विरोध करना चाहे तो उसे सूचना देनी पड़ती है। आज के संसदीय पत्र हमें प्रातः नौ बजे ही मिले। मुझे यह मालूम नहीं है कि विधेयक सप्लाई करने में विलम्ब, जैसाकि गाड़ी के मामले में हो जाता है, जान बूझकर किया जाता है या नहीं। हमें यह पत्र सुबह नौ बजे मिले। उसके बाद दस बजे से पहले सूचना देने के लिए हमें पर्याप्त समय नहीं मिला। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। इसीलिए मैं नियम 72 के परन्तुक की ओर ध्यान दिला रहा हूं जिसमें यह कहा गया है :

> "परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाए कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे हैं, तो अध्यक्ष, उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा।"

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने विवेक का प्रयोग करते हुए इस विधेयक पर पूर्ण चर्चा की अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री अमल दत्त (डायमन्ड हार्बर) : क्यों ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। मुझे कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अमल दत्त : आप इसकी अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं। (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय , मुझे कारण बताने को आवश्यकता नहीं है···(**व्यवधान**)।

श्री ए० के० राय : क्या आपका व्यक्तिगत सन्तोष है···(**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : बाहरी बातों का इसमें मत लाइए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, क्या आपने श्री राव की बात समझ ली है ? आज सुबह लोक सभा सचिवालय ने टेलीफोन से हमें बतलाया था कि हमारे निवास स्थान पर संसदीय पत्र कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण देर से पहुंचेंगे। मुझे तो इस प्रकार का टेलीफोन अवश्य मिला था। आज संसदीय पत्रों का बंडल हमें देर से मिला था। अतः हम उन पत्रों को नहीं पढ़ सके और न ही इस आशय की सूचना दे सके कि हम इस विधेयक के पुरःस्थापन का ही विरोध करना चाहते हैं। आप इसकी तहकीकात कर सकते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : जब सरकार अपने विवेक का प्रयोग कर रही है तो आप भी अपने विवेक का प्रयोग करके उन्हें अनुमति क्यों नहीं दे देते ?

उपाध्यक्ष महोदय : पत्र कब भेजे गए थे ?···मैं समझता हूं कि छपाई में देरी होने के कारण ऐसा हुआ है। क्योंकि श्री राव ने अनुरोध किया है, अतः मैं उन्हें विशेष रूप में अनुमति दे रहा हूं।

श्री चित्त बसु : हमें भी अनुमति दी जानी चाहिए। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक बात नहीं है। उन्होंने अनुरोध किया था···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह अच्छा तरीका नहीं है। उन्होंने प्रश्न उठाया था ; मेरा समाधान हो गया तथा मैं उन्हें विशेष रूप में अनुमति दे रहा हूं।···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल श्री राव को अनुमति दे रहा हूं।

1.00 म० प०

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय मुझे भी देर से पत्र मिले हैं। अतः मुझे भी अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अनुमति मांगी थी तथा मैं उन्हें विशेष रूप में दे रहा हूं।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : सरकार इस कठोर विधेयक को इस उद्देश्य से लायी है ताकि एक तो लोकतंत्रात्मक अधिकारों का विस्तार न हो सके दूसरे, इसलिए भी ताकि विद्यमान अधिकारों को भी कम किया जा सके। सरकार की नीतियों से लोगों में निराशा फैल रही है। सशस्त्र बल, अर्ध-सैनिक बल, सरकारी कर्मचारी, अर्ध-सरकारी कर्मचारी तथा साधारण जनता भारत सरकार की कठोर नीतियों का शिकार बन रही है। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ है कि अधिकांश लोग अशांत हो रहे हैं। यदि सरकार विचारशील होती तो उसने लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए तथा विभिन्न वर्गों के लोगों की नाराजगी के कारणों को जानने के लिए कोई न कोई तरीका निकाल लिया होता तथा उनसे बातचीत करके उनका समाधान कर दिया होता। किन्तु कोई नया रास्ता निकालने की बजाय सरकार संविधान में 52वां संशोधन कर रही है जिससे लोगों के विद्यमान अधिकार भी कम हो जाए ?

उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 33 पहले केवल सशस्त्र बलों पर ही लागू होता था किन्तु अब इस संशोधन से यह दूरसंचार व्यवस्था तथा अन्य सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू हो जाएगा। इस सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि इससे समस्या हल होने वाली नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार आज तक यह महसूस नहीं कर रही है कि वह ज्वालामुखी के शिखर पर बैठी हुई है।

अधिवेशन आरम्भ होने के पन्द्रह दिन पहले मुझे लोक लेखा समिति के साथ पाया···

उपाध्यक्ष महोदय : आप इतना विस्तारपूर्वक क्यों बोल रहे हैं, यह सामान्य चर्चा तो नहीं है। अभी आठ और सदस्यों ने बोलना है तथा मैंने श्री राव को अपना भाषण आरम्भ करने के लिए कह दिया है। क्या मुझे सदस्यों को नियम सिखाने पड़ेंगे जो पहले ही उनसे अवगत हैं ?

श्री सुनील मैत्रा : कृपया आप मुझे कुछ मिनट का समय दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप विधेयक के विस्तार में जा रहे हैं। मन्त्री महोदय केवल संवैधानिक और कानूनी पहलू पर ही बोलेंगे। आपने जो कुछ कहना है विधेयक के पुर:स्थापन के बाद ही कहिए।

श्री सुनील मैत्रा : एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि पंजाब के उपद्रवों के दौरान सिपाहियों ने एक ब्रिगेडियर पर गोली चलायी थी। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है क्योंकि हमारे देश में पहले ऐसी घटना कभी नहीं घटी। क्या सरकार ने कभी इस पर विचार किया है कि ऐसी घटना क्यों घटी है ? क्या सरकार ने कभी यह जानने के लिए कोई उपाय किए हैं कि क्या हमारे सशस्त्र बलों में नाराजगी है ? क्या आपने उनकी शिकायतों को सुनने के लिए तथा उनसे बातचीत करने के लिए कोई कदम उठाएं हैं ? आज आप न केवल सशस्त्र बलों को बल्कि बहुत से सरकारी एवं अर्धसरकारी कर्मचारियों को भी इस विधेयक के तहत ला रहे हैं ताकि उनको उनके मूल अधिकारों से कुछ हद तक वंचित किया जा सके। अत: मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करता हूं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप मुझे एक मिनट का समय दें तो सदन का बहुत सा समय बच सकेगा।

मैं यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक को लागू करने से प्रत्येक संगठनों में काम करने वाले कर्मचारियों की उचित शिकायतों को दूर करने में रुकावट नहीं आएगी। क्योंकि उनकी शिकायतें दूर करने के लिए पहले ही स्टाफ काउन्सिलें हैं। तथा इन पर हम विधेयक पर चर्चा करते समय विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के दौरान मैं माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत करूंगा और उन पर विचार करूंगा। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह एक मुख्य मुद्दा है जिसको लेकर विधेयक का विरोध किया जा रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि आप हमारी मदद करते है, तो इससे वाद-विवाद में मदद मिलेगी। यदि आप चाहते है कि इस मामले में सुझाव दिए जायें, यदि वह बता सकें कि सरकार इन लोगों के किन अधिकारों का दमन करने का इरादा रखती हैं, जहां तक इन वर्गों के लोगों का सम्बन्ध है, किन-किन अधिकारों पर वह कुछ नियन्त्रण रखना चाहती है केवल तभी हम सुझाव दे सकते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह पुरःस्थापना चरण है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह उसके पश्चात् आयेंगे। वह उसके पश्चात उत्तर देंगे। अब श्री सुधीर कुमार गिरि बोलेंगे। यह पुरःस्थापना चरण है और मन्त्री महोदय भी सहायक हुए हैं। दिए गए किसी सुझाव का वह स्वागत करेंगे।

एक माननीय सदस्य : आप सहायता नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विशेषकर के आपके लिए बहुत ही सहायक हूं क्योंकि आप मेरे अच्छे मित्र हैं।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने का विरोध करता हूं।

कृपया संविधान के अनुच्छेद 33 को पढ़िए, जिसमें यह बताया गया है :—

> "संसद् विधि द्वारा निर्धारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा (अर्थात् भाग 3) दिए गए अधिकारों में से किसी को सशस्त्र बलों अथवा सार्वजनिक व्यवस्था-भार वाले बलों के सदस्यों के लिए प्रयोग होने की अवस्था में किस मात्रा तक निर्बन्धित या निराकृत किया जाए ताकि उनके कर्त्तव्यों का उचित पालन तथा उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे।"

महोदय रचियतों ने संविधान में इस उपबन्ध को सम्मिलित करते समय इस बात को ध्यान में रखा था कि निर्बन्धक कानून को केवल उन सशस्त्र सेनाओं तथा बलों पर लागू किया जाना चाहिए जिन्हें सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने का काम सौंपा गया है। मेरे विचार में इसका अभिप्राय पुलिस बल है। किन्तु यह विधेयक इस उपबन्ध के क्षेत्र का विस्तार करेगा।

महोदय हमारे पूर्वजों को इन मूलभूत अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लम्बा युद्ध लड़ना पड़ा था। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था, सरकार इन अधिकारों पर नियन्त्रण रखेगी।

इसके कारण क्या हैं ? मैं यह महसूस करता हूं कि हमारे देश की पूंजीवादी पद्धति संकट का सामना कर रही है। किसी देश में विकास की प्रत्येक पूंजीवादी पद्धति में अपनी अन्तर्निहित असंगतियां होती हैं जिससे सरकार या प्रशासन को हर तरह से संकट का सामना करना पड़ता है। अपने देश में भी मैं देखता हूं कि यह संकट गहरा हो गया है। यही कारण है कि इस देश के लोग आन्दोलन कर रहे हैं। जहां लोग अपने अधिकारों के बारे में सचेत हैं, वहां सरकार उन अधिकारों को नियन्त्रित करने जा रही है। मेरा विचार यह है कि सरकार महसूस करती है कि सरकार के लिए केन्द्रीय आरक्षण बलों का उपयोग करके देश में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना सम्भव नहीं होगा। यही कारण है कि सरकार संविधान की परिधि का विस्तार कर रही है ताकि उन लोगों के सम्बन्ध में जो अपने उचित उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अपनी मांगों के सम्बन्ध में आवाज उठायेंगे, सरकार उनका गला घोंट देगी। इसलिए मैं इस विधेयक को इस समय पुरःस्थापित किए जाने का विरोध करता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर सिंह (गोरखपुर) : यह सरकार 1980 में सत्ता में आई थी। तब से यह निरन्तर नागरिकों और समाज के विभिन्न वर्गों के मूल अधिकारों को कम करने के लिए कदम उठाती रही है। उनके मूलभूल अधिकारों पर कई प्रकार के कानूनों, जैसाकि इस समय सभा में चर्चा के लिए है, द्वारा आक्रमण किया गया है। यह एक और आक्रमण है। और यही कारण है कि मैं इसका विरोध पुरःस्थापन किए जाने के समय ही कर रहा हूं।

कुछ अन्य बातें भी मैं कहना चाहूंगा। सरकार की चाहे कोई भी इच्छा रही हो परन्तु समूचा देश यह अनुभव करता है कि इस विधेयक को लाने के पीछे सरकार की कोई दूषित मनोवृत्ति है। मूलभूत अधिकारों को कम करके सरकार कोई बुनियादी हित सिद्ध नहीं कर रही है। यह हमारी लोकतांत्रिक संरचना पर एक प्रहार है। सरकार सशस्त्र, अर्धशस्त्र और पुलिस बल का दुरुपयोग करती रही है। संविधान में यह संशोधन करके वह इसे कानूनी बनाना चाहती है। और ऐसा करके वह इसका दुरुपयोग ही करेगी। इससे देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए खतरा बढ़ जायेगा। यही कारण है कि मैं इसका विरोध कर रहा हूं। यह मन्त्री कोई भी आश्वासन दें, पर मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी विश्वसनीयता पूर्णतः खो चुकी है। हम किसी भी आश्वासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

प्रो० रूपचन्द्र पाल (हुगली) : मैं इस विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने का विरोध करता हूं।

आज सवेरे जब डाक का पेकेट देने मुझे एक व्यक्ति आया तो मैंने देरी का कारण पूछा। उसने कहा कि इसका कोई तकनीकी कारण हो सकता है। पेकेट देखने पर मैंने उसमें यह विधेयक पाया। तब मुझे समझ आया कि इस सम्बन्ध में इतनी जल्दी क्यों है ?

जापन में एक स्पष्टीकरण में यह बताया गया है "कि स्थिति में बिना कोई विलम्ब किए सुधार करने की आवश्यकता है।" क्या सरकार 24 घंटे इन्तजार नहीं कर सकती थी ? क्या विधेयक का अध्ययन करने के लिए 2 दिन का समय नहीं दिया जाना चाहिए था ?

श्री पी वी० नरसिंह राव : वह विधेयक इस समय हम नहीं ले रहे हैं। यह कार्य का आबंटन करने से सम्बन्धित है। इस सत्र में जब तक यह विधेयक पास नहीं किया जाता है तब तक और अधिक समय देने में मुझे कोई एतराज नहीं है।

प्रो० रूपचन्द पाल : आप सरकार का एक अंग है और आपके प्रतिनिधि कार्य-मंत्रणा समिति में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यदि यह विधेयक लाया गया है तो ऐसा करना उनके हाथ में नहीं है। (**व्यवधान**)

प्रो० रूपचन्द पाल : मैं मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए तर्क से संतुष्ट नहीं हूं और न ही सरकार ही अकेली राष्ट्र की सुरक्षा में दिलचस्पी रखती है, बल्कि विपक्ष भी उसकी सुरक्षा के सम्बन्ध में उतना ही आतुर है।

श्री पी० वी० नर सिंह राव : हम सबको आपस में सहमति से चलना चाहिए।

प्रो० रूपचन्द पाल : इस प्रकार के सभी उपायों का भूत काल में आपने दुरुपयोग किया है और आप फिर से इसका दुरुपयोग कार्मिक संघ आन्दोलन लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को दबाने के लिए करेंगे।

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : यह एक वस्तुपरक अनुमान है।

प्रो० रूपचन्द पाल : आप इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। कृपया विधेयक के इस भाग को देखें जिसमें कहा गया है कि :

> "(ङ) किसी बल, ब्यूरो अथवा संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में अथवा उसके सम्बन्ध में नियोजित व्यक्तियों" इसमें कहा गया है कि :—
>
> > "(ग) राज्य की या राज्य के भारसाधन या कब्जे में की सम्पत्ति के संरक्षण का भारसाधन करने वाले बलों के सदस्यों को।"

यह सम्पत्ति बिड़ला और टाटा की हो सकती है, जिसके लिए सरकार ने इन बलों को नियुक्त कर सकती है। मान लीजिए कि कर्मचारी अपनी मांगों के लिए हड़ताल पर हैं और सुरक्षा बल के कर्मचारी उन पर आक्रमण करने से मना कर देते हैं तो आप इस कानून को उस समय लागू कर सकते हैं। हां, मैं आपको बता रहा हूं, 1979 में···(**व्यवधान**)। 1979 में सेनाओं में कुछ आन्दोलन हुआ तथा उसके बाद कुछ आयोग समितियां गठित हुईं। आयोगों ने इन लोगों के अधिकारों का अध्ययन किया तथा सिफारिश की कि उन्हें यह सभी मौलिक अधिकार मिलने चाहिएं (**व्यवधान**)

क्या मन्त्री महोदय हमें आश्वासन दे सकते हैं कि इसका कभी उपयोग नहीं किया जायेगा ? क्या वे यह आश्वासन दे सकते हैं कि इसका हमारे देश में उपयोग नहीं किया जाएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप आश्वासन मांग सकते हैं, परन्तु इस स्तर पर नहीं। अच्छा हो···

प्रो० रूपचन्द पाल : उनकी जायज शिकायतें हैं। उनकी शिकायतों पर ध्यान देने तथा उन्हें दूर करने के स्थान पर आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं इस विधेयक की पुरास्थापना का विरोध कर रहा हूं। इसमें जल्दी की आवश्यकता नहीं है और सरकार जल्दी बरत रही है। (**व्यवधान**) आप इसका तात्पर्य समझने की चेष्टा करें। मैं समझता हूं साठे साहिब ने विधेयक को पढ़ा नहीं है।

श्री वसन्त साठे : यदि वे असंगत मामले उठाते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, यह संविधान के संशोधन करने वाले अन्य विधेयकों से भिन्न तरह का विधेयक है। आप जानते हैं कि संविधान देश का मूलभूत कानून है तथा मूलभूत कानूनों के परिवर्तन के लिए विभिन्न प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। किन्हीं मामलों में 2/3 बहुमत अपेक्षित होता है। परन्तु यह भी आवश्यक है कि जो सदस्य संशोधन के पक्ष में हैं अथवा संशोधन के विरुद्ध हैं, वे इसका अध्ययन करें क्योंकि यह साधारण कानून नहीं है। यह एक स्थाई व्यवस्था बनने जा रही है। आप किसी भी कानून को संसद के साधारण बहुमत द्वारा बदल सकते हैं। परन्तु संविधान के परिवर्तन के लिए विशेष प्रक्रिया अपेक्षित है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैंने अभी शुरू किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल के सदस्य श्री सुधीर गिरि, प्रो० रूपचन्द पाल तथा अन्यों ने यही बात कही है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप उत्तेजित क्यों होते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बेसब्र नहीं हूं। निश्चय ही सहयोग दूंगा···

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मुझे बताइए कि वही बात यदि आप ठीक से समझते हैं, क्या है। किस सदस्य ने यह बात बताई है कि संविधान के संशोधन की भिन्न प्रक्रिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी प्रस्थापना का स्तर है। आप बाद में विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप बाधा पैदा कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि बाधा पैदा न करें। मुझे बोलने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बाधा नहीं डाल रहा हूं। मैं हस्तक्षेप करूंगा तथा आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं बाधा नहीं डाल रहा हूं मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। सभापति होने के नाते क्या मैं आपका मार्गदर्शन न करूं। क्या मैं हस्तक्षेप करके आपका मार्गदर्शन न करूं। मैं केवल यह ही कह रहा हूं। इस समय आप वक्तव्य ही दे सकते हैं।

(**व्यवधान**) ×

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चक्रवर्ती जी से ही बात कर रहा हूं। इतने माननीय सदस्य क्यों खड़े हो.

× कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

रहे हैं, क्या वह अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते ? माननीय सदस्य जो कुछ कहेंगे उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (**व्यवधान**)

इन सब बातों को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इस सभा में उनके काम करने का ढंग बन गया है। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है। क्या मैं किसी सदस्य का पथप्रदर्शन नहीं कर सकता ? जैसा मन चाहे उठ कर बातें करने लग जाना ठीक नहीं है। कृपया करके आप सब बैठ जाएं। दूसरे सदस्यों को उठकर सदन में गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। यह समस्या का समाधान करने का तरीका नहीं है। सबको मालूम है कि कौन किसको तंग कर रहा है। मैं तो केवल माननीय सदस्य का पथप्रदर्शन करने के लिए बीच-बीच में बोल रहा था।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हस्तक्षेप करना अध्यक्षपीठ का कर्तव्य है किन्तु हस्तक्षेप सदस्य की सहायता करने के लिए किया जाना चाहिए। मैं अधिक समय नहीं लेता। मैं जब कभी किसी विषय पर बोलता हूं तो एकाग्रचित्त होकर बोलता हूं। मैं नहीं जानता आप कैसे बोलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियमानुसार बोलिए। यदि आप ऐसे नहीं बोलते तो मैं बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मेरा एक संवैधानिक प्रश्न है। आप बुद्धिमान हैं तथा आपको बुद्धिमता से काम लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आप मेरे से अधिक बुद्धिमान हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जी, नहीं। अध्यक्षपीठ अधिक बुद्धिमान होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरे से अधिक बुद्धिमान हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता। मैं आपसे सीखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो प्राध्यापक हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : संविधान के अन्तर्गत लोगों को कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें बहुत से अन्य अधिकार भी प्राप्त हैं। लेकिन कुछ अधिकारों को मूलभूत अधिकार समझा जाता है क्योंकि उन अधिकारों के बिना न तो लोकतन्त्र चल सकता है और न ही लोग काम कर सकते हैं। इसीलिए इन अधिकारों को संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया है ताकि कोई भी सरकार अपने विवेक से आसानी से उन्हें बदल न सके। आजकल सरकार क्या कर रही है ? वह इन मूल अधिकारों को संविधान के भाग तीन से निकालने का प्रयत्न कर रही है ताकि दूसरे साधारण संसदीय विधेयक की तरह साधारण बहुमत से उसे पारित किया जा सके ; मैं इस बात का विरोध करता हूं।

आप सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को ही ले लीजिए। उन्हें उनके अधिकार से क्यों वंचित किया

जा रहा है। मैं अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के पक्ष में हूं। माननीय मन्त्री कृपया बतायें कि अनुशासन और व्यवस्था से उनका क्या तात्पर्य है। क्या इससे उनका वही तात्पर्य है जो अंग्रेजों का था। मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि इससे कुछ वर्गों के लोगों को उन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है जो उन्हें संविधान के अन्तर्गत प्राप्त हैं।

मैं इसका कुछ अन्य कारणों से भी विरोध करता हूं। सरकार इन शक्तियों को अपने अधिकार में ले रही है किन्तु वह यह नहीं बता रही हैं कि इस आशय का विधेयक कल प्रस्तुत करेगी, वह किन अधिकारों को समाप्त करेगी तथा किन को कम करेगी। कुछ ऐसे वर्गों के लोगों को, जिनका कानून और व्यवस्था से सीधा सम्पर्क भी नहीं है ; उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। माननीय मन्त्री को उद्देश्यों और कारणों के कथन में बता देना चाहिए था कि सरकार किन अधिकारों को समाप्त करना चाहती है तथा किनको कम करना चाहती है। सरकार व्यापक शक्ति प्राप्त कर रही है तथा वह भविष्य में एक साधारण विधेयक में इन सब चीजों को लाकर उसे पारित कर लेगी। मैं इसीलिए इस स्थिति को खतरनाक समझ रहा हूं।

आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना है इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं तथा मेरा एक निवेदन यह है कि इन सभी संशोधनों और विधेयकों का कुछ चीजों से सम्बन्ध है। किसी भी चीज को करने के लिए कोई कारण होता है। इस कार्यवाही के लिए क्या कारण है। देश में क्या हुआ है ? पैरा-सैनिक बल बनाने तथा लोगों को उनके अधिकार से वंचित करने का क्या कारण है। क्या आपने कहीं आपात की घोषणा की है ? क्या देश में आपातकाल की स्थिति है ? आपातकाल में कुछ चीजें की जा सकती हैं। किन्तु आपात की घोषणा किए बिना सरकार ऐसे कदम उठा रही है जो देश में आपात की स्थिति में किए जाते हैं और वह भी ऐसी स्थिति में जब बाहर से कोई आक्रमण नहीं हुआ है।

यह विधेयक लोकतन्त्र, संविधान तथा देश के अन्य मूल कानूनों के विपरीत है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अपने नियमों को ध्यान में रखते हुए अपना भाषण दिया है। अब श्री ए० के० राय भाषण देंगे।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : जो कोई कानून बनता है उसकी वैधानिक क्षमता और उसके संवैधानिक औचित्य को हम पुरःस्थापन के समय चुनौती दे सकते हैं। लेकिन जब संविधान को ही चुनौती देनी हो तो हम क्या करें ?

हम किसी भी कानून के बारे में यह देख सकते हैं कि वह संविधान के अनुसार है या नहीं। किंतु जब हम संविधान के बारे में कुछ परखना चाहें तब फिर क्या किया जाए ?

इस विधेयक में सरकार संविधान की एक महत्वपूर्ण धारा का संशोधन करने जा रही है। इस धारा का संशोधन न तो संविधान (बयालिसवां संशोधन) विधेयक के तहत किया गया था जिनके अंतर्गत लगभग सभी धाराओं में संशोधन किए गए थे। इस धारा अर्थात् धारा 33 का अब तक संशोधन नहीं किया गया है। इस महत्वपूर्ण धारा का इतनी जल्दी संशोधन किया जा रहा है।

इस संशोधन विधेयक को कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसमें

न केवल सभी पैरा-सैनिक बलों को बल्कि सी० आई० एस० एफ० तथा अन्य सभी बलों को शामिल करने की क्या आवश्यकता थी। इससे लोगों में यह भय उत्पन्न हो जाएगा जैसेकि हमारा अपने सशस्त्र बलों पर विश्वास उठ गया है।

आप राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करके विरोधी दलों को पहले ही नाराज कर चुके हैं। आपने आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के अधिनियम से पूरे श्रमजीवी वर्ग को नाराज किया है। अब सबसे बड़ी भूल आप यह करने जा रहे हैं कि आप सशस्त्र बलों पर शुभा व्यक्त करने जा रहे हैं जैसेकि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता और इसलिए उनके अधिकारों को कम किया जा रहा है। इससे न केवल संविधान की भावना को ठेस पहुंचेगी बल्कि सम्पूर्ण देश को। आपका सब प्रकार के सशस्त्र बलों पर विश्वास क्यों उठ गया है? चौबीस घंटों के भीतर आपके मन में यह शुभा कैसे उत्पन्न हो गयी? कृपया आप बताएं। यदि आप इस बात को स्पष्ट नहीं कर देते तो इस विधेयक का बहुत बुरा असर पड़ेगा और खासकर इसलिए क्योंकि आजकल की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में जिसमें तनाव ही तनाव है इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा।

इस विधेयक को लाना संविधान के सभी सिद्धान्तों के विपरीत हैं जिनमें यह व्यवस्था है कि ऐसा विधेयक निश्चित समय में अच्छी तरह से चर्चा हो जाने के बाद शान्तिपूर्वक पास किया जाना चाहिए।

माननीय मन्त्री को अपने उत्तर में इन सभी शंकाओं का निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी-अभी हमें एक पत्र मिला है जिसमें श्री पी० वी० नरसिंह राव के नाम से सरकारी संशोधन परिचालित किया गया है। इस संशोधन के अनुसार पृष्ठ 1 की पंक्ति में 51 के स्थान पर 50 प्रतिस्थापित किया जाना है। कार्य सूची में पहले ही···

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न है?

श्रीमती गीता मुखर्जी : कार्य-सूची में एक विधेयक संविधान (पचासवां संशोधन) विधेयक है और दूसरा विधेयक जो उसमें शामिल किया गया है वह संविधान (इकानवां संशोधन) विधेयक है। इकानवें संशोधन वाले मूल विधेयक के बारे क्या हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह उस विधेयक के बारे में नहीं है जिसका अब आप उल्लेख कर रही हैं। आप यह प्रश्न उस समय उठा सकेंगी जब उस विधेयक को लिया जाएगा। यह प्रश्न भिन्न है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह एक गम्भीर व्यवस्था का प्रश्न है जो मैं उठा रही हूं। इकानवें संशोधन वाले मूल विधेयक का क्या हुआ? क्या मुझे इतने अधिक संविधान विधेयकों का समर्थन करना होगा। इकानवें संशोधन वाले मूल विधेयक का क्या हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय : जब इस मद को लिया जायेगा तब आप यह प्रश्न उठा सकेंगी। उसका इस विधेयक के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, मैं बोलना चाहता हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : सूची में आपका नाम नहीं है। मन्त्री अब उत्तर देंगे।

श्री अमल दत्त : मुझे बोलने की अनुमति दी जाये। मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उसे अनुमति नहीं दी है। उनका नाम सूची में नहीं है। मन्त्री अब उत्तर देंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। यदि माननीय सदस्यों का यही व्यवहार रहा, तो कार्य संचालन नहीं हो सकेगा। वे कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। वे कार्यवाही में बाधा डालना चाहते हैं। मुझे खेद है। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। मन्त्री महोदय उत्तर दे सकते हैं। जो कुछ वे कह रहे हैं, उसे कार्यवाही-वृत्तांत में शमिल नहीं किया जा रहा है। यदि कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वे कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। उन्हें अध्यक्षपीठ के आदेश का अवश्य पालन करना चाहिए। मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं। उन्हें बोलने दीजिए। इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। मैं उनकी कार्य-विधि जानता हूं। मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं। मन्त्री महोदय, आप उत्तर दे सकते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मेरी कठिनाई यह है जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं उसे भी कार्य-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि इसे सुना नहीं जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ यह हुआ कि वे आपका उत्तर नहीं चाहते हैं। जो कुछ भी वे कह रहे हैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। मार्क्सवादी दल के चार सदस्य अर्थात् श्री सुनील मैत्रा, श्री सुधीर गिरि, प्रो० रूपचन्द पाल और श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। अब वह कह रहे हैं कि उन्हें भी बोलने दिया जाए। मुझे खेद है। यह कोई तरीका नहीं है। श्री समर गुह इस पर ध्यान दें। जो कुछ वे कहते है, उसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न किया जाये। यदि माननीय सदस्य इस बुनियादी सबक से अनभिज्ञ हैं कि उन्हें अध्यक्षपीठ के आदेश को मानना चाहिए, तो हम कार्य नहीं कर सकते। हम कार्यवाही का संचालन नहीं कर सकते हैं। मुझे खेद है।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। मैं अनुमति नहीं दे सकता। यहां आठ नाम हैं। उन सभी आठों सदस्यों को बोलने दिया गया है। श्री ए० के० राय बोलना चाहते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने पत्र

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं देखा है या ऐसा ही कुछ कहा है। श्री इन्द्रजीत गुप्त बीच में बोले और मैंने कहा, ठीक है। आपको यह प्रश्न तब उठाना चाहिए था।...(**व्यवधान**) मैं प्रक्रिया जानता हूं। मैंने उसे अनुमति दे दी।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इस चरण पर मैं विधेयक के किसी विस्तृत पहलू के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। इन पहलुओं पर विधेयक पर विचार करते समय विचार किया जा सकेगा।

केवल एक आपत्ति है जिसका मेरे विचार में अभी समाधान किया जाना चाहिए...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्त, मैं आपको चेतावनी देता हूं। मैं आपको नाम लेकर पुकार सकता हूं। मैं यह नहीं करना चाहता हूं। आप कृपया बैठ जायें। आप कार्यवाही को नहीं रोक सकते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जैसाकि मैंने कहा है। एक आपत्ति है जिसका समाधान अभी हो जाना चाहिए। और वह यह है कि कुछ विधेयक लाये जा रहे हैं जिनके फलस्वरूप कुछ शक्तियां और अधिकार छीन लिए जायेंगे। क्या इसके विकल्प में कुछ किया जा सकता है जिससे ये शिकायतें दूर हो जायें? मेरे विचार में यह एक उचित आपत्ति है। मैंने इसका समाधान कर दिया है। हम मूल पहलुओं पर बाद में विचार कर सकेंगे। इस चरण पर मैं और किसी पहलू पर विचार नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में 157 — 60

मत--विभाजन संख्या : 7

अहमद, बेगम आबिदा

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अजीत प्रताप सिंह

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद

अप्पालानायडू; श्री एस० आर० ए० एस०

भगत, श्री बी० आर०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भीखाभाई, श्री

भोई, डा० कृपासिन्धु

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह, राव

विष्णु प्रशाद, श्री

ब्रार, श्रीमती गुरविन्दर कौर

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चिंगवांग कोनयक, श्री

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौहान, श्री फतेहमान सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलवीर सिंह, श्री

दास, श्री अनादि चरण

डेनिस, श्री एन०

देसाई, श्री बी० वी०

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

दुबे, श्री रामनाथ

एक्का, श्री क्रिस्टोफर

ईरा अनाबारासु, श्री

गाडगिल, श्री बी० एन०

गायकवाड़, श्री आर० पी०

गैहलोत, श्री अशोक

घारपाड़े, श्री आर० वाई

गिरिराज सिंह

गोगोइ, श्री तरुण

ग्रमांगों, श्री गिरिधर

गौंडर, श्री ए० सेनापति

गौजगिन, श्री, एन०

गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते

जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री वृद्धि चन्द

जमीलुर्रहमान, श्री

जेना, श्री चिन्तामणि

जिलेन्द्र प्रसाद, श्री

काहनडोल, श्री जैड एम०

कैलाशपति, श्रीमती

कमल नाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कौशल, श्री जगन्नाथ

केन, श्री लाला राम

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री जुल्फिकार अली

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कोसलराम, श्री के० टी०

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुन्हम्बु, श्री के०

कुरियन, प्रो० पी० जे०

लकप्पा, श्री के०

लास्कर, श्री निहार रंजन

माधुरी सिंह, श्रीमती

महावीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री वाई० एस०

महाला, श्री आर० पी०

मकवाना, श्री नरसिंह

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

मणि, श्री के० वी० एस०

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त

मिश्र, श्री नित्यानन्द

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मुत्तेमवार, श्री विलास

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नायक, श्री मृत्युंजय

निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०

नुरूल इस्लाम, श्री

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

परमार, श्री हीरालाल आर०

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री उत्तमभाई एच०

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्री शंकरराव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी०

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रभु, श्री आर०

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

कादरी, श्री एस० टी०

रामुलु, श्री एच० जी०

रणवीर सिंह, श्री

रणजीत सिंह, श्री

राव, श्री जलगाम कोन्डाला

राव, श्री एम० नागेश्वर

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

राउत, श्री भोला

रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल

रेड्डी, श्री टी० दामोदर

रौत, श्री जय नारायण

रोयूआमा, डा० आर०

साहू, श्री नारायण

साहू, श्री शिव प्रसाद

समीनुद्दीन, श्री

सारण, श्री दौलत राम

साठै, श्री वसन्त

सत्यदेव सिंह, प्रो०.

सिन्धिया, श्री माधव राव

सेठी, श्री अर्जुन

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शक्यवार, श्री नाथूराम

शंकरानन्द, श्री बी०

शनमुगम, श्री पी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शिगडा, श्री डी० बी०

शिव शंकर, श्री पी०

शुक्ल, श्री विद्या चरण

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंह, श्री सी० पी० एन०

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सिंह, देव, श्री के० पी०

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

तेइयेंग, श्री सोबेंग

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाउसाहिब

थुंगोन, श्री पी० के०

त्रिपाठी, श्री कमलापति

वैराले, श्री मधुसूदन

वर्मा, श्री दीन बन्धु

वर्मा, श्रीमती ऊषा

विजयराघवन, श्री वी० एस०

व्यास, श्री गिरधारी लाल

वाघ, डा० प्रताप

यादव, श्री डी० पी०

यादव, श्री राम सिंह

जैनल बशर; श्री

विपक्ष में

मत-विभाजन संख्या 7

अग्रवाल, श्री सतीश

बालन, श्री ए० के०

बनारसी दास, श्री

बर्मन, श्री फ्लाश

बसु, श्री चित्त

भीम सिंह, श्री

भूपति, श्री जी०

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चौधरी, श्री त्रिदिब

छांगुर राम, श्री

चौबे, श्री नारायण

दण्डवते, प्रो॰ मधु

दण्डवते, श्रीमती प्रमिला

दत्त, श्री अमल

दिगम्बर सिंह, श्री

ईरा मोहन, श्री

घोष, श्री नीरेन

घोष, गोस्वामी, श्रीमती बिभा

गिरि, श्री सुधीर

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

हन्नान मोल्लाह, श्री

हरिकेश बहादुर, श्री

हसदा, श्री मतिलाल

कैलाशपति, श्रीमती

कलानिधि, डा॰ ए॰

लारेंस, श्री एम॰ एम॰

महाटा, श्री चित्त

मण्डल, श्री सनत कुमार

मेहता, प्रो॰ अनित कुमार

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुखर्जी, श्री समर

नागरत्नम, श्री टी०

नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री

पाल, प्रो० रूप चन्द

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

परूलेकर, श्री बापूसाहिब

पासवान, श्री राम विलास

पाटिल, श्री जगन्नाथ

प्रेमी, श्री मंगल राम

राही, श्री रामलाल

राजन, श्री के० ए०

राजेश कुमार सिंह, श्री

राय, श्री ए० के०

राय, डा० सरदीश

राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री गदाधर

सतियेन्द्रन, श्री एम० एस० के०

सेन, श्री सुबोध

शाक्य, श्री दयाराम

शमन्ना, श्री टी० आर०

शास्त्री, श्री रामावतार

शेजवलकर, श्री एन० के०

सिन्हा, श्री निर्मल

तिरकी, श्री पीयूष

वर्मा, श्री रवीन्द्र

वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह

यादव, श्री चन्द्रजीत

यादव, श्री छोटे सिंह

यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री विजय कुमार

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम यह है।

पक्ष में : 157

विपक्ष में : 60

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अनुमति दी जाती है। अब मंत्री जी विधेयक को पुर:स्थापित कर सकते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : श्रीमान्, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद लेते हैं।

1.43 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) नेशनल रेयन कम्पनी, महाराष्ट्र में तालाबन्दी

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले। श्री जे० एस० पाटिल।

श्री जगन्नाथ पाटिल** (ठाणे) : मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व का निम्नलिखित मामला उठाना चाहूंगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कल्याण के निकट नेशनल रेयान कम्पनी में गत आठ मास से तालाबन्दी

**मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

के कारण एक गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। यह देश में संश्लिष्ट कपड़ा तैयार करने वाला एक प्रमुख कारखाना है। इतने दीर्घ काल से तालाबन्दी के कारण सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। सरकार को करों के रूप में राजस्व का काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि यह कारखाना गत कई मास से बन्द पड़ा हुआ है।

इस कम्पनी के अनेक कर्मचारी कोई दूसरा रोजगार भी नहीं पा सके हैं। उनमें से कुछ कर्मचारी मोटर-रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं। किन्तु चूंकि नगर में 2,000 मोटर-रिक्शा पहले ही चल रहे है, इसलिए उन्हें नये लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं। इस कारखाने के कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर बेरोजगार हो जाने से इस क्षेत्र का आर्थिक संतुलन बिगड़ गया।

अतः मैं उद्योग मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस कारखाने को यथासम्भव शीघ्र चालू करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करें जिससे इस कारखाने के बेरोजगार कर्मचारियों को राहत मिल सके।

(बो) बारक घाटी तथा ब्रह्मपुत्र-घाटी में आई बाढ़ों से हुई हानि का अनुमान लगाने के लिए एक केन्द्रीय दल वहां भेजने की आवश्यकता

श्री विष्णु प्रसाद (कालियेबोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले बारक घाटी में तथा बाद में ब्रह्मपुत्र-घाटी में आई बाढ़ों तथा इनसे डिब्रूगढ़, लखीमपुर, शिवसागर, जोरहाट, करूप, बारपेटा, नवगांव धुबरी और गोलापारा जैसे अधिकांश जिलों में हुई भारी हानि तथा लोगों की दयनीय अवस्था की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

समाचारपत्रों में छपा है कि लगभग 600 गांव नष्ट हो गए हैं और हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। प्रकार इस प्रकार इस बाढ़ का कई लाख लोगों पर प्रभाव पड़ा है। गोलपारा जिला के मनकचार उपखण्ड तथा नवगांव जिला के मोरीगांव उपखण्ड के क्षेत्रों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है जहां बहुत-से गांव बाढ़ से बुरी तरह से पीड़ित हैं।

असम में बाढ़ से खड़ी फसल, जब और सम्पत्ति की बहुत अधिक हानि हुई हैं। अनेक ढोर भी मारे गए हैं। बांध टूटने से कई स्थानों पर सड़कों के हिस्से समाप्त हो गए हैं जिससे संचार माध्यम अस्त व्यस्त हो गए हैं और पूर्वोत्तर सीमान्त रेल सेवायें ठप हो गई हैं।

ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि प्रभावित लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्हें तुरन्त राहत दी जाये।

बाढ़-पीड़ित लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी तथा बारक घाटी के बाढ़ से हुई हानि का पता लगाने के लिए असम में एक केन्द्रीय अध्ययन दल भेजा जाना चाहिए क्योंकि असम सरकार केवल अपने सीमित साधनों से इस चुनौती का मुकाबला नहीं कर सकेगी।

(तीन) उन आयकर वकीलों को जो, चार्टर्ड एकाउंटेंट नहीं है, लेखापरीक्षा करने की अनुमति न दिए जाने के सरकारी निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : वित्त विधेयक, 1984 में यह व्यवस्था है कि कुल आय

की सांविधिक विवरणियां प्रस्तुत करने से पूर्व उनकी लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। यह एक सुविदित तथ्य है कि अधिकतर चार्टर्ड एकाउन्टेंट या तो सरकारी सेवा में हैं या गैर-सरकारी सेवा में हैं। इस प्रकार ऐसे चार्टर्ड एकाउन्टेंट पर्याप्त संख्या में मिलना बहुत ही कठिन हैं जिनका अपना अलग व्यवसाय हो। आजकल जो आय-कर व्यवसायी हैं उन्होंने वाणिज्य या विधि विषयों से शिक्षा प्राप्त कर रखी है और वे देश में बहुत बड़ी संख्या में हैं। उपरोक्त व्यवस्था करने से उन सभी का व्यवसाय बन्द हो जाएगा और अपनी आजीविका कमाने के लिए उनके सामने समस्या पैदा हो जायेगी। इस प्रकार हजारों शिक्षित युवा स्नातकों और उनके परिवारों के सामने जीविका के साधन का अभाव हो जायेगा। प्रधानमन्त्री के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अनुसार तो हमें शिक्षित युवकों को और अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए, जबकि वित्त अधिनियम, 1984 के उपबन्धों के अनुसार और अधिक शिक्षित युवक बेरोजगार हो जायेंगे। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करे और आजकल जो लोग आयकर व्यवसाय अपनाये हुए हैं और जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट नहीं हैं उन्हें यह व्यवसाय करते रहने दें।

(चार) लोअर दामोदर जल-निकासी योजना को शीघ्र मंजूरी देने की आवश्यकता

श्री हन्नान मौल्लाह (उलुबेरिया) : बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में सम्पूर्ण दामोदर घाटी के विकास की दृष्टि से दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में की गई थी और विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण के अतिरिक्त बाढ़ नियन्त्रण तथा सिंचाई के लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया था। परन्तु 36 वर्ष बीत जाने पर भी दामोदर घाटी निगम उन मूल प्रयोजनों को पूरा करने में असमर्थ रहा है जिनके लिए उसकी स्थापना की गई थी।

अपेक्षित भूमि का अर्जन कार्यक्रम पूरा न होने और आवश्यक केन्द्रीय सहायता न मिलने के कारण दामोदर घाटी निगम का विकास कार्यक्रम अधूरा रहा है और बाढ़ नियन्त्रण की इस समय उपलब्ध सुविधायें बहुत ही सीमित हैं।

इसके पहले चरण के अन्तर्गत चार बहुप्रयोजनीय बांध बनाये गये थे लेकिन इसके अगले चरण में चार और बांध बनाने के कार्य में बहुत ही थोड़ी प्रगति हुई है।

'लोवर दामोदर ड्रेनेज स्कीम' पहले ही तैयार कर ली गई है उसे गंगा बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड के पास भेज दिया गया है। सम्पूर्ण दामोदर घाटी निगम विकास कार्यक्रम की गंभीर रूप से समीक्षा करने के साथ-साथ इस लोवर दामोदर ड्रेनिज स्कीम को योजना आयोग द्वारा शीघ्र ही स्वीकृति दी जानी चाहिये ताकि पश्चिमी बंगाल के हावड़ा, हुगली और मिदनापुर जिलों के लाखों लोगों की फसलों, जान और माल की रक्षा की जा सके।

अत: केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि वह इस मामले पर ध्यान दें और लोवर दामोदर ड्रेनेज स्कीम को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करके उसके लिये आवश्यक सहायता भी प्रदान करें।

(पांच) उत्तर बिहार को बिजली देने हेतु चुक्का परियोजना का शेष कार्य पूरा करने की आवश्यकता

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : मान्यवर, पूर्णिया जिला सीमावर्ती एवं औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला है। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ दिन पहले केन्द्र द्वारा नेशनल हाइड्रो पावर इलै-

विट्रकल्स कारपोरेशन भूटान सरकार से विद्युत गृह की स्थापना का कार्य शुरू किया गया। इस चुक्का प्रोजेक्ट से 60 मेगावाट बिजली प्राप्त होने वाली है। एन० एच० पी० ई० सी० ने जिला में अपना कार्य पूरा कर लिया है जो अपने समय से ही पूरा हो गया है। बाकी कार्य केन्द्र सरकार से होता है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसको पूरा करने के आदेश प्रदान करें जिससे पूरे उत्तर बिहार को बिजली की पूरी सुविधा मिल सके और इससे बहुत तरह की समस्यायं हल हो सकें।

(छ) **स्वरोजगार योजना को सतत् आधार पर कार्यान्वित करने की आवश्यकता**

श्री माधवराव सिन्धिया (गुना) : महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मामला उठाने से पूर्व मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि सुझाव मैंने पहले भी दिया था, कि शून्य काल के एकदम पश्चात नियम 377 के अन्तर्गत मामलों को लिया जाये। अन्यथा हमें 2 से 2-1/2 घंटे तक इन्तजार करनी पड़ती है। विधेयक पुर:स्थापित करते समय सदस्य नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करते हैं और वे निर्धारित समय से अधिक समय ले लेते हैं। नियम 377 के अन्तर्गत मामलों को उठाते समय सदस्य मूल पाठ से इधर-उधर नहीं जा सकते और इसलिए इसमें अधिक समय नहीं लगता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह नियम समिति द्वारा ही किया जा सकता है।

श्री माधवराव सिन्धिया : कृपा करके आप इसे नियम समिति के सामने लायें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा करूंगा।

श्री माधवराव सिन्धिया : प्रधानमन्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने गत वर्ष स्वतन्त्रता दिवस को दिए अपने भाषण में यह घोषणा की थी कि ऐसी योजना शुरू की जाएगी जिसके अन्तर्गत एक वर्ष में कम से कम 2.5 लाख बेरोजगार शिक्षित युवकों को अपना निजी रोजगार प्रारम्भ करने के अवसर प्रदान किये जायेंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इस योजना के अन्तर्गत 360 करोड़ रुपए की राशि का वितरण करके सराहनीय कार्य किया है और ढाई लाख लोगों को लाभ पहुंचाकर लक्ष्य पूरा कर लिया है।

किन्तु कुछ बैंकों ने निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लेने पर इस योजना के अन्तर्गत ऋण देना बन्द कर दिया है और इस प्रकार से इस योजना की क्रियान्वित को रोक दिया है। साथ ही यह भी देखा गया है कि जितने ऋण बांटे गए हैं उनमें से अधिकांश का लाभ शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिला है।

यह योजना मूल रूप से निजी रोजगार के लिए ऋण देकर गरीब लोगों की स्थिति सुधारने के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक पुनर्वास के लिए धन देने हेतु शुरू की गई थी और इस योजना को सतत आधार पर लागू किया जाना चाहिए। सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिये जिससे यह योजना अपने मूल लक्ष्यों को पूरा कर सके :

1. बैंकों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने के तथा दिए जाने वाले कुल ऋण राशि में कम से कम 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दिए जाने के आदेश दिए जाने चाहियें।

2. इस योजना की लगातार जांच और समीक्षा की जाये ताकि पहले निर्धारित किए गए लक्ष्यों के पूरा होने के पश्चात नए लक्ष्य निर्धारित किए जा सकें।

(सात) कन्नौज (उत्तर प्रदेश) में इत्र तथा अगरबत्ती उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु कदम उठाना

श्री छोटे सिंह यादव (कन्नौज) : मान्यवर, उत्तर प्रदेश का नगर कन्नौज सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि सारे संसार में इत्र और अगरबत्ती बनाने के लिए प्रसिद्ध रहा है। विश्व के मार्किट में कन्नौज के इत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान भी रहा है। भारत सरकार को भारी मात्रा में व्यवसाय करने वाले लोग विदेशी मुद्रा कमा कर देते थे। वहां के लोग अपने घरों पर इत्र और अगरबत्ती बनाने के लिए छोटे-छोटे कारखाने लगाये थे और यह कुटीर उद्योग के रूप में चलता था। अधिकांश लोग इत्र बनाने वाली फसलों की खेती भी करते थे। उदाहरण के तौर पर मेहंदी, वेला, गुलाब, चमेली, खस आदि की, और इस खेती से अच्छी आय कमाते थे।

पिछले कुछ वर्षों से कन्नौज का यह व्यवसाय नष्ट हो रहा है, क्योंकि सरकार ने कभी इसकी विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। बिक्री कर, आयकर और उद्योग विभाग की अड़चनों के कारण यह व्यवसाय लगभग समाप्त हो रहा है। इत्र के फसलों की खेती करने वाले किसान पूरे तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। इस व्यवसाय में लगे सैकड़ों कारीगर बेरोजगार हो गए और भारत सरकार को मिलने वाली विदेशी मुद्रा में ह्रास हुआ।

अत: मैं इस उल्लेख के द्वारा भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि कन्नौज के इत्र और अगरबत्ती उद्योग को फिर से बढ़ाने की जरूरत है। इस व्यवसाय पर लगे आयकर और बिक्रीकर को समाप्त करना चाहिए। इत्र और अगरबत्ती की खेती करने वाले किसानों को अनुदान मिलना चाहिए और सिंचाई की सुविधा मिलनी चाहिए। उद्योग विभाग को इस व्यवसाय में लगे कारीगरों को तकनीकी सहायता करनी चाहिए ताकि व्यवसाय बढ़ सके, हजारों लोगों को रोजगार मिले और भारत सरकार को मिलने वाली विदेशी मुद्रा में वृद्धि हो।

(आठ) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए आरक्षित स्थानों का उनको आबंटन सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों की बात तो खूब की जाती है, लेकिन वास्तविकता उसके विपरीत है। जब दिल्ली में इन समुदायों के छात्रों को न्याय नहीं मिल रहा है तो देश के अन्य भागों में क्या न्याय मिलेगा? नियमानुसार शिक्षण संस्थाओं में नामांकन के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिए 22.5 प्रतिशत सीट आरक्षित हैं, लेकिन योग्य छात्र उपलब्ध होने पर भी उनका नामांकन नहीं किया जाता।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय जो एक आदर्श विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया, इस वर्ष एम०फिल० एवं पी०एच०डी०में नामांकन हेतु सोशल साइन्स में पद सुरक्षित थे। 100 से अधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र साक्षात्कार में सम्मिलित हुए, लेकिन सिर्फ 29 छात्रों को दाखिला दिया गया। लैंग्वेज में 17 सुरक्षित स्थानों पर सिर्फ 3 छात्रों का नामांकन किया गया जबकि 50 से अधिक छात्र योग्य थे। इण्टरनेशनल स्टडीज में 37 सुरक्षित स्थानों पर 23 छात्रों का नामांकन किया गया। लाइफ साइन्स में 6 स्थान सुरक्षित थे, सिर्फ दो का नामांकन किया गया।

यही हालत एम०ए०, एम०एस०सी० के नामांकन में है।

दिल्ली विश्वविद्यालय एवं पटना विश्वविद्यालय की स्थिति इससे भी बदतर है। नामांकन के अलावा कम छात्रवृत्ति मिलना, सभी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलना, छात्रावास में जगह नहीं मिलना, जातिगत आधार पर भेदभाव करना आदि अलग समस्याएं हैं।

अत: सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करे।

(नौ) रेल डाक सेवा पत्र-विलगन सैक्शनों को पुन: चालू करने तथा डाक तार विभाग के विभागेतर कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की आवश्यकता

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : मितव्ययिता और विमान द्वारा शीघ्र डाक वितरण को आधार बनाकर 265 रेल डाक सेवा छंटाई सेक्शनों में से दो सौ पहले ही बन्द किये जा चुके हैं। वास्तव में ऐसा करने से न तो खर्च में बचत हुई है और न ही डाक वितरण में तेजी आई हैं। इसके विपरीत इससे डाक के वितरण में असाधारण विलम्ब होता है और कर्मचारियों को रिजर्व में रखने से अनावश्यक खर्च भी होता है क्योंकि ऐसे कर्मचारियों से पर्याप्त काम नहीं लिया जाता है। इससे भविष्य में रोजगार के अवसर भी सीमित हो गए हैं। साथ ही विभागेतर कर्मचारियों के सामने काम का अभाव हो गया है। ये लोग न तो यहां कमा सकते हैं और न कहीं अन्यत्र नौकरी कर सकते हैं। हमारा देश बहुत विशाल है और इसमें कई गांव तो ऐसे हैं जहां बसें भी नहीं जाती हैं। इसलिए डाक और तार विभाग से यह आशा करना उचित नहीं है कि वह डाक वितरण करने के लिए विमान सेवा का उपयोग करे। हमारे देश में डाक वितरण की जो व्यवस्था है उसकी तुलना अमरीका जैसे देश में स्थित डाक वितरण व्यवस्था से नहीं करनी चाहिए। हमारे यहां तो लोगों द्वारा भेजी गई डाक को रेलवे डाक सेवा छंटाई सेक्शनों के माध्यम से ही एक या दो दिन में उसके गन्तव्य स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है। आजकल डाक वितरण में चार या पांच दिन लगते हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन रेल डाक सेवा छंटाई सेक्शनों को पुन: चालू करे और डाक के शीघ्र वितरण करने के लिए रास्ता साफ करे। डाक-तार के विभागेतर कर्मचारियों का वेतन कम-से-कम 275 रुपये प्रतिमास होना चाहिए तथा उनकी सेवा नियमित कर दी जानी चाहिए। आज तो एक साधारण मजदूर भी 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी लेता है जबकि इन विभागेतर कर्मचारियों को प्रत्येक दिन काम करने के लिए इससे कहीं कम मिलता है। एक आदर्श नियोक्ता के नाते सरकार को इन बातों को ठीक करना चाहिए और देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए पहल करनी चाहिए।

2.00 म० प०

संविधान (47वां संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधायी कार्य अर्थात संविधान (47वां संशोधन) विधेयक लेंगे। श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, क्या आप बोलना चाहेंगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

मैं प्रस्ताव करती हूं कि संविधान (47वां संशोधन) विधेयक, 1982, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के संशोधन का प्रस्ताव है, पर विचार किया जाये।

संविधान (इक्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 से पूर्व नागालैंड के जन-जातीय क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत में अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण थे। मेघालय तथा मिजोरम उस समय अविभाजित असम के अंग थे जिसमें राज्य विधान सभा तथा लोक सभा के लिए आरक्षण थे। अरुणाचल प्रदेश में कोई विधान सभा नहीं थी। तो भी उनके लिए लोक सभा में आरक्षण थे। 1973 से इन राज्यों में तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए न तो लोक सभा के लिए न ही विधान सभा के लिए कोई आरक्षण हैं।

मेघालय विधान सभा ने 13-8-1980 को संकल्प पारित करके अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा और विधान सभा में वैसे ही आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया जैसे कि (इक्कीतसवां संशोधन) अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 330 और 332 के संशोधन से पूर्व किया जाता था। इसलिए मेघालय की सरकार ने संविधान के संशोधन का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव को नागालैंड, अरुणाचल और मिजोरम सरकारों का समर्थन प्राप्त है। विधेयक द्वारा तथा इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जनजातियां जनसंख्या की आकांक्षाओं के पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया है। इस विधेयक द्वारा मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए लोक सभा में/विधान सभा में अनुच्छेद 330 और 332 के अन्तर्गत आरक्षणों की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 330 के प्रस्तावित संशोधन वर्तमान लोक सभा के भंग होने तक तथा नागालैंड और मेघालय की विधान सभा की वर्तमान सभाओं के भंग होने पर ही, प्रभावी होगा। जहां तक अरुणाचल और मिजोरम के संघ राज्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 में तत्सम्बन्धी संशोधन किए जाने पड़ेंगे ताकि अरुणाचल और मिजोरम में स्थानों का आरक्षण किया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करती हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

2.04 म० प० **(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)**

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, स्टेट असेम्बली और लोक सभा में जनजातियों के लिए सीटों के रिजर्वेशन का प्रावधान करने के लिए यह जो बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन मुझे इस बारे में कुछ शंका हैं। नागालैंड में अधिकांश ट्राइब्ज रहते हैं। जब वहां पर ट्राइब्ज के लोग रहते हैं और उन्हीं के द्वारा सरकार संचालित हो रही है, तो फिर उनके लिए रिजर्वेशन की क्या आवश्यकता पड़ गई है? यह रिजर्वेशन किन-किन लोगों के लिए किया जा रहा है? जिन ट्राइब्ज ने क्रिश्चियन रिलिजन एडाप्ट कर लिया है, क्या वे भी इसमें शामिल होंगे या नहीं? इन बातों को साफ नहीं किया गया है, जिससे पता चले कि सरकार की क्या मंशा है। अरुणाचल प्रदेश में भी ट्राइब्ज रहते हैं। मुझे वहां जाने का मौका मिला है। मैंने देखा है कि वहां के लोग आदिवासी हैं, जो दो-तीन ट्राइब्ज में विभाजित हैं। उन ट्राइब्ज में जो माइनारिटी में हैं, क्या उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है या नहीं? ट्राइब की परिभाषा बहुत व्यापक है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार किन लोगों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह संशोधन लाई है। और इस संशोधन का प्रभाव क्या उन लोगों पर भी पड़ेगा? क्योंकि ट्राबब्स के लोगों में धर्म का एक बड़ा प्रश्न है। अपनी-अपनी उनकी

परम्पराएं और अपने-अपने तरीके हैं। तो क्या ऐसे लोगों को भी रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा जिन्होंने किसी धर्म को एडाप्ट कर लिया है, क्रिश्चियनिटी या और किसी धर्म को जिन्होंने एडाप्ट कर लिया है उनको भी इसका लाभ मिलेगा या केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने एडाप्ट नहीं किया है? यह सब बात साफ होनी चाहिए। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं अगर सही माने में यह जनजातियों के हित में है। अगर इससे और जटिल समस्याएं पैदा हो रही हों तो इसका प्रभाव सही नहीं पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इात समाप्त करूंगा।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन तो करता हूं लेकिन पहले मुझे इतने फैक्ट्स बतलाने की कृपा करें कि नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल एवं मेघालय, इनमें कितने-कितने आदिवासी लोग हैं? एक-एक क्षेत्र में कितने-कितने आदिवासी लोगों की संख्या है और कितनी दूसरे लोगों की संख्या है? क्यों यह कानून बन रहा है? इसकी जरूरत कैसे पैदा हुई? केवल आप यह चाहते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग आएं, लेकिन वहां पर तो बहुमत ही शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का है, तो यह बिल लाने की जरूरत कैसे पैदा हुई? यह कांस्टीच्यूशन अमेंडमेंट बिल जो आप ला रहे हैं इस को लाने का आपका आधार क्या है क्योंकि मिजोरम के अन्दर तो मेरे ख्याल से सारे लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के आते हैं, अरुणाचल में सारे लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के आते हैं। जब आप चाहते हैं कि इनकी रक्षा हो, ये जो जनजातियां हैं ये ऊपर आएं और अपना रेप्रेजेंटेशन दें तो यह बताइए कि कुल कितनी सीटें वहां से असेम्बली और पार्लियामेंट में आती हैं और पार्लियामेंट में जो सीटें आती हैं उनमें कितनी सीटें उनके लिए रहेंगी और कितनी दूसरों के लिए रहेंगी? आप आखिर क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट में शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग आएं तो वहां पर जब उनका बहुमत है तो यह बताइए कि कितनी सीटें आती हैं अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम से और उनमें से कितनी सीटों पर शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को रखना चाहते हैं। यह जानने के लिए मैं इच्छुक हूं। इसके बाद मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : सभापति महोदय, श्रीमान, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा उसका स्वागत करता हूं। फिर भी मैं अपने मित्र श्री मूलचन्द डागा की इस बात से सहमत हूं कि कारणों और उद्देश्यों सम्बन्धी कथन में कुछ और जानकारी दी जानी चाहिए थी, जो कि मुझे उम्मीद है कि मन्त्री महोदय अपने उत्तर के समय दे देंगे।

विधेयक का समर्थन करते समय मैं मन्त्री महोदय को एक बात बताना चाहता हूं कि इससे एक असंगति पैदा होती है तथा इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। मैं नहीं जानता कि मन्त्री महोदय के पास संविधान की प्रति है या नहीं। यदि उनके पास उसकी प्रति है तो मैं उनका ध्यान अनुच्छेद 330 (1) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका उन्होंने पहले ही उल्लेख किया है। अनुच्छेद 330 (1) में कहा गया है :—

> 330 (1) लोक सभा में—
>
> (क) अनुसूचित जातियों के लिए ;
>
> (ख) असम के आदिम जाति क्षेत्र में के अनुसूचित आदिम जातियों को छोड़कर आदिम जातियों के लिए ;
>
> (ग) असम के स्वायत्त जिले में भी अनुसूचित जनजातियों के लिए, स्थान रक्षित होंगे।

इस समय की स्थिति यह है। परन्तु इस विधेयक द्वारा खण्ड (ख) का लोप किया जा रहा है तथा उसके स्थान पर लाने की चेष्टा की जा रही है "असम की अनुसूचित जन-जातियों के अलावा अनुसूचित जनजातियां" हैं। अत: यदि हम अनुच्छेद 330(1) को प्रस्तावित संशोधित रूप में पढ़े तो उसका अर्थ है कि पूरे देश में तथा असम के स्वायत्तशासी जिलों में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां तथा गैर स्वायत्त जिलों में अनुच्छेद 330 के अन्तर्गत लाभ नहीं प्राप्त होंगे।

परन्तु अनुच्छेद 332 का संशोधन करते समय खण्ड 3 में यह उल्लेख किया गया है, "असम, नागालैंड मेघालय के जनजातिय क्षेत्रों को छोड़कर" के शब्दों के स्थान पर "असम के स्वायत्त जिलों की अनुसूचित जातियां प्रतिस्थापित किया जायेगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अनुच्छेद 332 के खण्ड (1) के संशोधन के अभिप्राय को समझा है। यदि आप अनुच्छेद 332 में यह शब्द जोड़ देते हैं तो उसका अभिप्राय होगा कि विधान सभा के लिए असम के स्वायत्त जिलों की अनुसूचित जन जातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। इसका अर्थ है कि एक ओर तो आप संविधान के अनुच्छेद 330 द्वारा असम के स्वायत्त जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की व्यवस्था कर रहे हैं और संशोधित अनुच्छेद 332 द्वारा आप यह अधिकार वापस ले रहे हैं। यदि आप संशोधित अनुच्छेद 330 को अनुच्छेद 332 के साथ पढ़ेंगे तो हम अपने की अवस्था में पायेंगे।

मैं इस विशेष पहलू पर जानकारी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय गम्भीरता से विचार करें कि क्या इस असंगति से विधेयक लाए जाने के कारणों तथा उद्देश्यों पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा लगता है कि आम उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तथा असंगति पैदा होगी। अत: मैं मन्त्री महोदय से स्थिति स्पष्ट करने का निवेदन करता हूं। अच्छा यही है कि इस विधेयक को व्ययगत होने दें तथा अनुच्छेद 332 का समुचित संशोधिन किया जाए। अन्यथा हम मन चाहे उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पायेंगे।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। संविधान को पांचवीं और छठी अनुसूची अनुसूचित जनजातियों के बारे में है। पूर्वोत्तर राज्यों, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत प्रदान किया गया है, न कि छठी अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले समूचे क्षेत्र के लिए। संबिधान के निर्माताओं ने सोचा कि छठी अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र मुख्यतया जनजातियों के ही हैं अत: विधानसभा में आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। अब इस क्षेत्र में देश के अन्य भागों से आने वाले लोगों के कारण उन राज्यों में समस्या उत्पन्न हो गई है। अत: उन क्षेत्रों के लोगों को आशंका है कि धीरे-धीरे एक ऐसा समय आयेगा जब वे अल्पसंख्यक हो जायेंगे और बिना आरक्षण के उनको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल सकेगा। सरकार द्वारा लाये गये इस संशोधन विधेयक का यही उद्देश्य है। इस विधेयक का मुख्य प्रयोजन यह है कि जब शेष जनजाति क्षेत्रों को विधान सभा में आरक्षण मिला हुआ है तो इन शेष जनजाति क्षेत्रों को आरक्षण क्यों न मिले क्योंकि राजनीतिक आरक्षण को छोड़कर सेवाओं में रोजगार के लिए पांचवीं और छठी अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए आरक्षण लागू होता है।

जब संविधान स्वीकृत किया गया था तब यह महसूस किया गया कि छठी अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कुछ क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाए। अत: हमें आरक्षण मिला हुआ है। परन्तु इस आरक्षण के पीछे क्या उद्देश्य है? इस आरक्षण के पीछे यह उद्देश्य है कि इस वर्ग के लोगों को राजनीतिक अधिकार दिए जाएं,

विधानसभा तथा संसद में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि यदि उनके साथ कोई अन्याय किया जा रहा हो तो वे अपनी शिकायतें कर सकें तथा अपनी आवाज उठा सकें। पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र छठी अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से पूर्णतया भिन्न है। पांचवीं अनुसूची में आदिवासियों को भूमि के अधिकार है, अर्थात्, भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व का अधिकार। छठी अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में उनको भूमि पर सामुदायिक स्वामित्व अधिकार मिला हुआ है। सरकार में उनका आदिवासी मुख्य मन्त्री होता है और आदिवासी सदस्य होते हैं। वे अपने कल्याण और विकास की स्वयं देखभाल कर रहे हैं। पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत आदिवासियों को विधानसभाओं और संसद में एक भिन्न ढांचे के अधीन सीटों का आरक्षण मिला हुआ है। छठी अनुसूची के अन्तर्गत दी गई भिन्न प्रक्रियाएं इन क्षेत्रों के प्रशासन तथा लोगों के लिए पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत दी गई प्रक्रियाओं से अधिक उपयुक्त हैं।

यदि इस क्षेत्र के लोगों को सीटों का आरक्षण प्रदान किया जाना है तो यह गैर-आदिवासियों के लिए होना चाहिए क्योंकि आदिवासी इस क्षेत्र की जनसंख्या के 90 प्रतिशत हैं। चूंकि संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था की गई है इसलिए इस क्षेत्र के गैर-आदिवासी लोगों की सरकार द्वारा उचित देखभाल की जानी है। महोदय, मैं मन्त्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य राजनीतिक आरक्षण प्रदान करना है और जिस दूसरे विधेयक पर यहां चर्चा होगी वह छठी अनुसूची के क्षेत्र शामिल करने के बारे में है। ये दोनों विधेयक उचित समय पर लाए जा रहे हैं। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी कम से कम कोई आरक्षण करना है। प्रतिनिधियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा कर्तव्यों, जिनके द्वारा वे भिन्न-भिन्न स्तरों पर शिकायतें रख सकते हैं, की भूमिका क्या है। इसके अलावा छठी अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में उनकी स्वायत्त जिला परिषद है जो विधान सभा से भी अधिक शक्तिशाली है। पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र में हमारी आदिवासी सलाहकार परिषद है जो स्वायत्त जिले से अधिक शक्तिशाली है परन्तु इन उपबन्धों का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है। अतः अब समय आ गया है कि हम संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न स्तरों—राजनीतिक, आर्थिक तथा सेवा में पर आदिवासियों को दिए गए अधिकारों का विश्लेषण करें। महोदय, मैं समझता हूं कि विकास क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए पर्याप्त अवसर है। छठी अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले ये आदिवासी लोग भी देश के अन्य क्षेत्रों के लोगों के साथ मिलने हेतु आगे आयेंगे और राजनीतिक जीवन तथा राष्ट्रीय जनजीवन के साथ चलेंगे।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर): महोदय, यह विधेयक पूर्वोत्तर राज्यों के एक वर्ग के लोगों को ऐसे और अधिक राजनैतिक अधिकार प्रदान करने के लिए लाया गया है जो उन्हें नहीं मिले हुए थे। संविधान का पहले का संशोधन, जिसके द्वारा उनको अधिकार नहीं दिए गए थे जो कि अब उनको फिर दिए जा रहे हैं, 1973 में लाया गया था। अब सम्भवतया 1973 के बाद वास्तविक दशाएं बदल गई हैं और सम्भवतया इसी वजट से इन राज्यों के विधानमंडलों ने संकल्प पारित किए हैं जिनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनको ये आरक्षण प्रदान किए जाएं। परन्तु महोदय, यदि यही बात है तो उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए था कि 1973 में संविधान में जो विशेष अधिकार नहीं दिए गए वे अब 1984 में क्यों दिए जा रहे हैं? वस्तुतः यह 1984 का भी नहीं है, यद्यपि हम इस पर 1984 में विचार कर रहे हैं, यह विधेयक 1982 का है। अतः ये ऐसी बातें हैं जो विधेयक पर सार्थक चर्चा करने के उद्देश्य से सदस्यों के ध्यान में लाई जानी चाहिए थी।

मान लीजिए, इस क्षेत्र के लोगों की जो आशंका है, जिस पर पहले के वक्ता भी बोल चुके हैं,

कि बाहर के लोग इतनी अधिक संख्या में आ जाएंगे कि वे अल्पसंख्यक हो जाएंगे और इसलिए उनको संसद तथा अपने ही विधान मण्डलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, उसका वास्तविक आधार है तो भी मैं कहूंगा कि विधान मण्डलों में प्रतिनिधित्व के बारे में लोगों का यह भ्रम मात्र है और एक प्रकार से इस तथ्य को उजागर करते हैं कि ये लोग यह समझते हैं कि वे उन लोगों के समान नहीं है जो बाहर से आयेंगे और उनको आस्तित्वहीन बना देंगे, कि उनको आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य प्रकार से समानता नहीं मिलेगी। यदि ऐसी बात नहीं है, यदि ऐसी कोई आशंका नहीं रही है तो अपने ही राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के लिए आरक्षण, जिसकी उन्होंने पहले कभी मांग नहीं की, देने का कोई कारण नहीं है। अत: ऐसा लगता है कि गत 11 वर्षों में उन राज्यों में जीवन-स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है तथा वहां शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूप से भी कोई विकास नहीं हुआ है तथा उनकी उतनी देख रेख नहीं की गई है जितनी केंद्र को करनी चाहिए थी। लोगों को भ्रम है जैसाकि हमें स्वतन्त्रता से पहले था कि ज्यों ही हम स्वतन्त्रता प्राप्त करेंगे तो हमारी अपनी संसद होगी और हम अपने प्रतिनिधि भेजेंगे तथा आर्थिक उन्नति होगी। राजनीतिक उन्नति तो निश्चय ही एक उद्देश्य है परन्तु यह उद्देश्य आर्थिक उन्नति का साधन है। यदि किसी व्यक्ति को राजनीतिक रूप से स्वतन्त्रता दे दी जाए, यदि वह अपना गुजारा नहीं कर सके तो उसकी राजनीतिक स्वतन्त्रता नहीं के बराबर है। यही बात उन लोगों के साथ हुई है जिन्हें भारतीय राजनीतिक तथा आर्थिक विकास से अलग रखा गया है और ऐसा केवल भारत के सुदूर पूर्वोत्तर के लोगों के साथ ही नहीं हो रहा है। ऐसा आज समूचे पूर्वी क्षेत्र के साथ हो रहा है, उनको यह महसूस कराया जा रहा है कि वे भारत के अंग नहीं हैं भारत की केन्द्र सरकार जो भारतीय राजनीति पर अपना प्रभाव जमाये हुए है, ने इस पूर्वी भाग को धीरे-धीरे करके ऐसे ठुकरा दिया है मानो यह भारत से बाहर है। ऐसा न केवल मिजोरम, नागालैंड तथा उन सभी राज्यों के साथ, जिनके यहां नाम गिनाये गये हैं, ही हो रहा है अपितु समूचे पूर्वी क्षेत्र में हो रहा है जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यहां तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश आते हैं। यह बहुत ही दुःखद बात है जो तथाकथित नियोजित आयोजना के गत 35 वर्षों के दौरान भारत में हुई है। हमने अपनी आयोजना के साथ एक विशेष ढंग अपनाने की कोशिश की है, हम केवल कोशिश कर पाए परन्तु सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक विश्वासों के मूल सिद्धांतों के कारण वह ढंग अपनाने में कामयाब नहीं हो पाए जो कि समाजवादी देशों में सफलतापूर्वक अपनाया जा रहा है। केन्द्र सरकार भूमि तथा उद्योग में निहित स्वार्थों का प्रतितिधित्व करती रही है और करती है। अत: आम आदमी की आर्थिक उन्नति सम्भव नहीं है। भारत के कुछ भागों में जितनी भी आर्थिक उन्नति हुई है वह दूसरों को उनके भाग से वंचित करके हुई है। इसलिए आज यही हो रहा है कि देश के इन भागों में जो विपुल प्राकृतिक संसाधन हैं उनके बावजूद हम इन लोगों की इन संसाधनों का उपयोग करने में मदद करने के बजाय इस संसद में कर यह रहे हैं कि हम उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए कानून पारित कर रहे हैं। उस प्रतिनिधित्व के बाद क्या होगा ? उनको अस्थायी तौर पर धोखे में डाला जाएगा कि हमने उनके लिए संसद में सीटें आरक्षित कर रखी हैं और विधान-मण्डल में भी उनके लिए सीटें आरक्षित कर रखी हैं और वे अपनी बात कब कह सकेंगे और वे अपनी दशा सुधार सकेंगे। परन्तु मुझे आशंका है कि उनको इस प्रतिनिधित्व, जो इस संविधान संशोधन द्वारा उनके लिए सुनिश्चित होगा, के बावजूद तब धोखे में डाला जाएगा जबकि उनको जानबूझ कर शेष भारत के आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकास से परे रखा जाएगा, उस स्थिति में उन भागों तथा भारत के समूचे पूर्वी भाग के लोगों की दशा सुधारने के लिए कुछ नहीं होगा। देश धीरे-धीरे विभाजन' की ओर बढ़ रहा है और इस साधन द्वारा आरक्षण से यह प्रक्रिया नहीं रुक पाएगी।

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल व्यास।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, कांस्टीच्युशन के 47वें अमेंडमेंट बिल 1982 का मैं समर्थन करता हूं। इसके जरिए से मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सम्बन्ध में पार्लियामेंट और असेम्बली में व्यवस्था की है, वह निश्चित तरीके से एक प्रशंसनीय कदम है। इससे पहले ही इस सम्बन्ध में व्यवस्था हो जानी चाहिए थी। लेकिन, देर आयद दुरुस्त आयद, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो व्यवस्था की गई है, वह प्रशंसनीय है। एक शंका जरूर पैदा होती है। अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां पर ज्यादातर लोग ट्राइब्स के हैं। ऐसी हालत में उनका रिजर्वेशन अलग करना कहां तक ठीक होगा? रिजर्वेशन ऐसे लोगों के लिए किया जाना चाहिए जो वहां पर बहुत थोड़ी क्वान्टीटी में हैं। जैसे, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग बहुत कम संख्या में वहां पर हैं। ऐसे लोगों की व्यवस्था के लिए इस बिल में कोई प्रावधान नहीं है। माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपनी औरिजिनल ट्राइब से धर्म परिवर्तन कर लिया है, जैसे कोई क्रिश्चियनिटी में चला गया हो, क्या उन पर भी यह परिभाषा लागू होगी या नहीं? उन लोगों को इसमें रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं? माननीय मंत्री महोदय, इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दें तो ज्यादा अच्छा होगा। आर्टिकल-330 में आपने जो अमेंडमेंट किया है, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

> "(ख) आसाम के स्वायत्त जिलों की अनुसूचित जनजातियों के अलावा अनुसूचित जनजातियां ;"

इससे आपका क्या तात्पर्य है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो आटोनोमस डिस्ट्रीक्ट्स आसाम में बने हुए हैं, क्या उनमें भी लोक सभा या विधान सभा की कास्टीच्युएंसी बनेगी या नहीं? इस सम्बन्ध में किस प्रकार का प्रावधान आपने किया है? अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि आटोनोमस डिस्ट्रीक्ट्स में तो ट्राइब्स के लिए और भी ज्यादा व्यवस्था की गई है। ऐसी हालत में वहां पर आटोनोमस डिस्ट्रीक्ट्स में भी इस प्रकार की व्यवस्था होगी या नहीं होगी? तीसरा सवाल यह है कि जब 90 परसेंट लोग वहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं तो ऐसी हालत में उल्टा प्रावधान होना चाहिए। सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए ही तो है। जो दूसरी जातियां हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? जो लोग माइनोरिटी में हैं, उनके लिए आपने बिल में क्या प्रावधान किया है? क्या उन लोगों को भी वहां रिप्रजन्टेशन देंगे जिससे असेम्बली में दूसरे लोग भी आ सकें। इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित तरीके से होनी चाहिए। अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि ईस्टर्न स्टेट्स के अन्दर रीजनल इम्बेलेन्सेज की वजह से आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक आधार पर इक्वेलिटी की व्यवस्था वहां पर नहीं की गई और उन स्टेट्स को पीछे रखा गया। इस प्रकार का प्रावधान लाकर के आप उनको यह तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी अलग कास्टीच्युएन्सी बन जाने की वजह से आप आर्थिक तौर पर ज्यादा सम्पन्नता ला सकेंगे। हमारे कम्युनिस्ट भाई इस प्रकार की भावनाएं फैलाने में हमेशा अग्रसर रहते हैं, और इनका उद्देश्य ही यही रहता है कि भारत सरकार जैसे ही गरीब लोगों को ऊपर उठाने का कोई कदम उठाए, तो इसको मिस-इन्टरप्रीट करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जाए। आज वैसा ही प्रयास ये सी० पी० एम० के लोग यहां भी कर रहे हैं और यह बात उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा से साफ झलकती है।

इसलिए जिस स्पष्टीकरण देने के लिए मैंने आपसे अनुरोध किया है, मैं चाहता हूं कि आप उसकी पूरी जानकारी दीजिए। इन हालात में आप जो बिल इस सदन में लाए हैं, वह आपका स्वागत-योग्य कदम है, इससे पिछड़े हुए क्षेत्र के लोगों को रिप्रेजेन्टेशन मिलेगा तथा इससे निश्चित तरीके से

उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे मेनस्ट्रीम में आ सकेंगे और उनके उत्थान में सहायक होगा। जिस तरह की कार्यवाही उन प्रदेशों में चल रही है, इस तरह का प्रावधान करने से सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री मोहेन्द्रा नगम गोम (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदय जहां यह विधेयक समर्थक का पात्र है, वहां इस में कुछ बातों का अभाव भी है। जैसा कि हमारे कुछ सहयोगियों द्वारा कहा गया है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, किन्तु कि यह संविधान की परिधि में है या नहीं परन्तु जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, मैं भी दोहराना चाहूंगा कि अनुच्छेद 330 तथा 332 के संबंध में प्रस्तावित संशोधनों में कुछ पारस्परिक (वशिष्टता का आभास मिलता है) जहां तक असम के स्वायत्त शासी जिले में अनुसूचित जनजातियों का संबंध है,इसमें कुछ भेदभाव का आवास मिलता है।

जैसाकि आप जानते हैं, मैं मणिपुर नामक राज्य से सम्बन्धित हूं हालांकि में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हूं। राज्य में 29 जनजातियां उप जनजातियां तथा दो मुख्य और अनुसूचित जनजाति समुदाय बसे हुए हैं। एक बार असंगत स्थिति पैदा हो गयी थी। अतः मैं यह नहीं कहता कि विधेयक का उद्देश्य अच्छा नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह अनुच्छेद 330 तथा 332 से संबंधित प्रस्तावित संशोधन पारस्परिक विशिष्ट है अथवा पारस्परिक अन्तर्विष्ट हैं। मेरे विचार से दोनों एक साथ नहीं रह सकते।

महोदय, दूसरी बात जिसकी ओर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह हुआ है चाहे कोई भी कितना खेद अथवा प्रसन्नता महसूस करे। जैसा कि दूसरे पक्ष के मेरे माननीय मित्रों द्वारा कहा गया है कि यह क्षेत्र काफी लम्बे समय से, अर्थात 3 दशकों से उपेक्षित रहा है। और यह अच्छी बात है कि इस सत्र की समाप्ति के समय दूसरे पक्ष के सदस्य इस देश के कठिन भाग में रहने वाले उन लोगों उन वीर लोगों के मामलों पर विचार करने की लापरवाही को अनुभव कर लिया है।

यद्यपि इस विधेयक के द्वारा कुछ अधिकार देने का प्रयास किया गया है, तथापि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महसूस करते हैं कि सरकार कुछ ही अधिकार देती है। मुझे नहीं मालूम कि ये लोग कितने और अधिकार देने के बारे में सोचेंगे। इस के साथ-साथ मैं मंत्री महोदय का ध्यान इसी तरफ की परिस्थितियों में एक असंगत स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं।

यदि यह विधेयक पारित हो भी जाता हैं और वह पारित हो भी जायेगा, तो इस का संबंध चुनाव संबंधी सुधारों से होगा। इसका अभिप्राय यह है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परसीमन, आदि के द्वारा किसी प्रकार के चुनाव संबंधी सुधार इसमें होंगे।

मैं मंत्री महोदय को एक असंगत स्थिति का स्मरण कराना चाहता हूं जो कि मणिपुर में बनी हुई है मणिपुर में दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात आन्तरिक मणिपुर तथा बाह्यमणिपुर हैं। बाह्यमणिपुर अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। किन्तु यहां परिसीमन के मामले में चूंकि अनुसूचित जनजातियां अकेली उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की अपेक्षित संख्या नहीं पूरी कर सकती हैं, इस लिए सात सामान्य निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात, गैर-अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्रों,को मिला कर समूह बना दिया गया है अब उन 7 गैर-अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों में भावना व्याप्त हो गयी है कि उन्होंने तो केवल अपने मंत्रों को ही देना है और उन्होंने संसदीय चुनाव में खड़ा नहीं होना है। अतः, उन दूरवर्ती क्षेत्रों में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। मेरी तरफ से भी,मैं कहूंगा, कि

उसे नहीं भुलाया जाना चाहिए और बाह्य मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के सम्बन्ध में भी कुछ किया जाना चाहिए।

जहां तक मेरा और मेरे दल का सम्बन्ध है, हम उन लोगों को पर्याप्त अधिकार चाहे वे राजनीतिक अधिकार हो अथवा अन्य हो, प्रदान करने के पक्ष में है ताकि वे भी न केवल धीरे-धीरे प्रत्युत एकदम हमारे देश की मुख्य धारा में आ जायें।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति महोदय, यद्यपि यह एक स्वागत योग्य विधेयक है तथापि मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस विधेयक को इस सभा में पहले लाया जाना चाहिए था। जैसाकि हम बार-बार कह चुके हैं और मैं पुनः वही बात कहना चाहता हूं कि यह सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के पक्ष में नहीं हैं। अतः, इस विधेयक को लाने में काफी समय का विलम्ब किया गया है। अन्यथा इसे पहले पेश किया जाना चाहिए था।

कमजोर वर्गों, जनजातियों, आदि की परिस्थितियों को सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वे देश के विभिन्न भागों में आज किन दयनीय परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। किन्तु अब किसी तरह इस सरकार ने सभा के समक्ष इस विधान को लाने की आवश्यकता महसूस कर ली है। इसलिए, मुझे अब अवश्य ही यह कहना चाहिए कि अब उसने कुछ करने का निर्णय कर लिया है।

इसके अतिरिक्त जो कुछ भी सूचना इस विधेयक में दी गई है, वह पूरी नहीं है। कुछ माननीय सदस्य पहले ही कह चुके हैं कि मंत्री महोदय को जनजातियों, आदि, के सम्बन्ध को अधिक सूचना देने का प्रयास करना चाहिए जिन्हें इस विशेष वर्ग में शामिल किया जा रहा है, जिन्हें यह सुविधा देने की व्यवस्था की जा रही है। जहां तक इस राजनीतिक लाभ का सम्बन्ध है, जो इन जनजातियों को दी जा रही है, सभी इसका स्वागत करेंगे। किन्तु केवल इन लाभों की व्यवस्था करके आप यह नहीं कह सकते हैं कि आप निश्चित रूप से उनकी आर्थिक परिस्थितियों को भी सुधार देंगे। अब आर्थिक परिस्थितियां बहुत ही दयनीय हैं। सरकार को उन्हें सुधारने के बारे में सोचना चाहिए।

जहां तक इन स्वायत्तशासी जिला परिषदों का सम्बन्ध है, मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या उनके पास खर्च करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। यदि जिला परिषदों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं, तो इस प्रकार की स्वायत्तता उन्हें कोई लाभ नहीं पहुंचायेगी।

अतः, मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि उसे यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि इन परिषदों को अवश्य ही पर्याप्त वित्तीय संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए और उनकी आर्थिक स्थिति को भी सुधारा जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि प्रस्तुत विधेयक को सभा के सभी पक्षों का समर्थन प्राप्त है।

केवल हमारे साम्यवादी मित्र ने एक शंका व्यक्त की है कि इतने वर्षों के बाद अब भी आरक्षण की व्यवस्था करने की क्या जरूरत है और हमने इन लोगों की मुख्य धारा में शामिल होने में मदद क्यों

नहीं की है जिससे कि वे बिना किसी विशेष आरक्षण के साथ-साथ चल सकते और हरिजनों के सिवाय सभी अन्य लोगों की तरह की नागरिकता तथा स्थिति प्राप्त कर सकते।

इस शंका के सिवाय, मुझे यकीन है कि वह भी इस विधेयक के पक्ष में हैं।

यदि हम अपनी स्वतन्त्रता के प्रथम दो या तीन दशकों में पूर्वोत्तर राज्यों के इन जनजातीय लोगों के अधिकांश नेताओं की प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखें तो हम इस बात को अच्छी तरह समझ जायेंगे कि इस आरक्षण की आवश्यकता क्यों है हालांकि उनकी 80 से 90 प्रतिशत तक जनजातीय जनसंख्या है।

मेरे माननीय मित्र श्री रवीन्द्र वर्मा को अच्छी तरह मालूम है आसाम में क्या हुआ है और क्या हो रहा है। असमियों को इस बात का डर है कि चुनावों में गैर-असमियों का बहुमत हो सकता है। और असमियों का सांस्कृतिक विकास पर नियन्त्रण नहीं हो पायेगा।

स्वयं असमियों में, जनजातीय लोगों के मामले में यह भावना और भी अधिक तीव्र होगी। चाहे वे इसाई हैं या गैर-इसाई, वे सभी जनजाति के लोग हैं और वे इस बात को पसन्द नहीं करेंगे कि बाहर से आए हुए लोग उन पर शासन करें और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार इस विधेयक के माध्यम से उनके लिए विशेष आरक्षण तथा संरक्षण की व्यवस्था करना चाहती है।

दूसरी बात यह है कि मेरे माननीय मित्र उस क्षेत्र में आर्थिक विकास न होने का उल्लेख कर रहे थे। यह सच है कि इस सम्बन्ध में उनके मार्ग में बहुत सी बाधाएं रही हैं। खेती और विकास तथा वनों के उपयोग के सम्बन्ध में उन्होंने अपने जनजातीय संगठन का सहारा किया और वहां काफी लम्बे समय तक पूर्ण उपेक्षा के परिणामस्वरूप संचार के कोई साधन नहीं थे। ब्रिटिश काल के दौरान और स्वतन्त्रता के बाद भी हम अपने रेलवे का वहां आवश्यकतानुसार विस्तार नहीं कर सके। फिर भी यह बात सच है और मेरे माननीय मित्र भी, जिन्होंने क्षेत्रों का दौरा किया है, इस बात से सहमत होंगे कि सरकार इन क्षेत्रों के विकास के लिए भारी धनराशि खर्च कर रही है और तदर्थ पूर्ण प्रयास कर रही है। इसके बावजूद असमी लोग पिछड़े हुए हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सरकार इस दिशा में उत्सुक और प्रयत्नशील है।

मुझे यकीन है कि सभा के सभी पक्ष बिना किसी दल-मतभेद के, इन क्षेत्रों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए यथासम्भव धन देने तथा कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए हार्दिक रूप से उत्सुक हैं।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें उन क्षेत्रों के लोगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है और वे लोग ऐसा संरक्षण चाहते हैं और इसीलिए यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया है।

मुझे आशा है कि इस विधेयक को सभा के सभी पक्षों का अनुमोदन प्राप्त होगा।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि इन संशोधनों को स्थानीय जनजातीय जनसंख्या की आकांक्षाओं को पूरा करने लिए प्रस्तुत किया गया है। इसका मतलब है सरकार भी जन-

जातीय लोगों की केवल उसी क्षेत्र के नहीं अपितु समूचे देश के जनजातीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की अविलम्ब आवश्यकता को समझती है। हमारी कुल जनसंख्या में जनजाति के लोगों की जनसंख्या काफी अधिक है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि भारत एक जनजातीय भारत है। यह मुख्यतः जनजातीय लोगों से बसा हुआ है। इसलिए मैं प्रस्तुत विधेयक का, जो जनजातीय लोगों की आशाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है, समर्थन करते हुए सरकार से इस अवसर पर और विशेषतः गृह मंत्रालय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या उसे देश के विभिन्न भागों में जनजातीय लोगों में व्याप्त अशान्ति का पता है·····

श्री राम प्यारे पनिका : (राबर्ट्सगंज) : जो आप लोगों ने पैदा की है।

श्री चित्त बसु : हमें कोई अशान्ति पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग खुद इतने शक्तिशाली हैं जो सारी अशान्ति पैदा कर सकते हैं।

क्या यह सच नहीं है कि कोल्हान क्षेत्रों जैसे कतिपय क्षेत्रों में अशान्ति व्याप्त है? क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि संथाल परगनों में अशान्ति है? क्या इस बात से कोई इन्कार कर सकता है कि सिंहभूम जिला, बिहार तथा छोटा नागपुर क्षेत्र में भी काफी अधिक अशान्ति व्याप्त है।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : यह सच नहीं है।

श्री चित्त बसु : यदि वे शतुमुर्ग की तरह की प्रवृत्ति अपनाना चाहें तो अपनायें, लेकिन इस सभा के एक सदस्य के नाते मैं यह कह सकता हूं कि जनजातियों में अशान्ति है। आप इससे इनकार कर सकते हैं। लेकिन अशान्ति जरूर है। जनजातियों में व्याप्त अनशान्ति की अब हम उपेक्षा नहीं कर सकते। इस सभा का एक सदस्य होने के नाते इस ओर ध्यान दिलाना मेरा कर्तव्य है। जब तक इस अशान्ति का मूल कारण का पता नहीं लगाया जाता, मैं समझता हूं, स्थिति और भी बिगड़ेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र जनजाति के लोगों में निरन्तर असन्तोष व्याप्त रहा है और वह अब भी फैल रहा है। इसलिए मेरा इस अवसर पर कहना यह है कि उन्हें आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व देने का अधिकार से ही हम अपने देश के जनजातीय लोगों की आशाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते। वास्तव में जनजातियों में व्याप्त असन्तोष का कतिपय निहित स्वास्थों द्वारा लाभ उठाया जा रहा है विशेषकर कुछ विदेशी ताकतों द्वारा जो वहां भी मौजूद हैं·····

एक माननीय सदस्य : उग्रवादियों द्वारा।

श्री चित्त बसु : उग्रवादियों को आप पैदा करते हैं। यही सारा झगड़ा है। आपकी नीति के कारण ही उग्रवाद पनप रहा है। यदि कोई कहता है कि उग्रवाद व्याप्त है और उग्रवादियों को समाप्त किया जाना चाहिए तो आप उसके लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था कर देते हैं और कुछ विशेष क्षेत्रों को आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र घोषित कर देते हैं·····

सभापति महोदय : इन बातों को आप यहां मत उठाइये।

श्री चित्त बसु : इन बातों को वे ही उठा रहे हैं। मैं केवल उनका जवाब दे रहा हूं।

मुख्य बात यह है कि मैं इस विधान से शतप्रतिशत सहमत हूं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं

सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनजाति के लोगों में व्याप्त तथा बढ़ रही अशान्ति को इस विधेयक से दूर नहीं किया जा सकता। इस विधान के साथ-साथ अन्य उपाय करने भी आवश्यक हैं। जो मुख्यत: आर्थिक तथा सामाजिक उपाय के रूप में होंगे। हमारी जनजाति के काफी लोग अब भी यह महसूस करते हैं कि वे भारत के अंग नहीं हैं। वे अपने को अब भी अलग महसूस करते हैं। यदि आप देश की एकता तथा अखंडता और भावनात्मक एकता चाहते हैं तो केवल प्रस्तुत विधेयक से काम नहीं चलेगा। इसलिए हमारे लिए और विशेषकर सरकार के लिए जनजातीय अशान्ति के प्रश्न की गहराई में जाना आवश्यक है। क्योंकि यह अशान्ति विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट हो रही है। कुछ क्षेत्रों में उनकी यह माँग है कि जनजाति के लोगों के लिए पृथक् राज्य होने चाहिए और कुछ लोग स्वतन्त्र राज्य भी चाहते हैं। मुझे आश्चर्य और दु:ख भी है कि सरकार इस अशान्ति के बुनियादी तथा मूल कारण की ओर ध्यान नहीं दे रही है। कुछ ऐसे उपाय करना आवश्यक हैं जिनसे उनके भारतीय राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन की मुख्य धारा से अलगाव की भावना को यथासंभव शीघ्र दूर किया जा सके। क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि क्या उसने स्थिति का आभास किया है और यदि किया है तो क्या उसका विचार कतिपय ठोस उपाय करने का है जिससे कि उनकी अलगाव की भावना को दूर किया जा सके और उनमें भारतीय राष्ट्र के साथ एकता की भावना जागृत की जा सके, विशेषत: जनजाति के लोगों में और इस प्रयोजन के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। उनका अपना निजी तंत्र है। आपने हमारे देश में जनजाति के लोगों में व्याप्त अशान्ति के बुनियादी कारण का गहराई से अध्ययन किया है और हम इस प्रक्रम पर अपने समूचे समाज के विकास की उपेक्षा नहीं कर सकते।

श्री बाजूबन आर० खारलुखी (शिलांग) : प्रस्तुत विधेयक, जो सभा के सामने विचारार्थ है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे थोड़ा और समय दिया जाए।

सभापति महोदय : आप 3 मिनट के बदले 5 मिनट ले सकते हैं।

श्री बाजूबन आर० खारलुखी : नहीं श्रीमान्, मुझे 7 मिनट दीजिए।

संविधान (47वां संशोधन) विधेयक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 का संशोधन करने की व्यवस्था है जिससे कि मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय लोगों के लिए लोक सभा में स्थानों का आरक्षण किया जा सके और मेघालय तथा नागालैंड के विधान सभाओं में भी इसी प्रकार के संरक्षण की व्यवस्था हो सके। आम तौर पर जनजातीय लोगों की ओर से और विशेषत: उन लोगों की ओर से जिनका प्रतिनिधित्व करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है, बोलते हुए मैं भारत सरकार को, विशेषत: इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय को इस कार्य के लिए जिसे उन्होंने 1982 में प्रस्तुत विधेयक के रूप में पुर:स्थापित करके किया है, अपना आभार व्यक्त करता हूं। अब यह विधेयक काफी समय तथा लम्बी प्रतीक्षा के बाद सभा के समक्ष विचारार्थ तथा पारित करने हेतु प्रस्तुत है।

मैं विधेयक का समर्थन करते हुए माननीय सदस्यों से हार्दिक अनुरोध करूंगा कि वे प्रस्तुत विधेयक को समर्थन दें। जिसके लिए, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय लोग उनके आभारी रहेंगे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में दो राज्यों तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण उसी प्रणाली पर आधारित है जो देश के अन्य राज्यों में प्रचलित है। विधेयक का यही उद्देश्य

तथा कारण है। 1950 में संविधान के प्रारम्भ होने से पूर्व पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनजातीय लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए उनके अल्पसंख्यक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए बरदोलोई उपसमिति ने ऐसा करना बहुत उपयुक्त समझा था। तत्पश्चात आरक्षण की व्यवस्था संविधान के मूलभूत उपबन्धों में की गई। बाद में संशोधन करके आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई जिससे एक निराशा की भावना उभरनी शुरू हुई। मेघालय के मामले में, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान के 31वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। हम लोग जो स्वभाव से ही शांतिप्रिय और कानून पसन्द हैं, इस मामले को गलियों में नहीं ले गए और कोई आंदोलन तथा दंगा-फसाद नहीं किया। अब भी हम सरकार के निर्णय पर भरोसा करते हैं और संसद की राय को अहमियत देते हैं। आज का दिन हमारी न्यायपूर्ण आकांक्षाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण है।

जैसा कि हम सब जानते हैं जनजातीय लोगों की संख्या देश के विशाल तथा विभिन्न प्रकार की जनसंख्या को देखते हुए बहुत मामूली है। जनजातीय लोगों की चिरसम्मानित रीति-रिवाज तथा परम्परा के अनुसार उनके उत्थान तथा विकास के लिए विशेष संवैधानिक परित्राणों की व्यवस्था करना आवश्यक समझा गया है। तथापि, मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि हमारी परम्परा की महानता राष्ट्रीय गतिविधियों की मुख्य धारा में हमारी सहभागिता के मार्ग में बाधक नहीं होनी चाहिए।

हम भारतीय संघ की उदार छत्रछाया में रहते हैं और हमारा सदैव यही सुनिश्चित करने का प्रयास रहेगा कि अन्य समुदायों के न्यायसंगत अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा हो। यदि मुझसे पूर्व वक्ता ने, जो इस सभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, कुछ साल पहले मेघालय को सुन्दरता, गरिमा तथा भव्यता का क्षेत्र बनाने का वायदा किया था तो मैं इस अवसर पर आज जनजातीय लोगों की ओर से यह वायदा करता हूं कि हम हमेशा राष्ट्रीय सम्मान को सर्वोच्च स्थान देते रहेंगे।

प्रस्तुत विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें जनजातीय लोगों को उनका न्यायसंगत अधिकार प्रदान करके उनमें राष्ट्रीय जागरूकता की दृढ़तर भावना उत्पन्न करने का सराहनीय प्रयास है। जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा पर्वतीय राज्य में जनजातीय लोगों का बहुमत है। लेकिन सुरक्षा की भावना केवल संख्या पर निर्भर नहीं करती। अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ऐसा देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में विशेषत: शहरी क्षेत्रों में जनजातीय लोग अल्प संख्या में हो गये हैं। समय के साथ-साथ जनसंख्या का ढांचा बदल गया है। जिस स्थिति में आज वहां के जनजातीय लोग हैं उस वस्तुस्थिति को देखकर हम महसूस करते हैं कि सुरक्षा की वास्तविक तथा सार्थक भावना संवैधानिक परित्राणों की व्यवस्था करने में है और प्रस्तुत विधेयक में इस बात की व्यवस्था है जो वहां के लोगों की अभीष्ट मांग तथा आकांक्षा पूरी करता है।

3.00 म० प०

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन को देखने से जाहिर है कि संविधान (47वां संशोधन) विधेयक को मेघालय विधान सभा द्वारा 31 मार्च, 1980 को सर्वसम्मति से पारित संकल्प के सही उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त संकल्प में भारत सरकार से आरक्षण की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था और जो स्पष्टत: अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की पुन: व्यवस्था करने की मांग थी जैसा कि संविधान के मूलभूत उपबन्धों के अधीन ऐसे आरक्षण की व्यवस्था थी। हमारी दक्षिण की सीमाएं विदेशी मुल्क के साथ लगी हुई हैं तथा खुली हैं जिससे काफी संख्या में

लोगों के वहां आने की शंका बनी रहती है। इस कारण इस विधेयक को अविलम्ब पास करने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और विधेयक को अपना हार्दिक समर्थन प्रदान करता हूं। इसके साथ-साथ माननीय सदस्यों से करबद्ध प्रार्थना है कि वे इस विधेयक को अपना समर्थन प्रदान करें।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों के प्रति इस वाद-विवाद में भाग लेने तथा इस सम्बन्ध में लाभप्रद सुझाव देने के लिए अपना आभार व्यक्त करती हूं। 1973 में संविधान में संशोधन करने का कारण यह था कि नागालैण्ड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम मुख्यतः जनजातीय एकक हैं, जैसा कि एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा है, ऐसा महसूस किया गया था कि इन क्षेत्रों में मुख्यतः जनजातीय लोगों की आबादी है इसलिए अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण आवश्यक नहीं है। एक माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि वहां की कुल आबादी कितनी है और वहां उनको कितने स्थान आबंटित किए गए हैं। मैं माननीय सदस्य श्री डागा को 1971 की जनगणना के आधार पर वहां की जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता के बारे में बताती हूं जो इस प्रकार है :—

नागालैंड	88.76
मेघालय	80.76
अरुणाचल प्रदेश	79
मिजोरम	94.28

1981 की जनगणना के आधार पर जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता इस प्रकार है :—

नागालैंड	83.99
मेघालय	80.58
अरुणाचल प्रदेश	69.82
मिजोरम	93.59

नागालैंड के लिए लोक सभा में एक स्थान है और मेघालय के लिए दो, अरुणाचल प्रदेश के लिए दो और ये दोनों स्थान अनुसूचित जनजातियों के पास हैं। मिजोरम में अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट है और उस पर वास्तव में अनुसूचित जाति का सदस्य ही आता है। नागालैंड में विधान सभा में कुल 60 सीटें हैं जिनमें से 59 सीटों पर वास्तविक रूप से अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं ; मेघालय में 60 सीटें हैं जिनमें से 58 सीटों पर अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं। अरुणाचल प्रदेश में 33 सीटें हैं। और इन सभी की सभी 33 सीटों पर वस्तुतः अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं। मिजोरम में भी 33 सीटें हैं और सभी पर वस्तुतः अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं।

फिर भी, इन क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा ये आशंकाएं व्यक्त की गई हैं कि जब तक उनको कोई संवैधानिक गारण्टी नहीं दी गई तो बाहर के लोगों के आगमन के कारण इन क्षेत्रों में समय रहते राजनीतिक सत्ता उनके हाथों से खिसक जायेगी। मेघालय के मुख्यमन्त्री ने भी यही आशंकाएं व्यक्त की हैं कि जब तक आदिवासियों को संवैधानिक गारण्टी नहीं दी जाती तो बाहर के लोग आदिवासियों से धीरे-धीरे राजनीतिक सत्ता छीन लेंगे और यही बात उन सम्बन्धित राज्यों के मुख्यमन्त्रियों ने कही है जिनका मैं उल्लेख कर चुकी हूं और इसी पृष्ठभूमि में यह आवश्यक समझा गया कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में सुरक्षोपाय प्रदान किये जाएं तथा उनकी आशंकाएं दूर की जाएं।

महोदय, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है तथा मैं सदस्यों को सूचित करना चाहूंगी कि पूर्वी राज्यों के मन्त्रियों के जिस दल ने मेघालय और नागालैंड आदि के लिए अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार किया था, इस मामले पर मन्त्रिमण्डल द्वारा विचार किए जाने से पूर्व नवीनतम जनगणना के आधार पर निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन पर विचार करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में किसी संशोधन की सिफारिश नहीं की। संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम द्वारा संशोधित इन अनुच्छेदों में निर्वाचन-क्षेत्रों के किसी नये परिसीमन का निषेध है। इस दल ने सिफारिश की थी कि 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाये। जिन निर्वाचन-क्षेत्रों को आरक्षित समझा जाता है उनके परिसीमन/पदनाम के लिए निर्वाचन आयोग को प्राधिकृत करने हेतु आवश्यक कानूनी उपबन्ध करने होंगे। यह संसद की सामान्य विधि द्वारा सम्भव है। ऐसी विधि में आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये जा सकते हैं तथा यह निर्वाचन आयोग पर छोड़ा जा सकता है कि लोक सभा तथा विधान सभा के किन-किन विद्यमान निर्वाचन-क्षेत्रों को आरक्षित समझा जाए।

महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है। धन्यवाद।

सभापति महोदय : विचार हेतु प्रस्ताव को मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि यह संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इस पर मतदान मत-विभाजन द्वारा होगा।

अत: दीर्घाएं खाली कर दी जाएं—

सभापति महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं। मैं अब प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत—विभाजन सं० 8

आचार्य, श्री बसुदेव

अग्रवाल, श्री सतीश

अहमद, बेगम आबिदा

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अजीत प्रताप सिंह

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

अराकल, श्री जेबियर

अशफाक हुसैन, श्री

आजाद, श्री गुलाम नबी

बेरवा, श्री बनवारी लाल

वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बालेश्वर राम, श्री

बनातवाला, श्री जी० एम०

बैरो, श्री ए० ई० टी०

बहेरा, श्री रासबिहारी

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवान देव, आचार्य

भारद्वाज, श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भोले, श्री आर० आर०

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बीरबल, श्री

विष्णु प्रसाद, श्री

विश्वास, श्री अजय

बूटा सिंह, श्री

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चौधरी, श्री ए० वी० ए० गनीखान

चव्हाण, श्री एस० बी०

चव्हाण, श्री यशवन्तराव

चौबे, श्री नारायण

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलबीर सिंह, श्री

दास, श्री अनादि चरण

दास, श्री रेणुपद

दत्त, श्री अमल

देसाई, श्री बी० वी०

देव, श्री संतोष मोहन

दंडपाणि, श्री सी० टी०

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूँगर सिंह, श्री

दुबे, श्री रामनाथ

ऐंगटी, श्री बीरेन सिंह

गधावी, श्री भेरावन के०

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गहलोत, श्री अशोक

घोष, श्री नीरेन

घोष, गोस्वामी, श्रीमती बिभा

गुफरान आजम, श्री

गिरिराज सिंह

गिरि, श्री सुधीर

गोगोई, श्री तरुण

गोमांगो, श्री गिरिधर

गौजगिन, श्री एन०

गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते

गौडा, श्री एच० एन० नन्जे

हन्नान मोल्लाह, श्री

होरो, श्री एन० ई०

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जगपाल सिंह, श्री

जैन, श्री निहाल सिंह

जैन, श्री वृद्धि चन्द्र

जमीलुर्रहमान, श्री

जेना, श्री चिन्तामणि

झा, श्री भोगेन्द्र

काहनडोल, श्री जैड० एम०

कैलाशपति, श्रीमती

कमल नाथ, श्री

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला

कौशल, श्री जगन्नाथ

केन, श्री लालाराम

केयूर भूषण, श्री

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री जल्फिकार अली

किदवई, श्रीमंती मोहसिना

कोडियन, श्री पी० के०

कोसलराम, श्री के० टी०

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुन्हम्बु, श्री के०

लकप्पा, श्री के०

लास्कर, श्री निहार रंजन

माथुरी सिंह, श्रीमती

महाबीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री विक्रम

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मकवाना, श्री नरसिंह

मालन्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मणि, श्री के० बी० एस०

मायातेवर, श्री के०

मेहता, प्रो० अजित कुमार

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री उमाकान्त

मिश्र, श्री नित्यानन्द

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मोहम्मद इस्माल, श्री

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखर्जी, श्री समर

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मुत्तेमवार, श्री विलास

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायक, श्री जी० देवराय

नायकर, श्री डी० के०

नामग्याल श्री पी०

नेताम, श्री अरविन्द

निहाल सिंह, श्री

निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०

नीखरा, श्री रामेश्वर

नुरूल इस्लाम, श्री

उमराव, श्रीमती सुमति

पाल, प्रो० रूपचन्द

पनिका, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

परमार, श्री हीरालाल आर०

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री सी० डी०

पटेल, श्री मोहन लाल

पाठक, श्री आनन्द

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री शंकर राव

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री उत्तम राव

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पत्तुस्वामी, श्री डी०

फुलवारिया, श्री विरदा राम

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रधानी, श्री के०

काजी सलीम, श्री

कादरी, श्री एस० टी०

राय, श्री एम० रामन्ना

राजन, श्री के० ए०

राजेश कुमार सिंह, श्री

राम, श्री राम स्वरूप

रामुलु, श्री एच० जी०

रंगा, प्रो० एन० जी०

रणजीत सिंह, श्री

राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द

राव, श्री जलगाम कोन्डाला

राव, श्री एम ; नागेश्वर

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रवाणी, नवीन

रेड्डी श्री जी० एस०

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा

रियान, श्री बाजू बन

रौत, श्री जय नारायण

राय, श्री ए० के०

साहा, श्री अजित कुमार

साहू, श्री शिव प्रसाद

समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी० ए०

सतियेन्द्रन, श्री एम० एस० के०

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सत्यदेव सिंह, प्रो०

सावन्त, श्री टी० एम

सेन, श्री सुबोध

सेठी, श्री अर्जुन

सेठी, श्री पी० सी०

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शंकरानन्द, श्री बी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शर्मा, श्री नवल किशोर

शर्मा, श्री प्रताप भानु

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शास्त्री, श्री रामावतार

शिगडा, श्री डी० बी०

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

शुक्ल, श्री विद्या चरण

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंगारावाडीवेल, श्री एस०

सिंह, श्री सी० पी० एन०

सिंह, श्री धर्मगज

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सिंह, देव, श्री के० पी०

सिन्हा, श्री निर्मल

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी

शिव प्रकाशम, श्री डी० एस० ए०

सोलंकी, श्री बाबू लाल

सोरन, श्री हरिहर

सुन्दरराजन श्री एन०

सोज, प्रो० सैफुद्दीन

सुब्बुरमण, श्री ए० जी०

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

तारिक अनवर, श्री

तिवारी, प्रो० के० के०

थारेट, श्री भाऊसाहिब

तिरकी, श्री पीयूष

तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि

तिवारी, श्री राम गोपाल

टुडु, श्री मनमोहन

उइके, श्री छोटे लाल

उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०

वैराले, श्री मधुसूदन

वर्मा, श्री दीन बन्धु

विजयराघवन, श्री वी० एस०

व्यास, श्री गिरधारी लाल

वाघ, डा० प्रताप

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

यादव, श्री सुभाष चन्द्र

यादव, श्री विजय कुमार

जायनल अबेदिन, श्री

जैनल बशर, श्री

विपक्ष में

चतुर्भुज, श्री

शमन्ना, श्री टी० आर०

3.29 म० प० **(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : यह लोकतन्त्र का उपहास है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम नियमानुसार ही यह करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : नियम 357 के अधीन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हर एक चीज का समाधान शांति होता है ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : संविधान संशोधन विधेयक पर समूचे विपक्ष ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है । हमने विधेयक के पक्ष में मतदान किया है । दुर्भाग्यवश, सत्तारूढ़ दल उतनी संख्या नहीं बना सका जितनी इसे संविधान के अन्तर्गत पारित करने के लिए अपेक्षित होती है । **(व्यवधान)** हमने मत-विभाजन की मांग ही नहीं की क्योंकि हमारा इस पर कोई विरोध नहीं है । परन्तु संविधान में यह अंकित है कि सभा की कुल सदस्य संख्या के 50 प्रतिशत को इस विधेयक का समर्थन करना होता है तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत इसके लिए अपेक्षित है । जहां तक उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत का सम्बन्ध है, वह मानदण्ड तो पूरा कर लिया गया है परन्तु जहां तक सभा की कुल सदस्य संख्या के 50 प्रतिशत का सम्बन्ध है, इस विधेयक पर 271 मत चाहिए । अध्यक्ष पीठ ने लाबियां खाली करवाने का आदेश दिया । मत बटन दबाकर दिए गए । अब ऐसे एक-दो, चार-पांच या दस सदस्यों को छोड़कर जो अपना मत नहीं दे सके, परिणाम 229 है । आप उस अंक को जोड़कर मत-विभाजन का परिणाम घोषित कर सकते हैं परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि मत-विभाजन का परिणाम घोषित करने से पहले ही दरवाजे खोल दिए गए हैं तथा कुछ सदस्यों को आने दिया गया है । **(व्यवधान)** यह अत्यधिक आपत्तिजनक है । श्री बूटा सिंह यह दलील दे रहे हैं कि मशीन खराब हो गई है और सबकी गिनती की जाये । दरवाजे खोल दिए गए हैं । और सदस्यों को अन्दर आने दिया गया । अब वे चाहते हैं कि गिनती पुनः कराई जाई क्योंकि मशीन खराब हो गई थी । **(व्यवधान)**

श्री राजेश कुमार सिंह : आप रिजल्ट की घोषणा करें ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे समझने दीजिए कि मुझे क्या करना है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुन लीजिए । मैं अभी अन्दर से आया हूं मुझे समझने दीजिए क्या समस्या है ।

श्री रामविलास पासवान : समस्या उन्होंने करवाई है।

अध्यक्ष महोदय : खुद की होगी, अपने आप होगी या किसी ने करवाई, मुझे समझने तो दीजिए। मैं एक-एक करके पूछ लूंगा। एक समस्या है जिस पर अपना निर्णय देने से पूर्व उसे समझना होगा। अतः मैं आपसे एक-एक करके समझना चाहता हूं (**व्यवधान**)। मैं आपको बुलाऊंगा, यदि आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न होगा। (**व्यवधान**) यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मुझे समझने तो दीजिए कि क्या हो रहा है। (**व्यवधान**)

यही तो पूछने जा रहा हूं। कोई पूछने दे तब न। मैं तो केवल इस समस्या को समझना चाहता हूं। मैं सब कुछ करूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : श्रीमान, क्या आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात भी सुन रहा हूं। एक आदमी की बात हो तो सुन सकता हूं। सबकी बात सुनूंगा।

मैं तभी समझ सकूंगा जब केवल एक ही सदस्य बोलेगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : श्रीमान, यह तो प्रक्रिया का नियम है। सभापति ने स्वचालित मतदान यन्त्र द्वारा मत विभाजन के बारे में नियम 367 के अधीन मत विभाजन के लिए कहा था। मत विभाजन हो भी गया। स्वचालित मतदान यंत्र भी चलाया गया और नियमों के अनुसार पर्चियां भी बांटी गईं। सभापति ने परिणाम की घोषणा करनी थी।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि पर्चियां बांटी गई थीं, तो परिणाम में शुद्धि की जा सकती है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मुझे पूरा कर लेने दीजिए। श्रीमान, सभापति द्वारा परिणाम की घोषणा की जानी थी परन्तु संसदीय कार्य मन्त्री बीच में बोल पड़े हालांकि उन्हें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि मत विभाजन हो चुका था। अब तो परिणाम की घोषणा की जानी है क्योंकि मतदान प्रक्रिया के अनुसार हुआ है। चाहे वह किसी को पसन्द हो अथवा नहीं, परन्तु परिणाम की घोषणा तो कर ही दी जानी चाहिए। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप परिणाम की घोषणा करें क्योंकि आप प्रक्रिया के नियमों का पालन दृढ़तापूर्वक करते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बदागरा) : सामान्य रूप से इस चरण पर कोई व्यवस्था का प्रश्न होना चाहिए। अतः मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं क्योंकि यह प्रक्रिया का उल्लंघन होगा क्योंकि हम संविधान में संशोधन करने के लिए एक गम्भीर मामले पर विचार कर रहे है। इस बारे में न केवल स्वयं संविधान में परन्तु नियम 158 में भी उपलब्ध है जो बिल्कुल स्पष्ट है। इस चरण पर वास्तव में कोई वक्तव्य नहीं दिया जा सकता क्योंकि परिणाम की घोषणा की जानी है। इस मामले पर हम बाद में विचार कर लेंगे। अतः प्रक्रिया में परिवर्तन करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस बारे में नियम 158 के अधीन प्रतिपादित सामान्य प्रक्रिया पालन किया जाना चाहिए। अतः आपसे निवेदन है कि आप परिणाम की घोषणा करें, चाहे वह कुछ भी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब समझ गया हूं।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, मैंने कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया था। यह तो अधिकार की बात है। जब कोई सन्देह होता है, यदि कोई सदस्य गलत बटन दबा देता है, तो उसे खड़ा होकर यह कहने का अधिकार है कि उसका मतदान··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उसे ठीक किया जा सकता है।

श्री बूटा सिंह : मैंने विपक्षी सदस्यों से कोई बदला नहीं लेना था। मैं तो यह कह रहा था कि मैंने देखा कि सभा में उपस्थित माननीय सदस्यों की संख्या मशीन द्वारा दिखाई गई संख्या से बहुत अधिक थी। मैंने केवल यही कहा था। मैंने कोई विवाद नहीं खड़ा किया। अतः मैंने कहा····· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : चौबे जी, शांति से बैठिए। ऐसे गर्म होने से बात थोड़े ही बनती है। **(व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह : अतः मैंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मशीन में कोई खराबी है क्योंकि सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या स्पष्टतया बहुत अधिक है···**(व्यवधान)**। इसीलिए मैंने कहा कि हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने इस विधान का समर्थन किया है। इसके साथ-साथ मैंने यह भी कहा कि मशीन ठीक काम नहीं कर रही है। माननीय सदस्य एक कमरे में मतदान कर रहे हैं जहां कोई आवाज नहीं है और माननीय सदस्यों ने घण्टी को सुना ही नहीं है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएंगे तो सारा काम आराम से हो जायेगा। आप सब बोलेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपने अगर कुछ कहना है तो मैं सुन लूंगा। रूल्स के हिसाब से ही मैं करूंगा।

(व्यवधान)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : श्रीमान, हम संवैधानिक संशोधन पर विचार कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि वह दोनों पक्षों की बातों को सुनें और अपना कोई-न-कोई निर्णय दें। हम यहां मतों की गणना करने के लिए इलेक्ट्रानिकी यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। हम जानते हैं कि मशीनें गल्ती कर सकती हैं और उनमें खराबी आ सकती है। यदि मशीनें ठीक न हों तो उसके लिए निर्धारित प्रक्रिया है ··(व्यवधान) यदि कोई सदस्य आपत्ति उठाता है, तो हमें मतों की गणना दूसरे ढंग से करनी होती है। बोर्ड पर रोशनी देखने के बाद हमने सदस्यों की संख्या की गणना की, जैसाकि मेरे कुछ मित्रों ने गणना करने के पश्चात बताया है कि सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या यंत्र द्वारा दिखाई गई संख्या से अधिक है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए। ऐजीटेशन करने से सारा काम गड़बड़ हो जाता है। पहले इनकी बात सुन लेता हूं, उसके बाद आपकी भी सुन लूँगा। आप चिन्ता क्यों करते हैं ? ···(व्यवधान)

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं सामने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि जब मैं

अपनी बात कह लूंगा तब उन्हें भी कहने का पूरा अवसर मिलेगा। महोदय, स्थिति यह है कि हमारी संख्या अधिक है और मशीन खराब हो गई है···(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : कोई बेस तो होना चाहिए कि मशीन खराब हो गई है। यह किसी ने नहीं कहा कि मशीन खराब है।

अध्यक्ष महोदय : ये तो कह रहे हैं।···(**व्यवधान**)

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमान, मैं कह रहा था कि यह एक संवैधानिक संशोधन है और सभा में एक महत्वपूर्ण विषय विचाराधीन है। इसे सही तरह से निपटाया जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री रामविलास पासवान : हम लोग एबसेन्ट भी तो हो सकते थे। पहले मेरी बात सुन लीजिए। ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पांच आदमियों की बात सुनी है, आपको भी सुन सकता हूं। अंधा जस्टिस बुरा होता है। पहले मैं इनकी सुनूंगा फिर आपकी।

(**व्यवधान**)

श्री रामविलास पासवान : ऐसा कानून है कि वोटिंग के समय कोई नहीं बोल सकता··· (**व्यवधान**)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : पहले रिजल्ट डिक्लेयर करवाइए।···(**व्यवधान**) सर आप अपना फैसला सुनाइए कि क्या रिजल्ट रहा?

अध्यक्ष महोदय : उससे पहले क्या आप मुझे समझने नहीं देंगे कि मैं किस बात का फैसला कर रहा हूं।

श्री जगपाल सिंह : आप पहले रिजल्ट डिक्लेयर कीजिए और उसके बाद दूसरों की बात को सुनिए। (**व्यवधान**)

श्री शिवराज वी० पाटिल : कोई भी सदस्य अध्यक्ष महोदय को इस प्रकार मजबूर नहीं कर सकता जैसाकि वे अब कर रहे हैं। श्रीमान, मैं तो यह कह रहा था कि यदि मशीन खराब थी, यदि घंटी उचित समय पर नहीं बजी थी और यदि सदस्य सभा में नहीं आ सके थे, तो इसका निर्णय तो अध्यक्ष महोदय ने करना है कि अब कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाये।

अध्यक्ष महोदय : मेरा निर्णय यह है कि सदस्यों की गणना करके परिणाम में शुद्धि की जा सकती है। (**व्यवधान**)

श्री शिवराज वी० पाटिल : हम आपके निर्णय का पालन करेंगे। परन्तु आप मेरी बात सुन लीजिये। श्रीमान, यदि आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मशीन खराब थी तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या घण्टी ठीक ढंग से और उचित समय पर बजी थी। अतः यदि आप इस निष्कर्ष पर

पहुंचते हैं कि मशीन खराब थी तो आपको इस निष्कर्ष पर भी पहुंचना होगा कि घण्टी नहीं बजी थी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मुझे परिणाम की घोषणा करनी चाहिए। शुद्धि के अध्यधीन परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में : 246

विपक्ष में : 2

प्रस्ताव प्रक्रिया नियमों के नियम 157 तथा संविधान के अनुसार स्वीकृत नहीं हुआ है।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजबाद) : सर, अब सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : श्रीमान, सरकार को अवश्य त्यागपत्र दे देना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : इस सरकार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज आर्डर···

श्री राजेश कुमार सिंह : इस सरकार के निकम्मे कामों के कारण ही यह संविधान संशोधन विधेयक पारित न हो सका, गिर गया जब कि हम अपोजीशन वालों ने उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया था। इस पर आप अपनी रुलिंग दीजिए···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : इसमें मेरी क्या रुलिंग है।

श्री राजेश कुमार सिंह : मान्यवर, यह कितना बड़ा गैर-जिम्मेदारी का काम इस सरकार ने किया है। इस सरकार के लोग सदन में उपस्थित नहीं होना चाहते। इस विधेयक को जानबूझ कर गिराया गया है, जानबूझ कर अनुपस्थित रहे क्यों कि इसमें शैड्यूल्ड काट्स्स के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान था, इसीलिए इसको जानबूझ कर गिराने की कोशिश की गई है। क्या यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी कि इसको पास करवाया जाए।

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी डिवीजन क्लर्क के माध्यम से अपना मतदान किया :

पक्ष में : कुमारी कमला कुमारी, सर्वश्री बी० के० नायर, चक्रधारी सिंह, पी० शनमुगम, मानिकराव होडल्य गावित, प्रभुनारायण टण्डन, नारायण साहू, भुवनेश्वर भूयन, टी० दामोदर रेड्डो, काजी जलील अब्बासी, डा० गोलम याजदानी, राजीव गांधी, नाथू राम शक्यवार, बाजूबन आर० खारलुखी, इन्द्रजीत गुप्त, चित्त बसु, डा० बी० कुलनदईवेलु, रामविलास पासवान, धनिक लाल मण्डल, विजय मोदक, गदाधर साहा, एम०एम० लारेंस, के० अर्जुनन, एन० सेलवाराजू, मतिलाल हसदा।

श्री राम विलास पासवान : हम लोगों ने तो इसको सपोर्ट किया था, उसके बावजूद भी यह लौस्ट हो गया।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना काम कीजिए।

3.44 म० प०

संविधान (48वां संशोधन) विधेयक

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमन्ड हार्बर) : महोदय, हम सब जो देश में भूमि सुधार के पक्ष में हैं, इस विधेयक का स्वागत करते हैं। भूमि सुधार विषय राज्य का विषय है। जब प्रारम्भ में सभी राज्यों ने भूमि सुधार के सम्बन्ध में कानून बनाए तो उनमें से अधिकतर कानूनों को न्यायालयों द्वारा रद्द कर दिया गया, क्योंकि उनके द्वारा संविधान के मूलभूत अधिकारों के अध्याय के उपबन्धों का कहीं न कहीं उल्लंघन होता था। इसलिए अन्ततः यह संविधानिक युक्ति अपनानी पड़ी जिससे भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों सहित सभी प्रगतिशील कानूनों को संरक्षण दिया जा सके ताकि निहित स्वार्थ वाले लोग उन पर हमला न कर सकें। नौवीं अनुसूची अनुच्छेद 31-घ के संविधानिक उपबन्धों के अधीन रखी गयी थी। इसके अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि जो भी कानून नौवीं अनुसूची में रख दिया जाता है उसे न्यायालय इस आधार पर अवैध घोषित नहीं कर सकता कि वह अध्याय तीन में दिए गए मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है। महोदय, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मुझे एक आपत्ति है।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : महोदय, क्या आप यह चाहते हैं कि मैं सभा में हो रहे इस शोरगुल के बीच ही अपना भाषण जारी रखूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप लोग आपस में बातचीत करना चाहते हैं तो कृपया बाहर चले जाइये और यदि आप इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं तो शान्त रहिए।

श्री अमल दत्त : महोदय, ये लोग किसी भी अनुशासन में बंधना पसन्द नहीं करते हैं।

3.51 म० प० **(श्री एफ० एच० मोहसिन पीठासीन हुए)**

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया शान्त रहिए।

श्री अमल दत्त : महोदय, इस विधेयक से यह मालूम होता है कि कुछ अधिनियमों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। अब देखना यह है कि ये कौन से अधिनियम हैं जिन्हें नौवीं अनुसूची में रहकर संरक्षण दिया जा रहा है। मैं उन सबका नाम तो नहीं लेना चाहता लेकिन कुछ का उल्लेख करना चाहूंगा। ये संख्या में कुल 16 हैं। इनमें से पहला असम टेम्प्रेरी सेटीलड एरिया एक्ट, 1971 है। महोदय, यह 1971 का अधिनियम है जिसे 1984 में नौवीं अनुसूची में रखकर संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इससे अगला अधिनियम 1974 का है। उसके बाद 1975 का अधिनियम है। और उससे अगला अधिनियम 1975 का है। अब हम भूमि सुधार सम्बन्धी विधेयकों पर आते हैं यथा बिहार भूमि सुधार विधेयक, 1975 ; बिहार भूमि सुधार विधेयक, 1976 ; बिहार फालतू भूमि विधेयक, 1978, इसमें पश्चिम बंगाल के भी दो विधेयक हैं जिनमें से एक 1978 का है और दूसरा 1980 का। अब सवाल यह उठता है कि सरकार को अचानक यह ध्यान कैसे आया कि इन अधिनियमों को जो बहुत पहले पारित किए गए थे अब संरक्षण प्रदान किया जाए और यदि सरकार उन्हें संरक्षण देना चाहती थी तो वह यह संविधान संशोधन विधेयक बहुत पहले ही क्यों नहीं लाई? इन विधेयकों में से विशेष रूप से अन्तिम विधेयक, जिसे वे संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं, 1980 में पारित किया गया था। इस सूची में 1980 के पश्चात् का कोई भी विधेयक नहीं है, जिसे इस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसलिए मैं पूछना यह चाहता हूं कि 1980 से बाद में अब तक वे क्या कर रहे थे ? क्या सरकार सो रही थी। निर्धन लोगों के हितों की निहित स्वार्थ वाले लोगों से रक्षा करने के लिए राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित किए गए विधेयकों को संरक्षण देने का क्या केन्द्रीय सरकार का यही तरीका है। विधेयक पास करने के बाद राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया था कि वह इन अधिनियमों को स्वीकृति देकर उन्हें नौवीं अनुसूची में रखें। इस मामले में इतना अधिक विलम्ब करने का क्या कारण है? प्रस्तुत संविधान (संशोधन) विधेयक में यह स्पष्ट नहीं किया गया है। हालांकि हम इस विधेयक के मामले में सरकार को अपना पूर्ण समर्थन देने के इच्छुक हैं और ऐसा कोई कारण भी नजर नहीं आता कि हम सरकार को समर्थन न दें, लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया है कि वह इस विधेयक को इतने विलम्ब से क्यों लाई है और यह भी नहीं बताया है कि ऐसे कितने और विधेयक शेष हैं जिन्हें इस विधेयक में सम्मिलित नहीं किया गया है और जिनके बारे में राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि उन्हें नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए? एक मामला मुझे मालूम है। पश्चिम बंगाल विधान सभा ने 1979 और 1980 में भूमि सुधारों के लिए दो अधिनियम बनाये थे जो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए अभी तक केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं। राज्य सरकारों द्वारा पारित किये गये भूमि सुधार सम्बन्धी अधिनियमों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए इतने लम्बे समय तक लम्बित रखने से इस बात का पता लगता है कि केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के विधेयकों के बारे में कितनी चिन्तित है। यहां पर मैं छठी योजना दस्तावेज से उद्धरण देना चाहूंगा। इसमें यह आश्वासन दिया गया था कि भूमि सुधार सम्बन्धी अधिनियमों जो अभी तक संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किए गए हैं, के बारे में संसद शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करेगी। महोदय, छठी योजना दस्तावेज 1981 में प्रकाशित किया गया था और उसमें यह आश्वासन दिया गया था। क्या अब 1984 में आकर संसद में यह संविधान संशोधन विधेयक लाकर उक्त आश्वासन के सन्दर्भ में शीघ्र कार्यवाही की गई है? क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इन कानूनों के अधीन कितने मुकदमे चल रहे हैं और क्या राज्य सरकारों द्वारा पारित किए गए कुछ ऐसे अधिनियमों को न्यायालयों द्वारा पहले ही रद्द किया जा चुका है? क्या मन्त्री महोदय के पास इस आशय की कोई

जानकारी है ? मैं यह जानना चाहता हूं। वैसे तो हम सभी प्रकार के विधेयकों पर सरकार को समर्थन दे रहे हैं जैसा कि आपने अभी एक दृश्य देखा, शायद आप उपस्थित नहीं थे। मुझे ठीक तो मालूम नहीं है परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि सरकार संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए अपेक्षित-संख्या में सदस्यों को यहां उपस्थित रखने में असमर्थ है। इस बात से भूमि सुधारों से सम्बन्धित कानूनों के बारे में केन्द्रीय सरकार की चिन्ता का पता लगता है। इनमें से अन्तिम में यह व्यवस्था है कि पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के लिए संसद और विधान सभा में कुछ स्थान आरक्षित किए जाएं। ये लोग दुर्बल वर्ग के हैं और उन्हें ऐसा आरक्षण अवश्य दिया जाना चाहिए। लेकिन सत्ताधारी दल इसके लिए अपेक्षित समर्थन प्राप्त करने में असमर्थ है। यहां मैं फिर कहना चाहूंगा कि सत्ताधारी दल ऐसे सभी विधेयकों को संसद के सामने न लाने का दोषी है, जिनके बारे में 1981 में आश्वासन दिया गया था जबकि छठी योजना दस्तावेज प्रकाशित किया था। इस सूची में जो अन्तिम विधेयक हैं वह पश्चिम बंगाल का 1980 में पारित किया गया विधेयक है और जो इस सूची में सबसे पहला विधेयक वह 1971 का है। इसलिए 15 वर्ष की अवधि के बाद इन विधेयकों को यह कैसा संरक्षण ? क्या इससे यह पता नहीं लगता कि भूमि सुधार सम्बन्धी तथा अन्य प्रगतिशील कानूनों के बारे में सरकार कितनी गम्भीर है।

हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं परन्तु साथ ही हम सरकार से इतने अधिक विलम्ब के लिए स्पष्टीकरण मांगते हैं और इस बात के लिए भी सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हैं कि विभिन्न विधान सभाओं द्वारा पारित किए गए प्रगतिशील विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति क्यों नहीं दी गई और नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करने हेतु उन्हें इस संविधान संशोधन विधेयक में शामिल क्यों नहीं किया गया है। जो दो विधेयक राष्ट्रपति के पास विचाराधीन पड़े हैं उन्हें अनुमति क्यों नहीं दी गई और उन्हें इस संशोधन विधेयक में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया। सरकार इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दें।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, संविधान (48वां संशोधन) विधेयक, 1983 जो सदन में प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं समर्थन करता हूं। भूमि सुधार के बारे में जो भी कदम राज्यों द्वारा उठाए गए हैं, उनका वैस्टेड इन्टरेस्ट्स ने हमेशा विरोध किया है। मैं जब विधान-सभा का सदस्य था तब भी लैंड रिफार्म्स और सीलिंग के बारे में डिस्कशन होता था, जो वैस्टेड इन्टेरेस्ट हैं, जमींदार, लैंडलार्ड्स, उन्होंने बिल का हमेशा विरोध किया और जितने भी प्रगतिशील कानून बनने चाहिए थे, हम नहीं बना सके।

जब इस प्रकार का बिल सिलेक्ट कमेटी में भी गया तो वहां भी स्थिति यह हुई कि हमें इस प्रकार के निर्णय लेने पड़े कि लैंड रिफार्म में वास्तविक रूप में जो प्रगति होनी चाहिए थी, और जो हम बनाना चाहते थे, वह नहीं बना सके। कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 31-बी में जो प्रविजन किया गया है वह वास्तव में गरीब किसानों की प्रोटेक्शन के लिए कानून बना है। जो कानून टेनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत बने हैं, उनका हमेशा कोर्ट में विरोध किया गया है और कोर्ट बहुत टाइम लेती हैं। उसका तरीका यही है कि यह जो प्रगतिशील कानून हैं, टेनेन्सी और लैंड रिफार्म के कानून हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए नवें शिड्यूल में लाने का महत्वपूर्ण जरिया है और इसको हमें जल्द से जल्द प्रयोग करना चाहिए था।

हम आखिर में महसूस करते हैं कि जो कामरेड ने विचार प्रगट किए थे, उनसे मैं सहमत हूं कि वास्तव में जो इस प्रकार के कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल हैं, इन्हें हमें जल्दी लाना चाहिए था। जितने

भी टेनेन्सीज के लाज हैं, लैंड रिफार्म के लाज हैं, 1980 से पहले के हैं, हमको उन्हें 1981-82 में अवश्य ही लाना चाहिए था।

4.00 म० प०

ऐसा न करने से उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और जिन लोगों के लाभ के लिए वे कानून बनाए गए थे, उनको लाभ नहीं पहुंचा। अगर हमारे प्रगतिशील कानूनों का लाभ किसानों, गरीब आदमियों और स्माल तथा मार्जिनल फार्मर्ज को नहीं मिलता है, तो फिर उन कानूनों को बनाने का क्या उद्देश्य है ? यह जरूरी है कि टेनेन्सी और लैंड रिफार्म्ज के और भी जितने कानून हैं, उन सबको जल्दी से जल्दी नवें शिड्यूल में डाला जाए।

लैंड रिफार्म्ज के जो कानून स्टेट्स में बने हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से नहीं हुआ है। फर्स्ट फाइव यीअर प्लान से लेकर सिकस्थ फाइव यीअर प्लान तक लैंड रिफार्म्ज के क्रियान्वियन पर जोर दिया गया है, लेकिन अभी तक उनको क्रियान्वित नहीं किया गया है। भूमिहीनों को भूमि एलाट की गई है, लेकिन अभी तक उन्हें कब्जा नहीं दिया गया है।

4.02 म० प० **(श्री आर० एस० स्वैरी पीठासीन हुए)**

मैं चाहता हूं कि कलेक्टर्ज को इन्स्ट्रक्शन्ज देकर, पुलिस की फोर्स से; कानून की शक्ति से उन लोगों को भूमि का कब्जा दिलाया जाए। अगर भूमि की एलाटमेंट करने के बाद उन लोगों को कब्जा नहीं मिलता है, तो लैंड रिफार्म्ज की परपज ही डिफीट हो जाता है।

यह भी देखा गया है कि जो सबसे खराब जमीन है, जो अनइकानोमिक होल्डिंग है, वह भूमिहीन किसानों को दी गई है, जिससे उनकी इकोनोमिक कन्डीशन में कोई सुधार नहीं हो पाया है। आवश्यकता इस बात की है कि स्टेट्स लैंड रिफार्म्ज की तरफ अधिक ध्यान दें और यदि आवश्यक हो, तो इसके लिए प्रगतिशील कानून बनाएं। भूमिहीनों और जिन शिड्यूल्ड कास्ट्स तथा शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों के पास जमीन नहीं है, उनको जमीन दी जाए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो और प्राडक्शन बढ़ सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल के द्वारा लैंड रिफार्म्ज के कानूनों को नवें शिड्यूल में रखा जा रहा है, लेकिन तथ्य यह है कि लैंड रिफार्म्ज और सीलिंग के कानूनों से अभी लैंडलेस लोगों को सही मानों में कोई फायदा नहीं हुआ है। हमारा सामाजिक ढांचा इस प्रकार का है कि लैंड रिफार्म्ज के कानून तो बनते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता है। लैंडलेस लोगों को सरप्लस लैंड देने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन उसमें भी अनियमितता बरती जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि कानून में उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि लैंड रिफार्म्ज के जितने कानून हैं, उन सब पर मेल-ओरियेंटिड मिताक्षरा स्कूल का प्रभाव है। उसके अनुसार आदमी के मरने के बाद उसकी जमीन पर न तो उसकी

पत्नी और न बड़ी बेटी का कोई हक होता है। हम समानता की बात करते हैं, लेकिन लैंड रिफार्म्ज, सीलिंग और उत्तराधिकार आदि से सम्बन्धित कानूनों में महिलाओं की उपेक्षा की गई है।

मेरा सरकार से कहना है कि इस पर भी विचार किया जाना चाहिए और कोई कामन लैंड रिफार्म्स का कानून आता है तो उसमें महिला को भी चाहे लड़की हो, चाहे वाइफ हो, उसको भी कुछ हक मिलना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने सोच लिया है कि हमारी महिलाएं एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। गांवों में बहुत से समाजों की महिलाएं खेती में बहुत अधिक काम करती हैं। इसलिए उन्हें भी वह अधिकार मिलना चाहिए।

इतनी बात कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, यह कानून तो लम्बे अरसे से बन रहा है। सिकस्थ फाइव ईयर प्लान के अन्दर हमारे चव्हाण साहब ने यह भाषण दिया था :

> "जिन राज्यों ने नीति के विभिन्न तत्वों को क्रियान्वित नहीं किया है उन्हें छठी पंच-वर्षीय योजना का विशिष्ट रूप से अनुसरण कर सकते हैं। फालतू भूमि का कब्जा लेने और उसे वितरित करने के कार्यक्रम को दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जायेगा।"

अर्थात् 1982-83 तक।

छठी योजना में यह कह दिया गया था कि 82-83 तक सारी जमीन जो सरप्लस है वह ले ली जाएगी। लेकिन जब मैंने हाउस के अन्दर सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि इतनी जमीन तो ली नहीं गई और इतनी जमीन अभी कोर्ट केसेज में पेंडिंग है। यह जवाब 24 मार्च 1983 को दिया गया था और यह बताया गया था कि 11 लाख 86 हजार 667 एकड़ जमीन के केसेज अभी तक कोर्टस के अन्दर पेंडिंग हैं।...(**व्यवधान**)...यह 11 लाख एकड़ जमीन जो अभी भी है वह बड़े-बड़े लोगों के पास है। इसलिए हम नाइन्थ शेडयूल की बात करते हैं। एक और बात है कि कानून बनाना अलग बात है। कानून तो एक मकड़ी का जाला है जिसमें गरीब फंसता है और धनवान छूट जाता है। कानून बना दिया जाता है। इस कानून को सब स्टेट्स ने अलग-अलग तारीखों में लागू किया। आन्ध्र ने 1973 में लागू कर दिया, आसाम ने 1975 में लागू किया, बिहार ने 1973 में लागू किया और हरियाणा ने 1972 में लागू कर दिया। सब स्टेट्स ने इस ऐक्ट को लागू कर दिया कि लैंड सीलिंग रिफार्म्स होने चाहिए लेकिन उसका रिजल्ट पढ़ें तो पाएंगे कि आज देश के अन्दर जो आर्थिक विषमता है और गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनके पास कितनी-कितनी जमीन है।

1971 की कृषि जनगणना के आंकड़ों के अनुसार एक एकड़ तक की कृषि भूमि वाले सीमान्त किसान और एक से दो एकड़ तक की कृषि भूमि वाले छोटे किसान कुल ग्रामीण परिवारों का 70 प्रतिशत हैं जबकि इनके पास कुल भूमि का लगभग 20 प्रतिशत है। सारी जमीन का 20 प्रतिशत भाग भी गरीबों के पास नहीं हैं। यह आपका आंकड़ा बतलाता है। तो गरीबों के पास जमीन कुछ भी नहीं है। सारी की सारी जमीन कुछ लोगों के पास है और और चन्द लोग अभी भी उस पर काबिज बने हुए हैं। राजस्थान राजाओं की भूमि है और राजा लोग वहां राज करते थे। 24 रियासतें थी, छोटे-छोटे जागीरदार थे, जिनके पास कानून के खिलाफ हजारों बीघा जमीन है, सैंकड़ों बीघा इरिगेटेड जमीन है

और कानून गरीबों की मदद नहीं कर रहा है और वे लोल उसका आनन्द ले रहे हैं। सारे जागीरदार लोग, जो सामन्ती तत्व थे उन्होंने जमीन अपनी ताकत के बल पर दबा रखी है।

देश में हम लैंड रिफार्म लागू करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जमीन गरीबों के पास नहीं है। जो कानून आप लाये हैं, उसके लिए आपको बधाई। आप तो कहते हैं कि मैं कानून की किताबें रख लेता हूं कि 9वें शिड्यूल में कानून चैलेंज नहीं किए जायेंगे, लेकिन कानून का क्या होगा जब तक कि हमारी दृढ़ इच्छा और पूरा इरादा नहीं होगा ? हम जमीन ले नहीं सकेंगे। यह गरीबों का सवाल है, इस बात को गंभीरता से ले लेना चाहिए।

हर आदमी कहता है कि लैंड रिफार्म होना चाहिए, लेकिन जब कानून स्टैट्यूट बुक में रह जायेंगे तो उससे लाभ नहीं होगा। आज जमीन किनके पास है ? जो व्हाइट कलर्ड पर्सन्स हैं, जो कभी खेती नहीं करते हैं, एब्रसेंटी लैंडलार्डज हैं, यहां भी कई लोग बैठे हैं, जो कभी खेती के हाथ नहीं लगाते, जमीन आज भी उनके पास है। इस कानून में बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए कि जमीन उसकी जो जोते खेती उसकी जो खेती बोये। लेकिन आज जमीन उनके पास है जो जमीन बोते नहीं हैं और वह आराम से खाते हैं।

आप जो कानून लाये हैं, मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूं कि 9वें शिड्यूल में लिए जाए ताकि चेलैन्ज न हो, लेकिन आपका कानून केवल कागजों में है। जो 9वें शिड्यूल में इसे ला रहे हैं, यह तो कभी का ले लेना चाहिए था। आज आप इसे 1984 में ला रहे हैं।

आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेज पैंडिग हैं हमारे ला मिनिस्टर कहते हैं कि इसको 9वें शिड्यूल में ले लेंगे, लेकिन लेने के बाद क्या होगा ? जिन लोगों ने कब्जा कर लिया है, कब्जे पुराने हो गए हैं, जमीन ट्रांस्फर कर दी है और वह जमीन उनके पास से चली गई है उनका क्या होगा ? कानून बनाने से ही संतोष नहीं होना चाहिए, अगर कानून का इम्पलीमैंटेशन नहीं होगा तो उससे लाभ नहीं होगा।

कानून के आस्पैक्ट का मैं समर्थन करता हूं लेकिन इसके साथ-साथ हमारी सरकार का पूरा मजबूत इरादा होना चाहिए कि हम लैंड रिफार्म को रि-एग्जामिन करें और जो जमीन जोतते हैं, उनको जमीन दी जाये। जो जमीन पर एब्रसेंटीज लैंडलार्ड्ज हैं, उनसे जमीन छीन ली जाये और सख्त कानून बनाया जाये।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, कोई भी समझदार आदमी जो भारत की प्रगति से अभिरुचि रखता है, इस बिल का समर्थन करेगा और मैं भी समर्थन करता हूं।

मैं अपने पूर्व-वक्ताओं के इस कथन से बिल्कुल सहमत हूं कि इस विधेयक को बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। मैं अपने राज्य में देख चुका हूं, आपको आश्चर्य होगा कि आज के युग में भी एक-एक परिवार के पास 18, 18 हजार एकड़ जमीन है। जिस देश में भूमिहीन मजदूर हैं, उनको बसने के लिए, घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, वहां एक-एक परिवार के पास 18, 18 हजार एकड़ जमीन हैं।

जहां तक मुझे याद है, कुरसेला में अभी भी एक व्यक्ति के पास 18 हजार एकड़ जमीन है, गया के महन्त के पास 6 हजार एकड़ से अधिक जमीन है जिसमें बेनामी और नामी दोनों हैं। वहां

संघर्ष हुआ, पर पता नहीं कानून का झुकाव किस तरह से होता है कि कोई भी सफल नहीं हो पाता है।

जो लोग सरकार में जाते हैं, वे सद्-इच्छा से कानून बनाते हैं परन्तु यह किस प्रकार की सद्-इच्छा है कि जब से बिहार में जमींदार उन्मूलन हुआ, भूमिसुधार के तरह-तरह के कानून बने लेकिन आज भी भूमिसुधार के नाम पर कुछ परिवारों के हाथ में अधिक से अधिक कृषि योग्य भूमि केन्द्रित है। इस स्थिति में देश का विकास किस तरह होगा ? हमारे देश में कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोफेशन है। देश के अधिकांश लोग खेती पर निर्भर करते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर जमीन का इतना बड़ा हिस्सा कुछ परिवारों के हाथ में केन्द्रित हो, तो बाकी लोगों के पास कितनी जमीन होगी। मैं समझता हूं कि 5 प्रतिशत लोगों के हाथ में 7.5 प्रतिशत कृषि-योग्य भूमि केन्द्रित है। भूमि-सुधार के इतने कानूनों का यह नतीजा निकला। मुझे संतोष है कि कुछ खास-खास कानूनों को 9वें शिड्यूल में डाला गया है, परन्तु भूमि-सुधार के और कानूनों का क्या होगा, जो भविष्य में देश की प्रगति और कृषि की उन्नति के लिए बनेंगे ? वे तो 9वें शिड्यूल में नहीं डाले जा सकेंगे। उसके लिए संविधान का फिर संशोधन करना होगा। आपने कुछ समय पहले देखा कि सरकार ने कितनी ही सदेच्छा से संविधान में संशोधन करना चाहा, मगर उसमें कितने सदस्यों की अभिरुचि रही। विरोध पक्ष के समर्थन के बावजूद वह संविधान-संशोधन सदन में गिर गया।

इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार ऐसा संशोधन करे कि भविष्य में भूमि-सुधार के जितने भी कानून बनें, वे स्वत: 9वें शिड्यूल में शामिल हो जाएं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार खंड-खंड करके संविधान का संशोधन करके कुछ कानून को 9वीं अनुसूची के अन्तर्गत लाना एक अच्छे काम को बुरे या गलत ढंग से करने का प्रयास है। आज स्थिति यह है कि राज्यों में जो कानून बनते हैं, एक तो उन्हें राज्यपाल की स्वीकृति मिलने में देर लग जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि जिस समय कानून को लागू करने की आवश्यकता होती है, उस समय वह लागू नहीं हो पाता है। मुझे याद है कि बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून पास हुआ। उसके निर्माताओं का उद्देश्य अच्छा था, लेकिन जब वह लागू हुआ, उससे पहले ही सारी की सारी जमीन ऊंची कीमत ले कर रैयतों के नाम कर दी गई थी और सारे पेड़ काट कर बेच दिए गए थे। इस तरह जमींदार उन्मूलन का कोई फायदा नहीं हुआ। स्वेच्छा के बावजूद लागू करने में विलम्ब करने से कानून की सारी उपयोगिता समाप्त हो जाती है।

इसलिए मेरा आग्रह है मंत्री महोदय से कि विधेयक को तो मैं तहेदिल से समर्थन देता ही हूं लेकिन आगे से मेरा यह अनुरोध है कि आप ऐसा संशोधन लाएं कि भूमि सुधार सम्बन्धी जितने भी कानून बनें वह स्वत: नवें शेड्यूल में चले जायं। मुझे याद है कि जनता प्रशासन में बिहार की जो हालत थी उसको देख करके बिहार की सरकार ने भी इसके लिए केन्द्र से अनुरोध किया था। लेकिन दुर्भाग्य से वह सरकार अल्प समय तक ही रह सकी, इसलिए यह हो नहीं पाया। मैं उम्मीद करता था कि हमारी प्रधान-मंत्री जिन्होंने कभी दावा किया था कि किसानों के पसीने की जगह वह खून भी देने के लिए तैयार हैं, तो वह इस प्रकार के किसानों के हित के कानून बहुत पहले लाएंगी। लेकिन अब इस संसद के पांच साल के इस आखिरी सत्र में यह कानून लाया जा रहा है। मुझे तो थोड़ी देर पहले की घटना को देखकर भारी सन्देह हो रहा है कि कहीं इसका भी वही हाल न हो जाए जो संविधान संशोधन विधेयक का हुआ, वह जिस तरह से गिर गया, कहीं उसी प्रकार से यह भी न गिर जाय। इसलिए मैं संसदीय कार्य मंत्री से यह भी अनुरोध करूंगा कि किसी प्रकार से यह संशोधन असफल न हो जाय, इस चीज को वह देखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : सभापति महोदय, यह भूमि सुधार संशोधन बिल जो लाया गया है इसका तो भारत का प्रत्येक किसान और मजदूर, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, सब के सब इसका समर्थन कर रहे हैं। यहां भी हम इसके विपरीत किसी भी सदस्य को नहीं पायेंगे। इसलिए उनकी आवाज हम सब यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। मगर साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि भूमि सुधार पहले भी हुए लेकिन उसका परिणाम सबसे अन्तिम व्यक्ति के लिए बहुत ही कम हो पाया है। साथ-साथ भूमिवान जो हैं, जमींदार और सामन्त जो हैं उनकी अवस्था में भी कोई विशेष अन्तर नहीं आया है। उन्हें कम-जोर करके उनसे जमीन लेने में हम सफल नहीं हो पाये हैं। उस तरफ भी हमारा ध्यान जाना आवश्यक है। अभी भी जो भूमि है ऐसे लोगों के पास जो कानून को धोखा दे करके और बचा करके रखी गई है उसको किस तरीके से निकाल सकें, उस तरफ विशेष ध्यान देना होगा।

देश के किसी भी कोने में हम जाते हैं यही पाते हैं कि अभी भी वही भूमि के मालिक बैठे हुए हैं जो सीलिंग कानून को बेमहत्व करके अधिक जमीन अपने पास रखे हुए हैं। जैसे पूर्व वक्ता ने बताया हजारों एकड़ जमीन उनके पास है। सीलिंग कानून का कोई भी लाभ हमें या समाज को नहीं मिल पाया है। आज भी वह स्थिति ज्यों की त्यों है। तो आज इस कानून के अन्तर्गत हमें फिर से चाहिए कि इस ओर ध्यान दें। आज की स्थिति में बहुत कुछ भूमि सुधार जो हुआ है उस आधार पर सीलिंग पर फिर से विचार करें। बेनामी जमीन जिनके पास है उन सबसे उसे निकालने का विशेष प्रयत्न होना चाहिए।

जमीन बचाने के अनेक तरीके अपनाए गए हैं और मैं मुख्य रूप से यह बताना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर हर मजहब के लोग ज्यादा से ज्यादा जमीन अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखे हुए हैं। हजारों लाखों एकड़ जमीन इन नए सामन्तों के पास बनी रह गई है। जितने भी मन्दिर या मठ आप देखेंगे उन मठों के पास लाखों एकड़ जमीन है। चाहे बौद्धों का मठ हो, या मन्दिर हो--देखने में तो ऐसा आया है कि जो जमीनें किसानों के पास होनी चाहिए थी वह उनके पास हैं। अभी अभी मैं गुरुद्वारा देखकर आया हूं, लाखों-करोड़ों की सम्पत्ति उनके पास है। यदि इस प्रकार से धर्म के नाम पर शोषण का तरीका ज्यों का त्यों कायम रहा तो इस प्रकार का कानून बनाने के पीछे जो हमारी मंशा है उसके अनुसार सबसे नीचे के आदमी को हम भूमि कैसे दे पायेंगे? तो मेरा निवेदन है कि कानून बनाने के साथ-साथ इस तरफ की ध्यान देना चाहिए। आज हर आदमी महसूस करता है कि धर्म के नाम पर एकत्र की हुई पूंजी को यदि समाज के उपयोग में लाना है तो यह आवश्यक है कि जितनी भी इस प्रकार की भूमि धार्मिक संसथानों के पास है, उसको भी इस बिल के अन्तर्गत लाया जाए ताकि उसको भूमि-हीनों में बांटा जा सके।

इसके साथ साथ हमें इस आधार पर भी देखना होगा कि आज किसी के पास जो भूमि है, जो बेनामी भूमि है, उसमें किसान कौन है? ऐसा तो नहीं है कि दूसरे लोग हल जोतते हैं और लाभ वह वर्ग उठा रहा है। वास्तव में किसान वही है जोकि हल चलाता है। जो पढ़े-लिखे लोग हैं, नौकरी करने वाले या व्यापार करने वाले, वे किसान हरगिज नहीं हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति अपने हाथ से हल जोतता है उसको ही कानून का लाभ मिलाना चाहिए।

यदि आज आप वास्तव में भूमिहीन को भूमि देना चाहते हैं तो भूमि की जो मिल्कियत है उसका विसर्जन होना चाहिए। आज ग्राम सभायें एवं ग्राम पंचायतें बनी हुई हैं, उनके नाम पर ही जमीन होनी चाहिए, किसी व्यक्ति के नाम से नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से भूमिहीनों को उनकी आवश्कता के

मुताबिक जमीन देने की व्यवस्था होनी चाहिए। जो छोटे किसान हैं जो अपने हाथ से हल जोतते हैं उनके पास भूमि रहनी चाहिए लेकिन जो सर्विस करते हैं या व्यापार करते हैं उनके पास से यदि जमीन ग्राम सभा के पास जायेगी तो आवश्यकता के मुताबिक वह भूमिहीनों को मिल सकेगी।

भूमि विसर्जन के साथ-साथ कुछ दूसरे मुद्दे भी हैं जिनकी तरफ ध्यान जाना बहुत आवश्यक है। विकास कार्यों के लिए किसान भी भूमि वेमोल कीमत पर ले ली जाती है। हमारे क्षेत्र में एक कारखाना खोला गया जिसका लाभ तो पूरे क्षेत्र को मिला लेकिन सबसे अधिक पीड़ित वे हुए हैं जिनकी भूमि उसके लिए ले ली गई थी। इसी प्रकार से बांध बना दिया जाता है जिससे नीचे वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचता है लेकिन जिनकी जमीन उस बांध में डूब जाती है उनको क्या मिलता है? आप सड़क बनाने के लिए किसान की जमीन ले लेते हैं लेकिन उस किसान की क्या स्थिति होती है? इसलिए मेरा निवेदन है कि जब आप किसान को उसकी भूमि का मूल्य दें तो बढ़ाकर दें ताकि विकास का लाभ कुछ उसको भी मिल सके।

तीसरा निवेदन यह है कि आज बहुत सी जमीन जंगलों के विकास के नाम पर आदिवासियों से छीनी जा रही है। हम चाहते हैं कि जंगलों का विकास हो, लेकिन किसान की कीमत पर न हो। जहां-जहां जंगल लगे हुए हैं और ऐसी जमीन है जो वर्षों से बे-आबाद रही है, जहां लकड़ी नहीं है, उजाड़ है, अगर उसमें किसान आबाद हो गया है तो उसको जंगल के विकास के नाम पर उठाया जा रहा है। जहां ऐसी स्थिति है कि जंगलों के आस-पास किसान को बसाया गया है या वह खुद बस गया है उसको वहां से उठाया न जाय, उन्हें फिर से वहां पर बसाने का प्रयत्न होना चाहिए। इसके साथ ही किसान को उस जमीन की मिलकियत दी जाय, आसपास के जंगलों के संरक्षण की व्यवस्था उनके हाथ में दें तो जंगलों की चोरी रुकेगी और उस जमीन से वे अपना विकास कर सकेंगे, साथ ही जंगलों की रक्षा भी किया करेंगे।

आप इस कानून के द्वारा छोटे किसानों को, भूमिहीन किसानों को संरक्षण देना चाहते हैं, यह बहुत अच्छी विचारधारा है, लेकिन इसके साथ ही यह प्रयास भी किया जाना चाहिए कि जहां-जहां जमीन की चोरी हुई है, उसको निकालिए और हम लोगों को दीजिए। आज बहुत जगह ऐसी स्थिति है कि जमीन दी गई है लेकिन उन पर कब्जा नहीं हुआ है। बहुत सी जगहों पर चरागाहों से जमीन निकाल कर दी है। मैं चाहता हूं कि किसान को जमीन के साथ सुविधा भी दीजिए। आज जमींदार लोग उनको अपनी तरफ से रु० देकर ब्याज और मुनाफाखोरी करके उसकी जमीन को वापस ले लेते हैं। अगर इन लोगों के चंगुल से किसान को बचाना है तो उसको थोड़ी सुविधा देनी होगी। मेरा अनुरोध है कि ऐसी सब जमीन ग्राम-सभा के अन्तर्गत आये और उस जमीन का मालिक वह हो जो खुद हल चलाने वाला हो। उसको जमीन की मिलकियत का विसर्जन करें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : सभापति महोदय, जहां तक इस संविधान संशोधन का सवाल है, मैं इसका समर्थन करता हूं। इस प्रकार के जो संशोधन लेकर हम आ रहे हैं उनका सीधा मकसद यह है कि जो कुछ कानून के द्वारा हम किसान को देना चाहते हैं, जो गरीब हैं, जिनका स्तर बहुत नीचा है, जिनके पास भूमि नहीं है, धंधा नहीं है, यदि उनको कुछ दिया जाता है, तो वह सुरक्षित रहे। कानून की आड़ में या फंडामेंटल राइट्स के आधार पर अदालतों की शरण लेकर उनके वे अधिकार छीन न लिये जाएं, इस दृष्किोण से आप इस संशोधन को लेकर आए हैं। इसलिए जहां तक आपकी मंशा का सवाल है मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन, सभापति जी, सीलिंग ला के बारे में यहां हर स्तर पर चर्चा हुई है कि सीलिंग कितना रहे, किसान को उसका पेट भरने के लिए कितनी जमीन छोड़ी जाय।

परन्तु किसी भी स्टेज पर उस कन्सेप्ट को स्वीकार नहीं किया गया कि "लैंड टु दि टिलर" जो हल जोते उसी के पास जमीन रहे और इस सीमा तक रहे—अभी तक इस कांस्पेट को स्वीकार नहीं किया गया। अलग-अलग राज्यों में इस पर अलग-अलग तरह से विचार किया गया, कहीं पर 30 स्टैंडर्ड एकड़ रखा गया, कहीं पर सींचित और असिंचित जमीन के आधार पर सीमा को छोड़ा गया। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि आज देश में जो हरित क्रांति आई है, वह किसके द्वारा लाई गई है। क्या उसका लाभ उस व्यक्ति को मिला है। आज हम गेहूं और चावल क मामले में आगे बढ़ रहे हैं। क्या हमारे द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ भूमिहीन किसान को मिला है। या जिसके पास 5 बीघा जमीन है उसको कोई लाभ मिल रहा है सभापति महोदय, सारी सुविधाओं का लाभ उसी को मिल रहा है जिसके पास सीलिंग की सीमा से कहीं अधिक जमीन है। यह जमीन उसने चाहे किसी भी तरह से बचा कर रखी हो। चाहे कानून से बचाकर रखी हो या सरकारी अधिकारियों से मिलकर बचाकर रखी हो। आज उसी को सारा लाभ हो रहा है। आज आप देखिए कि ट्रेक्टर कितने बिक रहे हैं। क्या सीलिंग की सीमा के अन्दर जमीन रखने वाला किसान ट्रेक्टर का खर्च बर्दाश्त कर सकता है? वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह साबित करता है कि जिसके पास ट्रेक्टर है, उसके पास सीलिंग की सीमा से ज्यादा जमीन है। इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। जिससे किसान अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके और अपने परिवार का पालन-पोषण ठीक तरह से कर सके। जिससे वह समाज के खड़ा होकर कह सके कि मैं किसान हूं। सिर्फ नारों के आधार पर हम इस देश में क्रांति नहीं ला सकते। किसान को अधिकार होना चाहिए कि वह गांव के अन्दर जमीन से जुड़ कर जीवित रहे। सम्पन्न हो सके। क्या ऐसा किसान जिसके पास सीलिंग की सीमा के अन्दर जमीन है, वह कभी सरपंच का चुनाव लड़ने का सपना देख सकता है। क्या वह कभी जिला प्रमुख या एम० एल० ए० या एम० पी० बनने का स्वप्न देख सकता है। सोच भी नहीं सकता।

श्री नवल किशोर शर्मा : ऐसे लोग भी हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : नवल किशोर जी नारे देना अलग बात है। नारे हम भी देते हैं। लेकिन कभी इन बातों पर विचार भी करिए।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं फैक्चुअल बात करता हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आज इस आधार पर विचार करिए। आज गांव का आदमी बोल नहीं सकता। गांव का आदमी संगठित नहीं है। गांव का आदमी आवाज ऊंची करके विद्रोह नहीं कर सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि गांव में जिस तरह से भूमि पर सीमा लगाई गई है, उसी तरह से शहरों में सीमा क्यों नहीं लगाई गई। शहरों में सम्पत्ति बढ़ती चली जा रही है। अभी जैसा कि डागा जी ने कहा उसी आधार पर मैं भी जानना हूं कि गांवों में जितनी सीमा सीलिंग की निर्धारित की गई है, क्या यह सच नहीं है कि जितने भी प्रभावी लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उन्होंने येन-केन-प्रकारेण, होने वाले बेटों के नाम से, या किसी प्रकार के स्टेटमेंट देकर के अपनी जमीनों को बचा लिया है। आज उनकी जमीन सीलिंग से बची हुई है। सीलिंग की पकड़ में ने ही लोग आए हैं, वे ही दौड़ते फिरते हैं, जो कानून नहीं जानते, जो अनपढ़ हैं। अन्त में केवल यही कहना चाहूंगा कि कानून और संशोधन बनाना आसान है। लेकिन जो कुछ हम देश के अन्दर ईमानदारी से चाहते हैं, वह तभी सफल हो सकता है, जब हमारी नीयत साफ हो। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टगंज) : सभापति महोदय, मैं, 48वें कांस्टीच्युशन अमेंडमेंट बिल जो सामने है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बात सही है कि जो हमें सीलिंग से अथवा ग्राम सभाओं से भूमि मिली थी, अब तक का जो रिकार्ड है उसके मुताबिक जितनी मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली। जो मिली भी है, उसका 50% ही हम भूमिहीनों में वितरित कर पाए हैं। आज, 37 वर्ष हो गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी सरकार ने विभिन्न अवसरों पर भूमि सुधार के कार्य चाहे केन्द्र या प्रदेशों के हाथ में रहे हों, वह लिए हैं। हमने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और सीलिंग एक्ट लागू किया। इसके बाद भूमिहीन किसानों और खेतिहर मजदूरों को भूमि वितरित करने की बात की गई। यह बात सही है कि भूमि सुधार के सम्बन्ध में हमने जो अन्दाजा लगाया था और जो उससे लाभ होता, वह हमको नहीं मिल सका। देश के जो करोड़ों लोग आशान्वित थे कि भूमि सुधार के कानून लागू हो जाने के बाद भूमि प्राप्त होगी, उनकी आशाएं पूरी नहीं हुईं। अब आप कांस्टीच्युशन अमेंडमेंट बिल लाए हैं। इसमें कुछ राज्यों के कानून हैं जिनको नाइंथ शेड्यूल के अन्तर्गत लाने का प्रयास किया गया है। बिहार के लैंड एक्वीजीशन एक्ट का मतलब क्या है? कलैक्टर जो चाहे निर्धारित कर दे, उसके बाद वह किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। इसको नाइन्थ शेड्यूल में लाने का मतलब यह होगा कि किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरी मांग है कि बिहार लैंड एक्वीजशन एक्ट को इसमें से निकाल दें। इसमें यह प्रावधान होना चाहिए कि देश के जितने राज्य हैं और जितने लैंड रिफार्म्स के कानून हैं, चाहे उन्होंने मांग की है या नहीं, लेकिन हमारी मांग है कि इन सबको उसमें इन्क्लयड कर लें। इसमें वही कानून शामिल किए हैं जिनके लिए राज्यों ने निवेदन किया है।

अगर राज्यों ने भूमि सुधार का कार्यक्रम किया होता तो आज यह नाइन्थ शेड्यूल में लाने की समस्या खड़ी नहीं होती। माननीय प्रधान मन्त्री जी के बीस सूत्री कार्यक्रम में से एक सूत्र भूमि सुधार का भी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि गरीबों को भूमि कैसे मिले। छठी पंचवर्षीय योजना के पहले ही राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे भूमि सुधार का कार्यक्रम पूरा कर लेंगे। मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़े प्रयास के बाद एक फैक्ट फाइण्डिग कमेटी मिर्जापुर में आदिवासियों और हरिजनों की जमीन के सम्बन्ध में स्थापित की थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट भी दी थी। लेकिन वह रिपोर्ट लागू नहीं हुई। कुछ संस्थाओं को और मुझे भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर आदेश लेने पड़े कि उन लोगों को उन आदिवासी हरिजनों को उन जमीनों से न हटाया जाए, जिन जमीनों पर उनका फिजिकल कब्जा है, पजैस्शन है, तब जाकर कहीं थोड़ी सी राहत मिली।

मान्यवर, यदि आप कभी आंध्र प्रदेश की ओर जायें तो वहां भद्राचलम जिले में टेनैंसी कानून लागू हो गया है। अब वहां कोई दूसरा आदमी जाकर जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन उन इलाकों में जो ट्राइबल एरियाज हैं, वैसे यहां पर नागालैंड और मिजोरम के सम्बन्ध में काफी चर्चा हो चुकी है, मैं उसको फिर से यहां रिपीट नहीं करना चाहता, बल्कि एम० पी० उड़ीसा, बिहार आदि राज्यों के बारे में बताना चाहता हूं कि जहां आदिवासी हरिजन लोगों को जो पहले से अधिकार मिले हुए थे, अब उनको छीना जा रहा है। उनको जमीनों पर कन्सेशन आदि नहीं मिल रहे हैं। उनके पीछे कारण यही है कि हमने कोई कानून बना दिए। हमने 1980 में फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट पास किया। वह उन राज्यों और इलाकों के लिए बनाया गया था जहां वन प्रदेश हैं। लेकिन उसके बाद वहां सारे निर्माण के काम ठप्प हो गए। उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों में, बुन्देलखण्ड और मिर्जापुर सहित, जहां जंगल हैं, हम वहां बिजली की लाइनें नहीं ले जा पा रहे हैं, हमें सड़कें बनाने में वहां दिक्कत पेश आ रही है और

तमाम योजनाएं जोकि करोड़ों रु० की सैंक्शन पड़ी, उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं, वह जरा ध्यान देकर सुनें कि हमारी कनहर परियोजना 50 करोड़ रु० की है, जिसमें से 20 करोड़ रु० अब तक खर्च कर लिया गया है, लेकिन बाकी पैसा हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। इस लिए कि वह जंगल की जमीन है, वहां आदिवासी लोग रहते हैं। इस कारण तमाम डैवलपमैंट के काम, बन्धे और बन्धियां बन्द पड़े हुए हैं, जिनको छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूरा हो जाना चाहिए था। इस फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट के आ जाने के कारण हम उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे है जो हमने गरीब आदिवासियों के लिए, खेतिहर मजदूरों और कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित किए थे। उनके लिए विभिन्न योजनाएं थीं, जगह-जगह सड़कें बनाई जानी थीं, बन्धे और बन्धिया बनाई जानी थीं, सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाने थे, नहरें निकालनी थीं।

आज जब हम संविधान में और संशोधन करने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था करनी चाहिए कि किस तरह से लैंड सुधार किया जाए। एक तरफ वे लोग हैं जो करोड़ों की संख्या में भूमिहीन हैं, उनको जमीन मिल जाए, जो भूमि लोगों को बंटी हुई है। हमें एमरजेंसी का वह समय याद है जब हमारे पेश की नेता इन्दिरा जी के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों में खासकर भूमि वितरण का कार्य किया गया, वैसा आज तक कभी नहीं हुआ। लेकिन अफसोस की बात है कि 1977 में जनता राज आ जाने के बाद, जोकि बिल्कुल जन आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं था, जनमानस को भ्रमित करके, उन्होंने उन जमीनों का कब्जा उनके पुराने लोगों को दिलवा दिया। मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन्होंने उस समय एक हवा फैलाई कि जो जमीन ग्राम समाज या सीलिंग से निकली है, उसको उन्हीं लोगों को वापस कर दिया जाए, जिनके पास वह पहले थी, इसके कारण अत्यधिक अव्यवस्था फैल गई, इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम चाहे इधर बैठने वाले हों या उधर बैठने वाले हों, जब भी जमीन सुधार का प्रश्न हमारे सामने आता है, बड़े किसान और छोटे किसान, इन दोनों के बारे में हम पुरानी परिभाषा को लागू नहीं कर सकते। यदि हम कहें कि जोतने वाले की ही जमीन होती है, तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब समय बदल गया है। उन किसानों का क्या होगा, जिनके पास ट्रैक्टर है। वैसे ट्रैक्टर बहुत से किसानों के पास होगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब हमें किसानों की ओर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वे कोई फ्यूडल नहीं हैं, सामन्तवादी नहीं हैं, सीलिंग सीमा के अन्तर्गत ही हैं। जैसा अभी हमारे एक साथी भी कह रहे थे, यह बात बिल्कुल सही है कि जितने किसानों के पास ट्रैक्टर हैं, वे उसकी किश्त तक ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। हम देखते हैं कि कहीं दूसरा काम धन्धा ढूंढ़ते हैं ताकि किश्त तो ठीक से दे सकें। इसलिए वह बात पुरानी हो गई है जब कि हम लोगों को खुशी करने के लिए कहें, लेकिन अब उससे काम नहीं चलने वाला है। बल्कि हमें यहां उनके सम्बन्ध में व्यावहारिक रूप अख्त्यार करना होगा और यह देखना होगा कि किस प्रकार से जमीनों का वितरण समयबद्ध हो जाए।

मान्यवर छठी पंचवर्षीय योजना में हमने जो लक्ष्य रखा था, मैं उसके लिए केन्द्र सरकार को दोष नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूं कि विभिन्न समय पर इन्होंने गाइडलाइन्स भूमि सुधार के सम्बन्ध में जारी की है, और यह कार्यक्रम बीस सूत्रीय कार्यक्रम का एक भाग भी है, लेकिन राज्यों ने उसका पालन नहीं किया। दूसरे हमारा जो कन्जर्वेशन एक्ट है, माननीय कृषि मन्त्री जी आप ध्यान दें, वैसे तो बहुत अच्छा है लेकिन आवश्यकता है कि देश में इकालौजी मेन्टेन करने के लिए, वनों को ठीक रखने के लिए, जंगलों का संवर्धन करें। लेकिन जहां जंगल नहीं हैं और जहां जंगलों में आदिवासी रहते हैं आप उनको ऊपर उठाना चाहते हैं···

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : जहां जंगल कट गए हैं वहां लगाना चाहते हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : जरूर लगवाएं, मुझे एतराज नहीं है लेकिन जहां जंगल नहीं हैं, लोगों की खेती बारी और मकान हैं ऐसे क्षेत्रों के बारे में सोचकर योजना बनाएं। अगर जंगल नहीं काटना है तो वहां रहने वाली आदिवासी जनता की जरूरतों को भी पूरा करना है। आप कहते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में सड़कें बनानी हैं, बिजली ले जानी है और 1990 तक सभी गांवों में बिजली ले जानी है। लेकिन आपका जंगल विभाग बिजली नहीं ले जाने देता है। इसलिए ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री आपस में बैठकर तय करें कि किस तरह से आदिवासी इलाकों का, जिनकी आर्थिक व्यवस्था का साधन जंगल है, समन्वित रूप से विकास किया जाय।

आप देखें किस तरह से फोरैस्ट आफिशियल्स चोरी कराकर अपनी ऊपरी आमदनी करा रहे हैं। एक एक रेंजर की 1,1 लाख रु० माहवार की आमदनी है क्योंकि वह अवैध रूप से जंगल कटवा रहे हैं। मैं बहुत जंगल प्रेमी हूं और पेड़ लगने चाहिए, 20 सूत्री कार्यक्रम में। लेकिन व्यावहारिक पक्ष देखते हुए हमारा विकास भी हो। और 33 प्रतिशत देश में जंगल हों, कुछ राज्यो में 17, 18 परसेंट जंगल हैं, लेकिन जंगल इस तरह से लगाएं कि जहां जंगल लग सकते हैं वहां जंगल लगाए जाएं और जहां खेती होती है वहां खेती की जाय ताकि एक बैलैंस्ड विकास हो।

इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

डा० वी० कुलनदेईवेलु (चिदम्बरम) : सभापति महोदय, मैं अपने दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से संविधान (48वां संशोधन) विधेयक, 1983 के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहूंगा।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के अकुशल कार्यकरण का यह विधेयक एक उपयुक्त उदाहरण है। मैं बाध्य होकर यह कह रहा हूं कि राज्यों के भूमि अधिकतम सीमा सम्बन्धी अधिनियमों की संवैधानिक संरक्षण देने में केन्द्रीय सरकार ने उस प्रेरणार्थ आवश्यक विधेयक न लाकर असाधारण विलम्ब किया है। अब हमें खुशी होनी चाहिए कि आखिर सरकार भूमि अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को संवैधानिक संरक्षण देने की आवश्यकता के प्रति अब जाग गई है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात देश में जो अत्यधिक प्रगति हुई है, हम प्रायः उसकी चर्चा करते रहते हैं। औद्योगिक प्रगति में हमने एक लम्बी छलांग लगाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने महत्वपूर्ण प्रगति की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमने सराहनीय प्रगति की है। लेकिन यह कहते हुए मुझे दुःख हो रहा है कि देश में हम आर्थिक समता लाने में विफल रहे हैं। अमीरों और गरीबों के बीच अन्तर बढ़ता जा रहा है। अमीर और अधिक अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। देश से गरीबी का अभिशाप दूर करने में हम कुछ भी उल्लेखनीय नहीं कर पाए हैं। सरकार द्वारा उपलब्ध किए गए आंकड़ों से पता लगता है कि हमारी 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। केन्द्र ने यह माना है कि हमारे देश में 45 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं।

मुझे यह बात कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हमारी 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। इस दयनीय दशा के लिए जनसंख्या विस्फोट ही मुख्य कारण नहीं है।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि कृषकों के खून पसीने पर निर्भर है। राष्ट्र को खिलाने वाले लोगों के पास दुर्भाग्यवश भोजन और कपड़े की कमी है। उनका दिन दहाड़े शोषण हो रहा है। औद्योगिक मजदूरों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी भी इन कृषकों को नहीं मिल रही है। वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए संगठित नहीं है। वे नए धनाढ्य भूस्वामियों के बन्धक मजदूर हैं। ये भूमिहीन खेतिहर मजदूर गरीबी में रह रहे हैं। केन्द्रीय सरकार कह सकती है कि पिछले 37 वर्षों में राज्यों ने भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी बहुत से कानून पास किए हैं। अधिकांश राज्यों में ये कानून कारगर ढंग से लागू नहीं किए गए हैं। जहां कहीं भी वे क्रियान्वित हुए हैं, वहां त्रुटियों के कारण फालतू भूमि भूमिहीन लोगों को स्थानान्तरित नहीं की गई हैं और जहां ऐसे स्थानान्तरण हुए हैं वहां कुछ राज्यों में कुछ भूमिहीन लोगों को बेकार भूमि दी गई है। दूसरी ओर भूस्वामियों ने भूमि को बेनामी सौदों द्वारा स्थानान्तरित कराके भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों का नाजायज फायदा उठाया है। यद्यपि हमने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया है तथापि सरकार देशभर में नए भूस्वामियों की वृद्धि को नहीं रोक पाई है। सरकार बेनामी सौदों को भी नहीं रोक पाई है। ये हमारे देश में गरीबी के मुख्य कारण हैं। हम भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों को क्रियान्वित न करके ग्रामीण जनता के रहन-सहन के ढंग को सुधार सके हैं।

मैं यह कह सकता हूं कि भूमि सुधार देश में सभी प्रगति की जड़ में है। भूमि सुधार के लिए हमें भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को कारगर ढंग से लागू करना चाहिए। दुर्भाग्यवश केन्द्रीय सरकार राज्यों के भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के लिए राष्ट्रपति की शीघ्र अनुमति नहीं दिलाती। उदाहरणार्थ तमिलनाडु विधान सभा ने 1978 और 1979 में भूमि की अधिकतम सीमा संशोधन कानून पास किए थे। उन्हें राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा गया। आज तक भी उन्हें राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिली है।

4.56 म० प० **(डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी पीठासीन हुईं)**

यह सुनिश्चित करने के बजाय कि राज्यों में भूमिहीन लोगों को, हरिजनों, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा गरीब लोगों को फालतू भूमि का तुरन्त वितरण करके भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जाए, केन्द्र राज्यों के कानूनों पर राष्ट्रपति की अनुमति दिलाने में विलम्ब कर रही है। देश में गरीबी का यह भी एक कारण है। दुर्भाग्यवश गरीबी केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के हाथों में एक राजनीतिक हथियार बन गई है। अन्यथा केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करती कि हरित क्रान्ति, जो खेतिहर मजदूरी के खून पसीने से प्राप्त की गई थी, खेतिहर मजदूरी में फालतू भूमि का तुरन्त वितरण करके कायम रखी जाये। मैं यह भी कहूंगा कि यह हरित क्रान्ति भी अमीर भूस्वामी द्वारा हड़प ली गई है। ये भू-स्वामी बहुत अमीर हैं। इनकी आय कराधान की परिधि से बाहर है। ये लोग काला धन पैदा कर रहे हैं और इनकी वित्तीय हेराफेरियों पर कोई नियन्त्रण नहीं है। राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में इस दुखद स्थिति पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। केन्द्र भी खेतिहर मजदूरों की मुख्य आवश्यकताओं और ग्रामीण क्षेत्रों में भूस्वामियों के ऐशोआराम की ओर आंखें मूंदे हुए हैं। सरकार जानती है कि भूमि के बेनामी सौदे बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। फिर भी भूमि कानूनों के ऐसे उल्लंघन के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जा रही है। भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के कारगर क्रियान्वयन के माध्यम से भूमि सुधार करने के बारे में मेरी यह राय है कि सरकार ने गरीबों और शोषित लोगों को उनका उचित भाग नहीं दिया है। इसीलिए

हमारी 60 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है। सरकार को भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून बनाने चाहिएं और उन्हें क्रियान्वित करना चाहिए और साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में केन्द्र के मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर अमल करें।

सभापति महोदया : कृपया अपना भाषण एक मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री के० मायातेवर (डिन्डियल) : सभा में ठीक से काम नहीं हो रहा है। हर आदमी बातें कर रहा है। यह संसद है। कृपया देखें कि सभा का कार्य ठीक से चले।

डा० वी० कुलन्दईवेलु : देश के अधिकांश राज्यों में कांग्रेस दल सत्ता में है। मेरी समझ में नहीं आता कि वे भूमि सुधार और भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के बारे में केन्द्र सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर अमल क्यों नहीं कर रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया है। राज्यों में वे कांग्रेस सरकारें केन्द्र के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को क्रियान्वित करें। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिन राज्यों ने केन्द्र के मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर अमल नहीं किया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है। हम हर रोज यह सुनते हैं कि प्रधानमन्त्री का 20-सूत्रीय कार्यक्रम देश की सभी बुराइयों को दूर करने के लिए एक राम बाण है। फिर भी राज्यों में कांग्रेस सरकारें बीस सूत्री कार्यक्रम के एक सूत्र अर्थात् भूमि सुधार को कारगर ढंग से क्रियान्वित नहीं कर रही हैं। केन्द्र इन राज्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है? केन्द्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून केवल कानून की किताब में ही न रह जायें। उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। केन्द्र और राज्यों में अधिकारियों को यह अहसास होना चाहिए कि भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन पर ही उनकी नौकरियां कायम हैं। उन्हें बताना चाहिए कि हरित क्रान्ति जब तक सफल नहीं होगी तब तक कृषक खेती के लिए भूमि नहीं देंगे। हरिजनों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य लोगों में फालतू भूमि का कारगर वितरण होना चाहिए। ये लोग देश में खेतिहर मजदूर हैं और इन्होंने हरित क्रान्ति में बहुत योगदान दिया है। मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह असम, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा गोवा, दमन और दीव के संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करके भी संतुष्ट न हो, बल्कि उसे भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के कारगर क्रियान्वयन के लिए जोरदार कार्यवाही करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : सभापति महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि यह जो संविधान (48वां संशोधन) विधेयक सदन में पेश किया गया है, उसको एक ऐसे व्यक्ति ने पेश किया है, जिनका सम्बन्ध गांवों से है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि आवश्यकता को समझते हुए यह बिल उन्होंने पेश किया। और कुछ कहने से पहले मुझे यह कहना है कि सबसे बड़ा आश्चर्य यह होता है कि एक ही बगल में चार किसान बसे हुए हैं। एक सीधा सादा है, एक चतुर है। जो सीधा सादा किसान है उसकी सारी जमीन सीलिंग में निकल गई और जो चतुर है उसकी सारी जमीन बची हुई है। दोनों दो सौ एकड़ के किसान थे, एक के पास सौ एकड़ मौजूद है और दूसरे के पास 18 एकड़ से 27 एकड़ मौजूद है। यह आश्चर्य है। हमें मालूम है कि कुछ बड़े बड़े लोग हंसते भी हैं हमारी मजबूरियों से। हमारी

बेबसी पर उनको हंसी आती है वह इसलिए कि कानून से तो हम सेफ कर दिए गए हैं लेकिन असलियत क्या है कि कानून का सारा उपभोग साधन सम्पन्न लैंड लार्ड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ? हम गांव के रहने वाले किसान हैं। हमारे यहां बड़े बड़े लोग हैं जिनको राजा महाराजा कहते रहे, आज भी वह राजा महाराजा के रूप में हैं। इस सदन में भी ऐसे लोग हैं। जब हम ट्रेन में जाते हैं और देखते हैं तो पाते हैं कि इलाका का इलाका राजा लोगों का पड़ा हुआ है। लोग पूछते हैं कि क्या सीलिंग हुई है ? हमें जवाब देने को नहीं मिलता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह केवल मखौल उड़ाने के लिए कानून बनता है या सचमुच में एक्सपरिमेंट करने के लिए कानून बनाया जा रहा है ?

उत्तर प्रदेश की बात मैं जानता हूं। उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे बड़े लोग हैं जिनकी जमीन किसी नौकर के नाम से, लड़के के नाम से, लड़की के नाम से या और किसी सम्बन्धी के नाम से पड़ी हुई है। इस तरह से हजारों एकड़ के फार्म और जंगल सब उनके वरकरार हैं।···(**व्यवधान**)···हमें तो पांच एकड़ भी नहीं मिलती है। तो यह कानून सदन में पेश किया गया है यह महज दिखाने के लिए पेश किया गया है या अमल करने के लिए पेश किया गया है ? यहीं बगल में एक सरदार साहब हैं, हजारों एकड़ का फार्म उनका है और उसके लिए यह कह दिया जाता है कि एस्टैब्लिश्ड फार्म है···(**व्यवधान**)

सभापति महोदया : सदन में लोग बहुत बात कर रहे हैं। जो लोग भी आ रहे हैं अन्दर वह अपनी जगह पर बैठ जायं और आप लोग बातचीत करना बन्द कर दें। हाउस में आर्डर मेन्टेन कीजिए।

श्री राम नगीना मिश्र : यह बिल ऐसे समय में पेश हुआ है कि करीब-करीब हर तरह के और हर स्टेट्स के लोग सदन में मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय जब जवाब दें तो क्या इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि जो बड़े-बड़े लोग राजे महाराजे हैं जिनकी जमीन आज भी ज्यों की ज्यों वरकरार है जिनके हजारों एकड़ के फार्म और बगीचे मौजूद हैं, केवल कागज पर नाम दूसरों का है, क्या उनके ऊपर यह कानून लागू होगा ? इतना ही नहीं, जो संविधान हमारा है, उसके तहत हमारे कांग्रेस जन भी ऐसे कितने हैं जो इस कानून पर अमल करते है ? क्या हमारे लोगों के पास हजारों एकड़ का फार्म नहीं है ? जब हम कानून बनाने वाले खुद कानून का उल्लंघन करेंगे तो यह कानून कैसे लागू हो सकता है ?

सभापति महोदया : कृपया शोर न करें।

श्री राम नगीना मिश्र : कुछ लोग हंसते इसलिए हैं कि यह कानून कागज में रह जाएगा, अमल में नहीं आएगा। हम बार बार इसलिए चिल्ला रहे हैं कि आपने जो संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है उससे बल मिले और मौके पर ही फैसला हो सके, अदालत में केस लटका न रहे। आज कौन से ऐसे बड़े लोग होंगे जिनके सीलिंग से सम्बन्धित 10-20 मुकदमे हाईकोर्ट में न चल रहे हों। सभी के मुकदमे चल रहे हैं। इतना ही नहीं, आज उनकी सम्पत्ति शहरों में भी है। उनकी कोठियां शहरों में भी बनी हुई है। उधर शहर में उनकी कोठियां चमक रही हैं और इधर फार्म भी चमक रहे हैं। यह दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकेंगी जबकि दूसरी ओर देश के इन्सान भूख से तड़प रहे हों। आप जानते हैं कि भगवान के गुरु विश्वामित्र को भी भूख की ज्वाला ने मांस चुराने के लिए विवश कर दिया था। भुयुक्षित: किम् न करोति पापम्। भूखा इन्सान क्या नहीं कर सकता है ? आज लखपति करोड़पति लोग जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं वह, जब भूखा इन्सान जागेगा तो उसकी भूख की ज्वाला में जल कर राख हो जायेंगे। आज नहीं तो कल उनकी मांग पूरी ही करनी होगी इसलिए बड़े लोगों को चाहिए कि

सहनशीलता के साथ अपनी सम्पत्ति को उन गरीबों में बांट दें। लेकिन यह होने वाला नहीं है अगर सामने देख रहा हूं पर्वत है तो उसको मैं पेड़ कैसे कह दूं। सामने मैं अन्न को देख रहा हूं तो उसको पत्थर कैसे कह दूं। आज बड़े-बड़े भूपतियों ने ट्रस्ट बना लिए हैं, उसके नाम पर स्कूल चला रहे हैं लेकिन उस सम्पत्ति का उपभोग स्वयं कर रहे हैं। आप स्वयं पता लगा सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े फार्म थे उनमें से कितने एकड़ भूमि सीलिंग में निकल सकी है। इतना ही नहीं, जो भी भूमि कागज पर गरीबों को बांटी भी गई है वह भी उन्हीं की जोत में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस कानून को इस दृष्टिकोण से ठीक बनाया जाएगा या नहीं।

एक दूसरा पक्ष भी है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। बड़े-बड़े लोगों की जमींदारी तो चली गई। जमीनें कुछ सीलिंग में निकली और कुछ उन्होंने बचा ली। दूसरी तरफ जब हम शहर में देखते हैं तो पाते हैं करोड़ों रुपए की कोठियां चमक रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों ने क्या गुनाह किया था, उनकी जमीनें तो आप ले लेते हैं लेकिन शहरों में जो करोड़ों रुपए की कोठियां बन रही हैं, उनके पास जो सम्पत्ति है उसका बटवारा नहीं होना चाहिए? क्या केवल जमीन के बटवारे का ही सवाल है, सम्पत्ति पर हदबन्दी नहीं होनी चाहिए? मैं तो समझता हूं जब तक शहर की सम्पत्ति का भी बटवारा नहीं होगा, समाज से विषमता दूर नहीं होगी। आए दिन लोग मखौल उड़ाते हैं कि यह कैसा समाजवाद है। समाजवाद में तो विषमता का अनुपात बहुत कम होना चाहिए लेकिन आज क्या स्थिति है? यह विषमता कैसे कम होगी? जब तक शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग लागू नहीं होगी तब तक यह विषमता नहीं जायेगी। आज जो बड़ी बड़ी कम्पनियां चल रही हैं उसमें अगर किसी के चार लाख के शेयर हैं तो अरबों रुपया सरकार का लेकर वह उसका मालिक बना बैठा है। कौन सी कम्पनी है जो केवल उनके शेयर पर ही चलती है? उनमें सारा रुपया सरकार का ही लगा है लेकिन मैनेजमेंट उनके हाथ में है। आज जिनके पास पैसा है, भगवान ने अकल भी उन्हीं को दे दी है।

वे लोग अक्ल को खरीदते हैं। बड़े-बड़े कैपिटलिस्ट के यहां सबसे अच्छा इन्जीनियर, सबसे अच्छा बुद्धिजीवी तनख्वाह पर रखा जाता है और वे लोग उनकी अक्ल से समाज का शोषण करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा—यह बड़ा सौभाग्य है कि आपने इस बिल को पेश किया है, लेकिन इसमें यह समावेश भी होना चाहिए कि तमाम सम्पत्ति की सीलिंग होनी चाहिए। आज हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट्स तक सीलिंग के मुकदमे चल रहे हैं। आपने 18 से 27 एकड़ जमीन गांव वालों को दी है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, यह कुछ कम है, इसको 30-40 एकड़ तक किया जाय और बाकी जमीन किसानों में बांट दी जाय, तब किसानों को महसूस होगा कि उनको कुछ मिल रहा है।

जमीन का बटवारा करते समय मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जिनके पास भूमि न हो, उनको ही भूमि दी जाए। इसमें यह प्रतिबन्ध न लगाया जाए कि जो फलां जाति का है, यदि उसके पास जमीन नहीं है तो भी उसको जमीन नहीं दी जाएगी। चाहे कोई किसी भी जाति का हो, यदि वह भूमिहीन है, सरकारी-खतनी में उसका नाम नहीं है तो उसको जमीन दी जाए।

इन शब्दों के साथ, आप जो बिल लाये हैं मैं समझता हूं यह सदन इसको सर्वसम्मति से पास करेगा और जब यह कानून अमल में आएगा तो उससे किसानों को राहत मिलेगी।

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा) : सभापति जी, जो कांस्टीचूशनल अमेण्डमेन्ट बिल इस समय

सदन में विचाराधीन है, मैं उसका समर्थन करता हूं, सपोर्ट करता हूं। सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं—चूंकि इसकी आवश्यकता थी और आवश्यकता है। लेकिन मुझे इस पर कोई विश्वास नहीं है और न उम्मीद है कि आपके शासन के रहते हुए भूमि सुधार कानूनों का ईमानदारी से कार्यान्वयन किया जाएगा। अभी आपके ही पक्ष के एक माननीय सदस्य ने आप लोगों की तरफ अंगुली उठा कर कहा है कि शासक दल में भूमिपति बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। मैं तो केवल आपके दल के एम० एल० एज० और एम० पीज० की बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो आप के मिनिस्टर्ज हैं उनमें भी कई ऐसे हैं जो बहुत बड़े-बड़े भूमिपति हैं, जब शासक दल में उनका इतना बाहुल्य हो तो जमीन का सही ढंग से बटवारा हो या सीलिंग से ज्यादा जमीन निकले—यह कभी भी सम्भव नहीं है। यही वजह है कि 37 साल की हुकूमत के बाद भी देश के अन्दर एक आंकड़े के मुताबिक 2 करोड़ एकड़ सरप्लस लैंड मौजूद है। अभी तक पूरे देश में इस बारे में जो प्रगति हुई है—सीलिंग एक्ट के मुताबिक चौथाई जमीन भी हासिल नहीं की जा सकी है। सीलिंग एक्ट के मुताबिक जितनी जमीन ली जानी चाहिए, वह नहीं ली गई है। जो जमीन ली गई है, उसकी आधी जमीन का भी बटवारा नहीं हुआ है बांटी गई जमीन के चौथाई से ज्यादा हिस्से पर उन भूमिहीनों को कब्जा नहीं दिलाया जा सका है। जब इतनी दयनीय दशा भूमि सुधार कानून की हो और आपके इतने विशाल बहुमत के बावजूद इतनी बड़ी शक्ति के मौजूद रहते हुए भी, बार बार घोषणायें करने के बाद भी, अपनी योजना का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हुए भी, 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम में इसको इन्कलूड करने के बावजूद, आज देश के अन्दर यह स्थिति है कि जमीन का बटवारा आप अभी तक नहीं कर सके हैं। आज हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है, उसका 50 प्रतिशत कृषि से आता है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि देश की आय का यह एक बड़ा स्रोत है। आज अगर हम देश के अन्दर से गरीबी और बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं तो हमको हदबन्दी से फाजिल जमीन को भूमिहीनों और गरीबों में बांटना होगा। तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। आज लोगों के अन्दर जमीन की भूख जगी है। इसके लिए जब जमीन लेने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं आपके द्वारा बनाए हुए कानून के तहत तब उनको नक्सलाइट करार दे दिया जाता है। उग्रवादी करार दे दिया जाता है। उनको गोलियों से भून दिया जाता है। अभी बिहार के अन्दर कम्युनिस्ट पार्टी ने जमीन के बंटवारे का आन्दोलन किया। 9 अगस्त को हदबन्दी से फाजिल जमीनों पर हमने झंडा गाड़ा और कब्जा किया। हम वह जमीन भूमिहीनों को दिलाना चाहते हैं। कई जगह उस जमीन को जोता गया। लेकिन आपने उन पर गोलियां चलाई, लाठियों का प्रहार किया गया। हम कोई गैर-कानूनी कदम नहीं उठाना चाहते। आपके बीस सूत्री कार्यक्रम का यह अंग है। हम इसमें सरकार की मदद करना चाहते हैं। लेकिन 1980 से अब तक जितनी बार भी इसकी कोशिश की गई इस सवाल को टाल दिया गया। इसको इन्प्लीमेंट नहीं किया गया। हमारी पार्टी आपके इस प्रोग्राम के साथ है, आपकी मदद करना चाहती है। लेकिन इसके लिए हम जहां कहीं भी जाते हैं, हमको निराश होना पड़ता है। कहीं से सहयोग नहीं मिलता है। यह इसलिए होता है क्योंकि आपके अन्दर पोलीटिकल बिल नहीं है। आज जब चुनाव होने जा रहा है तो इस मौके पर आप इसको ला रहे हैं। इतने दिन पहले क्यों नहीं लाया गया? यह तो आपके सिक्स्थ फाइव इयर प्लान के घोषणा पत्र में था। आपने कहा था कि जल्द से जल्द इसका नाइंथ शेड्यूल में समावेश करेंगे। लेकिन आप नहीं कर सके। मैं बताना चाहता हूं, जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने कहा, बिहार में लोगों के पास आज भी 40-40 और 50-50 हजार एकड़ जमीनें हैं। उन्होंने ट्रस्ट एवं मंदिर के नाम पर, स्कूल के नाम पर, प्ले-ग्राउंड के नाम पर, हास्पीटल के नाम पर, बाग-बगीचे के नाम पर जमीनें रखी हुई हैं। ऐसे लोगों को छूट दी गई है। सीलिंग कानून के लू-फोल्स के कारण भूमिपति लाभ उठा रहे हैं।

अभी तक परिवार की परिभाषा भी ठीक तरह से नहीं तय हो पाई है। हालांकि यह स्टेट-कानून

है। मैं यह नहीं कहता कि यह कानून आपने बनाया है। लेकिन इसके अन्तर्गत पूरे देश में गड़बड़ी हो रही है। लोग कानून का सहारा लेकर अधिक जमीन रखे हुए हैं। यही नहीं अपने नौकरों के नाम पर रिश्तेदारों के नाम पर, यहां तक कि जानवरों के नाम पर, हाथियों और कुत्तों के नाम पर बिहार के अन्दर लोगों ने जमीन रखी हुई है। इसलिए केंद्रीय तौर पर गाइड लाइन्स की आवश्यकता है। दरअसल में सरकार अगर चाहती है कि भूमि का बंटवारा हो, भूमिहीन को फायदा हो तो इस तरह की गाइड लाइंस आवश्यक हैं।

अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि जितने भी भूमिहीन लोग हैं, सबको जमीन दी जाए। यह कोई थ्यूरी नहीं है। जमीन उसको मिलेगी जो कृषि पर निर्भर है। जो जमीन जोतता है। इतनी जमीन नहीं है कि सबको जमीन दी जाए। यह कभी सम्भव नहीं है। जो कृषि पर निर्भर करता है और जमीन जोतता है, उसको आप जमीन दीजिए। हम, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इस बात को महसूस करते हैं कि आप ऐसे लोगों को जमीन नहीं दे सकेंगे। लेकिन ईमानदारी से जमीन का वितरण किया जा सके तो देश के अन्दर एक नया नक्शा बन सकता है। देश की प्रगति के मार्ग में एक नया मोड़ लाया जा सकता है। यह देश की प्रगति में एक सहायक कदम हो सकता है। चुनाव के दृष्टिकोण से आप लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके जरिए से आपको वोट नहीं मिलेंगे। यह काम अच्छा है, पहले ही होना चाहिए था। एम्स एण्ड आबजेक्ट्स में जो आपने स्टेटमेंट दिया है, उससे यह जाहिर होता है कि बहुत से कानून ऐसे हैं, जिनको अभी इसमें नहीं ला रहे हैं। राष्ट्रपति के कई यहां कानून पेंडिंग हैं। अभी बंगाल के साथी ने कहा कि प्रोग्रेसिव लैंड रिफार्मस का कानून बनाया था, वह अभी वहीं पड़ा है। कांग्रेस की सोशलिज्म की लाईन रही है। जमीन बंटवारे में आपका विश्वास का वादा रहा है। आजादी के समय यह कहा गया था कि हम जमीनों का लेंगे और बंटवारा करेंगे। जो स्टेट कदम उठाता है, उसके कानून दस-दस साल तक राष्ट्रपति के यहां पड़े रहते हैं। उनको क्यों रोका जाता है? इससे यह पता लगता है कि जो भूमिपति हैं, उनके साथ आपकी सांठ-गांठ है। देश के जो असल गरीब, मजदूर और बेरोजगार हैं उनकी भलाई में आपका विश्वास नहीं है। वोट कैचिंग स्लोगन के रूप में आप उनको दे रहे हैं। आप, इन सब बातों को ईमानदारी से हल कीजिए। स्टेट्स के अन्दर सीलिंग एक्ट के कानून में जो गड़बड़ियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। सीलिंग की प्रोसीडिंग्स तीन-चार साल तक चलती रहती हैं। क्यों इतना टाईम देते हैं? एक से ज्यादा अपील करने का मौका मत दीजिए। जब उनको शो-काज का नोटिस दिया जाता है, तब भी उनको ज्यादा टाईम लेने का मौका नहीं देना चाहिए। जल्दी से जल्दी सीलिंग का निष्पादन होना चाहिए।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। क्या आप बतायेंगे कि मतदान कब होगा?

सभापति महोदया : मतदान 6 बजे होगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : कौन मतदान? दो मतदान होते हैं।

सभापति महोदया : पहला मतदान 6 बजे होगा। प्रो० नारायण चन्द पाराशर।

प्रो० नारायन चन्द पाराशर (हमीरपुर) : महोदय, मैं 1983 के संविधान (अड़तालीसवां संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

देखा गया है कि यद्यपि विभिन्न राज्यों ने विभिन्न प्रगतिवादी विधानों के बावजूद कुछ प्रगतिवादी आर्थिक नीतियां अपनाई हैं, तथापि कुछ त्रुटियां रह गई हैं और मुकदमेबाजी हुई है। इस विधेयक का आशय विभिन्न राज्यों द्वारा पास किए गए 14 अधिनियमों को उन्हें नवीं अनुसूची में शामिल करके संरक्षण प्रदान करना है।

(व्यवधान)

नवीं अनुसूची मुकदमेबाजी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती है और हम संरक्षण को मजबूत बनाने के लिए मूल अधिनियमों के इन 14 संशोधनों को नवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए इस संविधान संशोधन विधेयक में शामिल किया गया है।

इन विधेयकों में से 2 विधेयक असम से, 4 बिहार से, 1 हरियाणा से, 2 तमिलनाडु से, 1 उत्तर प्रदेश से, 2 पश्चिम बंगाल से और 2 गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र से हैं। जैसा कि विधेयक के उद्देश्यों में बताया गया है, इन अधिनियमों में ये संशोधन किए जाने और दो अधिनियमों के नवीं अनुसूची में शामिल कर लिए जाने के बाद कोई मुकदमा नहीं होगा।

तथापि, मैं यहां यह बता दूं कि मूल अधिकारों और सिविल प्रक्रिया संहिता के कतिपय खण्डों के नाम पर भूस्वामी उनकी भी मुकदमेबाजी करते हैं और भूमि सुधारों और काश्तकारी तथा गरीबों और भूमिहीनों को भूमि देने सम्बन्धी कार्यक्रमों के बावजूद—हो सकता है कि भूमिहीन की परिभाषा यह हो कि भूमिहीन वह व्यक्ति होता है जो भूमि पर निर्भर हो या जो भूमि सम्बन्धी किसी व्यवसाय से अपनी आजीविका कमाता है—कुछ लोग बल प्रयोग करते हैं और परिणामस्वरूप उन लोगों को, जिन्हें भूमिहीन लोगों को भूमि देने सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि दी गई है, अदालतों में घसीटा जाता है। इसलिए कई राज्यों को कठिनाई हो रही है।

नौवीं अनुसूची में शामिल किये जाने का मैं स्वागत करता हूं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कितने अधिनियम नवमीं अनुसूची में शामिल किए गए तथा उसमें कितने संशोधन पहले से किए गए हैं तथा उसके बावजूद कितने मुकदमे न्यायालयों में पड़े हुए हैं बेशक ये नवमीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। कोई रास्ता अवश्य निकाला जाना चाहिए।

मेरा सुझाव है कि राज्य को एक पक्ष के रूप में सामने आना चाहिए क्योंकि भूमि भूमिहीन गरीबों को दी गई है। क्योंकि वे लोग गरीब थे तथा उनके पास आजीविका के साधन नहीं थे। इसलिए आपने उन्हें भूमि दी। परन्तु भूमि दिए जाने के स्थान पर उसे न्यायालयों की शरण लेनी पड़ी है, परिणामस्वरूप उस भूमि की अनुमति तो मिल गई परन्तु उसे मुकदमों पर खर्च करना पड़ता है तथा गवाह पेश करने पड़ते हैं तथा तथ्यों को प्रस्तुत करना पड़ता है। एक ओर तो उसे राज्य के इस प्रयास से कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जाती है दूसरी ओर उसे कठिनाई में डाल दिया गया है।

अत: मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस गम्भीर समस्या पर ध्यान दें। हमारे ही एक जिले में मैं कलक्टर से मिला तथा पता चला कि नवमी अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों के अन्तर्गत 200 मामले न्यायालयों में बकाया है। उसके बावजूद 3 लाख की आबादी वाले जिले में 200 से अधिक मामले न्यायालयों में हैं तथा लोगों को तंग किया जा रहा है तथा उन्हें न्याय नहीं मिल रहा भूमि नहीं मिल रही। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह गम्भीर दोष है। सिविल प्रक्रिया

के नाम पर उच्च न्यायालय की कतिपय प्रक्रियाओं के नाम पर लोग मुकदमेबाजी पर उतर आते हैं बेशक ये अधिनियम नवमी अनुसूची में सम्मिलित हैं। जहां तक इस विधेयक की भावना का सम्बन्ध है। यह बहुत अच्छा कदम है तथा मुझे उम्मीद है इससे कुछ राहत मिलेगी।

दूसरे, विपक्ष द्वारा आलोचना की गई कि कांग्रेस दल चलाने वाले को भूमि देने के पक्ष में थी परन्तु अब वे इस पक्ष में नहीं है, निराधार है। मैं इस आलोचना का खण्डन करता हूं क्योंकि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही थी जिसने कई राज्यों में जमीदारी का उन्मूलन किया तथा किसानों को भूमि दी। वास्तव में स्वतन्त्रता के तथा उससे पूर्व भी कांग्रेस की नीति थी कि भूमि किसानों को दी जाए अतः कई राज्यों में स्वतन्त्रता से पूर्व जमींदारों का उन्मूलन किया गया था।

20 सूत्री कार्यक्रम की विभिन्न मदों के अन्तर्गत भूमि वितरित की गई है तथा उसी प्रकार भूमिहीनों को भूमि योजना के अन्तर्गत बहुत से राज्यों ने कानून बनाये हैं। इन अधिनियमों की नवम अनुसूची में सम्मिलित करके कानूनी संरक्षण दिए गए हैं। परन्तु मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन मामलों में आप गरीब किसानों को "भूमिहीनों को भूमि" कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि प्राप्त हुई थी तथा उन्हें मुकदमेबाजी में धकेला गया वहां राज्य को उनका पक्ष लेना चाहिए। क्योंकि राज्य के कार्य में बाधा डाली गई है। राज्य को मुकदमें का व्यय वहन करना चाहिए। राज्य ने भूमि दी थी, राज्य को मुकदमों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए, जोकि गरीब लोगों पर डाला गया है। मैं समझता हूं इस दृष्टिकोण पर विचार करेंगे तथा जिन भूमिहीनों को भूमि दी गई थी तथा जिन्हें थोड़ी भूमि के लिए मुकदमेबाजी में धकेला गया है। कई मामलों में भूमि को प्राप्त किए बिना दी, क्योंकि भूपति नहीं चाहते कि उन्हें भूमि मिले।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय आरम्भ में मैं इस विधेयक के प्रभारी मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। विधेयक के कारणों तथा उद्देश्यों सम्बन्धी कथन में बताया गया है :

> "उन विभिन्न अधिनियमों को, जिनके बारे में सम्मिलित करने के लिए सुझाव दिए गए हैं, जांच कर ली गई है और उन अधिनियमों में से ऐसे अधिनियमों की नवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है जिन्हें या तो चुनौती दी जा चुकी हैं या चुनौती दिए जाने की संभवता है और उनके द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इन अधिनियमों के क्रियान्वयन में मुकदमे बाजी के कारण प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।"

इससे कतिपय सन्देह पैदा हो गये हैं कि क्या सरकार का उद्देश्य भूमि सुधार सम्बन्धी सभी अधिनियमों को लाने का है। कई राज्य सरकारों ने सुझाव दिया है कि बहुत से अधिनियमों को नवम अनुसूचि में सम्मिलित किया जाए, परन्तु उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी कथन में बनाया गया है कि उनमें से कुछ को चुना गया है तथा शेष को विधेयक के विस्तार से अलग रखा गया है। मैं यह स्पष्टी करण चाहता हूं कि कौन से ऐसे राज्य है तथा कौन से अधिनियम है जिनको राज्य सरकार ने नवमी अनुसूचीं में सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया है तथा उन्हें अनुसूचि में सम्मिलित करने के इन सुझावों को स्वीकार क्यों नहीं किया।

मुख्य विधेयक की बात लेते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि इस सभा में चुके जाने के समय से ही मैं सभा में यही कहता आया हूं कि हमारे देश की विभिन्न समस्याओं का समाधान भूमि सुधारों को लागू करना है। औद्योगिकरण समेत यह गरीबी उन्मूलन का सूत्र है, बेरोजगारी दूर करने का सूत्र है, और वास्तव में यह संमृद्धि प्रगति तथा देश की तरक्की की कुंजी है। यह बात केवल हमारे देश के लिए ही नहीं अपितु सभी विकासशील देशों विशेषरूप से एशिया के देशों पर सही उतरता है। अत: भूमि सुधार हमारे लोगों का मुख्य उद्देश्य है। मुझे खुशी है कि उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि सुधारों के महत्व तथा आवश्यकता को समझा है। परन्तु पांच पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त होने पर, यहां तक कि छठी योजना के समाप्त होने पर भी भूमि सुधार की समस्या का समाधान नहीं हो पाया, वास्तव में समस्या के किनारे का भी छुया नहीं जा सका।

मैं अपने प्रिय मित्र श्री मूल चन्द डागा का धन्यवादी हैं जिन्होंने बताया है कि लगभग 12 लाख एकड़ भूमि अभी भी न्यायालयों में बकाया मामलों में फंसी पड़ी है। उन्होंने समस्या की व्यापकता को अनुभव कर लिया है।

जहां तक भूमि सुधारों की उपलब्धी का प्रश्न है आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कृषि मन्त्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार राज्यों में सीमांकन कानूनों के राज्यों में केवल 4.6 लाख हैक्टेयर भूमि फालतू भूमि के रूप में वितरित की गई हैं। भूमि की यह मात्रा देश में उपलब्ध कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 1 प्रतिशत है। इस प्रकार भूमि की यह मात्रा जोकि सीमांकन कानूनों के लागू किये जाने के बाद भी वितरण के लिए राज्यों को उपलब्ध होगी।

जहां तक भूमिहीन कृषि मजदूरों का प्रश्न है उनकी संख्या हमारे देश में 5 करोड़ से अधिक नहीं है। मेरे कुछ मित्रों ने भी सुझाव दिया है कि सीमांकन कानूनों को लागू करके लगभग 2 एकड़ भूमि मिल सकती है। इसका अभिप्राय है कि ऐसी कमियां हैं कि अधिकांश मामलों में उपलब्ध फालतू भूमि के बहुत से खण्ड अपरहित हो गये हैं। इसे मैं नष्ट होने की प्रक्रिया कहता हूं। बड़े भूमि पति भूमि को नष्ट कर रहे हैं, मेरी सूचि में उसे ऐसे कुछ व्यक्तियों के नाम हैं। हर कोई जानता है कि बिहार के महन्त के पास 40000 एकड़ भूमि है। उत्तर प्रदेश शासक दल के बहुत से परिवार है जिनके पास अतिरिक्त भूमि है। राजस्थान में आप सभी भूतपूर्व शासको के पास अतिरिक्त भूमि है। अब यह समाचार छपा है कि **के पास हजारों एकड़ भूमि है। जोकि उसने अवैध रूप से कब्जे में की है परन्तु सरकार को इन सब बातों का पता होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अत: केवल कुछ अधिनियमों का सम्मिलित किए जाने मात्र से जिसे भी मनमाने ढंग से किया जा रहा है, भूमि की समस्या का हल नहीं होगा। जहां तक इनके सम्मिलित किए जाने का प्रश्न है मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। वास्तव में इसे पहले ही किया जाना चाहिए था। परन्तु इनके नवमी अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की माग से मुख्य समस्या का समाधान नहीं होगा।

5.42 म० प० **(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)**

परन्तु जब तक कि मूलभूत समस्या का समाधान नहीं होता फालतू भूमि उपलब्ध नहीं होगी, जोकि निरन्तर कम होती जा रही है। अत: यदि सरकार वास्तव में भूमि सुधार लाना चाहती है तो उसे

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

भूमि सुधार लाने चाहिए जोकि मैं समझता हूं हमारे देश की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए आधार है, इस बारे में प्रभावी उपाय बरते जाने चाहिए यदि आपकी पार्टी बड़े भूपतियों बड़े भूमि चोरों भूमि डकैतों का समर्थन करती रही तो आप उसकी राजनीतिक इच्छा नहीं पैदा कर सकते।

मैं नहीं जानता कि क्या आप इससे खुश होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार तथा केरल सरकार ने सबसे अधिक भूमि का वितरण किया है कुल मिलाकर इनको छोटे राज्यों, पश्चिम बंगाल तथा केरल ने 30 लाख एकड़ से अधिक भूमि का वितरण किया है। बिहार में वितरित की गई भूमि 1000 एकड़ भी नहीं हैं। प्रश्न यह है कि वहां पर किस तरह की सरकार है तथा उनके राजनीतिक इरादे क्या हैं। इसलिए मेरा कहना है उन 14 अधिनियमों के सम्मिलित किए जाने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होगा —मैं नहीं जानता कि आपने मात्र 14 अधिनियम ही क्यों चुने हैं राज्य सरकारों द्वारा सुझाये गये अन्य अधिनियम क्यों नहीं शामिल किये इससे मूलभूत समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

अंत में मैं आपका ध्यान एक बात पर दिलाना चाहता हूं। सरकार इस मामले के सम्बन्ध में गंभीर नहीं है। मेरा सरकार पर आरोप है कि वह भूमि सुधारों के मामले में कतई गम्भीर नहीं है। उदाहरण अत्यन्त स्पष्ट हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपको तीन वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पारित भूमि सुधार विधेयक को स्वीकृति देने से कौन सी बात रोकती है। आप राष्ट्रपति की सहमति के लिए समय नहीं निकाल जाये परन्तु आपने बिहार सरकार को टाटा जमींदारी के लीज अधिकार देने की अनुमति दे दी जिसे बिहार विधान सभा के द्वारा पारित कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया था। परन्तु बाद में बने विधान द्वारा उन्होंने टाटा को पुनः अधिकार दे दिया है। उन्हें टाटा को भूमि अधिकार वापस करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति देने में कोई समय नहीं लगा हैं। परन्तु पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगभग 30 लाख एकड़ भूमि के भूमिहीन किसानों को विवरण करने वाले एक विधेयक पर, वर्तमान अधिग्रहण अधिनियम में कमियां निकाल कर राष्ट्रपति की सहमति नहीं देना चाहते थे। यह तरीका है जिससे कि आप भूमि सुधार करना चाहते हैं।

एक मात्र एक नारा नहीं है। भूमि सुधार केवल कागजों में है। भूमि सुधार को व्यावहारिक रूप दिया जाना चाहिए। भूमि सुधार का अभिप्राय है भूमि का उन किसानों को अन्तरण जिनके पास भूमि नहीं है। यही भूमि सुधार का सार है। मैं इस टिप्पणी पर विवश हूं कि अंतत: भूमिविहीन कामगारों की इच्छा पूरी होगी। केवल बिहार में अपितु पश्चिम बंगाल में अधिकांश भूमि पर भुमिहीन किसानों का अधिकार हो गया है जिसे सरकारों ने समुचित विधान बनाकर विनियमित कर दिया है। आंध्र प्रदेश में यह आन्दोलन जोरों पर है बिहार में ऐसा नहीं है। अनुभव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हैं कि सत्तारूढ़ दल में इसके लिए राजनीतिक इच्छा का अभाव है। मेरा मन्तव्य है कि यदि वे भूमि सुधारों को सफल बनाना चाहते हैं तो इन्हें राजनीतिक इच्छा पैदा करनी होगी।

अत: सरकार को बधाई देते हुए, 14 विधेयकों को सम्मिलित किए जाने का स्वागत करते हुए मैं सरकार से आग्रह करता हूं :

(1) वर्तमान अधिकतम भूमि सीमा अधिनियमों की कमियां दूर करने वाला कोई उपाय करें ;

(2) सभी ऐसे भूमि सुधार अधिनियम को जो प्रभावी रूप से भूमि सुधार लाना चाहते हैं राष्ट्रपति की सहमति दें ;

(3) सत्तारूढ़ दल में ऐसी राजनीतिक इच्छा पैदा करें जिससे भूमि सुधार कागजी कार्यवाही न रह कर वास्तविकता बन जायें।

श्री पी० राजगोपाल नायडु (चित्तूर) : सभापति महोदय, श्रीमान सरकार ने भूमि सुधार अधिनियमों को नवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की यह कार्यवाही तभी की जबकि जमीदारों, भूपतियों ने इन अधिनियमों पर न्यायालय में चुनौती दी। हम उन्हें उन अधिनियमों को चुतौती देने का अधिकार क्यों दें। अत: मेरा सुझाव है कि जैसे ही यह अधिनियम विधान सभाओं द्वारा पारित होते है उन्हें नवीं अनुसूचि में सम्मिलित समझा जाए। तब कोई भी व्यक्ति न्यायालय में न जायेगा। जहां तक भू-धृति अधिनियम का प्रश्न है उसकी क्रियान्विति नहीं होती। भूमिधरों से भूमि खाली कराई जा रही है तथा भूमिपति उनकी भूमि पर कब्जा कर लेते हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि भूमि सीमांकन अधिनियम की क्रियान्विति प्रभावी ढंग से की जाए। फालतू भूमि भी विभिन्न सरकारों ने अपने अधिकार में नहीं ली और न ही उसे गरीब भूमि हीनों में वितरित किया गया भूमि वितरित करने के बाद सरकार को उन्हें भूमि को विकसित करने के लिए धन देना चाहिए। अन्य आयों को सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि कृषि आय पर भी सीमांकन लगाया जाये, और अन्य आय पर कोई सीमा लागू नहीं है। मैं आय पर सीमांकन चाहता हूं। कृषकों को प्रतिवर्ष केवल 3000 रुपए की आय पर छूट है जबकि अन्य करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष कमा रहे हैं, अत: एक राष्ट्रीय आय सीमा नीति अत्यन्त आवश्यक है।

धन्यवाद

5.51 म० प० **(डा० राजेन्द्र कुमार बाजपेयी पीठासीन हुई)**

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, यह जो संविधान में 48वां संशोधन विधेयक 1983 हमारे सामने है इसका मैं समर्थन करता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि देश की सबसे बड़ी आबादी गांवों में रहती है और गांवों के जो लोग हैं वह तब तक नहीं उठ सकते जब तक ठीक ढंग से भूमि सुधार न हो। सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। जहां बड़े-बड़े जागीरदार हैं बड़ी-बड़ी रियासतों में, बड़े-बड़े राज्यों में बहुत सारी जमीन का बंटवारा बाकी रहता है वहां पर इसे नवीं अनुसूची में शामिल करने का जो यह कदम उठाया है यह बड़ा सराहनीय कदम है।

हमारे हिमाचल प्रदेश ने सबसे अच्छा कानून बनाया है और हिमाचल राज्य में आज कोई भी इस प्रकार का आदमी नहीं है जो भूमिहीन हो। भूमिहीन जो लोग हैं उनके लिए बड़ी प्राबलम्स आती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस जमींदार के पास उसकी जमीन पर वह काश्त करते हैं वह उनके नाम गिदौरी नहीं होने देते, उनके नाम चार साले नहीं होने देते। इसलिए कोई सबूत नहीं मिलता कि वह जमींदारी का काम करते हैं। वह एक किस्म से बंधुआ मजदूर होते हैं जो जमीन पर काम करते हैं। इसलिए जब भी किसी जमीन का बंटवारा हो और जमीन गरीब आदमियों को मिले तो उसका फायदा तभी हो सकता है जब उन लोगों को जमीन का मालिक बनाया जाय। क्योंकि अभी कई लोग इस तरह के हैं जो सरकारी नौकरी में भी हैं और उनके नाम हजारों बीघे जमीन भी चली आती है मिल्कियत मैं और उनका सारा परिवार नौकर है। लेकिन जो गरीब आदमी है जो असली मानों में जमीन को काश्त करता है उसके लिए कोई सहारा नहीं है, न गांवों में है न शहरों में है। बहुत से लोग किराए के मकानों में रहते हैं और कई आदमी ऐसे है जिन्होंने भूमि को नाजायज तरीके से हथियाया हुआ है, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। गरीब लोगों के खिलाफ मुकदमें अदालत से चलते हैं तो उनके लिए

राज्य सरकार को पार्टी बनाया जाना चाहिए ताकि राज्य सरकार उनकी तरफ से मुकदमे लड़े। उनके पास कोई चीज नहीं होती है जिससे वह गरीब लोग मुकदमे की फीस दे सकें।

इससे बुरी हालत उन लोगों की होती है जो ट्राइब्स के लोग हैं, हरिजन हैं या गरीब लोग हैं जिनके पास अभी तक भूमि ठीक ढंग से प्राप्त नहीं हुई है। उनको भूमि लेने के लिए डण्डे खाने पड़ते हैं और उनको मार पड़ती है अगर वह जमीन की गिदौरी करवा लेते हैं। इस तरह के मुकदमे मैं समझता हूं कि कई हजारों की तादाद में देश में चल रहे हैं। सरकार को चाहिए कि सरकार उनको लड़े और उनको जमीन का मालिक बनाए।

जिस प्रकार से बिहार की बात यहां आई, हमारे अपोजीशन के लोगों ने भी इसकी ताईदद की। हम उनको बधाई देते हैं। कुछ लोग अपोजीशन के भी ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। लेकिन 1947 के पहले की हालत देखें तो इस सरकार ने जितने कदम उठाए हैं गरीब लोगों को ऊंचा उठाने के लिए उसी की वजह से गरीब आज आगे आ रहे हैं। अगर आपके हाथ में शासन होता तो कभी गरीब आगे नहीं आ सकते थे। यह तो महज बात के लिए बात करते हैं। बड़े-बड़े पब्लिक स्कूलों में पढ़े हुए हैं जो केवल थ्यौरी जानते हैं कि एग्रीकल्चर ऐसे होता है, जिन्होंने कभी हल और कुदाली नहीं देखी, उन लोगों को सारे देश के किसानों के बारे में कुछ पता नहीं हो सकता है। वे सिर्फ थ्यौरिटिकल बातें कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस सरकार ने जितने भी कदम उठाए वह सब देश के गरीब लोगों को उठाने के लिए हैं। हमारे जो कानून हैं वह तो बड़े अच्छे हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन करनेवाले जो लोग हैं वह जमींदार क्लास के लोग हैं, वे उनका ठीक ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। कई लोगों ने पहले से ही नाबालिग बच्चों के नाम पर जमीनें करवा दी थीं, लड़कों के नाम से अलाहिदा जमीन कर दी थी और इस तरह से हजारों बीघें जमीन सीलिंग से बचा ली थी। इसलिए मैं समझता हूं सरकार को कनून में इस प्रकार का संशोधन करना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, जो जमीन काश्त करते हैं, जमीन के मालिक वही बन सकेंगे। तभी मैं समझता हूं आपका कानून गरीब लोगों के लिए फायदेमन्द साबित हो सकता है।

इसके साथ-साथ मुझे यह भी कहना है कि आज किसान जो फसल पैदा करता है, उसकी सही कीमत उनको नहीं मिलती है। चाहे वह गन्ना पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है, सेब या आलू पैदा करता है या केला पैदा करता है, उसको फायदा नहीं होता है। जो बिचौलिए हैं, आढ़ती हैं वे किसानों का शोषण करते हैं।

अभी यहां पर कहा गया कि सभी के हिस्से में दो-दो हेक्टेयर जमीन आती है। दो हैक्टेयर जमीन में कोई भी किसान रात दिन मेहनत करके कितनी भी पैदावार करे, क्या उससे वह अपने परिवार को पाल सकता है ?नहीं पाल सकता है।

सभापति महोदया : मैंने पहले घोषणा कर दी थी कि मतदान लगभग 6 बजे होगा किन्तु अन्य पांच, और सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। इसमें और समय लगेगा तथा वाद-बाद तब तक चलता रहेगा जब तक सभी सदस्य अपना भाषण समाप्त नहीं करते।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : जब कभी सत्तारूढ़ दल को पूरा यकीन होता है कि उनका बहुमत है तब आप मतदान की घोषणा कर देते हो। पहले आपने कहा था कि मतदान 6 बजे होगा और अब आप कह रही हैं कि यह लगभग 6.30 बजे होगा।

सभापति महोदया : पांच और सदस्य बोलना चाहते हैं। अतः मैं उन्हें बोलने की अनुमति दे रही हूं।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : सभापति महोदय, सरकार ने जो कदम उठाए हैं। वह बहुत उचित हैं। आई० आर० डी० पी० और दूसरे प्रोग्राम जो सरकार ने चलाए हैं उनसे बहुत फायदा पहुंच सकता है बशर्ते कि उनका इंप्लीमेंटेशन सरकारी कर्मचारियों के द्वारा सही ढंग से किया जाए। केवल कानून बना देने से ही सारे मसले हल नहीं हो जायेंगे, उनका सही इंप्लीमेंटेशन होना भी बहुत जरूरी है। आज जमींदार अपनी जमीनों को बचाने की कोशिश करते हैं। आज बेकवर्ड एरियाज में इण्डस्ट्रीज लगाने में सब्सीडी दी जाती है। भारत सरकार की तरफ से करीब 20 परसेंट सब्सीडी दी जाती है। आजकल लोग एक हजार की जमीन खरीदते हैं और कई हजार की रजिस्ट्री करवा कर हजारों रु० की सब्सीडी सरकार से ले लेते हैं। तो इन बातों की भी इंक्वारी होनी चाहिए।

6.00 म० प०

आज बहुत से लोगों ने सरकारी जमीनों को हथिया रखा है, उन पर कब्जा कर रखा है, सरकार उन पर कोई कार्यवाही नहीं करती है। इसलिए राज्य सरकारों को हिदायत दी जानी चाहिए कि जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है उनके कब्जे को नाजायज करार दिया जाय।

जहां तक जमीदारों का सवाल है—आज हमारे यहां जितनी सड़कें बनती हैं, बिजली के खम्बे लगते हैं, टेलीफ़ोन के तार लगते हैं, उसमें जमींदारों की जमीन ली जाती है, उनके दरख्तों को काटा जाता है, लेकिन उनको कम्पेन्सेशन नहीं मिलता है। जमींदारों की कठिनाइयों की तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं देती है, सबकी निगाहें उद्योगों की तरफ जाती है और उद्योगपतियों को ही इस तरह के फायदे पहुंचाए जाते हैं। जब सरकार कोई कानून बनाती है और उसके तहत हमारे जमींदारों की जमीनों को लेती है तो उनको उन जमीनों का सही मुआवजा मिलना चाहिए। जमीन हमारे गांव के लोगों की माता है—इसलिए उसका सही कम्पेन्सेशन उनको मिलना चाहिए और भूमि सुधार के अन्तर्गत जो मुकदमें अदालतों में चल रहे हैं उनको समाप्त करना चाहिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास(भीलवाड़ा) : सभापति महोदया, मैं इस 48वें कांस्टीचूशन अमेण्डमेंट बिल का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदया, अभी थोड़ी देर पहले हमारे विरोधी दल के लोग हमारी सरकार के लिए कह रहे थे कि 9वें शेडयूल में शामिल करने के इस कानून को यहां लाने में बहुत देरी की है। मैं उनसे जानना चाहता हूं—उस वक्त सी० पी० एम० वाले भी जनता पार्टी की सरकार के साथ थे, सी० पी० आई० वाले भी उसका समर्थन कर रहे थे—ये कानून जो 9वें शेडयूल में शामिल किए जा रहे है, कोई 1976 का है, कोई 1974 का है, कोई 1978 का है—ये सारे कानून जनता पार्टी के समय के हैं, जब आप इतने प्रोग्रेसिव लोग हैं तो इस वक्त इन कानूनों को 9वें शेडयूल में लाने की प्रक्रिया क्यों नहीं की? इसमें सबसे बड़ा दोष जनता पार्टी और उनके सहयोगियों का है। उन्होंने उस वक्त इन कानूनों को 9वें शेड्यूल में न लाकर देश के काश्तकारों को जो जमीन मिलने वाली थी, उनके साथ कुठाराघात किया है।

कांग्रेस ने तो सदैव ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे आम काश्तकारों का भला हुआ है। आप

देखिए—टेनेन्सी राइट कांग्रेस ने दिया, जिससे करोड़ों काश्तकारों का फायदा हुआ, उसके जरिए हमारे काश्तकार जमीन के मालिक बने। इस तरह के सभी कानून कांग्रेस द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए सबसे बड़ा प्रोग्रेसिव कदम यदि किसी ने उठाया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। आपने देखा होगा —कांग्रेस ने सीलिंग का कानून, लैंड रिफार्म की जो भी व्यवस्थाएं हैं, बनाई हैं। सीलिंग के कानून के लिए हमारे प्लानिंग कमीशन की तरफ से हिदायत दी गई थी कि इतने एकड़ से ज्यादा जिसके पास जमीन हो उसको सीलिंग के तहत लेकर भूमिहीनों में बांटा जाय। इस कानून के अन्तर्गत जितना भी काम देश में हुआ है वह कांग्रेस सरकार ने किया हैं। इसलिए कांग्रेस पर इस तरह का इल्जाम लगाना एक अन्यायपूर्ण बात है।

मैं वैस्ट बंगाल के बारे में भी कहना चाहता हूं—ये लोग बार-बार कहते हैं कि जो कानून हमने पास किए उनके लिए प्रेसिडैण्ट से असैंट नहीं मिली। आपने पहला कानून 1978 में बनाया, जब आप की ही सरकार यहां भारत सरकार के अन्तर्गत थी, जिसका आप समर्थन कर रहे थे। अगर उस समय असैंट नहीं दी गई तो वह सरकार दोषी है, जिसके कारण असैंट नहीं मिली। इसलिए आप लोग ज्यादा दोषी हैं। अपना दोष कांग्रेस पर थोपना चाहते हैं। वैस्ट बंगाल में क्या हुआ हैं। कितना अन्याय लोगों के साथ हो रहा है। (व्यवधान)

जिन लोगों के पास सीलिंग कानून से भी कम जमीन थी, उनसे जमीनें लेकर अपने कार्यकर्ताओं को बांटी गई हैं। इस तरह का अन्याय बन्द किया जाना चाहिए।

कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में जितनी भी फाजिल जमीन है, उसको लेकर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। यह मैं मानता हूं कि कानून में कुछ लू-फोल्स हैं। जिसकी वजह से राजे-महाराजे, जागीरदार लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। उनकी जमीन ली जानी चाहिए। बहुत से मुकदमे हाई-कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। उन मुकदमों को वहां से विथड्रा करके सरकार स्वयं उनकी पैरवी करे। जितनी जमीन राजा-महाराजाओं के पास है, जागीरदारों के पास है, ट्रस्ट प्रापर्टी है, उसको लेकर गरीब लोगों में वितरित किया जाना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं। जितनी भी जमीन गरीब लोगों को अलाट की जाती है, उसका पैसा उन लोगों से लिया जाता है और जागीरदार को मुआवजा दिया जाता है। इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। जब उनके पास फालतू जमीन है और कानून के तहत ली जा रही है तो मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। वह जमीन गरीब लोगों को मुफ्त में बांटनी चाहिए। इससे उनकी हालत सुधरेगी। इस प्रकार का परिवर्तन सीलिंग कानून में लाना आवश्यक है।

परिवार की डेफीनेशन का भी कई लोग नाजायज लाभ उठा रहे हैं। इसमें एडल्ट मेंबर को अलग-अलग परिवार मानकर अलग अलग भूमि उनके नाम करने की व्यवस्था की गई है। इसकी वजह से सीलिंग कानून का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। हमारे राजस्थान में 22 राजा हैं। इसके अलावा हजारों जागीरदार लोग हैं। उन्होंने गलत नामों से जमीनें अलाट करा रखी हैं। उनके पास बड़े पैमाने पर जमीनें पड़ी हुई हैं। इन जमीनों को लिया जाना चाहिए। अगर कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो इसके लिए भारत सरकार को स्टेट गवर्नमेंट को गाइड लाइन्स दी जानी चाहिए, ताकि फालतू पड़ी जमीनों को गरीब आदमियों में बांटा जा सके। इसकी नितांत आवश्यकता है। इसलिए जो ब्लेम कांग्रेस के प्रति लगाया

गया है, वह निश्चित तरीके से अन्याय पूर्ण है। अगर किसी ने भूमि सुधार को जन्म दिया है, पनपाने की कोशिश की है तो वह है कांग्रेस। और कोई दूसरी पार्टी नहीं है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है। हो सकता है कि कुछ बड़े-बड़े लोग यहां बैठे हुए हों। उनके पास काफी जमीनें हैं। उनको सुओ-मोटो जमीनें छोड़नी चाहिए और सीलिंग में देनी चाहिए। विनोवा भावे और अन्य बहुत से लोगों ने कहा है जिनके पास जरूरत से ज्यादा जमीन है और जिनका वह नाजायज फायदा उठाते हैं, उनको जमीन सरेण्डर कर देनी चाहिए ताकि आम लोगों को उपलब्ध हो सकें।.....(व्यवधान) बंगाल में नाम के तो कम्युनिस्ट हैं, लेकिन उनके पास काफी जमीनें हैं। वैस्ट बंगाल की सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। हमारे बहुत से साथियों ने बिहार और यू० पी० की बात कही है। मैं खास तौर पर पंजाब के बारे में कहना चाहूंगा। पंजाब में जितने भी अकाली दल के नेता हैं, उनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं। प्रकाश सिंह बादल की जमीन हमारे यहां राजस्थान में है। बादल गांव पूरा का पूरा उन्हीं का है और हजारों बीघा जमीन उनके पास है। ऐसे लोगों से निश्चित तरीके से जमीन ली जानी चाहिए। अगर ऐसे लोगों से जमीन ली जायेगी तो भूमिहीन लोगों की पूर्ति कर सकते हैं। पांच करोड़ एकड़ जमीन हमारे यहां है। इसका सर्वे किया जाये। इसके सम्बन्ध में पूरी व्यवस्था कीजिए ताकि लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बना सकें। यह कानून बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें जो खामियां हैं, उनको दूर किया जाए। इन्दिरा जी को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि उनकी वजह से ही लोग आर्थिक तौर पर सम्पन्न बन रहे हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत करोड़ों लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का कार्यक्रम है। राजा-महाराजाओं से जमीन लेकर और बैंको से पैसा दिलवाने का बहुत बड़ा काम अपने हाथ में लिया है। सोशलिस्ट कन्ट्रीज की बात मैं नहीं करता। प्रजातांत्रिक तरीके से इस प्रकार का कदम अगर किसी देश ने उठाया है तो वह हिन्दुस्तान ने इन्दिरा जी के नेतृत्व में उठाया है। देश के करोड़ों लोगों को सम्पन्न बनाने का कार्यक्रम है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री बृजमोहन मोहनवी (पुरी) : सभापति महोदया, मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं। किन्तु मुझे इस बात की आशंका है कि क्या यह विधेयक नवीं अनुसूची में दर्ज अधिनियम को संरक्षण देगा। उच्चतम न्यायालय ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि इनसे संरक्षण नहीं मिलेगा तथा नवीं अनुसूची में दर्ज सभी अधिनियम को केशवानन्द भारती के मामले के आधार पर जांच की जायेगी।

मुझे भय है कि यह विधेयक जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लाया जा रहा है, वह प्राप्त नहीं होगा। मेरा निवेदन यह है कि इन सभी कानूनों को न्यायिक जांच-पड़ताल से मुक्त नहीं किया जाएगा। यदि यह मूल भूत अधिकारों, चाहे वह अनुच्छेद 19 अथवा 21 या 31 हो या कि कुछ और हो; का उल्लंघन करता है, तो इसे न्यायिक जांच-पड़ताल से सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः, सरकार को नवम अनुसूचि में सम्मिलित किए गए संविधियों को मुक्ति प्रदान करने की समग्र नीति बनानी चाहिए।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : माननीय सभापति महोदया, इस समय सदन में जो विधेयक विचार के लिए प्रस्तुत है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारे दल की नेता और हमारे राष्ट्र की प्रधान मंत्री ने छठी पंच वर्षीय योजना में देश को यह आश्वासन दिया था कि हम सन् 1985 तक समस्त भूमि सुधार विधेयकों को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करेंगे। इस सदन को प्रसन्नता होनी

चाहिए कि छठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्र के सामने जो आश्वासन दिया गया था, हमारी सरकार और हमारी नेता ने आज उसको पूरा करने के लिए सदन के सामने यह विधेयक उपस्थित किया है।

जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे यहां कई पुराने ऐसे अधिनियम थे जो कि विभिन्न सरकारों ने 1978 या 1979 में पारित किए थे। लेकिन उन दिनों यहां केन्द्र में जनता पार्टी या लोकदल की सरकार सत्ता में थी और वह उन अधिनियमों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं करना चाहती थी, इसी कारण उसने शामिल नहीं किए। इनमें आप देखेंगे कि क्रम संख्या 199 पर दी वैस्ट बंगाल रैस्टोरेशन ऑफ एलीनेटिड लैंड (अमैंडमैंट) एक्ट, 1978 (वैस्ट बंगाल एक्ट 14 ऑफ 1978) हैं, इसके अलावा दी वैस्ट बंगाल रैस्टोरेशन ऑफ एलीनेटिड लैंड (अमैंडमैंट) एक्ट, 1980 (वैस्ट, बंगाल एक्ट 56 ऑफ 1980) भी है, जो कि क्रमश: 1978 और 1980 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पारित किए गए। इस तरह दी तामिलनाडु लैंड रिफार्म्स (फिक्सेशन ऑफ सीलिंग आन लैंड) अमैंडमैंट एक्ट, 1978 है और हरियाणा सीलिंग आन लैंड होल्डिंग्स (अमैंडमैंट) एक्ट, 1977 है जो हमारी सरकार ने पास किया था। परन्तु इन सारे अधिनियमों को जनता और लोकदल सरकार संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं करना चाहती थी। आज हमें खुशी है कि जिस प्रोग्रैसिव लैजिस्लेशन की आप दुहाई देते हैं, जिसके लिए आप कहते हैं कि हमारे यहां लैंड रिफार्म्स कम हुआ है, लेकिन ये उदाहरण ऐसे हैं जिनसे पता चलता है कि आपकी सरकार केन्द्र में तीन साल तक रही और आपने जानबूझ कर इन अधिनियमों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। इसलिए कि आपका भूमि सुधार में विश्वास नहीं है, आपका प्रोग्रैसिव लैजिस्लेशन में विश्वास नहीं है। वैसे आप भाषणों में इसकी बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन आपकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। आज यह साफ हो गया है कि हमारी कांग्रेस पार्टी का इसमें विश्वास है, हमारी नेता और हमारे दल का विश्वास है कि इन तमाम विधेयकों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन इन विधेयकों से जो इम्यूनिटी मिलती है, वह अभी आंशिक है, पार्श्यल है। मैं चाहूंगा कि हमारे मंत्री जी दो बार इस प्रश्न पर विचार करें कि जिन एक्स को, जिन अधिनियमों को हम अनुसूची में शामिल करने जा रहे हैं, उनको उसी शक्ल में इम्यूनिटी मिलेगी। यदि बाद में उनमें अमैंडमैंट किया जाता है तो उनको वह इम्यूनिटी नहीं मिल पायेगी। क्या आप इस तरह का सदन में कोई अमैंडमैंट प्रस्तुत करेंगे ताकि पार्श्यल इम्यूनिटी न मिलकर सम्पूर्ण तौर पर इम्यूनिटी का प्रावधान हो। उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे विरोध पक्ष में बैठने वाले लोगों को इसमें दिलचस्पी नहीं है, इनको इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि इनकी नियत नहीं है। लेकिन हमें सोचने की जरूरत है कि हम पूरी तरह से इम्यूनिटी दें।

सभापति जी, मैं अपने स्टेट की बात करना चाहता हूं। मेरे राज्य राजस्थान में जब 1952 में भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ, लैंड रिफार्म्स एक्ट लागू हुआ उस समय के बहुत से ऐसे मामले हैं जो कि अभी तक विभिन्न न्यायालयों में, उच्चतम न्यायालयों में लम्बित पड़े हुए हैं और आज तक उनका कोई फैसला नहीं हुआ है।

गरीब आदमी को जो जमीन मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल सकी, और उस समय जो बड़े सामन्त थे उन्होंने अपने कुत्तों के नाम पर और ऐसे लोगों के नाम पर जो जीवित नहीं थे, जमीनें नाम करवा लीं और उसका अभी तक नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हमको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिनकी जमीन अलाट करें उनको अनावश्यक रूप से जमींदार लोग मुकद्मेबाजी में न फंसायें।

1975 में कांग्रेस सरकार ने विभिन्न राज्यों में फालतू जमीन गरीब लोगों को अलाट की

लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आयी तो सब को मालूम है क्या हुआ ? हमारे राजस्थान में और मेरे जिले अलवर में बहुत सी जमीनें जो गरीबों को दी गई थीं लाठी के जोर से लोगों ने गरीबों से छीन लीं और उन पर वापस कब्जा कर लिया। आज 1980 के बाद हम फिर उस प्रोसेस में आ रहे हैं, जिनको पहले दखल दे दिया था उनको फिर दखल दे रहे हैं। इस तरह की कानून की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ-साथ उन राज्यों में भी इस कानून को लागू किया जाय कांग्रेस सरकार नहीं है।

आज आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है ? गलती से जो वहां मुख्य मन्त्री बन गए थे श्री एन० टी० रामा राव, उन्होंने बड़े बड़े जमींदारों को इस तरह नाजायज फायदा दिया जिससे लोगों में असन्तोष है। उन्होंने अपने प्रदेश में भूमि सुधार नहीं किया। आज वहां की जनता उनसे क्षुब्ध होकर अपना रोष प्रकट करना चाहती है। मैं विरोधी दलों से कहना चाहता हूं कि आपकी दोस्ती ऐसे लोगों से है जिनके पास अधिक जमीन है, जैसे प्रकाश सिंह बादल और जिनके पास अधिक पैसा है, जैसे एन० टी० रामा राव। तो पहले आप अपनी नीयत साफ कीजिए।

मेरा निवेदन है कि नौवें शेड्यूल में इस कानून के अलावा और भी बहुत से अधिनियमों को शामिल करना चाहिए, जैसे मिनिमम वेजेज ऐक्ट, प्रोवीडेंट फंड पैमेन्ट एक्ट। होता क्या है कि मिल मालिक मजदूरों का प्रोवीडेण्ट फण्ड का पैमेंट नहीं करते हैं। हालांकि आपने सजा का प्रावधान किया हैलेकिन मिल मालिकों को नाम मात्र के लिए सजा मिलती है यानी टिल दी राइजिंग आफ दी कोर्ट। उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है, और गरीब मजदूरों को प्रोवीडेण्ट फण्ड का पैसा नहीं मिलता है, मिनिमम वेज नहीं मिलती। इसलिए ऐसे कानूनों को भी इस तरह का संरक्षण आप दें जिससे अदालतों में उनको चेलेंज न किया जा सके।

आज स्टेट लेजिस्लेचर के सामने यह बात है कि जो भी प्रोग्रेसिव ला हम बनाना चाहते हैं उनको अदालत में चेलेंज किया जाता है और वहां से स्टे आर्डर ले लेते हैं और जब तक स्टे आर्डर रहता है तब तक जमींदार लोग जमीन का ऐलीनियेशन कर देते हैं। इसकी वजह से हम अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि अगर भूमि सुधार करना है, गरीब आदमी को राहत देनी है तो ऐसे कानूनों को इस तरह की इम्यूनिटी देनी चाहिए ताकि अदालतों में जाकर केवल फिल्म्जी ग्राउण्ड्स पर उनको चेलेंज न किया जा सके। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : सभापति महोदया, मैं स्वर्गीय प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण का स्मरण कराता हूं जिसमें उन्होंने मूल अधिकारों और निदेशक सिद्धान्तों के बीच अन्तर को स्पष्ट कर दिया था। जहां वर्ष 1951 में अनुच्छेद 15 का संशोधन करने के लिए संविधान के प्रथम संशोधन को इस सभा में स्वीकृत किया गया था, वहां पंडित नेहरू ने बहुत ही जोरदार शब्दों में बताया था कि वह कानून का आदर करते हैं, वह उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का आदर करते हैं ; किन्तु हमें मूल अधिकारों एवं निदेशक सिद्धान्तों के बीच भेद तो करना ही होगा, जहां मूल अधिकार गतिहीन तत्वों के बारे में बताते हैं, वहां निदेशक सिद्धान्त गतिशील प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हैं। उन्होंने कहा था कि यदि उन्होंने मूल अधिकारों तथा निदेशक सिद्धान्तों के बीच चुनाव करना हो तो वह गतिशील निदेशक सिद्धान्तों को ही चुनेंगे। यही दर्शन था जो स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। उन्होंने देश के आयोजन तथा विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के

लिए उस दर्शन की आवश्यकता को अनुभव किया था। इस उद्देश्य को दृष्टि में रख कर इस देश के गरीब तथा पद-दलित लोगों की बेहतरी तथा उन्नति के लिए कई अधिनियमों को इस सभा द्वारा पारित किया गया था। इस विधेयक में यह दर्शन और सिद्धान्त अन्तर्निहित है और इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं।

जहां मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, वहां मैं इस तथ्य के कारण चिन्तित भी हूं कि विकास के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं जिन्हें दूर करना होगा। नवम् अनुसूची में 188 मदें हैं। उसके बावजूद उच्च न्यायालयों के इतने अधिक निर्णय हैं ऐसे हैं, उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के इतने अधिक ऐसे व्यादेश तथा रिट हुए हैं जिनके द्वारा विकास योजनाओं के कार्यान्वयन को रोकने का प्रयास किया गया है।

मेरे क्षेत्र मुंगेर में, जहां प्राय: बाढ़ें आती रहती हैं, वहां लाखों लोग भूमि के कटाव का शिकार हुए हैं। भूमि के कटाव के कारण बने ये शरणार्थी शरण प्राप्त करने के लिए निकल पड़ते हैं, किन्तु वे केवल इस तथ्य के कारण इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं कि भूमि उन्हें उपलब्ध नहीं होती है। जब वे किसी बिना कटाव की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, तो भूमि का स्वामी न्यायालय की सहायता लेने का प्रयास करता है इसके लिए व्यादेश जारी करा देता है। आप उन लोगों के भाग्य की कल्पना मात्र ही कर सकते हैं जिनके पास रहने का कोई भी स्थान नहीं है। वे बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। इस समस्या का तुरन्त समाधान करना होगा। उसके लिए इस प्रकार का नियतन करना बहुत ही आवश्यक है।

जब हम सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की ओर देखते हैं, तो हम यह भी पाते हैं कि कुछ निहित स्वार्थ अपनी भूमि को त्याग देने के मार्ग में बाधा डालते हैं। वे न्यायालय में जाते हैं और रोक आदेश प्राप्त कर लेते हैं। इससे योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब होता है और लागत में वृद्धि हो जाती है। यह वृद्धि थोड़ी नहीं होती, कई बार यह 10 से 15 गुना हो जाती है। हमने यह सुनिश्चित करना होता है कि इन प्रक्रियात्मक विवादों के कारण देश की विकास योजनाओं पर कुप्रभाव न पड़े। हमें अपनी सिंचाई तथा विद्युत योजनाओं में वृद्धि करनी चाहिए। हम इसके लिए वचनबद्ध है। उसके लिए भी यह संशोधन आवश्यक है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को पुनर्वास सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए पर्चियां जारी की जा चुकी हैं। दुर्भाग्यवश, कुछ भूस्वामी, जिनकी भूमि को इस प्रयोजन के लिए अधिग्रहीत किया जा रहा है, न्यायालय की शरण लेने का प्रयास करते हैं। न्यायालय भी समस्या के गुण दोष पर विचार किए बिना ही रोक आदेश जारी कर देता है। अत:, जहां सरकार इन लोगों का पुनर्वास करने का प्रयास करती है, वहां प्रक्रियात्मक विवाद इसके मार्ग में बाधक बन जाते हैं। उसका उपाय करना ही होगा। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का हित हमारी प्रधानमन्त्री को बहुत ही प्रिय है। और उनकी यह तीव्र इच्छा है कि ये लोग स्वस्थ तथा समृद्ध जीवन बितायें। उस प्रयोजन के लिए भी यह अधिनियम अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि समस्त भूमि मानचित्र को आधुनिक तथा वैज्ञानिक तरीकों द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। इनसेट की सहायता से समूचे क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। भू-खण्डों तथा भूमि की सीमाओं का वैज्ञानिक मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग से कराया जाना

चाहिए, ताकि किसी को भी निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक भूमि रखने नहीं दी जानी चाहिए। मुझे पता चला है कि कई भू-स्वामियों ने अपनी भूमि को नकली तथा बेनामी नामों से हस्तांतरित कर दिया है और बहुत बड़ा भूमि क्षेत्र उनके कब्जे में है। इस समस्या के समाधान के लिए मैं सुझाव देता हूं कि संगणक के द्वारा कार्य कराया जाना चाहिए और समस्त प्रक्रिया का वैज्ञानिक तौर से आयोजन किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, मैं संविधान (48वां संशोधन) विधेयक का आम तौर से समर्थन करता हूं। इस विधेयक के जरिये 14 कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखने की व्यवस्था की जा रही है। उन कानूनों में 13 कानून तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक पर मेरा थोड़ा एतराज है और वह है बिहार का लैंड एक्वीजीशन एक्ट। अगर वह इसमें शामिल न किया जाता, तो अच्छा होता। जहां तक मेरी जानकारी है, उस कानून के जरिये किसानों के हितों पर चोट की गई है। अगर मन्त्री महोदय बता सकें कि सचमुच में वह एक प्रगतिशील कानून है, तब तो मैं इस स्थिति में हो सकूंगा कि उसको भी इसमें रखने को सही माना जाए, लेकिन मुझे इस बारे में सन्देह है।

कांग्रेस के एक माननीय सदस्य ने इस तरफ ध्यान दिलाया है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं हो रहा है। लेकिन इसकी वजह से हम सम्पूर्ण विधेयक का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि 13 और कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करके उन्हें मुकदमेबाजी के पंजे से मुक्त रखने की व्यवस्था की जा रही है।

इस समय जो लैंड एक्वीजीशन बिल इस सदन में पेश है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी जमीन का अर्जन करने के लिए जिस दिन नोटिफिकेशन होगा, उस दिन जो मार्केट रेट होगा, उसी के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। स्थिति यह है कि दो, चार या दस साल तक जमीन एक्वायर नहीं की जाती है और जब वह एक्वायर होती है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन के समय की कीमत के अनुसार मुआवजा दिया जाता है, जबकि इस बीच में मार्केट रेट बढ़ जाता है। इस सम्बन्ध में अमेंडमैंट लाया जा रहा है। बिहार का भूमि अर्जन कानून करीब करीब उसी तरह का है। इसलिए इस बारे में हमारा रिजर्वेशन है मन्त्री महोदय इस पर प्रकाश डालें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि और भी जितना कानून है, ऐसे बंगाल के कानूनों पर तो राष्ट्रपति जी स्वीकृति ही नहीं देते, मोहर ही नहीं लगाते, इस तरह के और भी जितने कानून हैं, उनको स्वीकृति मिलनी चाहिए। छठी पंचवर्षीय योजना के आश्वासन के मुताबिक आपने इन कानूनों को लाने की कोशिश की है। टाटा की जमींदारी जो है, आप जानते हैं कि टाटा हिंदुस्तान की पूंजीपति नंबर दो है, बिरला शायद नम्बर एक पर है, टाटा नगर टाटा की जमींदारी समझा जाता है, इसके बारे में संविद की जो सरकार थी 1967 में उसी समय से यह मांग की जा रही है और यह मांग उसने भी की थी कि टाटा की जमींदारी ले ली जाय। उस समय बिहार सरकार के राजस्व मंत्री श्री इन्द्रदीप सिंह जी थे आज राज्य सभा के मेम्बर हैं, वह यह कानून लाए थे लेकिन आज तक यह मसला हल नहीं हो सका।...(**व्यवधान**) ...नहीं नहीं, वह नहीं लाए हैं। वह जो लाए है, आप भी जानते हैं पूरी-पूरी बात उसमें नहीं है।

हम चाहते हैं कि टाटा की जमींदारी पूरी की पूरी समाप्त की जाय और वह आपके कब्जे में आ जानी चाहिए, यह हमारी मांग है। आपने अभी तक हिम्मत नहीं की टाटा जैसे पूंजीपति को पकड़ने की।

ऐसे ही हमारे यहां बहुत बड़े-बड़े जमींदार हैं जिनके बारे में चर्चा हो चुकी है। भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जो चन्द्र शेखर जी के पहले थे, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कहा था कि 259 बड़े बड़े जमींदार और भूमिपति ऐसे हैं जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है और दो तो मन्त्रि मण्डल के सदस्य हैं। एक मन्त्रि मण्डल के सदस्य के पास 18 हजार एकड़ है और दूसरे के पास साढ़े तीन हजार एकड़ है। इस तरह की स्थिति जब रहेगी, शासन में जमींदारों के आदमी घुसे रहेंगे तो जाहिर बात है कि भूमि सुधार कानून जितने भी आप लाएंगे उसका भीतर-घात होगा। ईमानदारी के साथ उसका कार्यान्वयन नहीं होगा और जमीन की जो भूख भूमिहीनों में और खेत मजदूरों में उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी।

अभी बिहार के किसानों ने एक आन्दोलन चलाया, उसकी भी चर्चा हो चुकी है—15 जुलाई से 15, 16 अगस्त तक भूमि मुक्ति आंदोलन। हजारों एकड़ जमीन पर लोगों ने लाल झण्डे गाड़े। पुलिस ने गोलियां चलायीं, लाठी चलायी, लोगों को जेलों में ले गए, कुछ लोग अभी भी जेलों में रखे गए हैं। इस तरह का आंदोलन वहां है। किसानों की भूख जमीन की ओर जगी है। उनको विश्वास होने लग गया है कि सरकारी कानूनों से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर सचमुच में लागू करते तो मिल भी सकता था लेकिन वह समझते हैं कि नहीं, अब आन्दोलन का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने आन्दोलन का सहारा लिया है। बिहार के अन्दर 2.5 प्रतिशत ही ऐसे लोग हैं, ऐसे जमींदार हैं जिनके हाथ में अधिकांश जमीन है। अधिकांश जमीन उनके हाथ में सिमटी पड़ी है। कानून अपनी जगह पर बना पड़ा हुआ है लेकिन उसकी पूर्ति नहीं होती। बीस सूत्री कार्यक्रम में यह एक मुद्दा जरूर उठाया जाता है लेकिन कमी जमीन का बंटवारा होता है या नहीं, सन्देह की बात है। एक जिले की चर्चा हमारे माननीय सदस्य विजय कुमार यादव जी ने की, राजधानी के जिले की चर्चा मैं करना चाहता हूं क्योंकि मैं समिति का सदस्य हूं, मुझे मालूम है, चार साल से एक ही फिगर दी जाती है कि इतनी जमीन बंटी। बाकी कहां गई ? तो यह स्थिति है। अब किसान ही आन्दोलन करके लेंगे और उनका नारा है कि जो जोतेगा वह बोयेगा, जो बोयेगा वह काटेगा। इस नारे पर किसान संगठित हो रहे हैं। आपके वादे पर ही वह चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे। लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर आपकी सचमुच में राजनैतिक इच्छा शक्ति मजबूत है, आप चाहते हैं कि भूमि सुधार कानून बने और जो बने हुए हैं वह लागू हों, किसानों को अतिरिक्त जमीन जमींदारों से और भूमिपतियों से लेकर दी जाय, जो सीलिंग या जमीन की हदबन्दी का कानून है उसके अन्तर्गत जमीन उनसे लेकर उनके अन्दर बांटे तो आपको इधर मजबूती से कदम उठाना होगा। अगर आप नहीं उठाइएगा तब भी किसान संगठित हो रहे हैं, मजदूर संगठित हो रहे हैं, जगह जगह आन्दोलन चल रहे हैं, और यह चलते रहेंगे और खुद संगठन के अन्दर, जैसा मैंने बताया है पूरे देश में जमींदार तत्व कुण्डली मार कर बैठ गए हैं जो कि नहीं चाहते हैं इस तरह का कानून बने। अगर कानून बन भी जाता है तो वे भीतरघात करते हैं, वह अमल में न आ सके इसकी कोशिश करते हैं। जैसा मैंने शुरू में ही कहा है, मैं मोटे रूप में इस विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन मेरी एक शंका है जिसका समाधान यदि मन्त्री जी कर सकें तो अच्छा होगा। यह जो बिहार भूमि अर्जन कानून है जिसको आप नवीं सूची में शामिल कर रहे हैं उसमें है क्या ? मैंने तो बता दिया है कि उसमें किसान विरोधी बात है इसलिए उसको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। किसानों को आप मुआविजा कबसे देंगे—सबसे बड़ी शंका तो मेरी यही है। ऐसा नहीं है कि आप कारखाना बनायें तो उसके लिए आपको जमीन न मिले, जमीन जरूर मिले लेकिन जिस दिन जिला मजिस्ट्रेट जमीन पर कब्जा करता है, अपने हाथ में लेता है उस दिन के आधार पर मुआबिजा मिलना चाहिए। (व्यवधान) जहां तक मैं समझता हूं नोटिफिकेशन के दिन से देने की बात है। अगर ऐसा नहीं है तो इसकी आप सफाई कर दें, मैं 13 के साथ साथ 14 का भी समर्थन करूंगा। अगर आपको मालूम हो तो आप जरूर बतला दीजिए। वैसे तो मैं

इस बिल का समर्थन ही कर रहा हूं लेकिन मेरी जो शंका है वह मैंने जाहिर कर दी है। आज कुछ किसान भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं इसलिए कि आप उनको मुआविजा कम देते हैं। उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनका यह अधिकार छीनना नहीं चाहिए। बड़े जमीदारों के अधिकारों को आप जरूर कंटेल कर सकते हैं। इसी से आप मेरी मंशा समझ गए होंगे।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : भगवान के बारे में मेरे विचार परिवर्तनशील हैं। यदि कोई मुझे यह बता देता है कि भगवान असत्यता का भगवान है या भगवान यातना का भगवान है, तो मैं उसकी पूजा करने से इनकार कर दूंगा। अतः, हमें राजनीति में यह सिद्ध कर देना चाहिए कि राजा स्वर्ग में होता है। बात यह है कि सन 1952 से ही मैं इसके खिलाफ लड़ रहा हूं कि गरीबों को जमीन मिलनी चाहिए। 1954-55 में जब मैं मिनिस्टर था, तब पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि जिसके हाथ में खुर्पा है उसके हाथ में जमीन जायेगी, लेकिन क्या उसके पास अभी तक जमीन गई है? आप जो यह कहते हैं कि इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपको ही इम्प्लीमेंटेशन करना था, आपने क्यों नहीं किया? फिर भी आप कहते हैं—बड़े अच्छे-अच्छे काम किये हैं, इसलिए मैं कहता हूं पहले अपने आप को ठीक करो, दूसरे खुद-बखुद ठीक हो जाएंगे। यहां जमीन देनी है, जिसके पास अभी जमीन है वह उसका क्या करेगा। महात्मा गांधी ने कहा था—ट्रुथ इज गाड। अपने आप को ठीक करो। अपने आप को बड़ा किसानों का खैरख्वाह समझते हो, लेकिन क्या किया है, क्या नतीजा निकला है? ये कहते हैं—हम बड़े बहादुर हैं, आपने क्या बहादुरी दिखाई है। बीच में जो चोर हैं, वे कुछ नहीं करने देते हैं। हर बड़े काम में उनका हिस्सा होता है। हम 100 आदमी भी इकट्ठे नहीं होते हैं। इसमें किसका कुसूर है? जिसको जमीन देनी है, वह क्यों देगा? इस तरह से कोई चीज नहीं मिलती है। कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करके अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकता है। अधिकारों को अनिच्छुक हाथों से छीना जाता है। इसमें गरीबों का कोई कुसूर नहीं है। अमीर देना नहीं चाहता है, अपने पास रखना चाहता है और जोर से रखना चाहता है। 100 आदमी इकट्ठे होकर उनका मुकाबला करो तब जमीन मिलेगी।

इसलिए मैं समझता हूं कि सीधी बात करनी चाहिए, लम्बी-चौड़ी तकरीर करने का कोई फायदा नहीं है। जो नहीं किया है—इसमें हमारा कुसूर है, दूसरे किसी का कुसूर नहीं है। हमको अपने आप को ठीक करना चाहिए। मैं इससे ज्यादा बोलना नहीं चाहता।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : सभापति महोदया, मेरा इस विधेयक पर बोलने का कोई इरादा नहीं था। यह राज्य सरकारों द्वारा पारित किये गये कुछ विधानों को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक सीधा-सादा विधान है।

महोदया, पश्चिम बंगाल की सरकार ने पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित किया गया एक विधान राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजा है। श्री व्यास तथा एक अन्य माननीय सदस्य ने श्री अमल दत्त द्वारा की गई टिप्पणी के उत्तर में कुछ टिप्पणियां की हैं। मैं आमने-सामने आलोचना के पक्ष में हूं, किन्तु मैं पाखण्ड से घृणा करता हूं। उन्होंने कहा है कि यह कांग्रेस दल ही है जिसने सभी प्रकार के प्रगतिवादी विधान प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जनता सरकार अथवा लोक दल सरकार ने 1979 में पारित किये गये पश्चिम बंगाल के विधान को स्वीकृति क्यों नहीं प्रदान की थी जबकि वे सत्तारूढ़ थे। मैं पूछना चाहता हूं कि 1981 में पारित किये गये विधान के बारे में क्या किया गया है? इसे पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

इसे काफी समय पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजा गया था। किन्तु इसके लिए अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। इसका कारण है। मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल में कुछ जमींदार ऐसे हैं जिनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा यदि राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित किये गये विधान के लिए अनुमति दे देते हैं। विधान सभा द्वारा यथा पारित वर्तमान विधान बाग वाली अथवा मत्स्य उद्योग वाली भूमि के लिए भूमि की 17-1/2 एकड़ की अधिकतम सीमा के अभिप्राय से कोई छूट प्रदान नहीं करता है। यदि इस विधेयक के लिए अनुमति दे दी जाती है, तो इन जमींदारों का अपनी सम्पत्ति तथा अपनी भूमि पर स्वामित्व नहीं रहेगा। इसलिए मैं एक सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस विधेयक के लिए राष्ट्रपति द्वारा अनुमति अभी तक प्रदान क्यों नहीं की गई है? क्या यह बात सच नहीं है कि यदि इस विधेयक के लिए राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्रदान कर दी जाती है और इसे लागू कर दिया जाता है, तो पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के सदस्यों पर काफी सीमा तक प्रभाव पड़ेगा? मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सभापति महोदया, यह जो विधेयक जमीन को नाइंथ शेड्यूल में शरीक करने के लिए यहां पर लाया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी है। इसके अभाव में जमीनें गरीबों को नहीं मिल पाएंगी। लोगों के पास जो जमीन पड़ी हुई है वह निकल नहीं पाएगी। जब तक किसान का जमीन पर जाती कब्जा नहीं होगा तब तक वह उतनी लगन से उत्पादन नहीं बढ़ा सकेगा। इसलिए उत्पादन बढ़ाने के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए भी उसको जाती कब्जा दिया जाना आवश्यक है। यह बहुत समय से चला आ रहा है। आंध्र प्रदेश में ब्रह्मानन्द रेड्डी और संजीवा रेड्डी जो मुख्य मन्त्री रहे हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में बड़ा काम किया है। आंध्र प्रदेश में एक जमींदार के पास एक लाख 25 हजार एकड़ जमीन थी। उससे इस जमीन को निकलवाया और आज उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन रह गई है। लेकिन आज वहां पर जो सरकार है वह बड़े-बड़े लोगों को जमीनें देने की कोशिश कर रही है। न सिर्फ उनको खेती की जमीन दी जा रही है बल्कि शहरों में भी उनको बड़ी-बड़ी जमीनें दी जा रही हैं। उसके पास पहले भी काफी जमीनें हैं। इनका बंटवारा होना चाहिए। जमीनों को बांटने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स की होती है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (दक्षिण कलकत्ता) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह कब तक चलता रहेगा? इस विधेयक के लिए कितना समय निश्चित किया गया है? क्या अभी तक यह जारी है। आप इस प्रकार सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति क्यों दे रहे हैं? क्या वह बोलने वाले अन्तिम व्यक्ति हैं? (**व्यवधान**)।

एक माननीय सदस्य : उन्हें यह प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मुझे पूछने का पूरा अधिकार है। प्रत्येक विधेयक के लिए कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय नियत किया जाता है। आप हर बात का उपहास कर रहे हैं, जिससे यह चर्चा चलती रही और सत्तारूढ़ दल अपनी संख्या बढ़ाने के हेतु प्रतीक्षा होती रहे···(**व्यवधान**)।

सभापति महोदया : समय नियत किया गया था। किन्तु, मैंने समय को बढ़ा दिया है। अतः, वे बोल रहे हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : किन्तु मुझे पिछले विधेयक पर बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि कार्य मन्त्रणा समिति ने इसके लिए निश्चित समय नियत किया हुआ था और मुझे बैठना पड़ा था। किन्तु अब आप सत्तारूढ़ दल के सदस्यों इस प्रकार बोलने की अनुमति दे रही हैं।

सभापति महोदया : सदैव नियत किये गए समय को बढ़ाया नहीं जाता है। किन्तु इस मामले में मैंने समय को बढ़ाया है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आपने पहले बोलने वाले विपक्षी सदस्यों को नहीं बताया था कि वे भाषण को ज़ारी रख सकते हैं जब समय को बढ़ाया जाता है, तो इस समय को दलों में बांट दिया जाता है। आप इस प्रकार सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को भाषण जारी रखने की अनुमति दे रही हैं। (**व्यवधान**) मैं भी चाहता हूं कि इस संविधान के संशोधन विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सत्तारूढ़ दल इसके लिए तैयार रहना चाहिए। किन्तु, वह पिछली बार ऐसा करने में असमर्थ रहा था ...(**व्यवधान**)।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : यह पहले भी हो चुका है कि एक घंटा समय नियत किया गया था और चर्चा में 6 घण्टे का समय लगा था।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : शुरू करने से पूर्व आप कह दें कि आप समय को बढ़ायेंगे। उसके बाद आप वाद विवाद को शुरू कर सकते हैं।

सभापति महोदया : यदि हम महसूस करते हैं, तो समय को बढ़ा देते हैं। यह असामान्य बात नहीं है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह एक असामान्य बात है।

सभापति महोदया : यह असामान्य बात नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : सत्तारूढ़ दल सबको बढ़ाने की मांग कर रहा है। यह असामान्य बात है।

सभापति महोदया : यह असामान्य बात नहीं है। इस सभा में ऐसा सदैव होता रहा है। जब एक घंटा नियत किया जाता है, तो आपने चार घण्टे के लिए चर्चा की है।

श्री रेड्डी आप अपने भाषण को जारी रखें।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : सभापति महोदय, मेरी यह मांग है कि जिन-जिन राज्यों में भूमि सुधार का काम हुआ है, उनकी गिनती करानी चाहिए और उसकी पूरी तफसीलात पार्लियामेंट के सामने आनी चाहिए। इससे मालूम हो जाएगा कि कौन सा स्टेट दोषी है? यह सुना जाता है कि वेस्ट बंगाल में भी बराबर जमीन नहीं बांटी गई है। वहां के लोग कहते हैं कि यह तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है। वहां के तफसीलात मालूम करने पर पता चल जाएगा कि असल में लैण्ड रिफार्म नहीं हुआ है। पहले केरल में भी नहीं हुआ था, अब धीरे-धीरे हो रहा है। जिस प्रकार आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ है, उस तरह का काम किसी और राज्य में नहीं हुआ है। जिस-जिस राज्य में काम ठीक तरह से नहीं हुआ है, मैं चाहता हूं कि उस स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। अगर वह स्टेट गवर्नमेंट सही रास्ते पर नहीं आती है तो उसको डिसमिस करना चाहिए। जो, लैंड रिफार्मस के खिलाफ बात करते हैं या सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कानून को अमल में नहीं

लाते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। अब यह कहा जा रहा है कि यह स्टेट सबजेक्ट है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट को इसमें इण्टरफियर नहीं करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा पावर्स दी जा रही हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर्स होनी चाहिए ताकि जो गलत काम करते हैं, उनको सही रास्ते पर लाया जा सके। हमारा फूड प्रोडक्शन 153 मिलियन टन हो गया है। लेकिन इसको अचल करने की जरूरत है। 70 करोड़ आदमियों के लिए यह पूरा नहीं होता है। ज्यादा प्रोडक्शन होने से परचेजिंग पावर भी बढ़ जाती है और लोगों को खाने को मिल जाता है। यह जो फूड प्रोडक्शन हुआ है, इससे गवर्नमेंट को सेटीसफाई नहीं होना चाहिए बल्कि इस फीगर को और डबल करना चाहिए। किसान को जब यह मालूम हो जाएगा कि जमीन उसकी है तो वह और ज्यादा उसकी देखभाल करेगा, फर्टिलिटी और इल्ड ज्यादा बढ़ायेगा। इसके साथ-साथ गन्ने का प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। आयल सीड्स का भी प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए क्योंकि बाहर से हमको ऑयल मंगाना पड़ता है। हर स्टेट को एक कोटा मुकर्रर कर देना चाहिए। अगर वह स्टेट गवर्नमेंट उतना नहीं करती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के पास पानी है और दूसरे साधन भी मुहैया होते हैं तब भी वह प्रोडक्शन नहीं बढ़ाती तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के रिजर्व में से अनाज बार-बार देना पड़ेगा। इसलिए, इस दिशा में कुछ सोचने की आवश्यकता है।

7.00 म० प०

फटाफट काम नहीं कर रहे हैं और उसके कारण हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। इन सब कारणों से हमारा प्रोडक्शन बहुत कम हुआ···(**व्यवधान**)···इसलिए जब जमीन किसान की अपनी हो जाएगी तो वह उस पर अधिक लगन के साथ काम करेगा, मेहनत करेगा और इस कारण उसकी पैदावार बहुत अधिक होगी और हमारा देश खुशहाल होगा, प्रोडक्शन के मामले में आगे बढ़ेगा। इस-लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वह अपने सुपरवीजन को ठीक करे। क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास इतने साधन नहीं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास एक निगरानी सैल होना चाहिए जो हर स्टेट में जाकर निगरानी का काम करे कि वहां क्या हो रहा है। क्योंकि हमेशा सेन्ट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगा जाता है, अनाज मांगा जाता है, फर्टीलाइजर मांगा जाता है और दूसरी डिमांड की जाती है। इस वास्ते ऐसा प्रबन्ध होना जरूरी है···(**व्यवधान**)···वैसे तो मुझे वेस्ट बंगाल के बारे में बहुत कुछ कहना है, अभी तो मैं बहुत कम बोला हूं। आप अपने को बहुत एडवांस समझते हैं न यदि आप फीगर्स देखें तो वहां प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है। (**व्यवधान**)।

सभापति महोदया : सभा अब कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

7.02 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा गुरुवार, 23 अगस्त, 1984/1 भाद्र, 1906 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक, मित्तल प्रिण्टर्स, के-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 द्वारा मुद्रित